चतुर्दश माला, खंड 23, अंक 2

गुरुवार, 23 नवम्बर, 2006
2 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 1 May 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 2, गुरुवार, 23 नवम्बर, 2006/2 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	5–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 226 से 455	79–364
सभा पटल पर रखे गए पत्र	365–373
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	373–374
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	374
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	374
रेल संबंधी स्थायी समिति	
22वां और 23वां प्रतिवेदन	374–375
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
178वां से 182वां प्रतिवेदन	375
जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006—*पुर:स्थापित*	375–376
नियम 377 के अधीन मामले	376–388
(एक) निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री एल. राजगोपाल	376–377
(दो) देश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु बजटीय आवंटन किये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	377
(तीन) तमिलनाडु के इरोड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपमंडलीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	377–378

विषय	कॉलम
(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहित कर ली गई थी उनका पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	378–379
(पांच) पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 का निरसन किये जाने की आवश्यकता	
डा. टोकचोम मैन्या	379
(छह) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	379–380
(सात) गुजरात के वनों में रहने वाले आदिवासियों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	380–381
(आठ) राजस्थान सरकार को राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	381
(नौ) अहमदाबाद-दांडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य शुरू करने और इसे समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	381
(दस) राज्य में उत्पादित तेल और गैस पर राज्य सरकार को 50 प्रतिशत रायल्टी प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीचन्द कृपलानी	381–382
(ग्यारह) केरल के अलपुझा में स्थित वायरस विज्ञान संस्थान के उन्नयन हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सी.एस. सुजाता	382–383
(बारह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर मोयडु, मुराड और करापुझा पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती पी. सतीदेवी	383
(तेरह) हज समिति के माध्यम से आवेदन करने वाले 1,47,000 हज यात्रियों को हज यात्रा करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	383–384

विषय	कॉलम
(चौदह) देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	384
(पन्द्रह) तमिलनाडु के तिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'होगानेकल' समन्वित पेयजल परियोजना को पूरा किये जाने की आवश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	384–385
(सोलह) पासपोर्ट आवेदकों की समस्याओं के समाधान हेतु देश में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री इलियास आजमी	385
(सत्रह) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड को कपास (रा काटन) की खरीद के लिए राज-सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	386
(अठारह) उड़ीसा के बुर्ला स्थित यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समतुल्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	386
(उन्नीस) कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची और कोडरमा से गिरीडीह के बीच रेल लाईन बिछाने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता	
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	387
(बीस) कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री एम. शिवन्ना	387–388
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	391
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	392–398
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	399–400
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	399–402

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 23 नवम्बर, 2006/2 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बाबूलाल मरांडी को शपथ ग्रहण करनी है। वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यहां आए हैं। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी हैं। कृपया उन्हें शपथ ग्रहण करने दें।

महासचिव महोदय शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान हेतु उनका नाम पुकारें।

...(व्यवधान)

श्री बाबू लाल मरांडी (कोडरमा)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप जिस भी मुद्दे को प्रश्नकाल से पूर्व उठाये जाने के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूं। परन्तु सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी सुना नहीं जा सकेगा। मैं आपसे बारी-बारी से बोलने का आग्रह करता हूं। यदि सभी सदस्य एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी, आप बोलिए। मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बारी-बारी से आपकी बात मुझे सुनने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, आप हमारी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी, यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं आपकी बात कैसे सुन सकूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि वरिष्ठ माननीय सदस्य भी ऐसा कहेंगे तो मैं उनकी बात कैसे सुन पाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मोहन सिंहजी को यहां बैठकर . की कार्यवाही चलाने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यहां आकर इस पर निर्णय लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी, कृपया यहां आएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे यहां आकर सभा को नियंत्रित करने का आग्रह करता हूं। आप यहां आइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता कि यह क्या है। कोई भी मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। कृपया अपने स्थान पर वापिस जाएं। मैं मोहन सिंह जी की बात सुनना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हमारे 10,000 लोग जेल में बंद हैं और हमारे मंत्री जी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गयी *...(व्यवधान)* हमारे सांसद महोदय भी जेल में है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पन्द्रह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक बात मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.15$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री राजनरायन बुधौलिया, श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं। हम सभी इससे सहमत हैं, कल हमने इस पर निर्णय लिया है। सभी दलों ने यह निर्णय किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लगभग तीन महीनों के बाद मिल रहे हैं। दलों ने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे चिन्हित किये हैं और मैं महसूस करता हूं कि आज जानबूझकर सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाला जा रहा है। मैं इस दृष्टिकोण की भरपूर निन्दा करता हूं। चाहे इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, मुझे खेद है कि सभा की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता हूं। सभी संसद के जिम्मेदार सदस्य हैं। मैं पुन: आप सबसे यह अपील करता हूं कि कृपया सभा की कार्यवाही चलने दें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नई रेलगाड़ियां शुरू करना

*21. **डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के रेल बजट में घोषित सभी रेलगाड़ियां शुरू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक शुरू की गयी रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) जो रेलगाड़ियां अब तक शुरू नहीं की गई हैं उनके नाम क्या हैं और उन्हें शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष यात्री (पैसेंजर) रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) रेल बजट में घोषित गाड़ी सेवाओं को अगले वित्त वर्ष के दौरान चलाया जाता है। वर्ष 2006-07 के बजट में घोषित अभी तक चलाई गई और चलाई जाने वाली गाड़ी सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष गाड़ियों चल स्टाक के उपलब्ध होने, परियोजनाओं के पूरा होने, जिनमें आमान परिवर्तन कार्य और नई लाइनें शामिल हैं, टर्मिनल सुविधाओं संबंधी कार्य पूरा होने आदि के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान चलाई जाएंगी:

विवरण

चलाई गई गाड़ियां

क्र.सं.	गाड़ी का नाम
1	2
1.	3453/3454 गौर एक्सप्रेसकेसाथ राजधानी-सियालदह लिंक एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
2.	मैलानी-पालिया कलां पैसेंजर (मीटर लाइन) (प्रतिदिन)
3.	नागपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
4.	मथुरा-अलवर पैसेंजर (प्रतिदिन)
5.	दिल्ली-रायबरेली एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
6.	विशाखापत्तनम-निजमाबाद एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
7.	हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
8.	हवड़ा-पुरी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
9.	इंदौर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
10.	सहरसा-पटना कोसी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
11.	पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
12.	चेन्नै-बिलासपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
13.	सहरसा-अमृतसर गरीब रथ (एसी) (सप्ताह में दो दिन)
14.	जालंधर सिटी-नाकोदार डीजल मल्टीपल यूनिट (प्रतिदिन)
15.	जबलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
16.	यशवंतपुर-अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
17.	चेन्नै-तिरूवनंतपुरम एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
18.	मछलिपटनम-तिरूपति फास्ट पैसेंजर (सप्ताह में तीन दिन)
19.	पुरलिया के रास्ते बांकुरा-रांची (हटिया) पैसेंजर
20.	किशनगंज-अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
21.	आसनसोल-बोकारो (मुख्यलाइन मल्टीपल यूनिट)
22.	गुडुर-तिरूपति पैसेंजर (प्रतिदिन)
23.	चेन्नै ईग्मोर-नागरकोइल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
24.	चेन्नै-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
25.	चेन्नै-कोयम्बतूर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
26.	चेन्नै-मंगलोर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
27.	मदुरै-तिरुपति-मनमाड एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
28.	हाजीपुर-सोनपुर-छपरा-सिवान-थावे पैसेंजर (प्रतिदिन)
29.	मोतीहारी-पोरबंदर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
30.	बंगलोर-एर्णाकुलम (कोचूवेलि) एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

विस्तार

क्र.सं.	रेलगाड़ी का नाम और जहां तक विस्तार किया गया
1.	विजयवाड़ा-लोकमान्य तिलक (टी) एक्सप्रेस काकीनाडा टाउन और भावनगर
2.	मैसुर-कुम्बाकोण एक्सप्रेस मलियादुतुरै तक
3.	तिरुचिरापल्लि-कुमबाकोणम पैसेंजर मलियादुतुरै तक
4.	तिरुचिरापल्लि-थंजावुर पैसेंजर मलियादुतुरै तक
5.	इटारसी-बीना विंध्याचल एक्सप्रेस हबीबगंज तक
6.	जबलपुर-कोटा एक्सप्रेस जयपुर तक
7.	जयपुर-कोटा पैसेंजर शमगढ़ तक
8.	ओखा-सुरेन्द्रनगर पैसेंजर भावनगरतक
9.	पुरी-समबलपुर पैसेंजर राउरकेला तक
10.	जोधपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस बांद्रा (टी) तक
11.	तिरुवनंतपुरम-जोधपुर एक्सप्रेस बीकानेर तक
12.	रायपुर-समबलपुर एक्सप्रेस भुवनेश्वर तक
13.	जयपुर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ग्वालियर तक
14.	बिलासपुर-इतवारी एक्सप्रेस नागपुर तक
15.	पुणे-अहमदाबाद अहिम्सा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) जोधपुर तक (सप्ताह में एक बार)
16.	पुरी-जयपुर एक्सप्रेस जोधपुर तक
17.	पुणे-नांदेड़/मुदखेड़ पैसेंजर निजामाबाद तक
18.	गोरखपुर-रोहतक गोरखधाम एक्सप्रेस भिवानी तक
19.	गुवाहाटी-जोधपुर एक्सप्रेस बाड़मेर तक
20.	अहमदाबाद-दिल्ली मेल हरिद्वार तक
21.	हरिद्वार/कालका-जोधपुर एक्सप्रेस बाड़मेर तक
22.	जयपुर-चेन्नै एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) सप्ताह में एक बार कोयम्बतूर तक
23.	हैदराबाद-छत्तरपुर पैसेंजर वाड़ी तक
24.	तिरुपति-ओंगोला पैसेंजर चिराला तक
25.	शोलापुर-बीजापुर पैसेंजर बगलकोट तक
26.	बंगलोर-बीजापुर एक्सप्रेस बगलकोट तक

फेरे में वृद्धि

क्र.सं.	ट्रेन का नाम
1.	चेन्नै इग्मोर-तनकासी पोथीगई एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन
2.	बेलगाम-मिरज पैसेंजर सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन
3.	बेलगाम-मिरज पैसेंजर सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन
4.	नई दिल्ली-गुवाहाटी सम्पर्क क्रांति सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन
5.	हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन
6.	हटिया-लोकमान्य तिलक (टी)एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन
7.	बंगलोर-गुवाहाटी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन
8.	हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 5 दिन
9.	काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन
10.	बंगलोर-एर्णाकुलम एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन
11.	पटना-पुणे एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन
12.	अमृतसर-नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन

बजट सेवाएं जो अभी मुहैया करायी जानी है

नई गाड़ियां

क्र.सं.	गाड़ी का नाम
1	2
1.	रायबरेली-प्रतापगढ़-लोकमान्य तिलक (टी) लिंक एक्सप्रेस (सप्ताह में दिन)

1	2
2.	दिल्ली-(निजामुद्दीन)-चेन्नै गरीब रथ (एसी) (साप्ताहिक)
3.	टाटानगर-यशवंतपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4.	भुवनेश्वर-बारीपाड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
5.	भुवनेश्वर-पांडिचेरी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
6.	दिल्ली (निजामुद्दीन)-मुम्बई (बांद्रा) गरीब रथ (एसी) (साप्ताहिक)
7.	दिल्ली (निजामुद्दीन) (निजामुद्दीन)-पटना गरीब रथ (एसी) (साप्ताहिक)
8.	अहमदाबाद-पटना आजिमाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
9.	दरभंगा-कोलकाता (चित्तपुर) मिथिलांचल एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)
10.	मुजफ्फरपुर-कोलकाता-(चितपुर) तिरहुत एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
11.	जोगबनी-कोलकाता एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन) (आमान परिवर्तन के बाद)
12.	भुज-बरेली एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)
13.	सोनपुर-छपरा-जम्मू तवी मौरध्वज एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
14.	चेन्नई, पटना के रास्ते बंगलोर-दरभंगा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
15.	लखनऊ के रास्ते दिल्ली (न्यू आजादपुर)-सहरसा पूरबिया एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
16.	पुर्णा-आदिलाबाद पैसेंजर (आमान परिवर्तन के बाद) (साप्ताहिक)
17.	नांदेड़-आदिलाबाद पैसेंजर (आमान परिवर्तन के बाद) (प्रतिदिन)
18.	पुर्णा-नांदेड़-पटना एक्सप्रेस (आमान परिवर्तन के बाद) (साप्ताहिक)
19.	फैजाबाद के रास्ते दुर्ग-गोरखपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
20.	वाराणसी के रास्ते अजमेर-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
21.	वलसाड-उधना (सूरत)-छपरा-सोनपुर श्रमिक एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
22.	वलसाड-उधना (सूरत)-कानपुर उद्योगकर्मी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
23.	जयपुर-अमृतसर एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन)
24.	दरभंगा और गुवाहाटी के बीच 5609/5610 अवध-असम एक्सप्रेस के साथ लिंक एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
25.	मदुरै-रामेश्वरम पैसेंजर (आमान परिवर्तन के बाद) (प्रतिदिन)
26.	अजमेर-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस (आमान परिवर्तन के बाद)
27.	कुमारघाट-अगरतला (नई मीटर आमान लाइन शुरू होने के बाद) (प्रतिदिन)

विस्तार

1	2
1.	दानापुर-न्यू जलपाईगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस कामाख्या (गुवाहाटी) तक (सप्ताह में 4 दिन)
2.	मथुरा-लखनऊ एक्सप्रेस (फैजाबाद-वाराणसी के रास्ते) पटना तक (सप्ताह में 3 दिन)
3.	लोकमान्य तिलक (टी)-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस रक्सौल तक
4.	चेन्नै-वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रेस छपरा तक (सप्ताह में 2 दिन)
5.	वास्को-विजयवाड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन) हावड़ा तक
6.	मदुरै-मनमदुरै पैसेंजर रामेश्वरम तक (आमान परिवर्तन के बाद)
7.	मदुरै-मनमदुरै पैसेंजर रामेश्वरम तक (आमान परिवर्तन के बाद)
8.	मुम्बई-नांदेड़ नंदीग्राम एक्सप्रेस नागपुर तक (आमान परिवर्तन के बाद)
9.	विशाखापत्तनम-निजामुद्दीन हीराकुंड एक्सप्रेस अमृतसर तक
10.	बंगलोर-विशाखापत्तनम प्रशान्ति एक्सप्रेस भुवनेश्वर तक
11.	दिल्ली-मेरठ सिटी पैसेंजर मुजफ्फरनगर तक

विमान दुर्घटनाएं

*22. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने विमान और हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) इसके फलस्वरूप कितने जान-माल का नुकसान हुआ;

(ग) विमानों/हेलीकाप्टरों के बार-बार दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या निरंतर प्रयासों के बावजूद नए प्रशिक्षण विमान का अभी तक विनिर्माण नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या सरकार का विचार अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सेना विमानन के वर्तमान हेलीकाप्टर बेड़े को बदलने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (छ) गत तीन वित्तीय वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक रक्षा बलों के कुल 43 विमान तथा 15 हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक तथा तकनीकी खराबी हैं। इन दुर्घटनाओं, इनमें हुई जान एवं माल की हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय वायुसेना, प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए 66 हाक उन्नत जेट प्रशिक्षक (एजेटी) विमानों की अधिप्राप्ति कर रही है। 66 हाक एजेटी विमानों में से, 24 विमान यू.के. से उड़ान योग्य अवस्था में अधिप्राप्त किये जाएंगे। 4 विमान प्रतिमाह के हिसाब से सुपुर्दगी सितंबर, 2007 से आरंभ हो जाएगी। शेष 42 विमानों का उत्पादन लाइसेंस के तहत, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) द्वारा किया जा रहा है। सुपुर्दगी 1-2 विमान प्रतिमाह के हिसाब से मार्च, 2008 से शुरू होगी।

इसके अलावा, भारतीय वायुसेना, प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए मध्यम जेट प्रशिक्षक विमान (आईजेटी) के स्वदेश में विकास तथा विनिर्माण के लिए एच.ए.एल. की परियोजना में भी सहायता कर रही है।

भारतीय सेना के पास उपलब्ध चेतक तथा चीता हेलिकाप्टरों के मौजूदा बेड़े का प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों से, चरणबद्ध रूप में, करने की योजना है।

विवरण

वर्ष	दुर्घटनाएं							जान की हानि सेवा कार्मिक/ सिविलियन				सिविल संपत्ति की हानि (रुपए में)
	भारतीय वायुसेना		सेना		नौसेना		योग	भारतीय वायुसेना	सेना	नौसेना	जोड़	
	विमान	हेलिकाप्टर	विमान	हेलिकाप्टर	विमान	हेलिकाप्टर						
2003-04	13	2	-		-	-	16	9/12	-/-	-/-	9/12	9,46,375
2004-05	13	4	-	3	1	-	21	7/3	3	-/-	10/3	15,120
2005-06	9	2	-	-	2	3	16	9	-/-	9	18	47,853
2006-07 (1.4.2006 से 17.11.2006 तक)	3	-	-	1	1	-	5	-/-	3	-/-	3	-
कुल	38	8	-	4	5	3	58	25/15	6	9	40/15	10,09,348

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी

***23. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई कमी को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तेल की कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अनेक अवसरों पर उस समय वृद्धि की गई है जब विगत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तथापि, ये वृद्धियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के मूल्यों के अनुरूप अपेक्षित वृद्धियों से बहुत कम रही हैं।

2006 के दौरान पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में केवल एक बार वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में केवल आंशिक, न कि उस समय प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में के अनुरूप, वृद्धि की गई थी। पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अपेक्षित वृद्धि और की गई वृद्धियां नीचे तालिका में प्रदर्शित की गई है:

उत्पाद	पेट्रोल (रु./लीटर)	डीजल (रु./लीटर)	पीडीएस मिट्टी तेल (रु./लीटर)	घरेलू एलपीजी (रु./सिलेंडर)
मई/जून, 2006 के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार अपेक्षित वृद्धि	10.55	9.88	17.16	114.45
6.6.2006 को की गई वृद्धि	4.00	2.00	शून्य	शून्य
शेष	6.55	7.88	17.16	114.45

(ख) और (ग) पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जब जून, 2006 में पिछली वृद्धि की गई थी तो भारतीय क्रूड तेलों की बास्किट लगभग 67 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल पर थी। इस वर्ष अगस्त में मूल्य 75 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल तक गए। परन्तु, सरकार ने घरेलू खुदरा मूल्यों में वृद्धि नहीं की और अतिरिक्त बोझ सरकार और सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा ही वहन किया गया।

हाल में जब मूल्य 57-58 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल तक नीचे आ गए हैं तो भी तेल विपणन कंपनियों को डीजल में अत्यधिक न्यून वसूलियां होनी जारी हैं।

(घ) से (च) तेल विपणन कंपनियां डीजल, मिट्टी तेल और एलपीजी पर अभी भी न्यून वसूलियां (अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के स्तर के समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य और ग्राहकों से वास्तव में वसूले गये मूल्य के बीच अंतर) झेल रही हैं। मिट्टी तेल के मामले में अंतिम बार मूल्य संशोधन लगभग 5 वर्ष पहले उस समय किया गया था जब अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य बहुत कम थे। इसी प्रकार एलपीजी मूल्यों में दो वर्ष पहले मामूली संशोधन किया गया था।

2006-07 की प्रथम छमाही (1.4.2006 से 30.9.2006) में न्यून वसूलियों की राशि लगभग 33,200 करोड़ रुपये हो गई है। इस न्यून वसूलियों की आंशिक पूर्ति ओएनजीसी, ओआईएल और गेल जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा 12,000 करोड़ रुपये की बोझ हिस्सेदारी और 14,150 करोड़ रुपये के बाण्डों के निर्गम के आश्वासन के जरिये की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में लगातार उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। सरकार उतरते-चढ़ते मूल्यों पर ध्यानपूर्वक नजर रखे हुए हैं। ऋतु अनुसार तेल मूल्यों में शीतकालीन महीनों के दौरान वृद्धि होने का अनुमान रहता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के मूल्यों में लगातार गिरावट आएगी तो सरकार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में अधोमुखी संशोधन पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

***24. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीलरों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की ढुलाई नीति क्या है;

(ख) डीलरों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हेतु अपने टैंकर उपलब्ध कराने वाली तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को टैंकरों में मार्ग में जाते समय पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेट्रोल और डीजल में मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) डीलरों को अपने टर्मिनलों से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति ओएमसीज के स्वामित्ववाले टैंक ट्रकों अथवा सार्वजनिक निविदाओं के आधार पर उत्पादों के परिवहन के लिए संविदाकृत टैंक ट्रकों के जरिये की जाती है। परिवहनकर्त्ता को सुरक्षा अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं और उन्हें ओएमसीज के विनिर्देशों के अनुरूप खुदरा विक्रेताओं को उत्पादों की सुपुर्दगी बिना किसी छेड़छाड़ के सुनिश्चित करनी होती है। उद्योग आधार पर सार्वजनिक निविदाएं डीलरों को थोक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए टैंक ट्रक लगाने के लिए आमंत्रित की जाती हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के परिवहनकर्त्ताओं के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान है। निविदा निर्धारित दरों पर अपनी जरूरत के उत्पादों की अपलिफ्टिंग के लिए तेल कंपनियां संविदाएं देने में अपने स्वयं के डीलरों को प्राथमिकता देती हैं बशर्ते कि उन्होंने निविदा में भाग लिया हो।

(ख) कंपनी स्वामित्व वाली टीटीज का कंपनीवार ब्यौरा निम्नवत है:

तेल कंपनी का नाम	टीटीज की संख्या
एचपीसीएल	149
आईओसी	153
बीपीसीएल	161
आईबीपी	12

(ग) और (घ) सरकार जानती है कि कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट के लिए प्रलोभन की संभावना से पेट्रोल और डीजल तथा बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के बीच भारी मूल्यांतर के कारण इन्कार नहीं किया जा सकता। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने चालू वर्ष के दौरान बीच रास्ते में मिलावट की क्रमश: 14, 25 और 8 शिकायतों के प्राप्त होने की सूचना भेजी है।

(ङ) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने मिलावट के खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ईंधन मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये नियंत्रण आदेशों के तहत राज्य सरकारें मिलावट में लिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से मिलावट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है।

(2) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और मिलावट एवं कदाचारों में लिप्त होने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती हैं। एमडीजी में मिलावट सिद्ध होने के मामले में डीलरशिप की समाप्ति के दंड के लिए प्रावधान है।

(3) सरकार ने टैंक ट्रकों की मूवमैंट की निगरानी करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की स्थापना में गति लाने के लिए कदम उठाए हैं।

(4) परिवहनकर्त्ताओं द्वारा बीच रास्ते में मिलावट की रोकथाम करने के लिए नई टैंपर प्रूफ टैंक ट्रक लोकिंग प्रणालियां लागू की हैं।

(5) मिलावट के लिए एसकेओ के दुरुपयोग/विपथन के मद्देनजर निजी पार्टियों द्वारा एसकेओ का आयात ओएमसीज के माध्यम होता है।

(6) सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने निदेशक (विपणन) के अलावा एक निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए एक पृथक विंग का सृजन किया है जो मिलावट की रोकथाम करने के लिए सभी क्रियकलापों और प्रचालनों के देखरेख और निगरानी करेगा तथा इस संबंध में मानक और दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करेगा।

मिलावट की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में नेक नई पहलें की हैं जो संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मिलावट की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है और पेट्रोलियम ौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय समय-समय पर मिलावट को नियंत्रित रने के लिए उठाये गये उपायों की समीक्षा करता रहा है। इस क्रिया में मिलावट को नियंत्रित करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय ौर संस्थागत उपाय किये गये हैं। मंत्रालय द्वारा किये गये हाल ; उपाय नीचे संक्षेप में दिये गये हैं:

(1) खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन: नवीनतम प्रौद्योगिकीय सुधार अपनाकर खुदरा बिक्री केन्द्रों में क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए उनके स्वचलन को लागू किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को मार्च 2007 तक प्रति माह 200 कि.ली. से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

(2) तेल विपणन कंपनियों को मार्च 2007 तक 100 कि.ली. प्रति माह से अधिक बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन पूरा करने का निर्देश दिया है।

(3) विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के संचालन की निगरानी: परिवहन के दौरान मिलावट रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों को कंपनी के स्वामित्व/डीलर के स्वामित्व/अनुबंधकर्त्ता के स्वामित्व वाले टैंक ट्रकों के संचलन की पूर्ण निगरानी के लिए जीपीएस की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है।

(4) मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली: वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को विभिन्न उपाय करने को कहा है जिसमें अपमिश्रकों में मार्कर प्रणाली आरंभ करना सम्मिलित है। ओएमसीज ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ कर दी है। नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंतत: समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरंभ किये जाने के द्योतक है। मार्कर की उपस्थित से मिट्टी तेल में बहुत थोड़ी मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है।

(5) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों को संशोधित करना: विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी), जिनके अंतर्गत तेल विपणन कंपनियां चूककर्ता डीलरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती हैं, में अगस्त 2005 के दौरान संशोधन कर दिया गया है और दंडात्मक कार्रवाई को और अधिक कठोर बना दिया गया है। एमडीजी, 2005 के अनुसार मिलावट के पहले ही मामले में डीलरशिप समाप्त हो जाएगी।

(6) जन केरोसीन परियोजना: पीडीएस मिट्टी तेल वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए और मिलावट तथा अन्य अनधिकृत उपयोगों के लिए मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित करने के लिए 2.10.2005 से आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए 414 ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर जन केरोसीन परियोजना आरंभ की गई है। इस प्रायोगिक परियोजना की समयावधि आगे बढ़ाकर 30.6.2007 तक कर दी गई है।

(7) स्मार्ट कार्ड योजना: इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता लक्षित उपभोक्ताओं के पास कारगर और किफायती ढंग से पहुंचे और दुरुपयोगों को रोकने के लिए इस मंत्रालय ने पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना प्रारंभ में 2007 से तीन जिलों महाराष्ट्र में लातूर, बिहार में नालन्दा

और उत्तरांचल में नैनीताल में प्रायोगिक आधार पर लागू करने का विचार है। प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रियायती मिट्टी तेल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जबकि सभी अन्य राशन कार्ड धारकों को गैर रियायती मिट्टी तेल दिया जाएगा। प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पीडीएस और गैर रियायती मिट्टी तेल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

[अनुवाद]

एलपीजी सिलिंडरों में लीकेज और उनका फट जाना

*25. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलपीजी सिलिंडरों के लीकेज और फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी कितनी घटनाएं सामने आई हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा एलपीजी फिलिंग संयंत्रों को कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पिछले 3 वर्षों के दौरान अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा आपूर्त एलपीजी सिलेंडरों की कुछ घटनाओं के बारे में सूचित किया है:

वर्ष	घटनाओं की संख्या
2003-04	2603
2004-05	1903
2005-06	1680

तेल विपणन कंपनियों ने इन सिलेंडरों में आग लग जाने के कारण 2005-06 के दौरान एलपीजी सिलेंडरों के फटने के 7 मामले सूचित किये हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गैस सिलेंडर (जीसी) नियमावली और स्टेटिक और मोबाइल प्रेसर वेसल्स (एसएमपीवी) नियमावली निर्धारित की है। तेल विपणन कंपनियों को इन नियमों के अंतर्गत सिलेंडरों में एलपीजी की भराई, भरण संयंत्रों से भरे हुए सिलेंडरों के भंडारण और थोक में एलपीजी के भंडारण के लिए विस्फोटक विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को भी जीसी नियमावली के अंतर्गत सिलेंडरों के भंडारण के लिए विस्फोटक विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तेल कंपनियों को सिलेंडरों से एलपीजी का रिसाव रोकने के लिए जीसी नियमावली के प्रावधानों का पालन करना होता है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने एलपीजी सिलेंडरों और वाल्वों के विनिर्माण और डिजाइन के लिए विनिर्देश निर्धारित किए हैं। वीआईएस सिलेंडरों और वाल्वों की विनिर्माण प्रक्रिया पर कड़ा नियंत्रण करता है।

(ङ) सिलेंडरों से एलपीजी के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए तेल विपणन कंपनियां अपने भरण संयंत्रों पर सिलेंडरों की भराई करते समय कड़े नियंत्रण उपाय अपनाती हैं। भरण संयंत्रों पर डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्ताओं से प्राप्त सिलेंडरों की उनकी गुणवत्ता और उनकी असली होने के संबंध में अनिवार्य रूप से जांच की जाती है जिससे उन नकली और नकली सिलेंडरों के प्रवेश को परिचालन में आने से रोका जा सके जिनसे रिसाव हो सकता है। घटिया/नकली सिलेंडरों के पता लगने पर इन्हें जब्त कर लिया जाता है और परिचालन में इनके दो बार प्रवेश को रोकने के लिए इनको तोर-मरोड़ दिया जाता है/कुचल दिया जाता है।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम

*26. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना को किन-किन शहरों में शुरू किया गया है; और

(घ) इस योजना से महानगरीय शहरों में आवासीय कमी को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य अपेक्षा यह है कि केवल वही गृह स्वामी, जो निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार एक कमरा अथवा अधिकतम पांच कमरे प्रदान करने योग्य हैं और जो वास्तविक रूप से घर में रह रहे हैं, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। इसका उद्देश्य विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को एक स्वच्छ एवं खर्च वहन कर सकने योग्य स्थान प्रदान करना और स्थानीय प्रथाओं तथा परम्पराओं का अनुभव प्राप्त करने और प्रमाणिक स्थानीय व्यंजन का स्वाद लेने के लिए, भारतीय परिवार के पास ठहरने का अवसर प्रदान करना है।

(ग) यह योजना पूरे देश भर में प्रारंभ की गई है और संकेन्द्रित मार्केटिंग/शिष्टाचार के लिए, दिल्ली में एक पायलट परियोजना ली गई है।

(घ) इस योजना से, विशेषतया दिल्ली और सभी महानगरीय शहरों में होटल कमरों की इन्वेन्टरी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

बंद पड़े विमानपत्तनों को पुनः चालू करना

*27. **श्री हरिसिंह चावडा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान बंद किये गये विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विमानपत्तनों को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अभी तक बंद पड़ा कोई विमानपत्तन पुनःचालू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06) के दौरान किसी हवाईअड्डे को बंद नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय

*28. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया (एआई) और इंडियन एयरलाईंस (आईए) के विलय के संबंध में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विलय के बाद इन दोनों विमान कंपनियों के कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विलय प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क), (ख) और (ङ) दोनों एयरलाइनों के विलय के लिए प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलय पर समिति ने मैसर्स एसेंचर इंडिया प्रा.लि. को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की है। परामर्शदाता ने बताया है कि वे उन्हें यह कार्य सौंपे जाने की तारीख से 10 सप्ताह में पूर्व-विलय संबंधी कार्यकलापों से संबधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सक्षम होंगे जिससे कंपनियां इसके अनुमोदन के लिए एक विस्तृत नोट तैयार कर सकेंगी। सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, अनिवार्य विलय प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस कार्रवाई के आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ में पूरा होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जहां तक मानव संसाधनों का संबंध है, सरकार ने परामर्शदाता के लिए विलय प्रक्रिया को छोटा बनाना अनिवार्य कर दिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके; (1) प्रत्येक कर्मचारी के वेतन स्तर की रक्षा हो, और (2) समेकन प्रक्रिया को जहां तक संभव हो कष्टकारी नहीं होनी चाहिए। परामर्शदाताओं ने यह पुष्टि कर दी है कि समेकन प्रक्रिया को पूरा करते समय, चालू मुआवजे, परिलब्धियां इत्यादि की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता

*29. **श्री जुएल ओराम:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा और अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास' की मौजूदा योजना के अनुसार पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर और उनसे प्राप्त विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकता प्रदत्त ऐसी पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाओं के लिए आयुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	गंतव्य	परिपथ	ग्रामीण पर्यटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1. चारमीनार और गोलकोण्डा सहित हैदराबाद 2. वारंगल 3. नेल्लोर (पुलिकट झील)	1. समुद्रतट परिपथ विजाग 2. बौद्ध परिपथ 3. कलाहस्ती-कनिपक्कम-तानकोना परिपथ	1. कुचीपुड़ी (विजयवाड़ा के पास) 2. धरमकरम (पुटुपारथी केपास) 3. सुरभी (पोचमपल्ली के पास)
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. लोहित जिले के परशुराम कुंड में सुविधाएं 2. डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रेमपार्ट) का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण	1. तिनसुकिया (असम)-नामसई-तेजु-वालोंग-डोंगी परिपथ जिला 2. ईगो-निकते ग्राम	1. लिगु ग्राम, अपर सुबंसिरी
3.	असम	1. कामाख्या और हाजो का सैटेलाइट तीर्थ टाउनशिप 2. गुवाहाटी के होटल ब्रह्मपुत्र अशोक में सम्मेलन केन्द्र और वेलनेस सेंटर	1. ओरांग-तेसपुर-नामेरी-भालुकपोंग-त्वांग पर्यटक परिपथ	1. सिवसागर जिले में चारीदेव सुकाफा नगर
4.	बिहार	1. मंडेश्वरी मंदिर	1. बोधगया-नालंदा-राजगीर परिपथ	1. पटहारकची (गया के पास)

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	1. चित्रकूट फाल 2. राजीम	1. जगदलपुर परिपथ	1. चित्पी (कान्हा राष्ट्रीय पार्क के पास) 2. चूरी (हसदेव बंगो बांध के पास)
6.	दिल्ली	1. कामनवेल्थ खेलों के लिए मास्टर प्लान के अनुसार अवसंरचना का विकास	-	-
7.	गोवा	-	1. उत्तरी गोवा परिपथ 2. दक्षिणी गोवा परिपथ	-
8.	गुजरात	1. चम्पानेर पावागढ़ 2. गिर 3. द्वारका	1. जूनागढ़-वेरावल-पोरबंदर	1. दांडी 2. वाडनगर 3. नागेश्वर
9.	हरियाणा	1. सूरजकुंड 2. सोनीपत-एथनिक इंडिया 3. बडकल	1. कुरुक्षेत्र परिपथ	-
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	1. जनजातीय क्षेत्रों में ईको पर्यटन परिपथ 2. तीर्थ परिपथ	1. शिमला में मशोबरा ग्राम 2. धर्मशाला के पास बारोह ग्राम 3. गुरुकुल ओरिएंटिड ग्राम
11.	जम्मू-कश्मीर	(क) भदेरवाह, किश्तवार, पुंछ, राजौरी, लखनपुर-सारथल, कोकेरनाग, लेह और कारगिल के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं (ख) पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पटनीटाप के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं (ग) मुबारक मंडी, चरण-I में हैरिटेज भवन का नवीकरण (घ) जम्मू में गोल्फ कोर्स (ङ) श्रीनगर में क्षतिग्रस्त टीआरसी का पुनर्निर्माण	कारगिल में पर्यटन परिपथ का विकास	(क) (साफ्टवेयर कार्ययोजना) पांच ग्रामों अर्थात् हुंग, पहलगाम, झेरी, सुरींसर और गगनगीर हेतु समर्थन (ख) राज्य सरकार द्वारा पहचान किये जाने वाले दस नए ग्रामों के लिए समर्थन

1	2	3	4	5
12.	झारखंड	1. राजमहल 2. पारसनाथ	1. रांची-रामगढ़-राजारप्पा-तेनूघाट-हजारीबाग-पदमइटखोरी परिपथ	1. अमादूबी, जिला सिंहभूम 2. खरसावन, जिला सरायकेला खरसावन
13.	कर्नाटक	1. हम्पी 2. लिंगामक्की	1. बीजापुर-बिदर-गुलबर्गा परिपथ 2. सदर्न वाइल्डरनेस सर्किट	1. चेनपूतना ग्राम-बंगलौर 2. अलकान ग्राम-बगलकोटे
14.	केरल	1. वागामोन 2. कुम्मरकोम 3. पदनामभापुरम पैलेस 4. तिरुपुनिथुरा	1. दक्षिणी ईको पर्यटन परिपथ	1. कथककली कास्टयूम ग्राम 2. कायर ग्राम 3. स्पाइस ग्राम
15.	मध्य प्रदेश	1. पन्ना 2. मांडु	1. अमरकंटक-मंडला-डिंडोई परिपथ 2. होशंगाबाद-महेश्वर-ओंकारेश्वर-बरवानी परिपथ	1. दतिया में सिवरा 2. मंडला में रामनगर 3. महेश्वर में कोई ग्राम
16.	महाराष्ट्र	कुंकेश्वर	1. कोल्हापुर परिपथ 2. फोर्ट परिपथ	1. कोल्हापुर के पास ग्राम 2. गुरुकुल के लिए पुणए के पास ग्राम
17.	मणिपुर	1. नोंग्मेचिंग (गोल्फ कोर्स के साथ ईको पार्क) 2. इफाल	1. इम्फाल-विष्णुपुर-सेन्द्रा-चूड़ाचांदपुर परिपथ	1. नोन में एन्ड्रो, खोंगियम
18.	मेघालय	1. जोवाई के आस-पास गुफाओं का संरक्षण एवं विकास 2. तुरा	1. विलियम नगर-जकरेम-जोवाई परिपथ 2. शिलांग-चेरापूंजी जोवाई मावफ्लांग परिपथ	-
19.	मिजोरम	1. चलतलांग 2. चलफिल्ह	1. दक्षिणी हरांगचाकवान, तावीपुईज, लांगटलाई, साहिया, वामबुक, संगाऊ, एस.वनलाईफाई परिपथ 2. पूर्वी-केट्टुम, एन. वनलाईफाई, पूर्वी सुंगदार, खाठबंग, फरकान, जोखावथार, हनलान परिपथ	-

1	2	3	4	5
20.	नागालैंड	1. कोहिमा जिले में टूपहेमा पर्यटन यात्रा गंतव्य 2. जूनहेबोटो जिले में आइजूटो	1. जूनहेबोटो तुएनसांग-कीफरी परिपथ 2. गवर्नर का कैंप (वोखा)-नई लैंड क्षेत्र (दीमापुर)-जलुकी (पेरेन)	1. लेशुनी गांव
21.	उड़ीसा	1. चिल्का	1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क 2. सिम्पलीपाल-चांदीपुर-तिलसारी-पंचलिंगमेश्वर परिपथ 3. अराकू घाटी-सोनबेडा-कोरपुट-मलकागिरी परिपथ	1. डयेनिंग बाडी ग्राम धूलझरी जिला, अनुपूर 2. खेलियाजालीग्राम
22.	पंजाब	1. रोपड़ 2. फतेहगढ़ साहिब (आम खास बाग के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सहित) 3. कपूरथला	1. स्वतंत्रता संग्राम परिपथ दिल्ली-अमृतसर 2. तीर्थ परिपथ	1. ग्राम पाल्डी (जिला होशियारपुर) 2. ग्राम कलानोर (जिला गुरदासपुर) 3. ग्राम मेइसर खाना (जिला भटिंडा) 4. बूथगढ़, जिला होशियारपुर
23.	राजस्थान	1. अजमेर शरीफ 2. जैसलमेर	1. ईको टूरिज्म सर्किट 2. स्मारकों की प्रकाशपुंज व्यवस्था	-
24.	सिक्किम	1. सरमसा में मनोरंजन पार्क का विकास 2. सोरंग में तीर्थ केन्द्र	1. उतरी सिक्किम के फोडांग और मंगन में पर्यटक केन्द्रों का विकास 2. पूर्वी सिक्किम के असम लिंगजे और खेदी ट्रेक रूट का विकास	1. दक्षिणी सिक्किम में रोंग ग्राम 2. पश्चिमी सिक्किम में थारपू ग्राम
25.	तमिलनाडु	1. मदुरई 2. तंजावुर 3. कन्याकुमारी	चेन्नई-कांचीपुरम (पक्षीतीरथम परिपथ)	-
26.	त्रिपुरा	1.चतुर्दशी देवता बारी	1. उत्तर-पश्चिम त्रिपुरा परिपथ का विकास	-
27.	उत्तर प्रदेश	1. उलीगढ़	1. आगरा-फतेहपुर सीकरी-मथुरा परिपथ 2. वाराणसी-सारनाथ परिपथ 3. ब्रजभूमि-वृंदावन परिपथ	-

1	2	3	4	5
28.	उत्तरांचल	1. यमुनोत्री 2. टिहरी	1. ऋषिकेश-हरिद्वार (विशाल परियोजना) 2. बिंदसार-बैजनाथ-मानेसर परिपथ	1. ग्राम त्रिजुगी नारायण, जिला रुद्रप्रयाग
29.	पश्चिम बंगाल	1. गोके 2.कालीमपोंग 3. पलासी	1. स्वतंत्रता परिपथ 2. चाय पर्यटन 3. समुद्रतट परिपथ	-

विवरण II

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं, स्वीकृत राशि और अवमुक्त की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	वारंगल जिले में इको पर्यटन गंतव्य के रूप में लकनावरम झील का विकास	468.63	337.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग घाटी के योगबो, डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रैंपर्ट) का संरक्षण	283.22	226.58
		परशुरामकुंड में पर्यटक परिसर का निर्माण	462.68	370.15
3.	असम	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी के सेंटर में एकीकृत सम्मेलन केन्द्र और वेलनेस सेंटर का निर्माण	454.28	363.42
4.	छत्तीसगढ़	राजमेरगढ़ का विकास (अमरकंटक)	275.73	220.58
		राजीम का विकास	295.95	236.76
		चित्रकूट का विकास	278.45	222.76
5.	गुजरात	जूनागढ-वेरावल-पोरबंदर-द्वारका पर पर्यटक परिपथ का विकास	329.83	263.86
6.	हिमाचल प्रदेश	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में रोहरू और चांशल का विकास	260.00	208.00
7.	जम्मू और कश्मीर	किश्तवार में अवसंरचना विकास	271.86	200.00
		जम्मू में मुबारकमंडी और सोशियोकल्चर-कम हैरिटेज सेंटर का विकास	437.00	300.00

1	2	3	4	5
		पहलगाम में मौजूदा सेनेटरी सिस्टम सुधार	495.75	200.00
		पहलगाम में बेताब वाडी क्षेत्र का विकास	238.00	100.00
		भादेरवाह में अवसंरचना विकास	303.72	200.00
		पुंछ में अवसंरचना विकास	243.52	200.00
		कोकेरनाग में अवसंरचना विकास	287.82	200.00
		लखनपुर में अवसंरचना विकास	264.10	200.00
		राजौरी में अवसंरचना विकास	249.55	200.00
8.	कर्नाटक	वाइल्डरनैस पर्यटक परिपथ का विकास	226.88	204.20
9.	केरल	स्पाइस परिपथ के लिए इडुकी जिले के अन्नाकारा ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	46.00	36.80
		स्पाइस परिपथ कलाडी गांव, जिला एर्नाकुलम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	47.20	37.76
		पदमानाभपुरम पैलेस परिसर का विकास	308.19	246.55
10.	मध्य प्रदेश	मांडु का विकास	471.74	377.40
		पन्ना का विकास	421.36	337.00
11.	महाराष्ट्र	सतारा जिले के महाबलेश्वर (चरण-II) का विकास	480.57	384.45
12.	मणिपुर	इम्फाल का विकास	418.00	334.00
		मणिपुर के इम्फाल में ईको टूरिज्म पार्क का विकास	345.29	172.64
13.	नागालैंड	नागालैंड के जून्हें बोटो जिले में आइजूटो का विकास	438.94	351.17
14.	उड़ीसा	बारगढ़ जिले के बरपाली गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
		खुरदा जिले के हीरापुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
		गंजम जिले के पदनाभपुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
		मयूरभंज जिले में सिम्लीपाल का विकास	297.12	237.70

1	2	3	4	5
15.	पंजाब	फ्रीडम ट्रेल पंजाब पर्यटन परिपथ-नाभा टाउन का एकीकृत विकास	784.45	627.56
16.	राजस्थान	झालावाड़ जिले के गगरोन का संरक्षण, नवीकरण और परिरक्षण	281.71	225.36
		राजस्थान में उदयपुर का विकास	276.68	221.34
		राजसमद जिले के हल्दीघाटी क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
17.	तमिलनाडु	स्पाइस परिपथ के लिए थेनी जिले के कोम्बई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
		थाडीयानकुडीसई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
		मदुरई का विकास	478.03	382.42
18.	उत्तर प्रदेश	एक विशेष पर्यटक गंतव्य के रूप में वाराणसी का पुनरुद्धार	786.00	628.60
		आगरा का विकास और ताजमहल के लिए पर्यटक प्रबंधन	758.00	606.40
		अलीगढ़ जिले में हरिदापुर, खेरेश्वरधाम आदि का विकास	497.04	397.63
		बांदा जिले में सिमोनी पर्यटक परिसर का विकास	397.86	318.29
19.	उत्तरांचल	यमुनोत्री धाम का विकास	448.99	359.19
20.	पश्चिम बंगाल	उत्तरी बंगाल में ''चाय पर्यटन परिपथ'' का विकास	388.98	311.18
		पश्चिम बंगाल राज्य में कालिमपोंग का विकास	498.38	398.70
		बांकुरा जिले के मुकुटमणिपुर ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
		कुल	15347.50	11726.55

सशस्त्र बलों में जनशक्ति की कमी

*30. **श्री बालासोबरी वल्लभनेनी:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में सभी स्तर के अधिकारी नौकरी छोड़ रहे हैं जिसके कारण सशस्त्र बलों में पहले से चल रही जनशक्ति की भारी कमी की समस्या और विकट होती जा रही है, जैसाकि दिनांक 30 अक्तूबर, 2006 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बल-वार कितने अधिकारियों ने सशस्त्र बलों से नौकरी छोड़ी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने और सशस्त्र बलों में भर्ती में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेना, नौसेना और वायुसेना में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन अफसरों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र मंजूर किया गया है उनकी संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस विवरण-पत्र से पता चलता है कि उन कार्मिकों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है जिनके कार्यमुक्ति हेतु अनुरोध स्वीकार किये गये हैं। सरकार ने कोई अध्ययन नहीं कराया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की सशस्त्र सेनाओं से सेवामुक्त किये गये रक्षा अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना
2003	349	110	175
2004	290	115	244
2005	365	168	175

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भावी रणनीति और कार्य योजना

*31. **श्री विजय कृष्ण:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भावी रणनीति और कार्य योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भावी रणनीति और कार्य योजना को लागू करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर एक विजन डाक्यूमेंट-2015 को अंतिम रूप दिया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने का विचार है।

विजन 2015 के तहत मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना करना, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, शीत-श्रृंखला/मूल्यवर्धन तथा परिरक्षण बुनियादी ढांचा, सड़क के किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता का उन्नयन करना तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन रणनीति संबंधी हस्तक्षेप के लिए पहचाने गये प्रणोद क्षेत्र है। सरकार ने विजन 2015 को कार्यान्वित करने के लिए इससे संबंधित एक विस्तृत कार्य योजना के साथ-साथ रणनीतियों की पहचान की है। ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप देने संबंधी कार्य के एक भाग के रूप में इन प्रस्तावों पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं

*32. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइन दोहरीकरण की चालू परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर परियोजना-वार अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का कार्य, विशेषरूप से सियालदह-कैनिंग रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का कार्य, समय से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस परियोजना के लिए आवंटित राशि और इस पर अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) चालू दोहरीकरण परियोजनाओं और अभी तक हुई वास्तविक प्रगति का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति की जा रही है। सियालदाह-कैनिंग खंड पर (45 कि.मी.) सियालदाह और सोनारपुर के बीच (16 कि.मी.) दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है। सोनारपुर-कैनिंग खंड पर सोनारपुर-घुटियारी शरीफ (15 कि.मी.) का दोहरीकरण शुरू किया गया है। सोनारपुर-चम्पाहाटी 7.7.2005 को खोल दिया गया था और चम्पाहाटी-घुटियारी शरीफ रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात दिसंबर, 2006 के दौरान खोले जाने की संभावना है। घुटियारी शरीफ से कैनिंग तक (14 कि.मी.) शेष खंड के दोहरीकरण की मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सोनारपुर-घुटियारी शरीफ के दोहरीकरण की स्वीकृति लागत 30.47 करोड़ रुपये तथा मार्च, 2006 तक उपगत व्यय 30.68 करोड़ रुपये है। 2006-07 के दौरान 2.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(च) चालू दोहरीकरण परियोजनाओं के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लगभग 4 वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	रेलवे	परियोजनाओं का नाम	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2006 तक व्यय	परिव्यय 06-07	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य	दीवा कल्याण 5-6 लाइन का दोहरीकरण	10.73	69.75	56.67	5.5	कार्य के 2006-07 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2.	मध्य	पनवेल-पेन	35.46	96.16	0	0.01	पूरक बजट 2006-07 में कार्य शामिल किया गया है।
3.	मध्य	पकनी-महोल	17	42.73	10.08	30.01	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा शुरू किया गया है और इसके 2007-08 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।
4.	मध्य	पकनी-सोलापुर	16.28	38.52	7.83	20.5	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा शुरू किया गया है और इसके 2007-08 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।
5.	पूर्व तट	सम्बलपुर-रेंगली	22.7	60.45	20.29	20	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू किये गये हैं और सम्बलपुर-सरला (7.4 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पूर्व तट	झारसुगुडा-रेंगली	25.96	91.41	0	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और निविदा जारी कर दी गई है।
7.	पूर्व तट	रजतगढ़-बरंग	20	178.98	1.36	72.7	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जाना है और निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
8.	पूर्व तट	खुर्दा रोड-बरंग तीसरी लाइन	35	200.28	0.11	46.6	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जाना है और निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
9.	पूर्व तट	कटक-बरंग	12	127.13	0	40.15	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जाना है और निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
10.	पूर्व तट	खुर्दा रोड-पुरी चरण-I	15.3	58.65	45.01	10	तल्प संबंधी कार्य पूरे होने वाले हैं और इनके 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
11.	पूर्व तट	तितलागढ़-लांजिगढ़	47	136.61	122.56	15	लांजिगढ़-केसिंगा रोड कार्य पूरा हो चुका है और केसिंगा रोड तितलागढ़ (13 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
12.	पूर्व तट	सम्बलपुर-तितलागढ़	182	474.25	0	5	2006-07 के बजट में नया कार्य शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
13.	पूर्व तट	तालचेर-कटक-पारादीप (महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल)	3	109.45	21.06	39.9	बिरूपा नदी पर दूसरे पुल का कार्य पूरा कर दिया गया है और महानदी पर पुल के कार्य को 2008-09 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
14.	पूर्व तट	विजियनग्राम-कोट्टावलासा तीसरी लाइन	34.7	167.67	0	5	2006-07 के बजट में नया कार्य शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये गये हैं।
15.	पूर्व तट	कोट्टावलासा-सिंहाचलम नार्थ चौथी लाइन		86.32	0	0.01	पूरक बजट 2006-07 में नया कार्य शामिल किया गया है।
16.	पूर्व मध्य	महेशकुंट-थानाबिहपुर	31.75	68.75	0	40	मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य शुरू किये गये हैं और इनको 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
17.	पूर्व मध्य	तरेगना-जहानाबाद	15.2	87.16	0.95	3.48	मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य शुरू किये गये हैं।
18.	पूर्व मध्य	कुरसेला-सीमापुर	26.95	49.28	0	30	मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य शुरू किये गये हैं और इनको 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पूर्व मध्य	बेला-चखंड	9.98	23.19	0.66	1	मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य शुरू किये गये हैं।
20.	पूर्व मध्य	गंडक पुल सहित	5.5	53.97	0.138	20	मिट्टी संबंधी, पुलों के कार्य शुरू किये गये हैं।
21.	पूर्व मध्य	छपरा-हाजीपुर	59	88.13	75.77	20	छपरा-कचेरी-डिगवाड़ा कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
22.	पूर्व मध्य	जहानाबाद-बेला	27.47	75	0	2	प्रारंभिक कार्य शुरू किये गये हैं।
23.	पूर्व मध्य	तिलरथ-बेगुसराय	7.24	19.35	0	4	प्रारंभिक कार्य पूरे हो चुके हैं और निविदा जारी की जा रही है।
24.	पूर्व मध्य	बेगुसराय-खगड़िया	40.23	108.36	0	18	कार्य शुरू किया गया है।
25.	पूर्व मध्य	थाहानाबिहपुर-कुरसेला	34.2	72.96	0	20	कार्य शुरु किया गया है।
26.	पूर्व	सोनारपुर-केनिंग चरण-I (सोनारपुर-भुटियारी शरीफ)	29	30.46	30.68	2.5	सोनारपुर-चम्पाहाटी कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है तथा शेष कार्य के दिसम्बर, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
27.	पूर्व	चांडपाड़ा-बोंगांव	9.77	22.23	0.26	0.01	विस्तृत अनुमान मंजूर कर दिये गये हैं।
28.	पूर्व	बंडेल-जीरट	22.01	50.14	15.18	12	बंडेल-बांसबेरिया कार्य पूरा हो चुका है और बांसबेरिया-त्रिवेणी (4 कि.मी.) कार्य के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
29.	पूर्व	कजरा-क्यूल	15	23.23	2.63	8	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिये गये हैं और शेष खंड के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
30.	पूर्व	हबरा-चांदपाड़ा	22.25	40.81	10.4	8	हबरा-मसलंदपुर (9.2 कि.मी.) कार्य पूरा हो चुका है।
31.	पूर्व	कृष्णनगर-शांतिपुर से जीसी के रूप में विस्तार और कृष्णनगर से छरताला नई लाईन सहित कालीनारायणपुर-कृष्णनगर	51	43.49	23.29	15	बीरनगर-कृष्णनगर (17 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
32.	पूर्व	छिनपई-सैंथिया	29.71	80	0	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और निविदा जारी कर दी गई है।
33.	पूर्व	बरूईपुर-लक्ष्मीकांतपुर चरण-I (बरूईपुर-दक्षिणी बारासात)	17	31.82	9.27	8	बरूईपुर-धपधपी (7 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान और शेष कार्य 2007-08 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	पूर्व	बरूईपुर-मगराहाट	15	30.1	1.5	1	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और निविदा जारी कर दी गई है।
35.	पूर्व	पंडाबेश्वर-चिनपई	21.41	69.04	0	14.98	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और निविदा जारी कर दी गई है।
36.	पूर्व	बरहारवा-तिनपहर	16.49	41.13	1.61	15	बरहरवा-बाकुडी (8 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
37.	पूर्व	बारासात-हसानाबाद विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण चरण-I (बारासात-सोंडालिया)	12.12	23.65	4.04	1	मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य शुरू किया जा चुका है।
38.	पूर्व	तारकेश्वर-शिवराफुल्ली चरण-I (शिवराफुल्ली-नालिकुल)	17.76	38.88	31.26	12	शिवराफुल्ली-सिंगुर कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
39.	उत्तर मध्य	लोहगरा-कटियादंडी	32.3	65.03	4.14	29.99	2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
40.	उत्तर मध्य	टुंडला-यमुना ब्रिज	21	27.06	20.01	0.1	प्रथम चरण में टुंडला-इतमातपुर के बीच दोहरी सिंगल लाइन पूरी हो चुकी है और यातायात के लिए खोल दी गई है। शेष कार्य के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।
41.	उत्तर मध्य	चिऊंकी-लोहगरा	26.88	51.58	37.53	16	कार्य पूरा होने वाला है।
42.	उत्तर मध्य	भीमसेन-जुही	13.82	17.94	0	15	मिट्टी संबधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिये गये हैं।
43.	उत्तर मध्य	कानपुर-पंकी तीसरी	9	65.7	56.93	6	कार्य 87% प्रगति पर है और 2007-08 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
44.	उत्तर मध्य	पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन	81	214.68	0.01	150	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा शुरू किया गया है और निविदा जारी की जा रही है।
45.	उत्तर मध्य	पंकी-भावपुर के बीच तीसरी लाइन	11.38	23.69	0	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा चुके हैं।
46.	उत्तर मध्य	इलाहाबाद-सुबेदारगंज तीसरी लाइन	3.69	3.29	0	2.99	कार्य पूरा होने वाला है।
47.	उत्तर मध्य	अलीगढ़-गाजियाबाद	106.15	230.73	65	85.5	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा शुरू किया गया है, और कार्य शुरू किया जा चुका है।
48.	उत्तर पूर्व	भटनी-जीरादेई	38.11	100.27	0	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा चुके हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	उत्तर पूर्व	सहजनवा-मुंदेरवार कहीं-कहीं दोहरीकरण	32.19	80.89	0.49	10	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
50.	उत्तर पूर्व	भटनी-बैतलपुर	28	71.59	0	0.01	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा चुके हैं।
51.	उत्तर पूर्व	इकमा-जीरादेई कहीं-कहीं दोहरीकरण	43.6	89.74	0	10	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिये गये हैं।
52.	उत्तर पूर्व	भागराघाट-चौकाघाट	5.63	82.64	0	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा चुके हैं।
53.	उत्तर पूर्व	मुंडेरवा-बभनन	45.25	102.1	0	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा चुके हैं।
54.	उत्तर पूर्व	छपरा-इकमा	28	62.3	19.43	45	कार्य शुरू किया जा चुका है और इसके 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
55.	उत्तर पूर्व	गोंडा-मकापुर	28.17	52.01	11	35	कार्य शुरू किया जा चुका है और इसके 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
56.	उत्तर पूर्व	गोरखपुर सहजनवा	17.3	62.8	6	8.65	गोरखपुर-डोमनीगढ़ कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है।
57.	उत्तर पूर्व	बभनन-मंकापुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	30.15	62.8	6	8.65	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिये गये हैं।
58.	उत्तर पूर्व	गोरखपुर-बैतलपुर	37.93	89.18	0	5	विस्तृत अनुमान मंजूर कर दिये गये हैं और कार्य शुरू किया जा चुका है।
59.	उत्तर	जाफराबाद-उतरेतिया चरण-II (जाफराबाद-श्रीकृष्णनगर)	34	70.28	57.03	10	कार्य पूरा होने वाला है और इसके 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
60.	उत्तर	उतरेतिया-चांदरौली और सुल्तानपुर-बंधुआ कलां	37	65.83	64.91	10	कार्य पूरा होने वाला है और इसके 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
61.	उत्तर	हापुड़-कंकाठेर	42.71	106.64	25.35	30	हापुड़-सिम्भोली (23 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
62.	उत्तर	दयाबस्ती-ग्रेड सेपरेटर	6	33.55	0	4	कार्य पुन: चालू किया गया है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।
63.	उत्तर	जालंधर-पठानकोट-जम्मू-तवी	203	461.23	257.08	120	58 कि.मी. पहले ही शुरू किया जा चुका है और 110 कि.मी.के चालू वर्ष के दौरान और शेष 2007-08 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	उत्तर	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज पांचवीं और छठी लाइन	2.65	53.14	22.01	14.5	छठी लाइन (3.4 कि.मी.) 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
65.	उत्तर	उतरेतिया-सुल्तानपुर-जाफराबाद शेष दोहरीकरण-148 कि.मी.	148	301.18	0	25	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा चुके हैं।
66.	उत्तर	अमरोहा-कांकेथर	31	56.98	36.4	1	निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
67	उत्तर	रोहतक-जाखल	52	66.75	12.44	20	बारसोला-उचाना-घासो (18 कि.मी.) के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
68.	उत्तर	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	33.5	83	0	10	कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जाना है और निर्माण कार्य शुरू कर दिये गये हैं 2008-09 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
69.	उत्तर	साहिबाबाद-आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन	4	49.57	0	0.5	विस्तृत अनुमान मंजूर कर दिये गये हैं और निविदा की जा रही है।
70.	उत्तर	गर्रांह पुल	0.7	14.22	11.17	2.35	पूरा कर दिया गया है और खोल दिया गया है।
71.	उत्तर	जयपुर-फुलेरिया	54.75	82.8	0.05	15	विस्तृत अनुमान मंजूर कर दिये गये हैं और निविदा की जा रही है।
72.	उत्तर पश्चिम	दौसा-बांदीकुई	29.04	67.11	0	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा रहे है।
73.	उत्तर पश्चिम	जयपुर-दौसा	61.28	148.38	0.0012	15	विस्तृत अनुमान मंजूर कर दिये गये हैं और निविदा की जा रही है।
74.	दक्षिण मध्य	रायचुर-गुंतकल	81.1	145.81	0	57	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और निविदा की जा रही है। कार्य रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जा रहा है।
75.	दक्षिण मध्य	हासपेट-गुंतकल	115.4	268.23	210.37	60	गुतकल-तोरनागल्लु कार्य पूरा हो चुका है और तोरनागल्लु-होस्पैट (2 कि.मी.) कार्य के 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
76.	दक्षिण मध्य	गुटी-रेनिगुटा-कहीं-कहीं दोहरीकरण	151	305.95	38.2	68.4	कार्य शुरू किया जा चुका है और 2009-10 के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।
77.	दक्षिण मध्य	गुंटुर-कृष्णा कनाल	27.12	76.17	0	10	बजट 2006-07 में नया कार्य शामिल किया गया है और कार्य शुरू किया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर-उरकुरे	110	375.42	136.75	28.5	बिलासपुर-भाटपाड़ा कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को 2008-09 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
79.	दक्षिण पूर्व मध्य	झारसुगुडा-बाईपास	8.73	27.74	9.4	13.62	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिये गये हैं और इनको 2007-08 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
80.	दक्षिण पूर्व मध्य	भिलाई-दुर्ग तीसरी लाइन	13.16	38.61	0	6.5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।
81.	दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर-सालका रोड	39.4	90.02	1.23	16.4	बिलासपुर-उसलापुर (9 कि.मी.) को 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
82.	दक्षिण पूर्व मध्य	खोदरी-अनुपपुर	61.6	223.44	0	0.1	प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
83.	दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर-अनूपपुर (कालाचांद-खोंगसारा को छोड़कर) बिलासपुर पर फ्लाई ओवर सहित	25.83	96	0	1	बजट 2006-07 में नया कार्य शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
84.	दक्षिण पूर्व	पादापहार-बांसपानी	0	99.55	0	5	बजट 2006-07 में नया कार्य शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
85.	दक्षिण पूर्व	गोयलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बांडामुंडा खंड)	40	186.92	1.62	10	कार्य पहले रोक दिया गया था और इसे अब शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
86.	दक्षिण पूर्व	टिंकियापाड़ा-संगरागाछी चौथी लाइन	5.6	46.79	7.51	22.5	कार्य शुरू किया जा चुका है और इसके 2007-08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
87.	दक्षिण	शोरणुर-कालीकट	86	188.13	155.47	4	कालीकट-पल्लीपुरम कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को 2006-07 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
88.	दक्षिण	कंकनाडी-पेराम्बुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	19	70	0	0.01	पूरक बजट 2006-07 में नया कार्य शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू किये जा चुके हैं।
89.	दक्षिण	एर्णाकुलम-मुलांतुरुती	17.37	58.23	34.31	16	कार्य पूरा होने वाला है और 2006-07 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।
90.	दक्षिण	चेन्नै बीच-कोरुक्कुपेट	4.1	55.23	0	0.5	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	दक्षिण	पट्टाबिराम-तिरूवेल्लूर चौथी लाइन और तिरूवेल्लूर-अरकोण तीसरी लाइन	41.89	71.94	36.9	28.5	पट्टाभिराम-तिरूवल्लूर चौथी लाइन शुरू हो चुकी है। तिरूवल्लूर-अरकोणम तीसरी लाइन के 2006-07 के दौरान पूरा होने की आशा है।
92.	दक्षिण	अट्टीपट्टु-कोरुक्कुपट्टे	18	70.56	37.55	21	कोरूक्कुपेट-इन्नौर (6 कि.मी.) पूरा होने वाला है।
93.	दक्षिण	मवेलिकारा-कायनकुलम	7.89	26.81	9.95	10	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
94.	दक्षिण	मदुरै-डिंडिगुल	62.05	128.56	1.17	30	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
95.	दक्षिण	चेंगानुर-चेंगावनम	26.5	99.69	0	4.99	विस्तृत अनुमान प्रक्रियाधीन है। 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य।
96.	दक्षिण	ममुल्लांतुरुत्ती-कुरुप्पंतेरी	24	79.93	0	2	विस्तृत अनुमान प्रक्रियाधीन है। 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य।
97.	दक्षिण	कालीकट-मंगलोर	221	572	512.81	8	221 कि.मी. में से 218 कि.मी.पहले ही पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
98.	दक्षिण	इरुगुर-कोयमतुर	17.7	38.54	19.03	5	कोयम्बतूर-कोयम्बतूर नार्थ पूरा हो चुका है और शेष कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
99.	दक्षिण	चेन्नै बीच-अट्टिपुट्टु चौथी लाइन	22.1	50.23	0	0.5	प्रारंभिक कार्य पूरे कर दिए गए हैं।
100.	दक्षिण	चेप्पाड-हरिपाद कहीं-कहीं दोहरीकरण	5.28	14.39	1.4	2	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं और निविदा पर कार्यवाही की गई है।
101.	दक्षिण	चेप्पाड-कायाकुलम	7.76	21.48	6.92	2	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, विस्तृत अनुमान स्वीकृत होगए हैं और निविदा पर कार्यवाही की गई है।
102.	दक्षिण	मवेलिकारा-चेंगान्नूर	12.3	33.65	4.64	10	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
103.	दक्षिण पश्चिम	धारवाड-कम्बरगांवी	25	87.48	0	0.01	2006-07 के पूरक बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
104.	दक्षिण पश्चिम	हुबली-हेबसुर	19	56.99	0	0.01	2006-07 के पूरक बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।
105.	दक्षिण पश्चिम	बंगलोर-व्हाइटफिल्ड बंगलोर सिटी-कृष्णराजपुरम	23	85	0.016	0.01	आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।
106.	दक्षिण पश्चिम	बंगलोर-केंगरी विद्युतीकरण सहित	12.46	26.45	24.92	5	कार्य पूरा होने वाला है, 2006-07 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।
107.	दक्षिण पश्चिम	केंगरी-रामनगरम	29.83	106.96	26.13	5	केनगारी-बिदादी को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य और शेष कार्य 2007-08 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।
108.	दक्षिण पश्चिम	यशवंतपुर-टुमकुर	69	98.47	59.53	11	कार्य विभिन्न चरणों में है और समग्र दोहरीकरण को 2006-07 के दौरान पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है।
109.	पश्चिम	वड़ोदरा और विरार के बीच सूरत-कोसाम्बा की तीसरी लाइन का चरण-I	35	133	0.01	0.1	इस कार्य की धीमी परिचालनिक प्राथमिकता है।
110.	पश्चिम	अकोडिया-सुजालपुर	13.15	34.4	4.12	8	कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य।
111.	पश्चिम	कालापीपल-फांडा/ मकसी-भोपाल	41.49	97.64	44.52	25	कार्य प्रगति पर है और 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है

[हिन्दी]

अलाभकारी हवाई अड्डों का विकास

***33. श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री अवतार सिंह भड़ाना:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का देश के कुछ अलाभकारी हवाई अड्डों को विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रत्याशित यातायात मांग तथा एयरलाइन प्रचालकों, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों की ओर से अनुरोध पर विचार करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले अलाभकारी हवाईअड्डों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, सुधार तथा संशोधन कार्य हाथ में लिये गये हैं।

तमिलनाडु में त्रिची, मदुरै तथा कोयम्बतूर, पंजाब में अमृतसर तथा पठानकोट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गुजरात में सूरत,

वड़ोदरा, भुज तथा पोरबंदर, मध्य प्रदेश में खजुराहो, भोपाल, नागपुर तथा जबलपुर, कर्नाटक में मंगलौर तथा मैसूर, उत्तरांचल में देहरादून, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, चंडीगढ़, बिहार में गया, असम में सिलचर, लीलाबाड़ी तथा डिब्रूगढ़, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर तथा जोधपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा वाराणसी, लक्षद्वीप समूह में अगाति, छत्तीसगढ़ में रायपुर, झारखंड में रांची, अंडमान निकोबार में पोर्टब्लेयर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, त्रिपुरा में अगरतला और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा तथा कुल्लू में स्थित हवाईअड्डों पर रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार, नए एकीकृत टर्मिनल परिसर का निर्माण, एप्रन का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार, नए लिंक टैक्सीवे, टर्मिनल भवन का विस्तार तथा सुधार आदि कार्य आरंभ किये गये हैं।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

*34. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जुलाई, 2006 से अब तक हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके परिणामस्वरूप मारे गये और घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है और दुर्घटना-वार कितनी संपत्ति की हानि हुई है;

(ग) मारे गये लोगों के रिश्तेदारों को और घायलों को दुर्घटना-वार कितना मुआवजा/अनुग्रह राशि प्रदान की गई;

(घ) प्रत्येक दुर्घटना के प्रथम दृष्टया कारण क्या है;

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं के सही कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे द्वारा जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और उन पर दुर्घटना-वार क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (च) जुलाई 2006 से अक्तूबर 2006 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर 80* परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 72* व्यक्ति मारे गये और 61* व्यक्ति घायल हुए। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति में 12.78* रुपये की क्षति होने का अनुमान है। जहां कहीं अनुमेय है, उन मामलों में अनुग्रह राशि के रूप में 1,05,000* रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। बहरहाल, दावा दायर किये जाने तथा दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय देने के बाद मुआवजा संदेय है। बहरहाल, दो रेल कर्मचारियों को वर्क्समैन कम्पनसेशन एक्ट के तहत 8,23,640 रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा एक विशेष मामले के तौरपर 31.10.2006 को दक्षिण रेलवे में बिना चौकीदार वाले समपार पर हुई दुर्घटना के कारण मानवता के आधार पर 1,70,000 राशि का भुगतान राहत के आधार पर किया गया है।

इन 80 दुर्घटनाओं में से 5 मामलों की संबंधित रेल संरक्षा आयुक्तों और शेष 75 मामलों के लिए विभागीय जांच समितियों का गठन किया गया था। जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर अभी तक अंतिम रूप दिये जाने वाले 65 मामलों पर यथावश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिसमें दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सतत् रूप से सभी संभावित उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, रेलपथ, चल स्टाक, सिगनल एवं अंतर्पाशन प्रणालियों के उन्नयन एवं अनुरक्षण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा पद्धतियों के पालन हेतु निगरानी रखने तथा कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान और निरीक्षण शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं में गिरावट का रुझान आया है जो 2000-01 में 473 से घटकर 2005-06 में 234* रह गई हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर 2006 तक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 137* थी जबकि गत वर्ष तद्नुरूपी अवधि के दौरान यह संख्या 141* थी।

नोट* आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

क्र.सं.	तिथि	दुर्घटना की किस्म	रेलवे	गाड़ी सं.	संक्षिप्त ब्यौरा	हताहत		क्षति की लागत	अनुग्रह-राशि/मुआवजा	प्रथम दृष्टया कारण	जांच की किस्म	निष्कर्ष/परिणाम	उत्तरदायित्व	की गई कार्रवाई
						मृत	घायल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2/7/2006	आग लगना	उत्तर	1 एक्सप्रेस पैसेंजर	गाड़ी इंजन में आग लग गई।			75000		इंजन की खराबी	विभागीय	इंजन की खराबी	एस.ई./रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
2.	5/7/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्व तट	रथ यात्रा स्पेशल	एक मारुति कार ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी	1		0	देय नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
3.	6/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	[illegible] माल गाड़ी	8 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			6600000		रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेलपथ की खराबी	एस.ई./रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
4.	9/7/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	2644 एक्सप्रेस	एक कार ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1	3	27332	देय नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विभागीय	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
5.	10/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	[illegible] आर-21 माल गाड़ी	19 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			29086000		पटरी की टूटफूट	विभागीय	पटरी की टूटफूट	एस.ई./रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
6.	14/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा	865 पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			500		तोड़फोड़	विभागीय	तोड़फोड़	असामाजिक तत्वों की गतिविधि	लागू नहीं
7.	14/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	6510 एक्सप्रेस	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			0		रेलपथ की खराबी।	विभागीय	रेलपथ की खराबी।	कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
8.	23/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	[illegible] माल गाड़ी	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया।			600000		मालडिब्बे की खराबी	विभागीय	माल डिब्बे की खराबी	चीजों के निर्माण [illegible]	लागू नहीं
9.	24/7/2006	चौकीदार वाला समपार	उत्तर	जम्मू तवी [illegible] माल गाड़ी	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1		50000	देय नहीं है क्योंकि दावेदार पेश नहीं हुआ	चौकीदार की चूक	विभागीय	चौकीदार की चूक	चौकीदार	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
10.	27/7/2006	चौकीदार वाला समपार	पूर्व तट	[illegible] माल गाड़ी	4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			100000		3 डिब्बों के मोड़ पर मालडिब्बों का पटरी से	विभागीय	3 डिब्बों के मोड़ पर माल डिब्बों का पटरी से	इंजन चालक	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
11.	29/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	[illegible] माल गाड़ी	13 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			22298000		पटरी की टूटफूट	विभागीय	पटरी की टूटफूट	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
12.	30/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	7618 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		तोड़फोड़	विभागीय	तोड़फोड़	असामाजिक तत्वों की गतिविधि	लागू नहीं
13.	31/7/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	[illegible] माल	5 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			38000		रेलपथ की खराबी	विभागीय	रेलपथ की खराबी।	कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ	3 साल के एक चरण द्वारा कटौती
14.	28/2/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	7210 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		टॉव पटरी का गलत स्थापन	विभागीय	टॉव पटरी का गलत स्थापन	कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	3/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	2410 एक्सप्रेस	2 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			34000		रेलपथ एवं सवारी डिब्बे की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ एवं सवारी डिब्बे की खराबी	जांच की जा रही है	
16.	4/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	348 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1		15000	क्षति नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
17.	4/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पश्चिम	583 पैसेंजर	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			36728		वेल्डन की टूटफूट	विचाराधीन	वेल्डन की टूटफूट	कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की गई है
18	5/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	488 पैसेंजर	एक बस ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	5	12	600	क्षति नहीं	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
19.	7/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	8238 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन और 1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			25000		भूस्खलन	विचाराधीन	भूस्खलन	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
20.	9/8/2006	आग लगना	उत्तर	4555 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन में आग लग गई।			0		इंजन की खराबी	विचाराधीन	इंजन की खराबी	एस.ई./लोको	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
21.	10/8/2005	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व मध्य	1 [illegible] पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		रेलपथ एवं इंजन की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ एवं इंजन की खराबी	कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
22	10/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	6 [illegible] पैसेंजर	एक बस ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1	2	2000	क्षति नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
23.	10/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर	137 पैसेंजर	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			550		असामाजिक तत्वों द्वारा रेलपथ पर लोहे की वस्तु को फेंका गया जब गाड़ी चालित अवस्था में थी	विचाराधीन	असामाजिक तत्वों द्वारा रेलपथ पर लोहे की वस्तु को फेंका गया जब गाड़ी चालित अवस्था में थी	जांच की जा रही है	-
24	13/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	725 पैसेंजर	एक ट्रक ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	2	1	51346	क्षति नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
25	13/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर मध्य	6093 एक्सप्रेस	एक ट्रक ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।		5	44000	क्षति नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	रेल संरक्षा आयुक्त	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
26	14/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम मध्य	2511 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		भूस्खलन	विचाराधीन	भूस्खलन	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
27.	14/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	1 [illegible] पैसेंजर	3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए			25000		रेलपथ की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ की खराबी	एसई/रेलपथ एवं कीमैन	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
28.	15/8/2006	गाड़ी का पटरी से	उत्तर	4525 [illegible]	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर			812000		बोल्डर का कुचला जाना	विचाराधीन	बोल्डर का कुचला जाना	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
29.	17/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर	342 पैसेंजर	एक बस ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	2		0	क्षति नहीं	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	17.8.2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पूर्वोत्तर	592 पैसेंजर	एक कार ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1	3	4000	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
31.	18.8.2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	807 पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	4	1	10200	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
32.	18.8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम मध्य	2966 एक्सप्रेस	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		फिश प्लेट की टूटफूट	विचाराधीन	फिश प्लेट की टूटफूट	जांच की जा रही है	-
33.	18/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर मध्य	356 पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1		0	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
34.	19/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	1464 एक्सप्रेस	एक बस ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1	3	0	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
35.	20/8/2006	आग लगना	दक्षिण मध्य	2753 एक्सप्रेस	3 सवारी डिब्बों में आग लग गई।			10825190		रेल कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक	रेल संरक्षा आयुक्त	रेल कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
36.	24/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	[illegible] माल गाड़ी	4 माल डिब्बे पटरी से उतर गए।			15000		माल डिब्बे और रेलपथ की खराबी	विचाराधीन	माल डिब्बे और रेलपथ की खराबी	जांच की जा रही है	-
37.	24/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	724 पैसेंजर इंजन	एक [illegible] गाड़ी इंजन से टक्कर मारी।	1	1	30700	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
38.	26/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम मध्य	[illegible] इंजन	एक बस ने गाड़ी इंजन को टकराई।		9	0	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
39.	28/8/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	[illegible] इंजन	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	6	11	6	[illegible] नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
40.	29/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	5651 एक्सप्रेस	13 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			75500		रेलपथ की खराबी।	विचाराधीन	रेलपथ की खराबी	एसई/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
41.	30/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	5651 [illegible] माल गाड़ी	7 माल डिब्बे पटरी से उतर गए।			502000		अचानक झटका और आवश्यकता से अधिक गति	विचाराधीन	अचानक झटका और आवश्यकता से अधिक गति	एसई/निर्माण, ड्राइवर और [illegible] कर्मचारी	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
42.	31/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	[illegible]	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			60000		अनुचित गति पर संचालन	विचाराधीन	अनुचित गति पर संचालन	[illegible], [illegible]	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही
43.	31/8/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व मध्य	[illegible]-[illegible] माल गाड़ी	3 माल डिब्बे पटरी से उतर गए।			3277000		गर्म धुरा	विचाराधीन	गर्म धुरा	[illegible]	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44.	1.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर पश्चिम	9224 एक्सप्रेस	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			2000		कांटे का कुचल जाना	विचाराधीन	कांटे का कुचल जाना	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
45.	2.9.2006	विविध	दक्षिण	1043 एक्सप्रेस	एक मोटर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	3	1	14632	45000	मोटर ट्रॉली को संरक्षित नहीं किया गया	विचाराधीन	मोटर ट्रॉली को संरक्षित नहीं किया गया	कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ एवं ट्रॉली चालक	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
46.	7.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर	467 पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		रेलपथ की खराबी।	विचाराधीन	रेलपथ की खराबी।	जांच की जा रही है	-
47.	7.9.2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	2880 एक्सप्रेस	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	2		0	ज्ञात नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
48.	7.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	2 एसजेबी पैसेंजर	2 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			24000		माल डिब्बे की खराबी और अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम चौड़ाई	विचाराधीन	माल डिब्बे की खराबी और अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम चौड़ाई	[illegible]	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
49.	15.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	342 पैसेंजर	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			0		तोड़फोड़	विचाराधीन	तोड़फोड़	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
50.	16.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	पी-46 पैसेंजर	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			0		रेलपथ और पहियों का असंगत अनुपात	विचाराधीन	रेलपथ और पहियों का असंगत अनुपात	जांच की जा रही है	-
51	17.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर मध्य	एडी-1 पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया			140000		ड्राइवर द्वारा कांटे का सिगनल पर ध्यान न दिया जाना	विचाराधीन	ड्राइवर द्वारा कांटे का सिगनल पर ध्यान न दिया जाना	जांच की जा रही है	-
52.	18.9.2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	264 पैसेंजर	एक जीप ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	3	2	0	ज्ञात नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
53.	18.9.2006	चौकीदार वाला समपार	पूर्व मध्य	528 पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	3	3	0	60000	गाड़ी ड्राइवर की उपेक्षा	विचाराधीन	गाड़ी ड्राइवर की उपेक्षा	ड्राइवर	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
54.	19.9.2006	बिना चौकीदार वाला समपार	उत्तर पश्चिम	4707 एक्सप्रेस	एक बस ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1		200	ज्ञात नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
55.	20.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण	6231 एक्सप्रेस	3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			33000		रेलपथ की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ की खराबी	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
56.	21.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	उत्तर	1 पीजेडी पैसेंजर	गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया।			0		तापमान बढ़ने के कारण रेलपथ का बकलिंग	विचाराधीन	तापमान बढ़ने के कारण रेलपथ का बकलिंग	ड्राइवर एवं एसई/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57.	21.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	एम-238 पैसेंजर	3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			25000		रेलपथ का अपर्याप्त अनुरक्षण और अधिक गति	विचाराधीन	रेलपथ का अपर्याप्त अनुरक्षण और अधिक गति	सिगनल इंजीनियरिंग/रेलपथ और कर्षण	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
58.	22.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	मध्य	2115 पैसेंजर	गाड़ी इंजन और 1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया			350000		छानबीन की जा रही है	रेल संरक्षा आयुक्त	छानबीन की जा रही है	जांच की जा रही है	-
59.	26.9.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पश्चिम	477 पैसेंजर	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			0		लदान की वस्तुओं का एक पार्सल खुलक गया और गाड़ी में फंस गया।	विचाराधीन	लदान की वस्तुओं का एक पार्सल खुलक गया और गाड़ी में फंस गया।	मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
60.	30.9.2006	टक्कर	दक्षिण मध्य	एसकेजेडी माल गाड़ी और केएसएन मालगाड़ी	माल गाड़ी पिछली इंजन से टकरा गई	2		29174862	823640	एसकेजेडी गुड्स के ड्राइवर द्वारा खतरे पर सिगनल पार किया जाना	रेल संरक्षा आयुक्त	एसकेजेडी गुड्स के ड्राइवर द्वारा खतरे पर सिगनल पार किया जाना	ड्राइवर और सहायक ड्राइवर	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
61.	3.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	बी-102 सिंगरू	2 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			0		रेलपथ एवं सवारी डिब्बे की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ एवं सवारी डिब्बे की खराबी	सिगनल इंजीनियरिंग/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
62.	5.10.2006	टक्कर	उत्तर मध्य	5004 एक्सप्रेस और 4308	5004 एक्सप्रेस पीछे से 4308 एक्सप्रेस के साथ टकरा गई			1935000		5004 के ड्राइवर द्वारा खतरे पर सिगनल पार किया जाना	रेल संरक्षा आयुक्त	5004 के ड्राइवर द्वारा खतरे पर सिगनल पार किया जाना	ड्राइवर	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
63.	6.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा	एसकेडी माल गाड़ी	1 मालडिब्बा पटरी से उतर गया।			12000		मालडिब्बे की खराबी	विचाराधीन	मालडिब्बे की खराबी	कोई रेल कर्मचारी नहीं	लागू नहीं
64.	8.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	केजेडी माल गाड़ी	गाड़ी इंजन और 6 माल डिब्बे पटरी से उतर गए,			1124500		तोड़फोड़	विचाराधीन	तोड़फोड़	उपद्रवी तत्वों की गतिविधि	लागू नहीं
65.	9.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्वोत्तर सीमा	केजीएस खाली माल गाड़ी	गाड़ी इंजन और 11 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			816040		पटरी की टूटफूट	विचाराधीन	पटरी की टूटफूट	जांच की जा रही है	-
66.	10.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण पूर्व	एसकेजेडी माल गाड़ी	11 माल डिब्बे पटरी से उतर गए।			7463916		पटरी की टूटफूट	विचाराधीन	पटरी की टूटफूट	सिगनल इंजीनियरिंग/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
67.	10.10.2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण मध्य	2703 एक्सप्रेस	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1		48386	घायल नहीं है	सड़क उपभोक्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपभोक्ताओं की लापरवाही	सड़क उपभोक्ता	लागू नहीं
68.	10.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण	सीडीसी माल गाड़ी	3 माल डिब्बे पटरी से उतर गए।			9015		कांटों का गलत स्थापन	विचाराधीन	कांटों का गलत स्थापन	केबिन मास्टर	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69.	11.10.2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व	3072 एक्सप्रेस	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			2000		रेलपथ प्रोफाइल में विफलता	विचाराधीन	रेलपथ प्रोफाइल में विफलता	एसएसई/रेलपथ	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
70.	11/10/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	212 पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	3		0	संदेय नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
71.	19/10/2006	टक्कर	उत्तर मध्य	5046 एक्सप्रेस और माल गाड़ी	5046 एक्सप्रेस माल गाड़ी के साथ टकरा गई।			360000		ड्राइवर द्वारा खतरे का सिगनल पार किया जाना	विचाराधीन	ड्राइवर द्वारा खतरे का सिगनल पार किया जाना	जांच की जा रही है	-
72.	23/10/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पूर्व मध्य	3 [illegible] पैसेंजर	एक ट्रैक्टर ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	2		0	संदेय नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
73.	24/10/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	पश्चिम	[illegible]-[illegible] माल गाड़ी	एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	2		0	संदेय नहीं	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
74.	28/10/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	2822 एक्सप्रेस	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			0		रेलपथ की खराबी एवं सवारी डिब्बे की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ की खराबी एवं सवारी डिब्बे की खराबी	जांच की जा रही है	-
75.	29/10/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	339 पैसेंजर	एक बस ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	1	4	13860	संदेय नहीं है	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
76.	30/10/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व मध्य	449 पैसेंजर	6 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।			330000		तोड़फोड़	विचाराधीन	तोड़फोड़	शरारती तत्वों की गतिविधि	लागू नहीं
77.	30/10/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	पूर्व तट	[illegible] माल गाड़ी	गाड़ी इंजन और 14 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।			0		तोड़फोड़	विचाराधीन	तोड़फोड़	शरारती तत्वों की गतिविधि	लागू नहीं
78.	30/10/2006	गाड़ी का पटरी से उतरना	दक्षिण मध्य	2703 एक्सप्रेस	1 सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।			356400		रेलपथ एवं सवारी डिब्बे की खराबी	विचाराधीन	रेलपथ एवं सवारी डिब्बे की खराबी	सीनियर इंजीनियर/रेलपथ और [illegible]	अ. एवं अ. नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है
79.	31/10/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण पश्चिम	1018 एक्सप्रेस	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	4		0	संदेय नहीं है	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं
80.	31/10/2006	बिना चौकीदार वाला समपार	दक्षिण	6 [illegible] पैसेंजर	एक ऑटो रिक्शा ने गाड़ी इंजन को टक्कर मारी।	17		0	संदेय नहीं	सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही	विचाराधीन	सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही	सड़क उपयोगकर्ता	लागू नहीं

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में सहकर्मियों की हत्याएं

*35. **श्री धावरचन्द गेहलोत:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में जवानों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों की हत्या करने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष दर्ज किये गये ऐसे मामलों की बल-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन हत्याओं के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहकर्मियों को मारने की रिपोर्ट की गई सेनावार संख्या निम्नलिखित है:

सेना	2003	2004	2005	2006 (14.11.2006 तक)
सेना	05	05	06	11
नौसेना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वायुसेना	शून्य	01	01	शून्य
तटरक्षक बल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार कारण इस प्रकार है:

(क) उच्चाधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के कारण अनुभूत शिकायतें।

(ख) सहकर्मियों के बीच बहस।

ऐसी घटनाओं को रोकने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) जिन कारणों से ऐसी घटनाएं होती हैं उनका पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा अध्ययन;

(2) जिला सैनिक बोर्डों को सुदृढ़ बनाना ताकि वे सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति और ज्यादा उत्तरदायी बन सके;

(3) एक नेटवर्क स्थापित करना जिससे सैनिकों के परिवारों की शिकायतों से संबंधित जिला सैनिक बोर्डों को अवगत कराया जा सके जो मामले पर संबंधित सिविल प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई कर सकें। निकटस्थ नामित यूनिट को भी जिला सैनिक बोर्ड के संपर्क में रहना चाहिए तथा सैनिक की यूनिट को फीड-बैक देनी चाहिए;

(4) संवेदनशील क्षेत्रों में परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देना;

(5) वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में वृद्धि, लीडरों तक आसानी से पहुंच तथा जूनियर लीडरों की सिपाहियों के साथ अधिक बार बातचीत, बेहतर मानव प्रबंधन तथा शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई;

(6) यूनिट में समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली, रिपोर्टिंग तथा फीडबैक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना;

(7) घरेलू समस्याओं से निबटने के लिए उदारीकृत अवकाश नीति;

(8) रेजिमेंटल मेडिकल अधिकारियों, जूनियर लीडरों तथा यूनिट कमांडरों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें युद्ध के तनाव होने का अधिक जोखिम हो तथा उन्हें सलाह-मशविरा देना;

(9) धर्म गुरुओं द्वारा सलाह;

(10) जहां आवश्यक हो, मनोचिकित्सकों द्वारा मनोवैज्ञानिक सलाह;

(11) तनाव-मुक्ति व्यायाम के लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें योग/ध्यान शामिल हैं;

(12) यूनिटों एवं व्यक्तियों की अदला-बदली जिससे उन्हें न्यूनतम तनाव हो।

वरिष्ठ अधिकारी इन उपायों की मानीटरी कर रहे हैं। सेनाओं में सभी अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को उपयुक्त मामलों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है।

[अनुवाद]

मिलावट को रोकने हेतु चिन्हक (मार्कर) प्रणाली

*36. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोटर ईंधन और औद्योगिक विलायक द्रव्यों में राजसहायता प्राप्त ईंधन की मिलावट रोकने के लिए आयातित चिन्हक (मार्कर) वाले मिट्टी के तेल का विपणन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से यह चिन्हक (मार्कर) आयात किया जा रहा है;

(घ) इस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा मिलावट को रोकने के लिए अन्य कौन से विकल्प अपनाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (च) वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल का विपथन रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को विभिन्न उपाय करने के लिए कहा है जिनमें मिट्टी तेल में मार्कर की शुरुआत शामिल है। तेल विपणन कंपनियों ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर शुरुआत प्रारंभ की है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी आपूर्ति स्थान डिपुओं/टर्मिनलों में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला के साथ परिवहन ईंधनों में मिलावट की बुराई को नियंत्रित करने और अंतत: समाप्त करने के लिए एक विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी के आरंभ को द्योतक है। इसके आरंभ किये जाने के साथ मिट्टी तेल में बहुत कम मात्राओं में मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। तेल विपणन कंपनियां यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) से मार्कर का आयात कर रही है। मार्कर के आरंभ करने के लिए व्यय में मिट्टी तेल में डालने के लिए मार्कर की लागत और परीक्षण किटों की लागत सम्मिलित होगी जो वर्ष दर वर्ष भिन्न होगी।

पेट्रोल/डीजल की मिलावट को रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के वितरण को सुप्रवाही बनाने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा हाल में किये गये अन्य उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पेट्रोल/डीजल में मिलावट को रोकने और सा.वि.प्र. मिट्टी तेल वितरण को सुप्रवाही बनाने के लिए की गई कार्रवाई

मिलावट पर नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समय-समय पर मिलावट को नियंत्रित करने के लिए किये गये उपायों की समीक्षा करता रहा है। इस प्रक्रिया में मिलावट को नियंत्रित करने के लिए हाल में कई प्रौद्योगिकीय और संस्थागत उपाय किये गये हैं। मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये गये उपाय नीचे संक्षेप में दिये गये हैं:

(1) खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन: नवीनतम प्रौद्योगिकीय सुधार अपनाकर खुदरा बिक्री केन्द्रों के क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए उनके स्वचलन को लागू किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को प्रति माह 200 कि.ली. से अधिक की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का मार्च 2007 तक स्वचलन पूरा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को निदेश दिया है।

(2) खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्ष सत्यापन: तेल विपणन कंपनियों को प्रति माह 100 कि.ली. प्रति माह से अधिक बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन मार्च 2007 तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

(3) विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी: परिवहन के दौरान मिलावट रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों को मार्च 2007 तक कंपनी के स्वामित्व/डीलर के स्वामित्व/अनुबंधकर्त्ता के स्वामित्व वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी को पूरा करने के लिए जीपीएस की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है।

(4) जन केरोसीन परियोजना: पीडीएस मिट्टी तेल वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए और मिलावट तथा अन्य अनधिकृत उपयोगों के लिए मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित करने के लिए 2.10.2005 से आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए 414 ब्लाकों में प्रायोगिक

आधार पर जन केरोसीन परियोजना आरंभ की गई है। इस प्रायोगिक परियोजना की समयावधि बढ़ाकर 30.6.2007 तक कर दी गई है।

(5) स्मार्ट कार्ड योजना: इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता लक्षित उपभोक्ताओं के पास कारगर और किफायती ढंग से पहुंचे और गड़बड़ी को रोकने के लिए यह मंत्रालय पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली आरंभ करने पर विचार कर रहा है। यह योजना प्रारंभ में 2007 से तीन जिलों महाराष्ट्र में लातूर, बिहार में नालन्दा और उत्तरांचल में नैनीताल में प्रायोगिक आधार पर लागू करने का विचार है। प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रियायती मिट्टी तेल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जबकि अन्य सभी राशन कार्ड धारकों को गैर रियायती मिट्टी तेल दिया जाएगा। इस प्रायोगिक योजना की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जाएगी। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान पीडीएस और गैर रियायती मिट्टी तेल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

अलाभकारी विमानन उद्योग

*37. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन उद्योग वित्तीय रूप से एक अलाभकारी उद्योग बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विमानन उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने जारी रखने के तरीके में नागर विमानन संवृद्धि के विभिन्न उपाय किये हैं जिसमें महत्वपूर्ण मेट्रो हवाईअड्डों की पुन:संरचना, निजी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण को सरल बनाकर, 100% तक हवाईअड्डा इन्फ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई की अनुमति देकर, लोक निजी भागीदारी से महत्वपूर्ण गैर-मेट्रो हवाईअड्डों का विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों को करने के लिए अन्य देशों के साथ उदार द्विपक्षीय व्यवस्था को अपनाना, छोटे विमानों को हवाई प्रभारों तथा चुने हुए हवाई अड्डों पर पार्किंग प्रभारों में रियायत आफर करना, विदेशी विमानचालकों/इंजीनियरों इत्यादि के रोजगार के लिए विनियामक व्यवस्था को उदार बनाना सम्मिलित है।

15-सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी हेतु समिति/कृतिक बल

*38. **श्री सी. कुप्पुसामी:**
प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु किसी समिति/कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार से 15-सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करती है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य को विशेष रूप से इसके क्रियान्वयन हेतु कोई राशि प्रदान की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सभी राज्य सरकारें कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर रही हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी राज्य सरकारें कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर रही हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निकट से निगरानी करने की व्यवस्था है। केन्द्र स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी छह मास में एक बार सचिवों की समिति द्वारा की जानी है और उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की जानी होती है। प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार के तंत्र की

राज्य स्तर पर स्थापना करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर उच्चतम स्तर पर पूरा ध्यान प्राप्त होना सम्भव हो। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गये हैं, जिसमें उन्हें कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करने की सलाह दी गई है।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम में राज्यों द्वारा इसे क्रियान्वित करने के लिए किसी अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था नहीं है। इसमें ये प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अनुसरण में, उन मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के संबंध में, जो यह कर सकते हैं, लक्ष्यों और परिव्ययों का निर्धारण, उनके परामर्श से कर दिया गया है।

(च) और (छ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उठाये गये कदमों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। अभी तक किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने यह उत्तर नहीं दिया है कि वे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

नकली एलपीजी सिलेंडर

***39. श्री ब्रजेश पाठक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बड़े पैमाने पर नकली एलपीजी सिलेंडरों के परिचालन की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विशेषकर दिल्ली में ऐसे कुल कितने मामले सामने आए हैं, और

(ग) नकली एलपीजी सिलेंडरों के परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली एलपीजी सिलेंडरों का परिचालन नहीं है। फिर भी, कुछ मामलों में ओएमसीज ने अपने बाटलिंग संयंत्रों में पिछले 3 वर्षों में नकली सिलेंडर पकड़े हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उन सिलेंडर निर्माताओं से एलपीजी सिलेंडर खरीद कर रही है, जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित हैं और जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीआई) का वैध विनिर्माण लाइसेंस है। बीआईएस विनिर्माण प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखता है। ओएमसीज द्वारा खरीदे गये/लिये गये एलपीजी सिलेंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होते हैं।

नकली और अति पुराने सिलेंडरों को परिचालन में आने से रोकने के लिए बाटलिंग संयंत्रों में वितरकों/परिवहनकर्त्ताओं से प्राप्त होने वाले एलपीजी सिलेंडरों की गुणवत्ता और उनके असली होने की अनिवार्य जांच की जाती है। कोई घटिया/नकली सिलेंडर मिलने पर उनको जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें तोड़-मरोड़कर/कुचल दिया जाता है ताकि वे दोबारा चलन में न आने पायें।

नकली एलपीजी उपकरण के आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के अलावा, यदि किसी वितरक के पास कोई नकली उपकरण मिले अथवा वह वितरण प्रणाली में ऐसे उपकरण को जोड़े, तो उसके लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ, उस उपकरण की जब्ती, जुर्माना लगाना, और प्रथम व द्वितीय अपराध पर दण्ड दर से जुर्माना की वसूली और तृतीय अपराध की घटना होने पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

विवरण

वर्ष	देश में पकड़े गए नकली सिलेंडरों की संख्या	दिल्ली में पकड़े गए नकली सिलेंडरों की संख्या
2003-04	1873	135
2004-05	2145	123
2005-06	4459	56

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

***40. श्री आडिगा रामकृष्णा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत एक बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक कितनी प्रगति की गई है, और

(घ) इसे कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत बोर्ड की स्थापना करने के लिए कार्रवाई प्रगति पर है। बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन करने तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने हेतु व्यक्तियों की एक नामावली तैयार करने के लिए पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत 31.8.2006 को गठित खोज समिति ने अपनी प्रथम बैठक 10.10.2006 को की जिसमें निर्णय लिया गया कि पीएनजीआरबी के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अपीलीय न्यायाधीकरण के तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के पदों के लिए विज्ञापन देश भर में स्थानीय समाचार पत्रों सहित अग्रणी समाचार पत्रों में जारी किया जाए। तदनुसार उसके लिए विज्ञापन 7.11.2006 तक आवेदन मंगाते हुए समाचार पत्रों में पहले ही जारी/प्रकाशित करा दिया गया है। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों को खोज समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया जारी है।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

226. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य से संबंधित बड़ी संख्या में रेल परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय के पास कर्नाटक राज्य के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने भारतीय रेलवे द्वारा उन बड़ी और मध्य~ सिंचाई परियोजनाओं में रेल समपार निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव भेजे हैं जिनका कार्य आई डी 20 एनएमएस 2000 दिनांक 11 नवम्बर, 1998 के संदर्भ के अंतर्गत प्रगति पर है;

(घ) यदि हां, तो इसमें विलंब के मुख्य कारण क्या है; और

(ङ) कर्नाटक राज्य से संबंधित सभी लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) लंबित परियोजनाएं उन परियोजनाओं को माना जाता है जिन परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है। कर्नाटक राज्य में, बंगलौर सिटी-कृष्णराजपुरम दोहरीकरण परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित है।

बहरहाल, पिछले एक वर्ष के दौरान आमान परिवर्तन, नई लाइन/नई लाइनों का विस्तार और कर्नाटक राज्य में पूर्ण/आंशिक रूप से आने वाली रेल लाइनों का दोहरीकरण के लिए प्राप्त कुछ मांगें इस प्रकार है:-

1. कल्याणदुर्ग नई लाइन के रास्ते रायदुर्ग-तुमकुर।
2. तलगुप्पा-होनावर नई लाइन
3. तुमकुर-चित्रदुर्ग-देवनगरे नई लाइन
4. चित्रदुर्ग-जगलूर-कोट्टर नई लाइन
5. शिमोगा तक कोट्टर-हरिहर नई लाइन का विस्तार
6. रामानगरम-मैसूर दोहरीकरण

इन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य के सिंचाई विभाग से विभिन्न कैनाल क्रॉसिंग कार्यों को करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को लगभग 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इन कैनाल क्रॉसिंग कार्यों को करने में क्षेत्रीय रेलवे की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। प्राप्त 26 प्रस्तावों में से, 8 कैनाल क्रॉसिंग कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। एक कार्य पार्टी द्वारा स्वयं किया जा रहा है। अन्य 15 कार्य अक्टूबर, 2007 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किए जाने की संभावना है। शेष 2 कैनाल क्रॉसिंग कार्य कर्नाटक राज्य सरकार के प्रयोजक विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि कराए जाने के बाद शुरू किए जाएंगे।

गोलपाड़ा में श्री सूर्यपहाड़ का विकास

227. श्री मणीकुमार सुब्बा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने गोलपाड़ा में श्री सूर्यपहाड़ स्थित प्रसिद्ध पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण एवं विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) गोलपाड़ा स्थित श्री सूर्य पहाड़ स्थल का संरक्षण तथा अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक संरक्षण योजना में इसके संरक्षण तथा विकास के लिए प्रावधान किया जाता है।

स्मारक के संरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास हेतु 2006-07 के लिए प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वार्षिक अनुरक्षण सहित संरचनात्मक संरक्षण	7.60 लाख रुपए
पर्यावरण संबंधी विकास	6.70 लाख रुपए

हरियाणा में पर्यटन को प्रोत्साहन

228. श्री नवीन जिन्दल: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हरियाणा की यात्रा करने वाले भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हरियाणा में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या हरियाणा में नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने तथा राज्य में ग्रामीण तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा की यात्रा करने वाले भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2003	5903196	84931
2004	5399099	66153
2005	5913394	59353

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य के लिए परियोजनाओं की एक सूची, जिनके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनकी पहचान पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, गंतव्यों के उत्पाद/अवसंरचना विकास तथा भारी राजस्व सृजन परियोजनाओं के लिए सहायता की योजनाओं के अंतर्गत, उनके साथ पारस्परिक विचार-विमर्श करके की जाती है।

वर्ष 2006-2007 में हरियाणा राज्य के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है:

गंतव्य

1. सूरजकुंड
2. सोनीपत-जातीय भारत
3. बडकल

परिपथ

1. कुरुक्षेत्र

कार्यक्रम/उत्सव

1. कुरुक्षेत्र-सूफी उत्सव-10 लाख रुपए
2. हेरिटेज उत्सव पिंजौर-10 लाख रुपए
3. कला एवं शिल्प उत्सव करनाल-5 लाख रुपए
4. सूरजकुंड क्राफ्ट मेला-10 लाख रुपए

सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की, दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती हैं और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर धनराशि अवमुक्त की जाती है।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान हरियाणा राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
वर्ष 2003-04		
1.	कुरुक्षेत्र और पिपली में पर्यटक अवसंरचना का नवीकरण और सुदृढ़ीकरण	108.25
2.	ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में ब्यूवर्स गैलरी के ऊपर शीट की छत लगाना	2.68
3.	सूरजकुंड क्राफ्ट मेला	15.00
4.	ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में महाभारत रथ लगाना	210.00
5.	आदि बद्री, हरियाणा से धौलावीरा, गुजरात तक पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास- 796.00 लाख रुपये	
	(1) आदि बद्री (जिला यमुनानगर), हरियाणा में पुरातत्व परिसर का निर्माण	72.00
	(2) थाणेसर हरियाणा में पुरातत्व परिसर का निर्माण	250.00
	(3) राखी गढ़ी जिला (हिसार) हरियाणा में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00
	(4) बनवाली (जिला फतेहाबाद), हरियाणा में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00
	(5) सिरसा, हरियाणा में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00
	(6) हनुमान गढ़, राजस्थान में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00
	(7) कालीबंगा, राजस्थान में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00
	(8) रंगमहल, राजस्थान में पुरातत्व परिसर का निर्माण	90.00
	(9) बरोर राजस्थान में पुरातत्व परिसर का निर्माण	52.00
	(10) जूनी कुरान, गुजरात में पुरातत्व परिसर का निर्माण	72.00
6.	सरस्वती नदी के उद्गम स्थल, आदि बद्री (जिला यमुनानगर) का विकास	178.79
7.	गीता जयंती समारोह	5.00
8.	ओट्टू बराज के पास कैफेटेरिया का निर्माण और पर्यावरण पार्क, सार्वजनिक शौचालयों, जॉय राइडस का विकास तथा मिनी लेक का सृजन	147.69
9.	पंचकूला जिले में मोरनी और टिक्कर ताल क्षेत्र का विकास	170.76
10.	कुरुक्षेत्र का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास-तपोवन पार्क का विकास	125.84

1	2	3
11.	ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत ज्योतिसर गांव (जिला कुरुक्षेत्र) का विकास	50.00
12.	सूरजकुण्ड (जिला फरीदाबाद) में समागम केन्द्र का निर्माण	108.00
	कुल	1918.01
	वर्ष 2004-05	
1.	अंबाला में किंगफिशर टूरिस्ट कांपलेक्स में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	27.44
2.	पर्यटक गंतव्य के रूप में सूरजकुंड का एकीकृत विकास	81.37
3.	बडखल झील, फरीदाबाद का लेंडस्केपिंग/सौन्दर्यीकरण और विकास	146.05
4.	यादविन्द्रा गार्डन्स, पिंजौर में पुराने स्मारकों का परीक्षण और संरक्षण	403.69
5.	19वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 2005	15.00
6.	कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर गांव की जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	20.00
	कुल	693.55
	वर्ष 2005-06	
1.	उचाना (जिला करनाल) में करना झील का विकास	159.00
2.	रोहतक में तल्यार पर्यटक परिसर का विकास	441.00
3.	कुरुक्षेत्र उत्सव, 2005	15.00
4.	सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 2006	15.00
5.	मैंगो मेला, 2005	2.45
6.	मार्च 2006 में गोंडवालैंड एक्सपीडिशन	5.00
7.	मार्च 2006 में करनाल में आर्ट एवं क्राफ्ट मेला	5.00
	कुल	622.45

रेलवे स्टेशनों पर किसानों हेतु शीतागार

229. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का रेलवे स्टेशनों पर किसानों को शीतागार व ढुलाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा तैयार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने स्वीकार किया है कि अवंसरचना के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को कब तक ऐसी सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) कृषि उत्पाद एकत्रण और एकीकृत परिवहन की व्यवस्था के साथ वितरण आउटलेट को बढ़ावा देने संबंधी नीति पर सक्रिय रूप से

विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त नीति बनाने संबंधी कार्य के लिए अवधारण पत्र तैयार करने हेतु कार्यपालक निदेशकों की समिति बनाई गई है। इस नीति से किसान तथा सामान्य अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए के साथ-साथ रेल सेवा

230. श्री संजय धोत्रे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए के साथ-साथ रेल सेवा उपलब्ध कराने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए जालंधर शहर, पठानकोट, जम्मूतवी, उधमपुर, कुड, अवंतिपुर, श्रीनगर, पाटन तथा बारामुला के रास्ते जालंधर शहर से उरी खंड तक है। रेलपथ राजमार्ग के प्रमुख प्वाइंटों से होकर गुजरता है। लेकिन राजमार्ग के सामांतर/साथ-साथ नहीं चलता है। फिलहाल, रेलपथ जालंधर से जम्मूतवी तक चलता है तथा उधमपुर और श्रीनगर के रास्ते जम्मूतवी से बारामुला तक नयी लाइन का निर्माण किया जा रहा है। जम्मूतवी और उधमपुर के बीच का रास्ता पहले से ही रले यातायात के लिए खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

तिरूपति-वेल्लौर रेल मार्ग का विद्युतीकरण

231. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्य रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूपति-पकाला-कटपडी-वेल्लौर की विद्युतीकरण परियोजना को मार्च 2007 से पूर्व पूरा किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) यह परियोजना कार्य किस तिथि से आरंभ हुआ और इस खंड के विद्युतीकरण को पूरा किए जाने के लिए मूल लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था;

(घ) अब तक कितने किलोमीटर रेलमार्ग पर कार्य पूरा कर दिया गया है;

(ङ) इस परियोजना पर कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(च) लक्ष्य अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) तिरूपति-वेल्लौर खंड की अनुमानित लागत 45.24 करोड़ रु. है।

(ग) इस परियोजना को जनवरी, 2004 में अनुमान की स्वीकृति के बाद शुरू किया गया था। इसे पूरा करने के लिए मूल लक्ष्य मार्च, 2006 था।

(घ) तिरुपति-पकाला खंड पर शिरोपरी उपस्कर (ओ एच ई) तथा खंभा लगाने का कार्य पूरा हो गया है तथा शेष खंड में कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) ठेकेदार जिसे प्रारंभ में ठेका दिया गया था, के द्वारा शिरोपरी उपस्कर (ओ एच ई) कार्य की धीमी प्रगति तथा सामग्रियों का प्रपण नहीं होने के कारण उसके ठेके को समाप्त कर दिया गया था। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कए नया ठेका दिया गया था तथा इस कार्य की प्रगति की निगरानी की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा रक्षा संबंधी खरीद और तैयारी

232. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा रक्षा संबंधी खरीद और तैयारी के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपने पड़ोसी देश से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारी रक्षा प्रणाली को तैयार करने हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार तैयारी किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) आने वाले सामरिक परिदृश्य के अनुरूप सेना की बल संरचना की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि खतरे की अवधारणा और हमारे शत्रुओं

की सैन्य क्षमता का मुकाबला किया जा सके। सेना के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न शस्त्र प्रणालियां और उपस्कर अधिप्राप्त करना हमारी रणनीति तथा संगठनात्मक ढांचे को अद्यतन करते रहना एक सतत प्रक्रिया है जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि शत्रुओं पर हमारी वांछित युद्धक श्रेष्ठता बनी रहे।

विमानपत्तनों पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं

233. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं हैं;

(ख) चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों में उक्त सुविधाएं जिन विमानपत्तनों को दिए जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय, रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधाएं निम्नलिखित 57 हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं:-अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, बंगलौर, बागडोगरा, बेलगाम, भावनगर, भुवनेश्वर, भुज, कालीकट, चण्डीगढ़, चेन्नई, कोचीन (नेदमबसेरी) कोयम्बतूर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गया, गोरखपुर, गोवा, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, जोरहाट, खजुराहो, कोलकाता, लीलाबाड़ी, लेंगपुई, लखनऊ, मंगलौर, मदुरै, मुम्बई, नागरपुर, पटना, पूणे, पोर्टब्लेयर, रांची, रायपुर, राजकोट, श्रीनगर, तेजपुर, तिरूपति, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा तथा विशाखापट्टनम।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष तथा अगले तीन वर्षों में छ: और हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, वे देहरादून, गोंदिया, मैसूर, पंतनगर, पोरबंदर तथा सिल्चर हैं।

(ग) 14.76 करोड़ रुपए।

तेल व गैस का उत्पादन

234. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग स्थिर है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उच्च उत्पादन का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) के दौरान देश में तेल उत्पादन 2002-03 में 33.043 एमएमटी (वास्तविक) से 2006-07 में 35.200 एमएमटी (ब.अ.) की श्रृंखला में है। इस अवधि के दौरान गैस उत्पादन 2002-03 में 31.394 बीसीएम और 2006-07 में 31.061 बीसीमए (ब.अ.) रहा है।

तेल और गैस के उत्पादन में लगभग स्थिरता के लिए मुख्य कारण निम्नानुसार है-

* ओएनजीसी और ओआईएल के प्रमुख तेल/गैस उत्पादक क्षेत्र पुराने है और अधिकतम उत्पादन अवधि को प्राप्त करने के बाद कुदरती ह्रास चरण में हैं।
* कुदरती ह्रास को पाअन के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोई नई प्रमुख खोज नहीं की गई हैं।

(ग) सरकार का प्रस्ताव 11वीं योजना में उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने का है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार की रेल परियोजनाएं

235. श्री गिरिधारी यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की ऐसी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको पूरा किया जाना लंबित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया तथा परियोजना-वार कितनी राशि जारी की गयी;

(ग) अपने नियत समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित परियोजनावार बिहार में चालू रेल परियोजनाओं के परिव्यय सहित ब्यौरा नीचे दिया गया है

परियोजना का नाम (किमी)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2006 तक प्रत्याशित व्यय. (करोड़ रु. में)	परिव्यय		
			2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
		नई लाइनें			
आरा-सासाराम (98 कि.मी.)	189.14	133.26	16.00	16.00	18.00
सकरी-हसनपुर (76 कि.मी.)	89.70	37.51	10.00	10.00	8.00
खगडिया-शेश्वरस्थान (42.31 कि.मी.)	162.87	20.13	2.00	2.00	1.00
मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी (64.51 कि.मी.)	210.79	68.05	12.00	10.10	8.00
फतुहा-इस्लामापुर शेखपुरा से नेओड़ा तक का पुर्नबहाली तथा नई लाइन (171.5 कि.मी.)	406.92	183.43	12.00	10.00	5.00
हाजीपुर-सगौली (148.3 कि.मी.)	324.66	7.55	–	10.00	1.00
गंगा पर मुंगेर रेल पुल (19.8 कि.मी.)	921.00	131.1	30.00	10.00	12.00
पटना और हाजीपुर (19 कि.मी.) के बीच संपर्क लाइनों सहित पटना-गंगा पुल	684.47	235.29	50.00	50.00	12.00
कोसी पुल (21.85 कि.मी.)	341.41	5.46	10.00	10.00	4.00
राजगीर-हिसुआ-तिलैया (67 कि.मी.)	245.18	155.74	12.00	10.00	10.00

1	2	3	4	5	6
छपरा-मुजफ्फरपुर (84.65 कि.मी.)	378.56	—	बजट 2006-07 में नए कार्य को शामिल किया गया था		
हथुआ-भटनी (73.6 कि.मी.)	230.03	12.25	—	—	4.00
महाराजगंज-मसरक (35.49 कि.मी.)	113.75	0.22	—	2.00	1.00
		आमाप परिवर्तन			
जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 कि.मी.)	329.28	69.86	18.00	25.04	20.00
सकरी-लौकहाबाजार-निर्मली और (206.06 कि.मी.)	355.81	—	—	8.00	10.00
कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा (233.5 कि.मी.)	320.1	78.99	10.00	15.00	8.00
जोगनी-कटिहार-बरसोई-राधिकापुर (200 कि.मी.)	492.98	303.63	21.00	25.00	20.50
मानसी-सहरसा और सहरसा-पूर्णियां (142 कि.मी.)	257.01	112.91	16.00	20.00	10.01
समस्तीपुर-खगड़िया एवं मानसी-खगड़िया (94 कि.मी.)	122.45	70.38	5.00	12.00	34.04
		दोहरीकरण			
पुनपुन-तरेगना (16 कि.मी.)	63.53	62.00	5.00	5.00	0.50
तरेनगा-जहानाबाद (15.2 कि.मी.)	87.16	0.95	1.00	2.00	3.50
जहानाबाद-बेला (27.47 कि.मी.)	75.00	—	—	2.00	2.00
बेला-चाकंड (9.98 कि.मी.)	23.19	0.66	—	1.00	2.00
चांकड-गया (9.29 कि.मी.)	24.09	13.50	2.00	2.00	5.00

1	2	3	4	5	6
बरौनी-तिलरथ बाईपास (14 कि.मी.)	15.37	12.52	1.00	12.00	0.52
तिलरथ-बेगुसराय (8.33 कि.मी.)	19.35	—	—	—	0.01
बेगुसराय-खगड़िया (40.38 कि.मी.)	108.36	—	—	—	0.01
महेशकुंठ-थनाबिहपुर (31.75 कि.मी.)	45.41	—	—	—	3.00
थनाबिहपुर-कुरिसेला (33.57 कि.मी.)	45.00	—	—	—	0.01
कुरसेला-सीमापुर (26.95 कि.मी.)	49.28	—	—	—	13.00
सीमापुर-कटिहार (11.26 कि.मी.)	17.23	16.31	2.00	3.26	2.50
गंडक पुल सहित सोनपुर-हाजीपुर (5.50 कि.मी.)	53.97	0.13	1.00	2.00	2.00
छपरा-एकमा (28 कि.मी.)	62.30	19.43	—	3.00	5.00
एकमा-जिरदेई (43.60 कि.मी.)	78.34	—	—	—	8.00
कजरी-कियूल (16 कि.मी.)	23.73	2.63	2.56	2.56	3.00
सोननगर-मुगलसराय तीसरी लाइन (110 कि.मी.)	271	263.00	0.01	0.01	0.01
कर्पूरीग्राम-सिहो (26 कि.मी.)	31.20	31.10	7.00	1.00	0.01

(ग) और (घ) संसाधनों की समग्र मौजूदगी के मदेद्नजर परियोजनाओं में प्रगति हो रही है। चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए संसाधनों में संवर्धन हेतु कई शुरूआतें की गई हैं। इसमें राज्य सरकारों, सरकारी/निजी भागीदारी, रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं द्वारा लागत में भागीदारी शामिल है।

[अनुवाद]

विदेशी आटोमोबाइल कंपनियों को लाइसेंस

236. श्री काशीराम राणा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में अपने संयंत्र खोलने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा संयंत्र लगाने के लिए सरकार किन निबंधन व शर्तों पर तैयार हुई है; और

(घ) इसके माध्यम से कितने राजस्व तथा रोजगार सृजन की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मोटर कार उद्योग, जिसे वर्ष 1993 में लाइसेंसमुक्त किया गया, को छोड़कर ऑटोमोटिव उद्योग को वर्ष 1971 में लाइसेंसमुक्त किया गया। लाइसेंसमुक्त उद्योग/क्षेत्र के संबंध में, सभी उद्यमियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) दायर करना अपेक्षित है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर से 25 किलोमीटर की परिधि के तहत परियोजना स्थल होने की स्थिति में ऑटोमोबाल क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को औद्योगिक अधिनियम, 1951 (विकास एवं विनियमन) के प्रावधानों के तहत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना भी अपेक्षित है। अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान, परिवहन क्षेत्र में कुल 990 आईईएम (जिसमें घरेलू तथा विदेशी दोनों के लिए ऑटोमोबाइल और आटो उपस्कर शामिल हैं) दायर किये गये हैं जिसमें 35,791 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश तथा 2,78,776 लोगों के प्रस्तावित रोजगार की परिकल्पना की गई है। उसी अवधि के दौरान, इस क्षेत्र में कुल 97 आशय पत्र/प्रत्यक्ष लाइसेंस भी जारी किये गये हैं जिसमें 6,114 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश तथा 36,978 लोगों के प्रस्तावित रोजगार की परिकल्पना की गई है जिसमें विदेशी कंपनियां शामिल हैं। अप्रैल, 2005 से अक्टूबर, 2006 तक की अवधि के बीच, परिवहन क्षेत्र में कुल 44 आईईएम दायर किये गये हैं जिसमें 6,941 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश तथा 19,655 लोगों के प्रस्तावित रोजगार की परिकल्पना की गई है जिसमें कोमात्सु इंडिया प्राईवेट लि., जनरल इंडिया मोटर लि., स्कोडा ऑटो इंडिया प्राईवेट लि. आदि जैसी प्रमुख विदेशी कंपनियां शामिल हैं।

पत्तनों को जोड़ने वाली विशेष कंटेनर रेलगाड़ियां चलाना

237. श्रीमती जयाबहन डी. ठक्कर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम लि. देश में पत्तनों को जोड़ने वाली विशेष कंटेनर रेलगाड़ियां चला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। भारतीय कंटेनर निगम इसके भीतरी क्षेत्र इनलैंड कंटेनर डिपो (आई सी डी) से पत्तन जैसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई पत्तन, मुंद्रा, पिपावाव, कोलकाता, कंडाला, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचिन आदि से सभी प्रमुख पत्तनों को कंटेनर रेल सेवाएं मुहैया करा रहा है।

हवेरी रेलवे स्टेशन पर रेल उपरिपुल का निर्माण

238. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हवेरी रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल बनाए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। बहरहाल, माननीय ससंद सदस्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जो हावेरी टाऊन के निकट समपार सं. 237 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के संबंध में था, जहां पर 1996 में हरिहर-हुबली के आमान परिवर्तन के दौरान किमी. 393/11/-12 पर निचले सड़क पुल सं. 43 ए का पहले से ही निर्माण किया जा चुका है। इसी समपार के स्थान पर एक अन्य सुविधा के बारे में निक्षेप शर्तों अर्थात् निर्माण की संपूर्ण लागत तथा आवर्ती अनुरक्षण प्रभार वहन करने की विधिवत् सहमति के साथ प्रस्ताव प्रायोजित किए जाने पर ही विचार किया जा सकता है।

रेल टिकटों का श्रेणी उन्नयन

239. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे टिकटों का अगली श्रेणी में उन्नयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या समान पीएनआर संख्या वाले सभी यात्रियों को श्रेणी उन्नयन दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या नाबालिग या 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्री को श्रेणी उन्नयन का लाभ उठाने से मना करने का अधिकार है यदि समान पीएनआर संख्या वाले यात्रियों में से सभी का श्रेणी उन्नयन न करके एक-दो यात्रियों का ही श्रेणी उन्नयन किया गया हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे की शिकायत प्राप्त हुई है कि रेलवे स्टेशन पर सारणी केवल यात्री के यात्रा श्रेणी का उन्नयन दर्शाते हैं किंतु कोच सं. और शयिका संख्या नहीं दर्शाते हैं जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है; और

(च) यदि हां, तो यात्रियों को उनकी यात्रा श्रेणी के उन्नयन की पूर्व सूचना देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, 24.2.2006 से सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में शयनयान के लिए पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को उच्चतर श्रेणी में अपग्रेड करने की योजना शुरू की गई है।

(ख) से (घ) अपग्रेडेशन योजना में यात्री टिकट बुक कराते समय अपग्रेडेशन कराने या न कराने का विकल्प चुन सकते हैं। अग्रेडेशन केवल उन यात्रियों का किया जाएगा जो यात्री इस विकल्प को चुनते हैं। एक पी एन आर में सभी यात्रियों को एक साथ अपग्रेड किया जाएगा। यदि सभी यात्रियों को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त शायिकाएं उपलब्ध नहीं है तो उनके अपग्रेडेशन पर विचार नहीं किया जाता है।

(ङ) अपग्रेडेशन से संबंधित सूचना उस श्रेणी के चार्ट जिसमें यात्री की प्रारंभ में बुकिंग थी, अपग्रेडेड श्रेणी के चार्ट तथा अपग्रेडेड यात्रियों के लिए पृथक चार्ट में प्रदर्शित की जाती है।

(च) गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पूर्व चार्ट तैयार करते समय अपग्रेडेशन किया जाता है और इसलिए यात्रियों को इस बारे में पहले से सूचित करना संभव नहीं है। बहरहाल, यात्री रेल आरक्षण पूछ-ताछ से स्थिति का पता लगा सकते हैं।

[हिन्दी]

गांधी दर्शन समिति का पुनरूद्धार

240. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'गांधी दर्शन' समिति' को नया आकार/स्वरूप देने और माहत्मा गांधी पर स्थायी प्रदर्शनियां आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के निकट स्थित गांधी दर्शन समिति के पुनरूद्धार हेतु कोई योजना भी तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी): (क) से (ग) सरकार चाहती है कि राजघाट के निकट गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के तहत गांधी दर्शन परिसर का प्रभावी ढंग से उपयोग हो। विशेषकर युवापीढ़ी में महात्मा गांधी जी के संदेश, मूल्यों तथा विचारों के प्रसार के लिए, इस प्रयोजनार्थ परियोजनाएं तैयार करने के उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आमान परिवर्तन

241. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आमान परिवर्तन, नए मार्ग, मार्गों का विस्तार और बारम्बारता बढ़ाए जाने के संबंध में कर्नाटक की लंबित मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने 'बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो' आधार पर परियोजनाओं के लिए समझौता करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक की लंबित मांगों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान आमान

परिवर्तन, नई लाइन/नई लाइनों का विस्तार और कर्नाटक राज्य में पूर्ण/आंशिक रूप से आने वाली रेल लाइनों का दोहरीकरण के लिए प्राप्त कुछ मांगें इस प्रकार है:

1. कल्याणदुर्ग नई लाइन के रास्ते रायदुर्ग-तुमकुर।
2. तलगुप्पा-होनावर नई लाइन
3. तुमकुर-चित्रदुर्ग-देवनगरे नई लाइन
4. चित्रदुर्ग-जगलूर-कोट्टूर नई लाइन
5. शिमोगा तक कोट्टूर-हरिहर नई लाइन का विस्तार

इन प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

कतिपय कार्य लागत में भागीदारी/सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधार पर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने रामानगरम-मैसूर दोहरीकरण तथा गुलबर्गा-बीदर नई लाइन का कार्य लागत में भागीदारी आधार पर करने का प्रस्ताव दिया है।

मौजूदा गाड़ियों के फेरे बढ़ाने के लिए भारतीय रेल में विभिन्न स्तरों अर्थात् रेलवे बोर्ड, रेलवे मुख्यालय स्तर, मंडल स्तर तथा स्टेशन स्तर पर विभिन्न मंचों से मांगें प्राप्त होती हैं। ये मांगें वर्षभर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे विशाल डाटा का संकलन नहीं किया जाता। बहरहाल, यथोचित एवं संभाव्य कार्रवाई की जाती है।

सालारजंग संग्रहालय में आग

242. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय में भयानक आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आग लगने के कारण संग्रहालय को कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) ''इस अग्नि कांड में कितनी बहुमूल्य पुरातन वस्तुएं नष्ट हुई है;

(घ) क्या सरकार ने आग लगने के कारणों की जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) जी हां। सालारजंग, हैदराबाद के पश्चिमी खण्ड में प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) में 3 नवम्बर, 2006 को आगजनी की घटना घटी थी जिसे सी.आई.एस.एफ. सुरक्षा कार्मिकों द्वारा प्रात: 6.45 बजे देखा गया। दमकल कर्मियों तथा सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों द्वारा प्रात: 8 बजे आग पर काबू पा लिया गया। अंदर बहुत गर्मी होने से प्रेक्षागृह के फीचर, चुड़नार, फिटिंग्स तथा फॉल्स सीलिंग को आंशिक रूप से नुकसान हुआ था। नुकसान की अनुमानित लागत तकरीबन 15 लाख रु. है। उक्त आग से प्रेक्षागृह में रखी किसी अमूल्य पुरावस्तु/शिल्प तथ्य को नुकसान नहीं हुआ है।

(घ) से (च) जी हां। महामहिम राज्यपाल, आंध्र प्रदेश और सालारजंग बोर्ड के अध्यक्ष ने आगजनी के कारणों की जांच करने तथा उपचारात्मक सुझाव देने के लिए बोर्ड के सदस्यों तथा महानिदेशक, दमकल सेवाएं, आंध्र प्रदेश सरकार के एक नामिती की एक समिति गठित की है।

हम्पी का विकास

243. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वृहद राजस्व सृजन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को हम्पी में अवसंरचना विकास के लिए 610 लाख रु. की अनुमानित लागत से एक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने और कर्नाटक सरकार को कब तक राशि दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंजाब में प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाना

244. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्य को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

245. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस समय उत्तर प्रदेश में आंशिक/पूर्णतया आने वाली 6 नई लाइन, 6 आमान परिवर्तन, 23 दोहरीकरण और 5 रेलवे विद्युतीकरण की चालू परियोजनाएं हैं।

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं पर कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण में विलंब, कानून व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति और ठेकेदारों की विफलता से कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है।

(घ) सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परियोजनाओं इत्यादि के माध्यम से वित्तपोषण के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहल की गई है। बढ़े हुए आंतरिक संसाधन से भी निधियां आबंटित की गई हैं।

उत्तरांचल एक्सप्रेस का विस्तार

246. श्री रशीद मसूद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार 9265/9266 देहरादून-ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस का सहारनपुर रेलवे स्टेशन तक विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भिवानी और दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

247. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भिवानी और दिल्ली वाया कलानौर के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा इस सेक्टर में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर भिवानी और दिल्ली वाया कलानौर के बीच नई रेलगाड़ी शीघ्र शुरू करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। कालानूर के रास्ते भिवानी और दिल्ली के बीच एक नई गाड़ी चलाना फिलहाल, परिचालनिक तथा संसाधन की तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

जबलपुर मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

248. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि मंझवा, चित्तारा, खुतहा, जैतवार, लगारगवा, उचेहरा, अमादरा, झुकेही, खन्ना बाजारी रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्टेशनों पर पेयजल, विद्युत, प्रतीक्षालय हॉल, आवाजाही हेतु पुल, शौचालय, सफाई, सुरक्षा सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यात्रियों को उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अधीन सभी स्टेशनों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त, कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इनमें से किसी भी स्टेशन पर कोई सरकारी रेलवे पुलिस थाना नहीं है। बहरहाल, झुके ही रेलवे स्टेशन पर गार्ड की ड्यूटी के लिए रेल सुरक्षा बल के चार कर्मचारी स्थाई रूप से तैनात किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विरासत स्मारकों की सुरक्षा

249. श्री के.एस. राव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और अन्य राज्यों में विरासत स्मारकों और स्थलों को खनन तथा अन्य अवैध कार्यकलापों से खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) खनन तथा अन्य अवैध गतिविधियों के कारण राजस्थान ओर अन्य राज्यों में केन्द्रीय संरक्षित विरासत स्मारकों तथा स्थलों को किसी प्रकार के खतरे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में, संरक्षित स्मारकों के पास खनन कार्य तथा निर्माण कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इन सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा निर्धारित करने के सांविधिक प्रावधान विद्यमान है।

संरक्षित स्थानों से अतिक्रमणों को हटाने के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा अधीक्षण पुरातत्वविद् को शक्तियां प्रदान की गई हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जहां सभी निर्माण तथा खनन गतिविधियां निषिद्ध हैं। इससे आगे के 200 मीटर को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जहां निर्माण/खनन गतिविधियां केवल महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी लाइसेंस की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार अनुज्ञेय है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षित स्मारकों/स्थलों में से अतिक्रमणों को हटाने तथा अन्य अवैध गतिविधियों के निवारण के लिए राज्य सरकार प्रशासनों के साथ लगातार सम्पर्क में है।

विमानपत्तनों पर ड्यूटी फ्री शॉप

250. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर स्थित ड्यूटी फ्री शॉप्स से खरीददारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिबंधों में ढील देने और दुकानों को होने वाले घाटे से बचाने हेतु खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस रिपोर्ट के आने के बाद कि यूनाइटेड किंगडम में आतंकवादी ईकाइयों ने, किसी भी विमान में रखे गए एक आईईडी कल-पुर्जों की तस्करी के लिए एक नया तरीका तैयार कर लिया है जिसमें इसे हाथ का समान बताया जाता है जिससे सामान्य छानबीन कार्यविधि से बचा जा सके, इस संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने 11.8.2006 के परिपत्र संख्या 14/ 2006 जारी किया है जिसमें यात्रियों द्वारा (केबिन सामान में) अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है परंतु बताई गई दवाईयों/इनहेलर तथा शिशु आहार ले जाने की छूट है। उपरोक्त वर्णित परिपत्र में आंशिक संशोधन करके, 29.8.2006 को कार्यविधि निर्धारित की गई है जिसमें शुल्क मुक्त दुकानों से खरीदी गई मदों को ले जाने पर छूट दी गई है। कार्यविधि के अनुसार, शुल्क मुक्त दुकानों के स्वामियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसमें सभी शुल्क मुक्त मदों को उपयुक्त रोकड़ रसीद के अधीन बेचा जाना चाहिए जिसमें यात्रियों के नाम, सीट संख्या विमान कंपनी का नाम हो, इन वस्तुओं को उपयुक्त सुरक्षा जांच इत्यादि के बाद यात्री को विमान के गेट पर सौंपा जाना चाहिए। तथापि, हवाईअड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों में खरीद पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) अनुदेश/कार्यविधियों की आवधिक समीक्षा की जाती है जिससे इसे अधिक यात्री मैत्री बनाया जा सके तथा यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को रद्द करना

251. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस (आई ए) के कई जहाजों के खराब होने के फलस्वरूप गत कुछ महीनों में विभिन्न सेक्टरों में उसकी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंडियन एयरलाइंस को अनुमानत: कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने आई ए की सेवाओं को बहाल करने तथा उसकी सेवाओं में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले तीन महीनों अर्थात् अगस्त, 2006 से अक्टूबर, 2006 के दौरान तकनीकी कारणों से विमानों को खड़ा किए जाने की वजह से इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर की उड़ानों के रद्दकरण की दर 0.23% थी। इन रद्दकरण के कारण अंशदान की हानि, अतिरिक्त उड़ान की लागत तथा यात्रियों के भोजन, होटल तथा परिवहन पर होने वाले व्यय के रूप में अनुमानित हानि 110 लाख रुपए हुई है।

(ग) से (ङ) सभी तकनीकी विलम्बों तथा रद्दकरणों की जांच की जाती है तथा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। प्रतिदिन क्षेत्रीय स्तर पर प्रचालनिक विभाग के प्रतिनिधियों की एक बैठक की जाती है। बेस स्टेशन पर, खामियों की पुनरावृत्ति की प्रकृति की पहचान करने के लिए विलंबों तथा रद्दकरणों का विश्लेषण किया जाता है और विशेष अनुरक्षण कार्रवाई तुरंत की जाती है। मुख्यालय स्तर, सेवाओं के समय पालन की मॉनीटरिंग प्रतिदिन की जाती है। उत्पाद तथा व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के साथ भी नियमित बैठकें की जाती हैं।

[हिन्दी]

रंगपुर रोड पर रेल उपरिपुल

252. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत कोटा मंडल में रंगपुर रोड पर रेल उपरिपुल के कार्य में लगातार विलंब होने और काम पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त उपरिपुल के निर्माण में विलंब के कारण उसकी लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस उपरिपुल के संबंध में अपने कोटे के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) राज्य सरकार द्वारा सामान्य व्यवस्था ड्राइंग का विलम्ब से अनुमोदन तथा

उपसंरचना के ड्राइंग तथा डिजाइन का विलम्ब से अनुमोदन एवं अवरोधों जैसे, केबलों, बिजली के खंभों का हटाया जाना, डिजाइन की समस्या, निरीक्षण एजेंसी द्वारा बेयरिंग के निरीक्षक में विलम्ब।

(ख) फरवरी 2007 के अंत तक

(ग) अभी नहीं।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) अभी तक पूरी तरह नहीं। राज्य सरकार ने 75% मुख्य निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। रंगपुर छोर पर एक अंतिम स्पैन अभी बिछाया जाना है। संपूर्ण निर्माण कार्य फरवरी, 2007 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

उत्तरांचल में विमानपत्तनों का विस्तार

253. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल में विमानपत्तनों का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि अवंटित की गई है; और

(ग) विस्तार कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। देहरादून एवं पंतनगर हवाईअड्डों का विस्तार किया जा रहा है।

(ख) देहरादून तथा पंतनगर हवाईअड्डा परियोजना के लिए अनुमानित लागत 72.85 करोड़ रुपए तथा 36.72 करोड़ रुपए है।

(ग) इन हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा करने की प्रत्याशित तारीख 2 जून, 2008 है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल का निर्यात

254. श्री उदय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल का निर्यात करे का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा,

(ग) क्या पेट्रोल और डीजल के निर्यात का अरब देशों से कच्चे तेल के आयात पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तेल आयात बिल पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने अप्रैल-सितंबर, 2006 के दौरान नेपाल, श्रीलंका, यू.ए.ई., इंडोनेशिया, मोरिशस, बांग्लादेश तथा यमन को 163 टीएमटी पेट्रोल तथा 991 टीएमटी हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का निर्यात किया।

(ग) और (घ) जी नहीं। निवल तेल आयात बिल पर नियंत्रण रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को अधिकतम करने के प्रयास किए गए थे। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यात वर्ष 2003-04 की तुलना में मात्रा के रूप में 48% तथा मूल्य के रूप में 200% बढ गए, जिसके परिणामस्वरूप निवल तेल आय बिल में तदनुरूपी कमी आई।

(ङ) घरेलू तेल तथा गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण गतिविधियों को भरपूर गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में बढ़ोत्तरी: एनईएलपी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से राष्ट्रीय तेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को 110 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए। इनमें एनईएलपी के पांचवें दौर में प्रदान किए गए 20 अन्वेषण ब्लाक शामिल हैं। अन्य 55 ब्लाक अब एनईएलपी-6 के तहत प्रस्तावित किए गए हैं,

(2) विशेष रूप से वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) के कार्यान्वयन के द्वारा विद्यमान प्रमुख स्थलों से वसूली घटक में सुधार करना। आयल एंड नेचुरल गेस पर इस प्रयोजन के लिए 15 स्थल हाथ में लिए हैं, जो इन स्थलों से तेल उत्पादन में तीव्रता लाने में भी सहायक होगा,

(3) नए क्षेत्रों की खोज करना, विशेष तौर पर गहरे समुद्र तथा कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में, और पहले से उत्पादन कर रहे स्थलों की गहरी परतों में भी,

(4) उत्पादनरत क्षेत्रों में नए खोजे गए स्थलों का तीव्रता से विकास तथा भूकंपनीय सर्वेक्षण, वर्कओवर तथा उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना,

(5) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण हेतु हाल के तीसरे दौर की 10 संविदाओं सहित, अब तक 26 संविदाओं पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं,

(6) इक्विटी अथवा भागीदारी हित के माध्यम से विदेश में तेल व गैस भंडारों का अधिग्रहण करना, तथा

(7) जून 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त करते हुए, देश में घरेलू रिफाइनरियों सहित अधिक पेट्रोलियम संरचनाएं स्थापित की गई हैं।

आयुध कारखानों से गोला-बारुद की तस्करी

255. **श्री अबु अयीश मंडल:**
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के कर्मचारियों द्वारा आयुध कारखानों से गोला-बारूद चोरी करके उग्रवादियों तक पहुंचाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसे आयुध कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ङ) आयुध निर्माणियों के परिसरों से उग्रवादी गुटों के गोलाबारूद की तस्करी किए जाने में किसी सेना पदाधिकारी के शामिल होने का कोई मामला अभी तक जानकारी में नहीं आया है। तथापि, पुलिस प्राधिकारियों ने आयुध निर्माणियों के लिए निजी फर्म द्वारा तैयार किए गए कुछ खाली सुरंग-खोल जब्त किए हैं। ये खाली खोल संबंधित निजी फर्म के परिसर से गायब हुए हैं न कि आयुध निर्माणियों से।

माफियाओं द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

256. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में डी जी डी ई अधिकारियों की सांठ-गांठ से भू-माफियाओं ने हजारों एकड़ रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने माफियाओं से अवैध कब्जे वाली भूमि को खाली कराने हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सरकार को रक्षा संपदा महानिदेशालय के अधिकारियों की मिली-भगत से भूमाफियाओं द्वारा हजारों एकड़ रक्षा भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी नहीं है। समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अनुसार बेदखली की कार्यवाहियां की जाती हैं। चूंकि कानूनी कार्यवाहियां समयबद्ध नहीं होती है, अत: सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई सही समय-सीमा दर्शाना व्यवहार्य नहीं होगा।

चेन्नई-बंगलौर एक्सप्रेस में आग लगने की घटना

257. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को चेन्नई-बंगलौर एक्सप्रेस में 20 अगस्त, 2006 को आग लगने की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और इसमें जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता चल गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, घटना हेतु कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) रेलवे द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। 2753 चेन्नई-हैदराबाद एक्सप्रेस में आग लगी थी। 2753 एक्सप्रेस को लगभग 40 मिनट तक सिकन्दराबाद स्टेशन पर रोका गया था क्योंकि सिकन्दराबाद स्टेशन से कुछ आगे उसी पटरी पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। जिन सवारी डिब्बों में आग लगी थी उन सवारी डिब्बों में सवार यात्रियों को सिकन्दराबाद स्टेशन पर उतार लिया गया था जो कि अंतिम स्टेशन से पूर्व वाला स्टेशन था। इसलिए जब आग लगी थी सवारी डिब्बे लगभग खाली थे।

(ख) गाड़ी संख्या 2753 चेन्नई-हैदराबाद एक्सप्रेस 20.6.2006 को सिकन्दराबाद स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 10 पर 06.01 बजे पहुंची थी। हुसैन-सागर जंक्शन पर एक मालगाड़ी का एक तेल टैंक वैगन पटरी से उतर गया था जिसके कारण 2753 एक्सप्रेस को सिकन्दराबाद स्टेशन पर 40 मिनट के लिए रोका गया था। रेलगाड़ी ने हैदराबाद के लिए आगे की यात्रा 06.40 बजे शुरू की थी। रेलगाड़ी के जाने के लगभग 10 मिनट बाद ही इंजन पायलट और उसके सहायक ने रेलगाड़ी के एक डिब्बे में धुएं को देखा। आग को फायर ब्रिगेड द्वारा बुझाया गया। कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारण 1,88,25,190 रुपए का नुकसान हुआ।

(ग) जी हां।

(घ) दक्षिण मध्य रेलवे सर्कल, सिकन्दराबाद के रेल संख्या आयुक्त ने दुर्घटना के संबंध में एक संवैधानिक जांच की और उनके अनंतिम निष्कर्ष हैं कि जब रेलगाड़ी सिकन्दराबाद से 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी तो रेल कर्मचारियों से इतर अज्ञात यात्री/यात्रियों द्वारा इंजन से सातवां डिब्बा संख्या एस-9 के हैदराबाद सिरे वाले बाथरूम भाग में रखे कुछ ज्वलनशील सामग्री में आग के कारण यह दुर्घटना हुई थी। यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्ति/व्यक्तियों की गलती की कोटि के अंतर्गत आती है।

(ङ) रेल दुर्घटनाओं के निवारण हेतु उठाए गए कदम

1. सभी मंडलों में नियमित आधार पर गहन संरक्षा अभियान चलाये जाते हैं।
2. सेमिनार ओर अभियान आयोजित करके संरक्षा जागरूकता।
3. पैंट्री कार में गैस चालित खानपान व्यवस्थाओं की आवधिक जांच।
4. डी सी इंजन, ए सी इंजन और ए सी सवारी डिब्बों के वायरिंग सर्किट पर केन्द्रित जांच।
5. पैकिंग की सुरक्षा और द्वितीय श्रेणी समान कम ब्रेक वैन (एस एल आर) के भीतर पैकिंग संबंधी शर्तों का अनुपालन।
6. संरक्षा पोस्टरों, कंपार्टमेंटों, समय-सारणी, अखबारों और स्थानीय सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली स्टेशन स्लाइडों में विज्ञापन दिखाकर संरक्षा अभियान।
7. गैस सिलेंडरों, विस्फोटक सामग्रियों, पटाखों, अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को यात्रियों द्वारा जे जाने से रोकने के लिए रेलवे संरक्षा बल द्वारा अभियान चलाये जाते हैं।
8. रेलगाड़ियों एवं अन्य रेल परिसरों में सिगरेट पीने वालों के विरुद्ध रेलवे संरक्षा बल द्वारा रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किये जाते हैं।
9. रेलगाड़ी में सिगड़ी और अंगीठी का प्रयोग करने वाले अप्राधिकृत हॉकरों और वेंडरों को रोकने के लिए रेल संरक्षा बल द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है।
10. सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आग से सावधानी के बारे में जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से बार-बार घोषणाएं की जाती है।

बोगीबील पुल परियोजना

258. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने एन ई आर 1996 हेतु प्रधान मंत्री की विशेष पहल के अंतर्गत बोगीबील पुल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मानने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक एक राष्ट्रीय परियोजना माने जाने की संभावना है ताकि उसका निर्माण कार्य समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बोगीबील रेल-सह-सड़क प्रमुख परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित करने तथा सामान्य रेल योजना के अलावा अतिरिक्त धन प्रदान करने के बारे में सरकार द्वारा पहले विचार किया गया था और निदेश दिए गए थे कि विशेष प्रयोजन योजना के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसके लिए धन की व्यवस्था वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श करके विशेष प्रयोजन योजना (एस पी वी) के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। चूंकि परियोजना गैर-अर्थक्षम है, एस पी वी तंत्र के माध्यम से धन की व्यवस्था करना स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

छात्रवृत्ति राशि को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना

259. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई राशि का मूल्य सूचकांक से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार

260. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुणवत्ता में सुधार, क्रेडिट पैकेज और करों से छूट सहित इस उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इष्टतम लाभ प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उत्पाद का विपणन करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार लाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक सुधार किए गए हैं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है जिसे दिनांक 2.8.2006 को संसद द्वारा पारित किया गया और अधिनियम सं. 34/2006 के रूप में दिनांक 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र असाधरण, भाग-2 खंड-1 में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम का उदेद्श्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एकल खाद्य संविधि बनाना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के विचार से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार लाने, बैंक ऋण देने तथा कर छूटों के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास के लिए समर्थन हेतु सहायता अनुदान के रूप में विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता देना शामिल है। इस योजना स्कीम के तहत दी जाने वाली सहायता में विभिन्न संस्थानों में गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का संवर्धन, कोडेक्स सेल का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देना भी शामिल है।

ऋण की सुलभ उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में शामिल किया है। फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को उतपाद शुल्क के भुगतान से पहले ही छूट प्राप्त है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2004-05 में आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी है। डेरी प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर लगने वाले 16% के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा लिया गया है। मांस, पॉल्ट्री और मछली उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है।

खाद्य तेल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रैड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% किया गया है। बजट 2005-06 में परिष्कृत तेल पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 रुपये प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैनों पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है। बजट 2006-07 में सरकार ने कंडैन्स्ड मिल्क आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉल्ट्री से तैयार वस्तुओं, पैक्टिन, पास्ता और खमीर को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी है। पैक किए हुए खाने के लिए तैयार खाद्यों और इंस्टेंट फूड मिक्सेज जैसे डोसा और इडली मिक्स पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% किया गया है। वातित पेयों पर उत्पाद शुल्क को 24% से कम करके 16% किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि प्रसंस्करण बुनियादी विकास एवं बाजार विकास के लिए पुनर्वित्तपोषण ऋण देने के वास्ते 1000 करोड़ रुपये के कार्पस समेत एक पृथक खिड़की (विंडो) सृजित किया है।

नई विमान सेवाएं

261. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन शहरों में घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने का है जहां अभी तक विमान सेवाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किया गया समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के उदेद्श्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर है। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय देश में 73 गंतव्यों से/के लिए अनुसूचित हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं और एयरलाइनों द्वारा नए स्टेशनों का समावेश करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

ऐतिहासक स्मारकों के विकास और रख-रखाव हेतु राशि

262. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री रशीद मसूद:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को देश में ऐतिहासिक स्मारकों के विकास और रख-रखाव हेतु मामूली राशि मिलती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एएसआई को उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) विरासत स्थलों तथा स्मारकों के संरक्षण तथा जीर्णोद्धार कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

करोड़ रुपए में

वर्ष	संशोधित अनुमान
2003-2004	216.36
2004-2005	223.30
2005-2006	227.28

ग्यारहवीं योजना के लिए विचारार्थ अनुमानों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा के काम में लगी महिलाएं

263. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आज भी 10 लाख से अधिक महिलाएं सिर पर मैला ढोने का काम करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रथा को समाप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य को पाने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उक्त प्रथा के कब तक समाप्त होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सब्सिडी और ऋण प्रदान करके शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में बदलने की "एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना" नामक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मैनुअल स्कवेंजरों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण या रख रखाव प्रतिषेध है।

एलपीजी की कमी

264. **श्री पंकज चौधरी:**
योगी आदित्य नाथ:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद देश के कई भाग अभी भी एलपीजी की कमी का सामना कर रहे हैं और आगामी वर्षों में भी यह कमी जारी रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्य में एलपीजी की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने हेतु नई रिफाइनरियां स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नई रिफाइनरियां स्थापित करने के बाद एलपीजी के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) फिलहाल, देश में कुल मिलाकर एलपीजी की कोई कमी नहीं है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार देशी उत्पादन और आयातों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी आपूर्तियां की जाती हैं। तथापि, कुछ दक्षिण राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में रिफाइनरियों की गैर योजनाबद्ध बंदी, परिवहनकर्ताओं की हड़ताल, सड़कों की खस्ता हालत तथा मैंगलोर में हुए दंगों के कारण ओएमसीज ने 2 से 8 दिनों के बैकलॉग की जानकारी दी है। राज्य सरकारों से किसी प्रकार के एलपीजी संकट की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) सरकार ने ओएमसीज को परामर्श दिया है कि छुट्टी के दिनों तथा अधिक समय तक भरण संयंत्रों का प्रचालन करके इन राज्यों में बैकलॉग को समाप्त करें।

(घ) से (च) मौजूदा रिफाइनरियों के क्षमता विस्तार के अलावा, 11वीं योजना के दौरान बीना, भटिण्डा तथा पारादीप में तीन नई ग्रासरूट रिफाइनरियों की स्थापना क्रमश: भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) द्वारा की जा रही है, जिससे शोधन क्षमता में 30 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) तक वृद्धि हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर एलपीजी उत्पादन 7.717 मि.मी. टन से बढ़कर 11वीं योजना की समाप्ति पर 12.763 मि.मी. टन होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

हंसाबाद-बारासात के बीच क्रासिंग प्वाइंट का निर्माण

265. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हंसाबाद से सियालदह खंड तक की दूरी तय करने में लोकल गाड़ियों को काफी समय लगता है क्योंकि हंसाबाद-बारासात खंड के बीच कोई क्रासिंग प्वाइंट नहीं है;

(ख) क्या इस संबंध में पूर्वी रेलवे के प्राधिकारियों ने एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बारासात और हंसनाबाद खंड के बीच 4 क्रॉसिंग स्टेशन हैं जिनके नाम सोनडालिमा, हरूआ रोड, बसीरहाट और चम्पापुकूर हैं जिनके बीच की दूरी क्रमश: 12.12 किमी, 11.38 किमी. 12.26 किमी, 6.44 किमी और 10.10 किमी है और चालन समय 11 मिनट, 18 मिनट, 18 मिनट, 9 मिनट ओर 13 मिनट क्रमश: है।

(ख) जी, हां। खंड की क्षमता में वृद्धि हेतु रेलवे बोर्ड के प्रारंभिक निर्माण कार्यक्रम 2007-08 को ब्लॉक स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा प्रस्ताव दिया गया है।

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रेलभूमि पर अतिक्रमण

266. श्री वी.के. दुग्मर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण हो रहे घाटे का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा उस भूमि का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। गैर-कानूनी कब्जे वाली अपनी जमीन की रेलवे अभी भी स्वामी है। अत:, रेलों को कोई सीधी हानि नहीं हैं।

(ग) रेल सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुरूप अपनी भूमि को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। ऐसी भूमि को जब मुक्त कराया जाता है तो रेलवे या तो उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लीज/लाइसेंस पर उपयोग में लाती है।

[अनुवाद]

नए विमानपत्तन

267. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या के मदेद्नजर देश के विभिन्न भागों में नये विमानपत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नए विमानपत्तनों की स्थापना हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या रिलायंस ने अपने वृहत विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु देश के किसी भाग में कार्गो सुविधाओं सहित नए विमानपत्तनों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सरकार ने हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे तथा बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। गोवा पर एक नए हवाईअड्डे के लिए सिद्धांत रूप

में अनुमोदन भी दे दिया है। संबंधित राज्य सरकारों ने नवी मुम्बई, सिक्किम में पाकयोंग, नागालैण्ड में कोहिमा के समीप चीथू, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, केरल में कन्नूर, पंजाब में हलवारा तथा पुणे के समीप चक्कन (राजगुरुनगर) में हवाईअड्डों के प्रस्ताव दिए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रचालन में नहीं आ रहे विमान

268. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी से अक्टूबर, 2006 के बीच इंडियन एयरलाइन्स के बहुत से विमानों का प्रचालन नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विमानों को प्रचालन में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जनवरी, 2006 तथा अक्टूबर, 2006 के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए इंडियन एयरलाइन्स एवं एलाइंस एयर के पास मौजूद 74 विमानों के विमान बेड़े में से 16 विमानों को ग्राउंड में रखा गया था। इसके अलावा, 48 ए-320 विमानों के विमान बेड़े में से, सामान्यत: 6 विमानों को किसी भी समय अनुसूचित मुख्य रखरखाव के लिए ग्राउंड में रखा गया। इसकी तुलना में, 10 ए-320 विमानों को फिलहाल मुख्य रख-रखाव/इंजनों के अभाव तथा साथ ही अनुसूचित रख-रखाव के लिए ग्राउंड पर रखा गया है।

(ग) हालांकि विमानों की ग्राउंडिंग मुख्यत: इंजनों की कमी के कारण की गई थी, इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड अपने जेट इंजन ओवरहाल सेंटर में इंजनों के उत्पादन के आवर्धन, इंजन ओवरहॉल की आउटसोर्सिंग के माध्यम से इंजन की उपलब्धता को बढ़ाने के सभी संभव उपायों की प्रबलतापूर्वक खोज कर रही है तथा वह जनवरी/फरवरी, 2007 तक लीज पर 3 अल्पावधिक इंजनों को धारण करेगी।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

269. श्री एम. अप्पादुरईः
श्री एस.के. खारवेनथनः
श्री जोवाकिम बखलाः
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मीटर गेज और संकरी रेल लाइन की राज्य-वार और जोन-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बड़ी लाइन में बदली गई मीटर गेज (छोटी लाइन) और संकरी रेल लाइन की राज्य-वार और जोन-वार लंबाई कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ रेलवे द्वारा राज्य-वार और जोन-वार कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई;

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इन कार्यों में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 31.3.2006 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, देश में मीटर गेज और छोटी लाइन (मार्ग किमी) की राज्य-वार और जोन-वार लंबाई नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्यों के नाम	मार्ग किलोमीटर	
		मीटर लाइन	छोटी लाइन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	329	कुछ नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	कुछ नहीं
3.	असम	1057	कुछ नहीं
4.	बिहार	1099	कुछ नहीं
5.	छत्तीसगढ़	कुछ नहीं	89
6.	दिल्ली	22	कुछ नहीं

1	2	3	4
7.	गुजरात	1475	787
8.	हरियाणा	316	3
9.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	246
10.	कर्नाटक	398	कुछ नहीं
11.	केरल	117	कुछ नहीं
12.	मध्य प्रदेश	500	708
13.	महाराष्ट्र	429	733
14.	मणिपुर	1	कुछ नहीं
15.	मिजोरम	2	कुछ नहीं
16.	नागालैण्ड	2	कुछ नहीं
17.	उड़ीसा	कुछ नहीं	37
18.	पंजाब	कुछ नहीं	12
19.	राजस्थान	2201	87
20.	तमिलनाडु	1813	कुछ नहीं
21.	त्रिपुरा	64	कुछ नहीं
22.	उत्तर प्रदेश	1708	2
23.	उत्तरांचल	61	कुछ नहीं
24.	पश्चिम बंगाल	239	220
	जोड़	11834	2924

टिप्पणी: शेष राज्यों में कोई मीटर/छोटी रेल लाइन नहीं है।

रेलवे जोन	मार्ग किलोमीटर	
	मीटर लाइन	मीटर लाइन
1	2	3
मध्य	कुछ नहीं	573
पूर्व	कुछ नहीं	133
पूर्व मध्य	722	कुछ नहीं
पूर्व तट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उत्तर	88	261
उत्तर मध्य	46	288
पूर्वोत्तर	1854	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	1612	87
उत्तर पश्चिम	2510	कुछ नहीं
दक्षिण	1929	कुछ नहीं
दक्षिण मध्य	829	कुछ नहीं
दक्षिण पूर्व	कुछ नहीं	37
दक्षिण पूर्व मध्य	कुछ नहीं	758
दक्षिण पश्चिम	398	कुछ नहीं
पश्चिम	1846	787
पश्चिम मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जोड़	11834	2924

(ख) पिछले तीन वर्षों के अंतर्गत राज्य-वार और जोन-वार रेलवे लाइन की लंबाई संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार रेलों द्वारा खर्च की गई निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। व्यय के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति की जा रही है।

(ङ) चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु अनेक पहल की गयी है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों में पूरे किये गये आमान परिवर्तन (मीटर लाइन/छोटी लाइन से बड़ी लाइन में) का राज्य-वार और रेलवे-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30	163	14
2.	असम और पूर्वोत्तर राज्य	कुछ नहीं	61	कुछ नहीं
3.	बिहार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	85
4.	दिल्ली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25
5.	गुजरात	152	92	248
6.	हरियाणा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	58
7.	झारखंड	कुछ नहीं	67	कुछ नहीं
8.	कर्नाटक	57	45	44
9.	मध्य प्रदेश	कुछ नहीं	28	कुछ नहीं
10.	महाराष्ट्र	कुछ नहीं	20	कुछ नहीं
11.	उड़ीसा	कुछ नहीं	52	कुछ नहीं
12.	राजस्थान	241	131	कुछ नहीं
13.	तमिलनाडु	176	48	86
14.	उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	30	137
15.	पश्चिम बंगाल	198	42	47
	जोड़	854	779	744
	रेलवे			
1.	मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पूर्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	पूर्व मध्य	कुछ नहीं	52	51
4.	पूर्व तट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	उत्तर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	83
6.	उत्तर मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

1	2	3	4	5
7.	पूर्वोत्तर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	165
8.	पूर्वोत्तर सीमा	198	61	53
9.	उत्तर पश्चिम	241	161	कुछ नहीं
10.	दक्षिण	176	48	86
11.	दक्षिण मध्य	30	163	14
12.	दक्षिण पूर्व	कुछ नहीं	109	कुछ नहीं
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	कुछ नहीं	48	कुछ नहीं
14.	दक्षिण पश्चिम	57	45	44
15.	पश्चिम	152	92	248
16.	पश्चिम मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	जोड़	854	779	744

विवरण II

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आमान परिवर्तन पर आबंटित रेलवे-वार निधि और किया गया व्यय

(करोड़ रुपए में)

रेलवे	2003-04		2004-05		2005-06	
	संशोधित आकलन (कुल)	व्यय (कुल)	संशोधित आकलन (कुल)	व्यय (कुल)	संशोधित आकलन (कुल)	व्यय (कुल)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	18.75	21.64	25.00	28.46	35.00	36.89
पूर्व	–	–	–	–	–	–
पूर्व मध्य	28.78	38.77	57.12	72.15	95.01	99.47
पूर्व तट	12.00	12.38	13.00	12.82	9.00	7.42
उत्तर	–	(-)0.93	–	–	–	–
उत्तर मध्य	–	–	0.01	–	0.01	–
पूर्वोत्तर	61.23	68.61	64.00	93.06	133.47	133.09

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर सीमा	268.69	334.34	199.00	254.44	360.27	347.49
उत्तर पश्चिम	106.53	113.69	145.00	154.04	111.59	116.82
दक्षिण	140.52	175.61	154.69	142.74	171.81	208.46
दक्षिण मध्य	131.18	133.46	160.00	166.82	214.08	219.13
दक्षिण पूर्व	53.11	45.20	78.04	83.22	51.00	51.63
दक्षिण पूर्व मध्य	34.69	36.31	38.07	38.28	23.80	20.73
दक्षिण पश्चिम	66.01	73.27	56.79	57.13	34.11	36.73
पश्चिम	171.93	165.21	128.52	80.06	43.52	45.74
पश्चिम मध्य	1.00	–	–	–	–	–
कुल जोड़	1094.42	1217.56	1117.24	1183.22	1282.67	1323.60

रेल पुलों और रेललाइनों की मरम्मत

270. **श्री अनंत नायक:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दिनों हुई वर्षा और आई बाढ़ों के कारण बड़ी संख्या में रेल पुल और रेल लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्षतिग्रस्त ऐसे रेलपुलों/रेललाइनों का राज्य-वार और जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे को इसके कारण कितनी अनुमानित क्षति हुई है; और

(घ) इन क्षतिग्रस्त रेलपुलों/रेललाइनों की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। पिछली वर्षा और बाढ़ के दौरान कुछ क्षेत्रीय रेलों पर कुछ रेलवे पुलों और रेल पथों को नुकसान हुआ है। नुकसान, गिट्टी के बहने और तटबंधों के उठाने, विभिन्न प्रभावित खंडों के बहने और कुछ पुलों को आंशिक नुकसान के रूप में हुआ है।

(ख) पुल/रेल पथ का विवरण रेलवे-वार रखा जाता है और न कि राज्य-वार, पूर्व तट रेलवे पर लगभग 90 स्थानों पर बड़े-बड़े पत्थरों को गिरने, भूमि के खिसकने और पुल के तटबंधों के खिसकने की घटनाएं हुई जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को भी सेवित करता है। हाल की वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सभी पुलों/रेल पथों की मरम्मत पहले ही कर दी गई है और रेल यातायात हेतु ठीक कर दिये गये हैं।

(ग) प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, पिछली वर्षा और बाढ़ के कारण रेलवे को सभी रेलों पर लगभग 35 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(घ) जब कभी वर्षा और बाढ़ के कारण यातायात बाधित हुआ और रेल संपत्ति को नुकसान हुआ था तो रेल सेवाओं की पुन: बहाली और मरम्मत और संपत्ति की क्षति के पुनर्स्थापन के लिए रेलों द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई थी। सर्वप्रथम यातायात बहाली के लिए आवश्यक जनशक्ति, मशीनों और अन्य संसाधनों को जुटाया गया था और कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया था। प्रत्येक क्षेत्रीय रेल इस प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए नामित स्थानों पर बोल्डर्स, रेत, गन्नी बैग, रेल की पटरियां, स्लीपर्स और अस्थायी स्पैन्स का भंडार बनाये रखेंगी।

भिरगुंडी से भुवनेश्वर तक रेललाइन का दोहरीकरण

271. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निरगुंदी से भुवनेश्वर के बीच रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य काफी धीमी गति से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) नेरगुण्डी और भुवनेश्वर के बीच, नेरगुण्डी और कटक के बीच (महानदी पर पुल के दूसरे खंड को छोड़कर) और बारंग और भुवनेश्वर के बीच पहले ही दोहरीकरण हो चुका है। महानदी पर दूसरे पुल का निर्माण और कटक से बारंग तक लाइन के दोहरीकरण का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) द्वारा तेजी से पूरा करने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। इन दो कार्यों की संतोषजनक प्रगति के लिए रेल विकास निधि लिमिटेड के पास आवश्यक निधियां पहले ही उपलब्ध हैं। कटक-आरंग दोहरीकरण परियोजना को एशियन विकास बैंक (एडीबी) से आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है। एडीबी प्रक्रिया के अनुसार निविदाओं को अंतिम रूप देने में समय लगा। बड़े पुलों, सड़क की सतह, रेलपथ और शिरोपरि विद्युतीकरण संबंधी कार्यों के ठेके दे दिए गए हैं। क्वाखाई पुल की उपसंरचना पूरी हो गई है। कार्यक्रम के अनुसार महानदी के दूसरे पुल का कार्य हो रहा है। दोनों कार्यों के 2008-09 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

इंजिनों/रेलडिब्बों की सुरक्षा

272. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से रेललाइनों पर कितने रेल इंजिन/रेलडिब्बे उपेक्षित पड़े हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे इंजिनों और रेलडिब्बों के पार्ट-पुर्जे उन रेल अधिकारियों द्वारा चुराकर बेच दिए जाते हैं जिनकी कबाड़ डीलरों के साथ सांठगांठ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे रेल इंजिनों/रेललाइनों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न स्थानों पर उपेक्षित पड़े ऐसे रेल इंजिनों/रेलडिब्बों की अनुमानित कीमत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेलों पर नकारा पड़ा कोई इंजन और कोच नहीं है। बहरहाल, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त पांच इंजनों और चौदह डिब्बों का निपटान किया जाना शेष है।

(ख) जी, नहीं। ऐसे मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन इंजनों और डिब्बों की अनुमानित लागत लगभग 87 लाख है।

सरकारी और निजी विमान कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी

273. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री शिशुपाल पटले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमान सेवाओं में सरकारी और निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों की बढ़ती हिस्सेदारी का कोई तुलनात्मक आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान निजी विमान कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है; और

(ङ) बाजार में सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सभी अनुसूचित निजी एयरलाइनों तथा इंडियन एयरलाइन्स के बाजार अंश निम्नानुसार हैं:-

महीना	बाजार अंश (%)	
	इंडियन एयरलाइन्स	अनुसूचित निजी एयरलाइनें
जनवरी, 2006	25.0	75.0
फरवरी, 2006	23.7	76.3
मार्च, 2006	23.2	76.8
अप्रैल, 2006	23.5	76.5
मई, 2006	21.6	78.4
जून, 2006	20.8	79.2

(ङ) अनेक नई निजी अनुसूचित यात्री एयरलाइनों के आने तथा मौजूदा एयरलाइनों के साथ-साथ नई अनुसूचित यात्री एयरलाइनों द्वारा विमान क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि किए जाने से भी इंडियन एयरलाइन्स के बाजार अंश में कमी आई है। बाजार अंश में आई इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स 43 नए विमानों को खरीदा है तथा विमानों को लीज पर लेकर अपनी क्षमता बढ़ा रही है। साथ-साथ, इंडियन एयरलाइन्स बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने अभिनय एवं छवि को लगातार बनाए रखने का प्रयास करती है। इस संबंध में लिए गए कुछ मूल्यांकन बाजार नेतत्व, उत्पादन एवं सेवा अपग्रेड करना, उड़ानगत नेतत्व, विमान बेड़े का आवर्धन/नवीकरण केबिन परिवेश में सुधार तथा कारपोरेट की विशिष्टता की रिब्राडिंग हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने मार्गों पर यातायात को सुधारने के लिए विभिन्न संवर्धन किराए/योजनाएं भी प्रारंभ की हैं।

[अनुवाद]

रक्षा खरीद नियमावली और प्रक्रिया

274. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नयी रक्षा खरीद नियमावली और रक्षा खरीद प्रक्रिया की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन नए उपायों से रक्षा सौदों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में किस हद तक सहायता मिलेगी;

(घ) क्या विदेशी कंपनियों के लिए रक्षा सौदों की 30 प्रतिशत राशि भारत में निवेश करना अनिवार्य है;

(ङ) यदि हां, तो उन आर्थिक जोनों का ब्यौरा क्या है जहां इसे निवेश किया जा सकेगा तथा संबंधित शर्तें क्या होंगी;

(च) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग हेतु लागत और भुगतान के संबंध में समान अवसर मुहैया कराने पर विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) (क) से (छ) रक्षा अधिप्राप्ति मैन्युअल (डी पी एम-2008) और रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी-2006) 1 सितंबर, 2006 से प्रख्यापित हुए हैं।

डी पी पी 2006 के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई सभी पूंजीगत अधिप्राप्तियां (चिकित्सा उपस्कर को छोड़कर) आती हैं। इसमें ''बनाओ (मेक)'' श्रेणी के लिए एक नई प्रक्रिया, स्वदेशी नौसेना पोत निर्माण के लिए एक परिशोधित प्रक्रिया और एक द्रुतगामी प्रक्रिया शामिल है।

डी पी एम-2006 के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय की राजस्व-अधिप्राप्तियां आती हैं।

डी पी पी-2006 की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) बड़े निर्णय, सामूहिक (कॉलेजिएट) तरीके से लिए जा रहे हैं।

(2) 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी संविदाओं के लिए सरकारी विभाग और बोलीदाता के बीच एक 'सत्यनिष्ठा समझौता'।

(3) फील्ड परीक्षण करने में और अधिक पारदर्शिता।

(4) विक्रेताओं के साथ बोली-पूर्व बैठकें।

(5) सेनाओं की जेनेरिक आवश्यकताओं को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना।

(6) इटरनेट के जरिए विक्रेता का पंजीयन करना।

(7) मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ ई एम) या प्राधिकृत विक्रेताओं या सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों के साथ सीधे कारबार करना (ऐसे देशों के मामले में लागू जहां के घरेलू कानून मूल उपस्कर विनिर्माताओं को सीधे निर्यात की अनुमति नहीं देते)।

(8) सरकार ने कोई संविदा प्राप्त करने के लिए विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाना।

(9) विक्रेता को संविदा प्रदान करने की सिफारिश करने हेतु किसी व्यक्ति अथवा फर्म की नियुक्ति करने और ऐसी किसी सिफारिश के लिए धनराशि का भुगतान किए जाने पर रोक लगाना।

डी पी एम-2006 की प्रमुख विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, सत्यनिष्ठा समझौता, तकनीकी विनिर्दिष्टयों के निर्धारण के लिए बोली-पूर्व परामर्श और टेंडर/संविदाएं प्रदान करने के ब्यौरे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना शामिल है।

डी पी पी-2006 और डी पी एम-2006 दोनों ही रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं (डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू.मॉड.निक.इन)।

डी पी पी-2006 के अनुसार 300 करोड़ रुपए से अधिक की सांकेतिक लागत वाले ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए क्षतिपूर्ति (आफ सेट) का प्रावधान लागू है जहां विदेशी/भारतीय विक्रेताओं से सीधी खरीद और विदेशी विक्रेता से खरीद के पश्चात लाइसेंसशुदा उत्पादन अंतर्ग्रस्त है। क्षतिपूर्ति संबंधी इन दायित्वों का निर्वाह, भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों और संघटकों अथवा उनके द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं की सीधी खरीद द्वारा अथवा निर्यात आर्डर पूरे करके सीधे ही किया जाएगा। क्षतिपूर्ति संबंधी ये दायित्व भारतीय रक्षा उद्योगों अथवा रक्षा अनुसंधान तथा विकास कार्यों में लगे भारतीय संगठनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी पूरे किए जा सकते हैं।

क्षतिपूर्ति संबंधी ये उपबंध केवल भारतीय रक्षा उद्योग के लिए ही लागू हैं और ये किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं।

निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों को शामिल करते हुए डी पी पी-2006 में भारतीय उद्योग के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित किया गया है ताकि एल 1 विक्रेता निर्धारण में बोली का मूल्यांकन करते समय कर ढांचे में कोई परिवर्तन किए बिना भारतीय उद्योग द्वारा देय करों व शुल्कों के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके:

(1) विदेशी आपूर्तिकर्ता के मामले में उद्धृत बुनियादी लागत, विभिन्न टेंडरों की तुलना करने के लिए आधार होनी चाहिए।

(2) स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के मामले में पूर्णत: तैयार उपस्कर पर उत्पाद शुल्क हटा दिया जाएगा।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/आयुध निर्माणियों सहित स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के मामले में बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय करों अर्थात चुंगी, प्रवेश शुल्क इत्यादि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(4) घरेलू निजी आपूर्तिकर्त्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/आयुध निर्माणियों और विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए एक समान भुगतान शर्तें होनी चाहिए।

[हिन्दी]

ठेकेदारों के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले

275. श्री सूरज सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) के बड़े ठेकेदारों के विरुद्ध अनियमितताओं के अनेक मामले सतर्कता विभाग के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आई.आर.सी.टी.सी. के उन बड़े सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पांच या उससे अधिक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों हेतु खानपान और बिस्तर का कार्य आबंटित किया गया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.आर.सी.टी.सी. के ठेकेदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन के बड़े ठेकेदारों के खिलाफ संविदाएं देने में अधिक प्रभार और अनियमितताओं के 13 मामलों की तफ्तीश भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम तथा क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जा रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के ठेकेदारों के खिलाफ ठेके देने में अधिक प्रभार, अनियमितताएं तथा अवमानक भोज्य पदार्थ मुहैया कराने की 48 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें सतर्कता तथा गैर-सतर्कता, दोनों किस्म की शिकायतें शामिल थीं। दो ठेकेदारों के खिलाफ दंड लगाया गया तथा चार मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

विवरण

(ग) कोई भी लाइसेंसधारी 5 या इससे अधिक गाड़ियों में बिस्तर इत्यादि नहीं मुहैया करा रहा है।

क्र.सं.	05 या इससे अधिक गाड़ियों में खानपान सेवाएं मुहैया कराने वाले लाइसेंसधारियों के नाम
1	2
1.	मैसर्स आर.सी. गोयल
2.	मैसर्स अंबूज होटल्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लि.
3.	मैसर्स अरेनको केटरिंग
4.	मैसर्स रूप केटरर्स
5.	मैसर्स भारत केटरिंग कापोरेरेशन
6.	मैसर्स बून केटरिंग कं. (पी) फाई
7.	मैसर्स सी.के.के. केटरिंग सेवाएं
8.	मैसर्स दून्स केटरर्स
9.	मैसर्स आर.के. अग्रवाल
10.	मैसर्स फूड वर्ल्ड
11.	मैसर्स हाकमी चंद एंड सन्स
12.	मैसर्स के.एम.ए. केटरर्स
13.	मैसर्स महेश एच केटरर्स
14.	मैसर्स आवर्स आर्या भवन
15.	मैसर्स पी.के. शेफी
16.	मैसर्स पूर्वांचल केटरर्स
17.	मैसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज

[अनुवाद]

स्टेशनों पर कृषि उत्पादों हेतु खुदरा बिक्री केन्द्र

276. श्री रूपचन्द्र मुर्मू:
श्री एस.के. खारवेलथन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पादों हेतु खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दूध, फूल, सब्जी और अन्य उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन स्टेशनों को ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने हेतु चुना गया है तथा इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(च) यात्रियों को इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) परिवहन के एकीकरण के साथ-साथ कृषि उत्पादों के संग्रहण और वितरण केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति पर तेजी से विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त नीति के ढांचे के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए कार्यपालन निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है। इस नीति से किसानों के साथ-साथ सामान्य अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

घाटे में चल रहे भारी उद्योग

277. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घाटे में चल रहे भारी उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे भारी उद्योगों को घाटे से उबारने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) 'हेवी' के रूप में उद्योग का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, जहां तक भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 21 उपक्रमों ने हानि उठायी है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों के पुनरूद्धार/पुनर्संरचना की प्रक्रिया आरंभ की गई है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार तथा भविष्य के संबंध में सिफारिशें कर रहा है। अभी तक सरकार ने लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रमों के मामले में पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेजों के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया है।

विवरण

राज्यों के नाम	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
1	2
पश्चिम बंगाल	1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)
	2. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बसीएसीएल)
	3. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)
	4. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
आंध्र प्रदेश	1. भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)
	2. प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)
	3. एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड
तमिलनाडु	1. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)
कर्नाटक	1. एचएमटी (एमटी) लिमिटेड
	2. एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड
	3. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
नई दिल्ली	1. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)
बिहार	1. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल)
झारखंड	1. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

1	2
राजस्थान	1. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)
	2. सांभर साल्ट्स लि. (एसएसएल)
	3. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)
मध्य प्रदेश	1. नेपा लिमिटेड
महाराष्ट्र	1. रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड (आर एंड सी)
उत्तर प्रदेश	1. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल)
जम्मू एवं कश्मीर	1. एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड

राष्ट्रीय मांस बोर्ड

[हिन्दी]

278. श्री एम. शिवन्ना: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मांस प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मांस बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) सरकार ग्यारहवीं योजना के दौरान वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहनों के जरिए विभिन्न योजना स्कीमों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और अन्य संबंधित कार्यकलापों की स्थापना का संवर्धन करेगी। ग्यारहवीं योजना के लिए निवेश संबंधी प्रस्तावों को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) देश में मांस और पॉल्ट्री क्षेत्र की और वृद्धि तथा संवर्धन पर निगरानी रखने के लिए एक राष्ट्रीय मांस बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसे मांस और पॉल्ट्री क्षेत्र में संकेन्द्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता को महसूस करने के कारण आवश्यक समझा गया है। प्रस्तावित बोर्ड अन्यों के साथ (1) इस क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए नीति निर्धारित करने (2) स्वच्छता और गुणवत्ता के मानक तैयार करने (3) अनुसंधान और विकास को समर्थन देने और (4) क्षमता निर्माण प्रयास आयोजित करने का कार्य करेगा।

पर्यटन पर बीमारियों का प्रभाव

279. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में डेंगू और चिकुनगुनिया के फैल जाने से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पूर्वोपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटक आगमन आंकड़े डेंगू तथा चिकुनगुनिया का कोई प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। मई से अक्टूबर के संगत महीनों के लिए आगमन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

मांस	2005	2006	प्रतिशत बदलाव
मई	229172	262860	+ 14.7
जून	258822	286257	+ 10.6
जुलाई	292345	331227	+ 13.3
अगस्त	270779	299211	+ 10.5
सितम्बर	252625	276118	+ 9.3
अक्टूबर	347757	394009	+ 13.3

(ख) किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव का प्रतिकार करने के उदेद्श्य से मंत्रालय ने इस स्थिति पर विदेश स्थिति अपने सभी कार्यालयों को उपयुक्त निर्देश दिए हैं और उन्हें सलाह दी है कि वो संबंधित एजेंसियों तथा विवेकपूर्ण पर्यटकों के साथ संपर्क बनाए रखें और आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय के शासकीय वेबसाइट पर भी उपयुक्त जानकारी दी गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री/सेवा दक्षता

280. श्री रघुनाथ झा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बिक्री/सेवा लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बिक्री/सेवा हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए बिक्री/सेवाओं सहित निष्पादन मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कुल बिक्री/सेवा सम्बन्धी आंकड़े (निम्न तालिका) यह दर्शाते हैं कि विगत 3 वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यमों की संख्या	बिक्री/सेवा लक्ष्य (जोड़)	वास्तविक उपलब्धियां (जोड़)
2003-04	43	80849	67362
2004-05	83	539325	622421
2005-06 (अनंतिम)	83	1351155	1602485

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धनों द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(1) समझौता ज्ञापन प्रणाली को और मजबूत बनाना।

(2) प्रशासनिक मंत्रालयों तथा अंतर-मंत्रालयी समिति, शीर्ष समिति द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा।

(3) सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों/मिनीरत्न उद्यमों व लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(4) निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण।

(5) प्रशिक्षण व मानव संसाधन विकास।

(6) उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण।

(7) प्रौद्योगिकी समुन्नयन, अनुसंधान एवं विकास।

(8) बेहतर मालसूची नियंत्रण।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जारी लाइसेंस

281. श्री सुव्रत बोस:
श्री हितेन बर्मन:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) उन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) सेक्टोरल नियमों/विनियमों की शर्त के अधीन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वत: अनुमोदन की अनुमति है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस/औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पावती से संबंधित कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2006 तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत

40258 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 3417 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किए गए हैं और 2299 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 89 आशय पत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। वर्ष 2006-07 (सितम्बर, 2006 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमत

282. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त 2006 से अक्टूबर 2006 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमतों में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है तथा उपर्युक्त दो महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस का अलग-अलग न्यूनतम मूल्य कितना रहा;

(ग) क्या उपर्युक्त गिरावट के परिणामस्वरूप संबंधित लाभ भारतीय आम उपभोक्ताओं तक पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपर्युक्त गिरावट की वजह से उपभोक्ताओं की जगह स्वयं लाभ उठाने वाले व्यक्तियों/फर्मों के नाम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगस्त 2006 से अक्टूबर 2006 तक एलपीजी का मासिक मूल्य (सऊदी अरामको संविदा मूल्य) निम्न तालिका में दिया गया है:

माह	अमेरिकी डालर/टन
अगस्त, 06	547
सितंबर, 06	541
अक्टूबर, 06	483

(ब्यूटेन तथा प्रोपेन के संबंध में 60:40 के अनुपात में सऊदी अरामको संविदा मूल्य की दर पर आधारित)

(ग) और (घ) घरेलू एलपीजी का वर्तमान मूलय 269 डालर/मी. टन के अनुरूप है जबकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में प्रचलित दर 460 डालर/मी. टन है। घरेलू एलपीजी के संबंध में नवंबर, 2006 के लिए अनुमानित अल्प वसूली 790 करोड़ रुपए रही है।

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) काल के बाद, सरकार द्वारा राजकोषीय बजट से घरेलू एलपीजी पर आंशिक राजसहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भी घरेलू एलपीजी विपणन में भारी अल्प-वसूलियां हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद, जिसमें एलपीजी शामिल है, घरेलू एलपीजी के बुनियादी बिक्री मूल्यों में 5.11.2004 से कोई संशोधन नहीं किया गया है। सरकार ने 1.3.05 से घरेलू एलपीजी पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया है। इसके अलावा, वर्ष 2006-07 के पिछले संघीय बजट में, घरेलू एलपीजी को ''घोषित माल'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला बिक्री कर 4% तक स्थिर हो जाए। ये सभी कदम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू एलपीजी के विपणन में नुकसानों/अल्प-वसूलियों को कम करने के उदेद्श्य से उठाए गए हैं।

कच्चे तेल का आयात

283. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का महीनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान कच्चे तेल का कुल कितना आयात किया गया;

(ग) क्या देश का तेल आयात व्यय पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष कई गुना बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा तेल आयात व्यय को कम करने की नीति व प्रयास निष्प्रभावी रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस मद में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार (भारतीय बास्केट) में कच्चे तेल के माहवार औसत मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है:

माह	अमरीकी डालर/बीबीएल
मई	67.33
जून	66.75
जुलाई	71.29
अगस्त	70.87
सितंबर	60.94
अक्टूबर	57.26

(ख) पिछले छः माह के दौरान कच्चे तेल का कुल आयात 53.65 एमएमटी (अनंतिम) था।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) जी नहीं। निवल तेल आयात बिल पर नियंत्रण रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को अधिकतम करने के प्रयास किए गए थे। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यात वर्ष 2003-04 की तुलना में मात्रा के रूप में 48% तथा मूल्य के रूप में 200% बढ़ गए, जिसके परिणामस्वरूप निवल तेल आय बिल में तदनुरूपी कमी आई।

घरेलू तेल तथा गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण गतिविधियों को भरपूर गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में बढ़ोत्तरी: एनईएलपी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से राष्ट्रीय तेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को 110 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए। इनमें एनईएलपी के पांचवें दौर में प्रदान किए गए 20 अन्वेषण ब्लाक शामिल हैं। अन्य 55 ब्लाक अब एनईएलपी-6 के तहत प्रस्तावित किए गए हैं,

(2) विशेष रूप से वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) के कार्यान्वयन के द्वारा विद्यमान प्रमुख स्थलों से वसूली घटक में सुधार करना। आयात एंड नेचुरल गैस कापोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 10,972 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस प्रयोजन के लिए 15 स्थल हाथ में लिए हैं, जो इन स्थलों से तेल उत्पादन में तीव्रता लाने में भी सहायक होगा;

(3) नए क्षेत्रों की खोज करना, विशेष तौर पर गहरे समुद्र तथा कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में, और पहले से उत्पादन कर रहे स्थलों की गहरी परतों में भी,

(4) उत्पादनरत क्षेत्रों में नए खोजे गए स्थलों का तीव्रता से विकास तथा भूकंपनीय सर्वेक्षण, वर्कओवर तथा उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना,

(5) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण हेतु हाल के तीसरे दौर की 10 संविदाओं सहित, अब तक 26 संविदाओं पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं,

(6) इक्विटी अथवा भागीदारी हित के माध्यम से विदेश में तेल व गैस भंडारों का अधिग्रहण करना, तथा

(7) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाईसेंसमुक्त करते हुए, देश में घरेलू रिफाइनरियों सहित अधिक पेट्रोलियम संरचनाएं स्थापित की गई हैं।

[अनुवाद]

विमान कंपनियों के विस्तार पर रोक

284. श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई विमान कंपनियों हेतु अनुमति वापस ले रही है तथा वर्तमान प्रचालनरत कंपनियों के बेड़ा विस्तार पर रोक लगा रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतिबंध को किस अवधि तक लगाया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, नहीं। मौजूद अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों द्वारा बेड़ा विस्तार किए जाने पर कोई रोक नहीं है। सरकार ने

चालू वर्ष के दौरान एक अनुसूचित एयरलाइन प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रामणपत्र जारी किया है। अन्य आवेदनों की जांच की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का संशोधन

285. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
डा. के.एस. मनोज:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ/हानि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में पुन: संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल में किए गए संशोधन की वजह से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भारी बोझ की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) का अप्रैल-सितंबर, 2006 के लिए कर पश्चात लाभ नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	योग
4831*	832**	614	(625)	5652

*ओएनजीसी के शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालीन लाभ से हुए 3225 करोड़ रुपए के लाभ सहित।

**के.आर.एल. के साथ विलय के पश्चात

ओएमसीज के लाभ/(घाटे) तेल ब्राण्डों के रूप में दिए गए बड़े बाह्य सहयोग (14,150 करोड़ रुपए), अपस्ट्रीम कंपनियों से योगदान (12,000 करोड़ रुपए) तथा शेयरों की बिक्री से हुए लाभ (3225 करोड़ रुपए) के कारण हैं जिसके बिना उन सभी को बड़ी मात्रा में घाटे हुए होते।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों ने जुलाई 2006 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में एक और संशोधन की मांग की थी जब भारतीय कच्चे तेल बास्केट ने 70.69 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल को छुआ था। तथापि, सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 56-58 अमरीकी डालर प्रति बीबीएल के वर्तमान मूल्य पर, ओएमसीज को डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर अब भी अल्प-वसूली हो रही है।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार ने उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

* मार्च, 2002 से पीडीएस मिट्टी तेल के तथा नवंबर, 2004 से घरेलू एलपीजी के मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

* सरकार ने 6.6.2006 को पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमश: 4 रुपए प्रति लीटर तथा 2 रुपए प्रति लीटर (दिल्ली में हुई मूल्य वृद्धि) के एक मध्यम आकार के ऊर्ध्वमुखी संशोधन की अनुमति प्रदान की है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई गतिविधि ने और ऊंची बढ़ोत्तरी के संकेत दिए हैं। मूल्य में बढ़ोत्तरी के समय, जून 2006 में हुई मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 के लिए प्रक्षेपित कुल भार के केवल 13% को उपभोक्ताओं पर डाला गया।

* सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण को व्यापार समता आधार पर परिवर्तित किया है, जो 80:20 के अनुपात में आयात समता तथा निर्यात समता के औसत पर भारित होगा। व्यापार समता मूल्य-निर्धारण सिद्धांत, रिफाइनरी गेट मूल्य के साथ-साथ खुदरा मूल्य के निर्धारण के लिए लागू होगा।

* कई राज्य सरकारों ने 6 जून 2006 से हुई मूल्य वृद्धि के भार को सहज बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर घटा दिया है। घरेलू एलपीजी को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत "घोषित माल" का स्थान दिया गया है और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 19.4.06 से इस पर अधिकतम बिक्री कर/वैट की दर 4% है।

गैर-महानगरीय विमानपत्तनों पर ए.टी.एफ.

286. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनी को देश के 25 गैर-महानगरीय विमानपत्तनों पर एविएशन टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) बेचने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कदम ए.टी.एफ. की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा लाने हेतु उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ए.टी.एफ. दर सस्ती होने का फायदा कम किराये के रूप में उपभोक्ता को मिले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के विपणन की अनुमति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) पात्र तेल कंपनियों को विभिन्न एयरलाइनों/विमानों को एटीएफ बेचने के लिए विमानन ईंधन स्टेशन के निर्माण हेतु सिर्फ भूमि का आबंटन करता है।

एक निजी सेक्टर की कंपनी, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा एटीएफ के विपणन के लिए अनुमति प्राप्त कंपनियों में से एक थी, को कोडल प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए 25 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों पर भूमि आबंटित की गई है।

(ख) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को 25 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों, यथा अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, रांची, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, अगरतला, औरंगाबाद, बेलगाम, भावनगर, दीमापुर, गया, इम्फाल, जबलपुर, जूहू, कांडला, मदुरै, पोरबंदर तथा रायपुर में भूमि आबंटित की गई है।

(ग) और (घ) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने अभी इन हवाईअड्डों पर एयरलाइनों को एटीएफ प्रदान करना आरंभ नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा

287. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए नए नियमों एवं मानकों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे वर्तमान नियमों एवं मानकों से किस प्रकार भिन्न हैं;

(ग) क्या नए नियमों के अनुरूप न पाए जाने वाले नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपना दर्जा खो बैठेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) नवरत्न दर्जा प्रदान करने/वापस लेने का निर्णय शीर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है। शीर्ष समिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के कार्यनिष्पादन की व्यापक समीक्षा करती है और ऐसी समीक्षा के लिए मानदण्ड तथा नवरत्न दर्जा प्रदान करने/वापस लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

अनुदेशकों की कमी

288. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान चालक को प्रशिक्षित करने के लिए अनुदेशकों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) विमानन उद्योग में हाल ही में आई तेजी के कारण, एयरलाइन प्रचालकों द्वारा व्यावसायिक पायलटों को भारी पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसके कारण अधिकांश पायलट प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के बजाए इन एयरलाइनों में काम करना अधिक पसंद करते हैं। इससे देश के उड़ान क्लबों में उड़ान प्रशिक्षकों की कमी होती दिखाई देती है।

(ग) प्रमुख उड़ान प्रशिक्षक (सी एफ आई)/पायलट प्रशिक्षक प्रभारी (पी आई आई) के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं में सुधार किया गया ताकि देश के अनुभवी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सिविल एवं डिफेंस पायटल भी सी एफ आई/पी आई आई के रूप में

कार्यभार संभाल सकें। सी एफ आई/पी आई आई के रूप में कार्य करने के योग्य बनने के लिए जो पायलट नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आयोजित निर्धारित परीक्षा पास कर लेते हैं। उन पायलटों में विदेशी लाइसेंस वैधता भी प्रचालन में है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों का मूल्यांकन

289. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी उपक्रमों के मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र है;

(ख) क्या उक्त तंत्र विद्यमान बाजार भाव पर मूल्यांकन करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में नई तकनीक अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मूल्यांकन के तंत्र हैं, इनमें (1) सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा त्रैमासिक समीक्षा, (2) समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा, (3) नवरत्न व मिनीरत्न श्रेणी के उद्यमों के मामले में क्रमश: शीर्ष समिति तथा अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा समीक्षा आदि शामिल हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

केरल में रेल लाइनों का दोहरीकरण

290. **श्री पी.सी. थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोट्टयम और अल्पुजा से होकर जाने वाली कायमकुलम और एर्नाकुलम रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेल लाइनों के उन भागों का ब्यौरा क्या है जहां दोहरीकरण की अभी व्यवस्था की जानी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) कोटायम मार्ग पर त्रिपुनितुरा के रास्ते एर्णाकुलम-मुलनतुरूति (17.37 किमी.), मुलनतुरूति-कुरुपंतारा (24 किमी.), कायनकुलम-मवेलीकारा (7.89 किमी), मवेलीकारा-चेंगानूर (12.30 किमी) तथा चेंगानूर-चिंगावनम (26.5 किमी) तथा एलेप्पी मार्ग पर कायनकुलम-चेप्पड़ (7.76 किमी) तथा चेप्पड़-हरीपद (5.28 किमी) पर कहीं-कहीं दोहरीकरण कर कार्य शुरू किया गया है।

(ग) फिलहाल, कोटायम/एलेप्पी के रास्ते दोनों मार्ग इकहरी लाइनें हैं।

(घ) चालू दोहरी लाइनों का निर्माण कार्य अगले 2-3 वर्षों के दौरान पूरा किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नवी मुम्बई में विमानपत्तन

291. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री मोहन रावले:

क्या नागर विमानन मंत्री नवी मुम्बई में विमानपत्तन के बारे में दिनांक 17 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) ने नवी मुम्बई में विमानपत्तन स्थापित करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई सी ए ओ) द्वारा किए गए सिमुलेशन अध्ययन की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ए ए आई द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सिमुलेशन अध्ययन से इंगित होता है कि मुम्बई के मौजूदा हवाई अड्डे तथा नवी मुम्बई के प्रस्तावित हवाई अड्डे से विमानों के साथ-साथ प्रचालन व्यवहार्य है।

(ग) यह रिपोर्ट महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम को भेज दी गई है। उनसे इस प्रस्ताव के वित्तीय पहलू के बारे में और अधिक विवरण प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है।

भारत और ब्राजील के बीच समझौता

292. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल पर निर्भरता कम करने तथा देश में इथेनोल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत और ब्राजील के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सरकार ने विषय के विशेषज्ञों द्वारा अर्जित अनुभवों और उपलब्ध संभावनाओं के मदेद्नजर समानता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर और सहयोग के वांछनीय क्षेत्रों की पहचान के लिए परिवहन ईंधनों में एथेनोल सम्मिश्रण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु 8 अप्रैल 2002 को ब्राजील संघीय गणराज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) सम्पन्न किया था।

ब्राजील में गन्ना रकबों के अधिग्रहण तथा एथेनोल विनिर्माण उद्योग की इकाईयों की स्थापना की संभावनाओं की खोज हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के एक दल ने सितंबर 2006 में ब्राजील का दौरा किया।

[अनुवाद]

विमानपत्तन विनियामक की नियुक्ति

293. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक नए विमानपत्तन विनियामक की नियुक्ति करने का है जो कि विमानपतन कार्यों से संबंधित मुद्दों का नियंत्रण करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नया विमानपत्तन विनियामक विद्यमान नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का स्थान लेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नई विमान कंपनियों के लिए कोई प्रवेश अवरोध लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय हवाईअड्डों पर पूर्वनिर्धारित निष्पादन मानकों की निगरानी तथा वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ ढांचे को नियत समीक्षित तथा अनुमोदित करने के लिए संसद के एक अधिनियम के जरिए हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) का गठन होना प्रस्तावित है। यह प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालकों की सभी श्रेणियों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करेगा और स्वभावगत एकाधिकार तथा हवाईअड्डों के सामानय प्रयोक्ता/वाहक सेग्मैंट की निगरानी तथा पर्यवेक्षण भी करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सियाचिन पर समझौता

294. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान सियाचिन के संबंध में किसी समाधान पर पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर सहमति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारत-पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की वार्ता 14-15 नवंबर, 2006 को हुई थी। दोनों पक्ष सियाचिन मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिए विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत हुए।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस में देखी गई कमियां

295. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि कुछ राजधानी एक्सप्रेस की शायिकाओं (बर्थ) की मरम्मत एवं निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि नई दिल्ली-गुवाहाटी और अन्य राजधानी एक्सप्रेस के कुछ थ्री एसी डिब्बों की साइड बर्थ का लॉक टूटा हुआ है और रेलगाड़ी में 'लीफ्लेट' में यात्री द्वारा सुझाव दिये जाने के बावजूद इन शायिकाओं की मरम्मत करने की किसी को परवाह नहीं है;

(ग) क्या रेलवे को राजधानी एक्सप्रेस के थ्री एसी शौचालय की गंदी स्थिति के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रतिष्ठित रेलगाड़ियों में उक्त कमियों को दूर करने तथा इन रेलगाड़ियों के दर्जे को बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कोचिंग डिपुओ में प्राथमिक/माध्यमिक अनुरक्षण अनुसूची के दौरान राजधानी एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों में बर्थ की मरम्मत के साथ-साथ संपूर्ण जांच एवं अनुरक्षण किया जाता है जहां सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होती है।

(ख) तृतीय श्रेणी वातानुकूल सहित सभी कोचों की यात्री सुविधाओं की मदों की व्यवस्था/मरम्मत पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

राजधानी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की गाड़ियों के सवारी डिब्बों में कतिपय खराबियां आ जाती हैं जिसे या तो मार्ग में ही अथवा यात्रा के अंत में मार्गरक्षी कर्मचारियों द्वारा ठीक कर दिया जाता है और शिकायत-सह-सुझाव पुस्तिका में दर्ज खराबियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ग) और (घ) राजधानी एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों के रेकों को प्लेटफार्म पर स्थापित करने के पहले उसमें शौचालय की सफाई के साथ-साथ आंतरिक सफाई की जाती है। यात्रा के दौरान विशेषकर लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ियों में शौचालय लगातार प्रयोग किये जाने से गंदा हो जाता है और यात्रियों द्वारा शिकायत का कारण बनता है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियों के अनुरक्षण के लिए सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते हैं। वे आवधिक रूप से तथा यात्रियों की मांग पर भी सवारी डिब्बों के शौचालयों की सफाई करते हैं।

[हिन्दी]

बंद डिब्बों में मिट्टी के तेल की बिक्री

296. श्री शिशुपाल पटले:
श्री संतोष गंगवार:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां बंद डिब्बों में मिट्टी का तेल बेचने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) बाजार में इनके कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) आरंभ में चुनिंदा बाजारों में परीक्षण आधार पर छोटे पैकों में मिट्टी तेल की बिक्री आरंभ करने की योजना है जिससे ग्राहकों द्वारा छोटे पैकों में उत्पाद की स्वीकार्यता का निर्धारण किया जा सके। यह परिकल्पित है कि 1 लीटर के छोटे पैकों में मिट्टी तेल उन ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ग) यह आकलन किया गया है कि छोटे पैकों में मिट्टी तेल बेचने के लिए परीक्षण परियोजना अगले वर्ष के मध्य में आरंभ होगी।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी में एरोड्रोम की स्थापना

297. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी से एक एरोड्रोम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से 75 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। वर्तमान में कन्याकुमारी में एक एरोड्रोम की स्थापना करने के लिए किसी एयरलाइन कंपनी से कोई मांग नहीं है। अत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की कन्याकुमारी में एक एरोड्रोम बनाने की कोई योजना नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण

298. श्री रनेन बर्मन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र बनाने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य के बढ़े हुए निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए हैं और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 33.33% तक, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए हैं, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

(ग) और (घ) जुलाई 2006 तक के निर्यात आंकड़ों के अनुसार, 22538.18 करोड़ रुपए मूल्य की लक्ष्य-प्राप्ति की संभावना है।

[हिन्दी]

घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता

299. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग किन प्रयोजनों हेतु करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि रसोई गैस के अन्य उपयोगों के कारण घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू, गैर घरेलू (डिब्बा बंद और थोक) और आटो एलपीजी क्षेत्रों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का विपणन करने की अनुमति दे दी है।

(ख) और (ग) वर्तमान में देश में एलपीजी की कमी है और इसलिए देश में एलपीजी की कुल मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उपयोग के लिए एलपीजी का आयात किया जाता है। देश में एलपीजी आयातों की आवश्यकता का आकलन घरेलू, गैर घरेलू और आटो एलपीजी क्षेत्र सहित कुल मांग और देश में एलपीजी की स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की उपलब्धता एलपीजी के अन्य उपयोगों के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

सच्चर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

300. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** मुस्लिम समुदाय संबंधी सच्चर समिति के बारे में 27 जुलाई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति रजिन्दर सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के अभी तक प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट को शीघ्र ही संसद के दोनों सदनों में पेश करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में एच.आई.वी. परीक्षण

301. **श्री किन्जरपु येरनायडु:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों में चयन के लिए एच आई वी परीक्षण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में चयन के लिए एच आई वी परीक्षण को अनिवार्य बनाए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

केरल में वैगन निर्माण फैक्ट्री

302. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार केरल में एक वैगन निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। केवल कुछ माल डिब्बे विभागीय रूप से बनाये जाते हैं, इस तरह का अधिकांश रोलिंग स्टॉक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निर्मित होता है। वर्तमान में, देश में मौजूदा माल डिब्बा विनिर्माण इकाइयां भारतीय रेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

ओएनजीसी परियोजनाएं

303. **श्री परसुराम माझी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) का विचार देश में रिफाइनरी, पेट्रो रसायन संयंत्र, विद्युत संयंत्र और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संयंत्र की क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए स्थलों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) आयल एंड नेचुरल गैस कापोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) एक नवरत्न कंपनी है और इसका निदेशक मंडल विशिष्ट मूल्य श्रृंखला संघटन परियोजनाओं की स्थापनाओं पर कंपनी की क्षमता के अभ्यंतर क्षेत्र के भीतर, निवेश संबंधी

निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदत्त है। ओएनजीसी उनकी नीतिगत व्यावसायिक योजना के अनुसार ऐसी परियोजनाओं की आवधिक रूप से पहचान करती है, जिन्हें इनकी प्रचालनात्मक इकाइयों के बीच बढ़ी हुई सहक्रिया के माध्यम से स्थायित्व सहित उन्नति प्राप्त करने के लिए उचित माना जाता है।

उपर्युक्त के अनुसरण में, ओएनजीसी ने निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान की है, जिनका कार्यान्वयन प्रत्येक परियोजना की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

1. रिफाइनरी

(1) राजस्थान में कूप शीर्ष रिफाइनरी

(2) काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में तटीय रिफाइनरी

(3) मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) जो ओएनजीसी की सहायक कंपनी है की विद्यमान शोधन क्षमता को 9.69 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 15 एमएमटीपीए करना।

2. पेट्रोरसायन

(1) दाहेज में पेट्रोरसायन संयंत्र।

(2) मैंगलौर में पेट्रोरसायन संयंत्र (ऐरोमैटिक्स),

(3) मैंगलौर में एक ओलफिन आधारित पेट्रोरसायन संयंत्र, जो भविष्य में एलएनजी स्रोत के साथ सफल समझौते पर आधारित।

3. विद्युत संयत्र

(1) त्रिपुरा में गैस आधारित विद्युत संयंत्र।

4. एलएनजी संयंत्र

(1) मैंगलौर में एलएनजी पुनर्गैस टर्मिनल तथा सहबद्ध डाउनस्ट्रीम परियोजनाएं।

इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिव्यय तथा समय सीमाएं, केवल विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के पूरा होने के पश्चात, निर्धारित की जा सकती है।

रसोई गैस का आयात

304. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी का विचार कोचीन पत्तन के माध्यम से रसोई गैस का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गैस का (मैटीरियल) का आयात किन स्रोतों से किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रस्ताव का वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी हां, कोचीन में एलपीजी आयात सुविधा स्थापित करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन का एक प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव अभी अध्ययन स्तर पर है और यदि इस परियोजना की व्यवहार्यता तथा साध्यता सिद्ध हो जाती है, तो आईओसी कोचीन में एलपीजी आयात सुविधा स्थापित करने पर विचार करेगी।

झारखंड में रेलवे लाइन परियोजना

305. श्री टेक लाल महतो: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड की हजारीबाग-कोडरमा रेलवे लाइन परियोजना पर रेलवे द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या इस परियोजना का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) हजारीबाग-कोडरमा खंड, कोडरमा-बरकाकाना-रांची नई लाइन परियोजना का हिस्सा है। 31.3.2006 तक इस परियोजना पर 321.79 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीणों द्वारा अवरोधन, शरारती गतिविधियों तथा ठेकेदारों की विफलता के कारण इस परियोजना का कार्य प्रभावित हुआ।

(घ) हजारीबाग-कोडरमा खंड को लगभग 2 वर्ष की अवधि के दौरान पूरा करने की संभावना है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

306. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने हेतु प्रभावी समन्वयन के लिए अनुवीक्षण समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए किसी प्रक्रम का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी हां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार अपराध रोकने संबंधी अर्थोपाय किए जाने के लिए तंत्र बनाने हेतु और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के कारगर तालमेल के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री को इस समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाता है तथा समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, न्याय विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव, गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो) के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जातियों के दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि एवं अनुसूचित जनजातियों के एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि इसके सदस्य तथा इस मंत्रालय के अनुसूचित जाति विकास प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव इसके सदस्य-सचिव हैं।

(ग) से (ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम के उपबंधों को राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। समिति ने 18.9.2006 को अपनी पहली बैठक की और इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों को रोकने के विभिन्न मुद्दों-जैसे राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को सलाहकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुख्यालय में नि:शुल्क टेलिफान कनेक्शन की स्थापना, अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों का डटकर मुकाबला करने में उत्कृष्ट कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों/मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना, राज्य और जिला-स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों की नियमित बैठकें करना, पुलिस कार्मिकों, लोक अभियोजक और न्यायिक अधिकारियों के सुग्राहीकरण, इत्यादि पर चर्चा की गई।

[हिन्दी]

विदेशों में होटल

307. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में होटल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन होटलों को खोलने के लिए विदेशी कंपनियों की भागीदारी की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे सभी होटल लाभ कमा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष की पहली छमाही में कुल कितना लाभ अर्जित किया गया?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। विदेशों में होटल खोलने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय में भारत पर्यटन विकास निगम, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसके पास वर्तमान में

एक होटल के प्रबंधन करने एवं पांच संयुक्त उद्यम होटलों के अतिरिक्त आठ होटल हैं। चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 तक) की पहली छमाही में होटलों को प्राप्त लाभ की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	भा.प.वि.नि. के स्वामित्व वाले होटल	निवल लाभ/हानि (कर से पूर्व) (अनंतिम)
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	7.74
2.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	(-) 0.38
3.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	0.86
4.	ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	0.18
5.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	(-) 0.86
6.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	(-) 0.10
7.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	(-) 0.53
8.	होटल पटलीपुत्र अशोक, पटना	(-) 0.02
	संचालित होटल	
1.	होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर	(-) 0.36
	संयुक्त उद्यम होटल	
1.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	(-) 0.18
2.	होटल पांडिचेरी अशोक, पांडिचेरी	0.17
3.	होटल रांची अशोक, रांची	0.10
4.	होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल	0.05
5.	होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर	0.19

ईंधन का वैकल्पिक स्रोत

308. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन के लिए विदेशों पर अत्यधिक निर्भर रहने तथा ईंधन के वैकल्पिक स्रोत को बढ़ावा न देने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ईंधन के वैकल्पिक स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार को अब तक कितनी सफलता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक मूल्य गत दो वर्षों में नई ऊंचाईयों तक पहुंचा गए हैं। 8 अगस्त, 2006 को कच्चे तेल की इंडियन बास्केट ने अब तक की सर्वोच्च 75.20 डालर प्रति बीबीएल की कीमत को छुआ है।

मूल्यों में इस भारी वृद्धि का तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है क्योंकि लगभग 78 प्रतिशत कच्चे तेल की मांग का आयात किया जाता है। आयात निर्भरता के उच्च स्तर के चलते अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रभाव घरेलू मूल्यों में परावर्तित होता है।

तेल मूल्यों में भारी वृद्धि के संपूर्ण प्रभाव को उपभोक्ताओं पर डालने के फलस्वरूप घरेलू मूल्यों में भारी वृद्धि हुई होती, सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कई उपाय किए कि 87% भार सरकार, अपस्ट्रीम तेल कंपनियों तथा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा वहन किया जाए और केवल 13% भार उपभोक्ताओं पर डाला जाए।

यद्यपि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में मामूली वृद्धि की गई, घरेलू एलपीजी मूल्य नवंबर, 2004 से तथा पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्य मार्च, 2002 से नहीं बढ़ाए गए। जबकि वैकल्पिक ईंधनों को विकसित किया जा रहा है और उन्हें इंजनों तथा मशीनों के अनुकूल बनाने हेतु परीक्षण किए जा रहे हैं, साथ ही इनके पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है, फिर भी उपलब्ध प्रमात्राएं अपेक्षित प्रमात्राओं से काफी कम है। इनका प्रगामी प्रयोग किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए कुछ वर्ष लेगा, अत: पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता जारी रहेगी।

(ग) सरकार बायो ईंधनों, हाइड्रोजन तथा ईंधन सेलों तथा बिजली और मिश्रित वाहनों के विकास सहित वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना संख्या 580(ई) द्वारा अधिसूचित किया है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर, तेल विपणन कंपनियां 1.11.2006 से उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू व कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अलावा संपूर्ण देश में भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश के अनुसार 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को बेचेंगी। जहां तक बायो डीजल का संबंध है, इस मंत्रालय ने एक बायो डीजल खरीद नीति घोषित की है, जो ओएमसीज द्वारा देश भर में स्थापित किए जाने वाले 20 खरीद केन्द्रों के लिए होगी। जहां से ये कंपनियां ऐसा बायो डीजल खरीद सकेंगी जो छः माह के लिए वैध मूल्य पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित मानकों (बीआईएस) को पूरा करता है। नया और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय डीजल के साथ बायो डीजल के विभिन्न मिश्रित स्तरों का प्रयोग करते हुए डीजल के अनुप्रयोगों पर अनुसंधान व विकास कार्य कर रहा है। उस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की है तथा एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया है, जो वर्ष 2020 तक देश में हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन, भंडारण तथा प्रयोग के लिए रास्ता उपलब्ध कराएगा।

(घ) एथेनोल पेट्रोलीय मिश्रण देश में वाणिज्यिकृत किया गया है और बायो डीजल मिश्रण प्रदर्शन स्तर पर है। परिवहन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

तेल कंपनियों द्वारा निवेश

309. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देश में तथा देश के बाहर भारी मात्रा में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा देशवार तथा कंपनीवार कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश से कितना लाभ अर्जित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

देश में विमानों के लगभग टकरा जाने की घटना

310. डा. एम. जगन्नाथ: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सितम्बर, 2006 में आकाश में विमानों के टकरा जाने की बड़ी घटना टाल दी गई थी जब 100 से अधिक यात्रियों को तथा विमान के चालक दल को ले जा रहे जेट एयरवेज के बोईंग विमान ने वायु सेना के सुखोई-30 एम.के.आई. लड़ाकू विमान की 500 फुट की सीमा में आ जाने के बाद मार्ग बदल दिया था, जैसाकि 22 सितम्बर, 2006 के द टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विमानों के लगभग टकरा जाने की बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। बीच आकाश में विमानों के टकराने की कोई संभावना नहीं थी चूंकि लड़ाकू विमान दृश्य सम्पर्क में था। तथापि उस गति के कारण जिस पर लड़ाकू विमान प्रचालन में था जेट एयरवेज के परिवहन विमान के टक्कररोधी प्रणाली से चेतावनी दी गई चूंकि लड़ाकू विमान परिवहन विमान की परिधि के सम्पर्क में आ गया था।

(ग) और (घ) भारतीय वायु सेना तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अलग-अलग जांच समितियां गठित की गई हैं।

(ङ) संबंधित नगर विमानन अपेक्षाओं के माध्यम से, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा बीच आकाश में टक्कर से बचने तथा विमान प्रचालनों की संरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किये गये हैं

जिसमें एयरबोर्न टक्कररोधी प्रणाली तथा विमान में मोड़ एस ट्रांसपोडर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर स्वचालित स्वतंत्र निगरानी और नियंत्रक पायलट डाटा लिंक संचार स्थापित की है। नियंत्रकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और दक्षता जांच वार्षिक रूप से की जा रही है। डीजीसीए ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कड़े अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर खान-पान सेवा

311. **श्री राकेश सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवा के प्रावधान के लिए भारतीय रेल खान-पान तथा पर्यटन निगम के पास कितने प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हैं; और

(ख) इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के स्टेशनों पर 27 वाटर वेडिंग मशीनों, 34 आटोमैटिक वेंडिंग मशीनों और 8 फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस देकर इन इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कोई देरी नहीं हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को रेलमार्ग से जोड़ना

312. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री प्रशान्त प्रधान:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वोत्तर राज्यों को रेलमार्ग से जोड़ने की कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र के राज्यों से रेल संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में नई लाइनें तथा आमान परिवर्तन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तकरीबन 6000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

वैगनों की कमी

313. **श्री राजनारायण बुधौलिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में वैगनों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैगनों की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर बस विमान का ईंजन

314. **श्री तरित बरण तोपदार:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की एयर बसों का प्रचालन बन्द करने के कारण इसके ईंजन के स्पेयर पार्ट नहीं मिलना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स एयर बस के ईंजनों के लिए समय पर भुगतान करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। ए-320 विमान को सर्विस किए गए इंजनों की उपलब्धता तथा रखरखाव के अधीन होने के कारण विमान को खड़ा कर दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में इंजनों की कमी के परिणास्वरूप कुछ विमान खड़े करने पड़े।

अप्रैल, 2006 में 20 इंजनों को पुनर्संज्जा के लिए मरम्मत एजेंसियों को निर्यात किया गया जिनमें से 8 को वापस प्राप्त कर लिया गया है। दूसरे 6 इंजनों की पुनर्संज्जा के लिए बाहर के वेन्डरों से बातचीत चल रही है। तीन इंजनों की अल्पकालिक लीज को भी 31.1.2007 तक बढ़ा दिया गया है। बाहरी एजेंसियों से प्राप्त होने वाले इंजनों के समग्र प्रभाव के कारण, अनुसूचित प्रचालनों के लिए एयरक्राफ्ट की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

पठानकोट विमानपत्तन

315. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पठानकोट विमानपत्तन का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्नयन कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पठानकोट हवाईअड्डे पर 300 यात्रियों की सम्भलाई के लिए एक नये टर्मिनल भवन, हर समय 2 एबी-320/ बी-737-800 प्रकार के विमान को पार्क करने के लिए एप्रन, लिंक टैक्सी वे, 200 कारों के लिए कार पार्किंग तथा सम्बद्ध कार्य 35 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत से पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

अग्निरोधक डिब्बे

316. श्री महेश कनोडीया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में आग लगने से दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे रेल डिब्बे के आंतरिक भाग को अग्निरोधक बनाने के लिए पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। सवारी गाड़ियों में अग्निरोधी उपायों में इजाफा करने की दृष्टि से भारतीय रेल सवारी डिब्बों के निर्माण में काम में लाई जा रही सामग्री में लगातार सुधार कर रही है ताकि आग लगने की घटना में नुकसान को कम करने की दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा अग्निरोधी तथा कम विषैला/घुटनशील बनाया जा रहा है। कुछ मदों में जहां अपग्रेडेशन किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

1. वातानुकूल सवारी डिबबों में पर्दों का कपड़ा।
2. सवारी डिब्बों के फर्श के लिए कम्प्रेग बोर्ड।
3. सीट अपहोल्सट्रीज।
4. एफआरपी मोड्यूलर शौचालय।
5. रूफ सीलिंग के लिए नेचुरल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट और एजबेस्टस फ्री लिंपेट शीट्स।
6. पैनेलिंग के लिए लैमिनेटिज शीट्स।
7. पीवीसी फ्लोरिंग।
8. सीटों एवं बर्थों के लिए डैंसीफाइड थर्मल बान्डेड पालिस्टर ब्लाक्स/पीयू फोम इत्यादि।

ई-टिकटिंग पर शुल्क में कमी

317. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान तथा पर्यटन निगम आई.आर.सी.टी.सी. का विचार ई-टिकटिंग पर शुल्क में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुंबई सी.एस.टी. तथा मनमाड के बीच रेलगाड़ी

318. श्री देविदास पिंगले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सी.एस.टी.) के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की योजना मुंबई सी.एस.टी. तथा मनमाड के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के रिमाडलिंग का कार्य प्रगति पर है और जून, 2008 तक इसे पूरा करने की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाणी रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

319. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में मध्य रेल के अंतर्गत "वाणी" रेलवे स्टेशन पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मार्ग पर रेल यातायात कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) इस मार्ग पर चलाने के लिए प्रस्तावित रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या "वाणी" रेलवे स्टेशन का विकास कार्य पूरा हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क), (ख), (ङ) और (च) मध्य रेलवे पर कोई मीटर लाइन नहीं है। इस रेलवे पर न ही कोई वाणी स्टेशन है। बहरहाल, "वानी" नाम से एक स्टेशन है जो पहले से ही बड़ी लाइन पर है। वानी-पिंपलकुट्टी खंड पर यात्री सुविधाएं शुरू करने के लिए पैनल इंटरलाकिंग, सिगनल तथा दूरसंचार सुविधाओं का कार्य मध्य रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) मार्च, 2007 तक इसे यात्री गाड़ियों के लिए परिचालित किये जाने की संभावना है।

(घ) रेल बजट 2006-07 में नांदेड़-आदिलाबाद-माजरी-नागपुर के रास्ते 7609/7610 पूर्णा-पटना एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलाने तथा 7605/7606 मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-नांदेड़ नंदीग्राम एक्सप्रेस को आदिलाबाद-माजरी के रास्ते (आमान परिवर्तन के बाद) नागपुर तक चलाने की घोषणा की गई है।

रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि की आवश्यकता

320. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपनी परियोजनाओं हेतु धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने में वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित समय के भीतर सभी घोषित परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 54000 करोड़ रु. से अधिक की आवश्यकता है।

(ग) सार्वजनिक/निजी साझेदारी, राज्य सरकारों द्वारा लागत में सहभागिता, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण के द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के सृजन के लिए कई कदम उठाये गये हैं। बढ़े हुए आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों से भी धनराशि का आबंटन किया गया है।

त्यौहारों के अवसर पर चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों को रद्द करना

321. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यात्रियों की कमी के कारण त्यौहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी रेलगाड़ियों को रद्द करने के कारण रेलवे को कुल कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या विशेष रेलगाड़ियों को चलाने से पूर्व यात्रियों की संख्या का आकलन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों को रद्द करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने के लिए, भारतीय रेलवे यातायात के पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की मौजूदगी के मद्देनजर मुख्तलिफ दिशाओं में विशेष रेलगाड़ियां चलाता है। यातायात के पैटर्न की कड़ी निगरानी रखी जाती है। इस वर्ष भी भारतीय रेलवे ने विभिन्न दिशाओं में मुख्तलिफ सेवाओं/ट्रिपों की व्यवस्था की थी। बहरहाल, सुनियोजित ट्रिपों में से केवल कुछ ही ट्रिपों को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रत्याशा से कम था। ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्षेत्र	नियोजित ट्रिप	संचालित वास्तविक ट्रिप
हावड़ा-भुवनेश्वर	3	1
भुवनेश्वर-हावड़ा	3	1
हावड़ा-मुंबई सीएसटी	6	4
मुंबई सीएसटी-हावड़ा	6	4
गुवाहाटी-सियालदह	6	4
सियालदह-गुवाहाटी	6	4
नागपुर-पटना	1	0

यात्री सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखकर, विशेष रेलगाड़ियों में मुख्तलिफ संसाधन जैसे स्टाक, क्रयू इत्यादि की तैनाती की जाती है और जैसे ही ये विशेष रेलगाड़ियों से हटा लिया जाता है तब इन्हें अन्य सेवाओं के उपयोग में लाया जाता है इसलिए कोई घाटा नहीं होता है।

अनारक्षित यात्रियों के लिए सुविधाएं

322. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल यात्रियों की कुल संख्या में से अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो आरक्षित तथा अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की अलग-अलग संख्या का विवरण क्या है;

(ग) क्या रेलवे को तुलनात्मक रूप से आरक्षित यात्रियों की तुलना में अनारक्षित यात्रियों से अधिक लाभ होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान रेलवे द्वारा अनारक्षित यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(च) क्या अनारक्षित यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे ने कोई योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 6.5 लाख यात्री आरक्षित टिकटों पर यात्रा करते हैं और दिन प्रतिदिन की औसत से 164 लाख यात्री अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करते हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। रेलें अनारक्षित यातायात से अधिक हानि अर्जित कर रहा है। यद्यपि, भारतीय रेलवे आरक्षित और अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों से लाभ की गणना अलग से नहीं करती, यात्री सुविधाओं से श्रेणीवार लाभ का विश्लेषण किया जाता है जो द्वितीय श्रेणी सामान्य यातायात (पूरी तरह से अनारक्षित) उपनगरीय यातायात (पूर्णत: अनारक्षित) और द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस यातायात (अंशत: अनारक्षित) की हानि को दर्शाता है।

(ङ) से (छ) अनारक्षित और आरक्षित यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर हुए व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। बहरहाल, 2005-06 (अनंतिम) के दौरान योजना शीर्ष ''यात्री सुविधाएं'' के तहत 256.23 करोड़ रु. का व्यय हुआ। यद्यपि 2006-07 के लिए बजट अनुमानों से यात्री सुविधाओं हेतु 353.20 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है और इस आबंटन से सितम्बर, 2006 के अंत तक 115.73 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। हाल ही में अनारक्षित यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) शुरू की गई है। भारतीय रेलवे पर लगभग 800 स्टेशनों पर यूटीएस और मुम्बई क्षेत्र में 200 स्थानों पर आटोमैटिक टिकट वेडिंग मशीनों की व्यवस्था से संबधित कार्यों को 112 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2006-07 के बजट में मंजूर किया गया है।

राजस्थान में नागर विमानन परियोजनाओं का विकास

323. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में नागर विमानन विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य समयबद्ध कार्यक्रमानुसार चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) राजस्थान में बहुत सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। जिनके विवरण निम्नानुसार है:

जयपुर एयरपोर्ट पर 25 करोड़ रुपये की लागत से रनवे का विस्तार एवं संबद्ध कार्य पूरा कर लिया गया है। 66.73 करोड़ रुपये की लागत से नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण एवं संबद्ध कार्य (पूर्ति की संभावित तारीख मार्च, 2008) प्रगति पर है। 30.32 करोड़ रुपए की लागत से, नए टर्मिनल भवन के सामने एप्रन बनाए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।

जैसलमेर एयरपोर्ट पर, 1.02 करोड़ रुपये की लागत से नई प्राप्त भूमि के आस-पास सीमा दीवार बनाए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

जोधपुर एयरपोर्ट पर, 11.45 करोड़ रुपये की लागत से टैक्सीमार्ग एवं एप्रन को चौड़ा किये जाने एवं उन पर दोबारा पट्टी बिछाए जाने का काम (पूर्ति की संभावित तारीख मार्च, 2007) प्रगति पर है।

उदयपुर एयरपोर्ट पर 46.64 करोड़ रु. की लागत से नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण एवं संपर्क टैक्सीमार्ग के साथ एप्रन का विस्तार कार्य, मार्च, 2007 तक पूरा होने की संभावना है। संपर्क टैक्सीमार्ग के साथ आइसोलेशन बे का निर्माण कार्य शोल्डरों एवं संबद्ध पट्टी सहित मौजूदा एप्रन एवं टैक्सीमार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य 11.10 करोड़ रुपये (पूर्ति की संभावित तारीख दिसम्बर, 2007) प्रगति पर है।

कार्य, पूर्व निर्धारित अनुसार चल रहा है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से एयरलाइन

324. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से एक क्षेत्रीय एयरलाइन गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सेवाओं को उचित राजसहायता प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो राजसहायता किस प्रकार से तथा किस सीमा तक प्रदान की जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) पूर्वोत्तर समिति (एन.ई.सी.) ने, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हवाई संपर्क में सुधार लाने एवं एक क्षेत्रीय एयरलाइन आरम्भ करने के लिए विमानन एवं निरंतर पर्यटन हेतु प्रतिष्ठान (एफ.ए.एस.टी. द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन करवाया था। फास्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच, मणिपुर के महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा की गई। पूर्वोत्तर समिति द्वारा दिनांक 31.10.2006 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा क्षेत्रीय एयरलाइन की स्थापना करना अथवा (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपेक्षित सेवाओं के प्रचालन के लिए एक विपरीत बोली प्रक्रिया द्वारा एयरलाइनों को न्यूनतम आर्थिक सहायता का प्रावधान करना। यह प्रस्ताव पूर्वोत्तर समिति के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता

325. श्री नवीन जिंदल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को और अधिक शक्तियां प्रदान किये जाने का कोई प्रस्ताव है, जैसाकि 31 अक्तूबर, 2006 के 'द ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्या लाभ होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकार सुदृढ़ व कारगर सरकारी क्षेत्र का निर्माण करने तथा प्रतिस्पर्धी परिवेश में प्रचालन करने वाली सफल, लाभार्जनकारी कम्पनियों को पूर्ण प्रचालनात्मक एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति के अनुसार तथा विशेषज्ञों के तदर्थ समूह (एजीई) की अनुशंसा के आधार पर नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को पूंजीगत व्यय करने, संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियां स्थापित करने, मानव संसाधन का प्रबंधन करने तथा कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरों का अनुमोदन करने आदि के मामले में अगस्त, 2005 में अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। एजीई की शेष अनुशंसाओं पर विचार किया जा रहा है।

'त्रिशूल' संबंधी अनुसंधान तथा विकास कार्य

326. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वदेश निर्मित पोत रक्षक प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल से संबंधित अनुसंधान तथा रक्षा कार्य बंद करने का निर्णय लिया है जैसाकि 15 अक्तूबर, 2006 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक त्रिशूल के कितने परीक्षण किए गए हैं तथा त्रिशूल के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का अनुसंधान तथा विकास कार्य बंद करने से अन्य प्रक्षेपास्त्रों के विकास पर क्या असर पड़ने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी तीनों सेनाओं तथा भू-प्रणालियों के लिए त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र के विकास पर अभी तक 82 उड़ान परीक्षण किए गए हैं तथा 275.40 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित खाद्य जोन

327. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित खाद्य जोनों अथवा मेगा फूड पार्कों के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) समेकित खाद्य जोनों द्वारा देश में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए क्या अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या इस योजना के बारे में शेयरधारकों तथा योजना आयोग के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम निकले?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 11वीं योजना तैयार करने की कवायद के एक हिस्से के रूप में, समेकित खाद्य जोनों/मेगा फूड पार्क संबंधी एक स्कीम की तैयारी समेत बुनियादी ढांचा विकास संबंधी मौजूदा स्कीम की पुन:संरचना के बारे में योजना आयोग के साथ-साथ अन्य पणधारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस अवधारणा का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के वास्ते अधुनातम बुनियादी ढांचे का विकास करना सतत कच्चा माल आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने में मदद करना आदि है। बुनियादी ढांचा विकास संबंधी सुविधाओं में भूमि, सड़क, जल निकासी, सीवर, बिजली और पानी की सप्लाई आदि जैसी सामन्य बुनियादी सुविधाएं और कूलिंग चैम्बर, ग्रेडिंग और छंटाई यूनिट, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि जैसी तकनीकी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना स्कीमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

रेलवे का टी.वी. चैनल

328. श्री एस.के. खारवेथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की यात्रा करने वाले लोगों को अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष टी.वी. चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अधिकारियों के लिए लैपटाप कम्प्यूटरों का दिया जाना

329. श्री काशीराम राणा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपने अधिकारियों के उपयोग के लिए लैपटाप कम्प्यूटर देने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(घ) लैपटाप देने से अधिकारियों के कार्यनिष्पादन में कितना सुधार आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल पर 4347 अधिकारी लैपटाप लेने के पात्र हैं।

(ग) प्रत्येक लैपटाप के लिए 55,000 रु. की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। डेस्कटाप या लैपटाप कम्प्यूटर के बीच किसी एक विकल्प देने वाले पात्र अधिकारियों से लैपटाप के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या के आधार पर कुल लागत निर्धारित की जाएगी।

(घ) इससे अधिकारियों के कार्यनिष्पादन और कार्य कुशलता में सुधार होने की संभावना है क्योंकि इससे अधिकारियों के पास डाटा और सूचना किसी भी स्थान पर किसी भी समय तुरंत उपलब्ध हो जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन

330. श्री सनत कुमार मंडल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विमान सेवाओं का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विमान सेवाओं हेतु कितने विमानपत्तन उपयुक्त हैं तथा वहां कितने विमानपत्तन हैं और उनकी स्थिति कैसी है;

(घ) क्या बागडोगरा सहित वर्तमान विमानपत्तनों को देश में अन्य महत्वपूर्ण विमानपत्तनों के स्तर के समान आधुनिक बनाया जा रहा है अथवा उन्हें आधुनिक किया जाना प्रस्तावित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर है। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर की हवाई सेवाओं में सुस्थिर वृद्धि हुई है और इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तथा क्षेत्र के भीतर इंडियन एयरलाइन्स तथा एलाइंस एयर द्वारा प्रति सप्ताह 109 उड़ानें पेश की जाती हैं।

(ग) पूर्वोत्तर में उपलब्ध 22 हवाई अड्डों में से इस समय 11 प्रचालनरत हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। अगरतला, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिल्चर, शिलांग तथा बागडोगरा के हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद तथा उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन

331. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद तथा उदयपुर के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य के प्रारंभ किये जाने की संभावना है; और

(ख) इस परियोजना हेतु बजट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कार्य अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिलका झील का विकास

332. श्री जुएल ओराम: क्या **पर्यटन मंत्री** चिलका झील के विकास के बारे में दिनांक 18.5.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 में चिलका झील के निकट पर्यटन स्थल के विकास पर 389.05 लाख रुपये में से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान इसी प्रयोजनार्थ धनराशि का कोई नया आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) मार्च, 2006 के माह में चिलका झील के विकास के लिए 389.05 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। परियोजना के लिए शेष राशि, इसके लिए पहले अवमुक्त किश्त के बारे में पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अवमुक्त की जाती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

भिड़ंत-रोधी यंत्र

333. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में भिड़ंत-रोधी यंत्र लगाने में अभी तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितना खर्च आया है; और

(घ) संपूर्ण रेलवे में भिड़ंत-रोधी यंत्र लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेलवे ने 31.7.2005 से 17.8.2005 की अवधि के दौरान कटिहार-न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी खंड पर तैनात टक्कररोधी उपकरण प्रणाली की स्थान स्वीकार्यता परीक्षण प्रारंभ किया है। परीक्षणों के दौरान, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. द्वारा विकसित की नई प्रणाली में प्रचलित विशिष्टियों की तुलना में कतिपय कमियां पाई गई थीं। गुवाहाटी-तिनसुकिया-डिब्रुगढ़ खंड पर टक्कररोधी उपकरण स्थापित करने का काम पूरा हो गया है। गलत अवरोध

संदेश देने, अनावश्यक ब्रेक लगना तथा गति अवरोध जैसी समस्याओं को दूर करने एवं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के शेष रेल इंजनों के अनुरूप बनाने के लिए टक्कररोधी उपकरण प्रणाली में और सुधार लाने के संबंध में कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. को सुझाव दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अंतिम मूल्यांकन सभी बकाया कार्यों को कोंकण रेलवे कार्पोरेशन द्वारा पूरा किये जाने पर प्रारंभ किया जाएगा। कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. पर भी टक्कररोधी उपकरण स्थापित किया गया है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कररोधी उपकरण परियोजना के सफलतापूर्वक लागू होने एवं प्रमाणीकरण के बाद प्रारंभ किया जाएगा;

(ग) भारतीय रेलवे पर टक्कररोधी उपकरण परियोजना पर अब तक लगभग 82.18 करोड़ रु. खर्च हुआ है।

(घ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पाई गई कमियों को दूर करने तथा इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे के बड़ी लाइन नेटवर्क पर 2013-14 तक टक्कररोधी उपकरण प्रणाली मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों का ठहराव

334. श्री सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रतलाम् तथा कोटा मंडलों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग संबंधी स्थिति रिपोर्ट क्या है तथा वर्ष 2026 के दौरान इस संबंध में दी गई स्वीकृति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): मांग और स्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्टेशन	गाड़ी सं.	स्थिति
1	2	3	4
	कोटा मंडल		
1.	कोटा	2917/2918 निजामुद्दीन-अहमदाबाद गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (हफ्ते में तीन दफे), 2449/2450 निजामुद्दीन-मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2653/2654 चंडीगढ़-कोचुवेलि केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और 2907/2908 निजामुद्दीन-बांद्रा (टी) महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (हफ्ते में दो दफे)	15.1.2006 से इन गाड़ियों का परिचालनिक ठहराव वाणिज्यिक ठहराव में तब्दील कर दिया गया है
2.	गंगापुर सिटी	5635/5636 ओखा-गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस	1.7.2006 से ठहराव की व्यवस्था की जा चुकी है
3.	विक्रमगढ़ ऐलाट	2903/2904 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल	औचित्यपूर्ण नहीं
4.	शामगढ़	2471/2472 मुंबई सेंट्रल-जम्मूतवी स्वराज एक्सप्रेस (हफ्ते में चार दिन) और 8473/8474 पुरी-जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	औचित्यपूर्ण नहीं
5.	दखानियां तलाव	2181/2182 जबलपुर-जयपुर दयोदया एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं

1	2	3	4
6.	काघरेण	2181/2182 जबलपुर-जयपुर दयोदया एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
7.	लखेड़ी	2181/2182 जबलपुर-जयपुर दयोदया एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
8.	बयाना	2415/2416 इंदौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
9.	बयाना	2963/2964 निजामुद्दीन-जयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
10.	भरतपुर	2471/2472 मुंबई सेंट्रल-जम्मूतवी एक्सप्रेस (हफ्ते में चार दिन)	औचित्यपूर्ण नहीं
11.	भवानी खंड	2973/2974 इंदौर-जयपुर एक्सप्रेस (हफ्ते में दो दिन) और 2979/2980 जयपुर-बांद्रा (टी) एक्सप्रेस (हफ्ते में तीन दिन)	औचित्यपूर्ण नहीं
12.	बूंदी	2963/2964 निजामुद्दीन-उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस और 2965/2966 जयपुर-उदयपुर एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
13.	मंगलगढ़	2963/2964 निजामुद्दीन-उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस और 2965/2966 जयपुर-उदयपुर एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
14.	अटाह	2181/2182 जबलपुर-जयपुर दयोदया एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
15.	चाऊ महला	2903/2904 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डेन टेंपल मेल	औचित्यपूर्ण नहीं
16.	गंगापुर सिटी	2963/2964 निजामुद्दीन-उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
	रतलाम मंडल		
1.	चित्तौड़गढ़	2965/2966 उदयपुर-जयपुर एक्सप्रेस	1.1.2006 से ठहराव की व्यवस्था की गई है।
2.	रतलाम	2917/2918 अहमदाबाद-निजामुद्दीन गुजरात सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस (हफ्ते में तीन दिन)	15.1.2006 से ठहराव की व्यवस्था की गई है।
3.	थंडला रोड	2961/2962 इंदौर-मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस	1.2.2006 से ठहराव की व्यवस्था की गई है।
4.	मेघनगर	2471/2472/2473/2474/2475/2476 जम्मूतवी-मुंबई सेंट्रल/अहमदाबाद/हापा/जामनगर एक्सप्रेस	1.2.2006 से ठहराव की व्यवस्था की गई है

1	2	3	4
5.	चंदेरिया	2963/2964 निजामुद्दीन-उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस	15.3.2006 से ठहराव की व्यवस्था की गई है।
6.	रतलाम	2431/2432 तिरूवनंतपुरम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (हफ्ते में दो दिन)	औचित्यपूर्ण नहीं
7.	बामनिया	2961/2962 इंदौर-मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस	औचित्यपूर्ण नहीं
8.	दोहाद	सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां	औचित्यपूर्ण नहीं
9.	मेघनगर	सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां	औचित्यपूर्ण नहीं
10.	कचरोड	9303/9304 रतलाम-भोपाल इंटरसिटी	औचित्यपूर्ण नहीं
11.	कालीसिंघ	9303/9304 रतलाम-भोपाल इंटरसिटी	औचित्यपूर्ण नहीं
12.	बेड़छा	285/286 छिंदवाड़ा-इंदौर सवारी गाड़ी	जांचाधीन और यदि उचित पाया गया तो व्यवस्था की जाएगी
13.	शुजालपुर	285/286 छिंदवाड़ा-इंदौर सवारी गाड़ी	जांचाधीन और यदि उचित पाया गया तो व्यवस्था की जाएगी
14.	सेहोड़	285/286 छिंदवाड़ा-इंदौर सवारी गाड़ी	जांचाधीन और यदि उचित पाया गया तो व्यवस्था की जाएगी
15.	मक्सी	285/286 छिंदवाड़ा-इंदौर सवारी गाड़ी	औचित्यपूर्ण नहीं
16.	बैरागढ़	सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां	औचित्यपूर्ण नहीं

उत्तर प्रदेश में मंदिरों का अनुरक्षण एवं विकास

335. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कतिपय मंदिरों को अनुरक्षण और विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षणाधीन करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित स्मारकों के संरक्षण तथा रखरखाव करने का प्रभारी है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 742 स्मारकों/स्थलों को केन्द्रीय संरक्षित के रूप में घोषित किया गया है जिसमें से 138 मंदिर हैं। संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

रेलवे पुलों का निर्माण

336. श्री रशीद मसूद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राज्यवार ऐसे कितने रेल पुल हैं जहां स्वीकृति मिलने के बावजूद कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) क्या रेलवे से स्वीकृति मिलने के बावजूद शारदानगर रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पुल का कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) लागत में सहभागिता के आधार पर रेलों पर 294 मंजूर ऊपरी/निचले सड़क पुलों पर वास्तविक निर्माण कार्य विभिन्न कारणों जैसे संबंधित राज्य सरकारों से लागत में हिस्सेदारी संबंधी वचनबद्धता, समपार (एलसी) को बंद करने संबंधी वचनबद्धता, अनुमोदित योजना, पहुंच मार्गों के लिए अनुमान प्राप्त न होने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:

मध्य	11
पूर्व	12
उत्तर	43
पूर्वोत्तर	15
पूर्वोत्तर सीमा	3
दक्षिण	91
दक्षिण मध्य	33
दक्षिण पूर्व	10
पश्चिम	14
पूर्व मध्य	10
पूर्व तट	12
उत्तर मध्य	4
उत्तर पश्चिम	1
दक्षिण पश्चिम	26
दक्षिण पूर्व मध्य	4
पश्चिम मध्य	5

(ख) और (ग) कार्य का निष्पादन कार्य के संयुक्त अनुमान जो राज्य सरकार से पहुंच मार्गों की विस्तृत लागत, अनुमोदित योजना और अभिकल्प की प्राप्ति पर तैयार किया जाता है के स्वीकृत होने पर निर्भर करता है। शारदानगर समपार के मामले में विस्तृत अनुमान तैयार किये गये हैं जिनकी मंजूरी के लिए जांच की जा रही है। यह कार्य 2005-06 में स्वीकृत किया गया था और सामान्य व्यवस्था आरेखण, निविदाओं को मांगने के प्रयास किये जा रहे हैं और निकट भविष्य में साइट पर कार्य के वास्तविक रूप से किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान

337. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुंडली, हरियाणा में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) सरकार कुंडली (हरियाणा) में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित कर रही है। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण में अंत: विधा अनुसंधान कार्य करने, नए उत्पाद और प्रक्रियाएं विकसित करने, नवीनतम योजनाओं के लिए प्रारंभिक सुविधाएं देने, उद्योग, सरकार, उपभोक्ताओं और सुविज्ञों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उभरती रूपरेखा पर अंत:क्रिया के लिए मंच प्रदान करने, इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित मानव संसाधन विकास समर्थन पर मार्गनिर्देश और सलाह देने तथा उद्योग के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने पर जोर देते हुए एक ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। इस संस्थान के इस वर्ष आंशिक रूप से काम करना शुरू करने की संभावना है।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

338. श्री के.एस. राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा गैस की ढुलाई तथा वितरण हेतु पाइपलाइनें बिछाने संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गैस पाइपलाइनों का डिजाइन तथा गैस ले जाने की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक गैस के उत्पादन, ढुलाई, विपणन तथा वितरण के व्यवसाय हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) तेल और गैस के लिए अन्वेषण रकबे सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत अवार्ड किये जा रहे हैं जिसके लिए 110 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। एनईएलपी के छठे दौर के तहत 15.9.2006 की बोली बंद होने की तारीख तक 52 ब्लाकों के लिए 165 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इन बोलियों का हाल में मूल्यांकन किया जा रहा है।

एनईएलपी के तहत तेल और गैस की 35 खोजें की गई हैं और 16 खोजों से 510 एमएमटीओई भंडार सिद्ध हुए हैं। वर्ष 2005-06 में देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 32.19 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) का था।

सरकारी निजी और सरकारी कंपनियों दोनों के लिए गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए अधिकृत इकाइयों के लिए भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार अर्जित करती है। गैस पाइपलाइन का डिजाइन और परिवहन क्षमता परिवहन की जाने वाली गैस की मात्रा सहित प्रौद्योगिकीय वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और वितरण का व्यवसाय सरकारी और निजी कंपनियों के लिए खुला है।

देश में विभिन्न ग्राहकों तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए गेल 5400 कि.मी. से अधिक लम्बी पाइपलाइन का संचालन कर रहा है, जिसकी क्षमता लगभग 130 एमएमएससीएमडी है।

रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजीटीआईएल), जो मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, विभिन्न ग्राहकों की गैस की जरूत पूरी करने हेतु काकीनाडा-हैदराबाद-उरान-अहमदाबाद क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन डालर रही है। आरजीटीआईएल को भी काकीनाडा-नेल्लोर-चेन्नई क्षेत्र के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी किया गया है।

गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल) को भी काकीनाडा-अहमदाबाद क्षेत्र के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। यह पाइपलाइन विजयवाड़ा, डंडीगल, नागपुर और भोपाल होकर गुजरेगी।

सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन, परिवहन, विपणन और वितरण में निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। इसे कानून ढांचा प्रदान करने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड एक्ट, 2006 अधिनियमित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्राकृतिक गैस नेटवर्क्स और नगर/स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क्स के विकास हेतु नीति बनाई जा रही है।

प्लेटफार्मों पर गैर-यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

339. श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री के माध्यम से रेलवे द्वारा कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ख) क्या रेलवे का प्लेटफार्मों पर गैर-यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट जारी करने पर प्रतिबंध लगाते समय राजस्व हानि के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) महानगरों में टर्मिनल सुविधाओं के संबंध में रेलों की स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट (2005-06) में यह सिफारिश की गई है कि हवाई अड्डों की तरह प्लेटफार्मों पर यात्रियों के साथ जाने वाले केवल वास्तविक व्यक्तियों की संख्या

सीमित रखी जानी चाहिए। इस विषय पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अत: इस सिफारिश पर कोई औपचारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा में रेल अंडरब्रिज

340. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत कोटा मंडल में रेलवे कालोनी पर रेल अंडरब्रिज का निर्माण कार्य लंबे समय पहले स्वीकृति मिलने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अंडरब्रिज के निर्माण कार्य संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अंडरब्रिज के निर्माण हेतु स्वीकृत तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अंडरब्रिज का कार्य शुरू करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है तथा इसे कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) इस निचले पुल के निर्माण के लिए टेंडर जून 05, दिसम्बर 5 और अप्रैल 6 में तीन बार आमंत्रित किये गये थे, जिन्हें उच्च दरों तथा टेंडरदाताओं की साख की कमी के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब टेंडर निचले पुल के अन्य निर्माण कार्य के साथ इस कार्य को मिलाकर 30.11.2006 को खोले जाने का कार्यक्रम है।

(ग) एबस्ट्रेक्ट लागत 1.80 करोड़ रु., विस्तृत लागत 2.60 करोड़ रु. का अनुमान था। 2004-05 के दौरान 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई, 2005-06 के दौरान 91 लाख और 2006-07 के दौरान 69 लाख रु. की व्यवस्था की गई है।

(घ) टेंडर 30.11.2006 को खोले जाने का कार्यक्रम है और इसे 3 माह के दौरान अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है। निर्माण कार्य टेंडर को अंतिम रूप दिये जाने पर शुरू किया जाएगा और इसके जून 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

युद्धक टैंकों की खरीद

341. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार थलसेना के लिए 124 युद्धक टैंक खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक खरीदे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। 124 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन टैंकों की सुपुर्दगी 2007-08 तक पूरी किये जाने का कार्यक्रम है।

संघों के साथ वेतन वार्ता

342. श्री वसुदेव आचार्य: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या मंत्रिमंडल द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु वेतन वार्ता के सातवें दौर के लिए दिशानिर्देश को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें प्रबंधन से संघों के साथ वार्ता शुरू करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न संघ दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों पर पहले ही कड़ी आपत्ति जता चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या संघों ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित वेतन वार्ता के दिशानिर्देशों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 9.11.2006 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में संघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मंजूरी वार्ता (जो दिनांक 1.1.2007 से देय है) के 7वें दौर के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसकी शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन मजूरी समझौते पर वार्ता करने के लिए स्वतंत्र होंगे, सरकार द्वारा मजूरी में वृद्धि करने के लिए कोई बजटगत सहायता प्रदान नहीं की जाएगी तथा 100% महंगाई भत्ता निष्प्रभावन सहित मजूरी समझौता 1.1.2007 से 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के लिए मंजूरी संशोधन बीआईएफआर द्वारा पुनर्स्थापन योजना के अनुमोदन के पश्चात होगा तथा ऐसी वार्ता-सम्मत मंजूरी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के अधिकारियों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के परस्पर विरोधी न हो। ये मुख्यत: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी वार्ता के छठे दौर पर वर्तमान नीति के समान हैं।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के प्रबंधनों द्वारा कर्मचारी संघों के साथ मजूरी वार्ता की जाती है और संघों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा संबंधित प्रबंधनों तथा संघों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के ढांचे के अंतर्गत इन वार्ताओं के दौरान इनका समाधान किया जाता है।

बंडेल-कटवा रेल लाइन का दोहरीकरण

343. श्री अबु अयीश मंडल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का बंडेल-कटवा रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) बंडेल-कटवा खंड पर, बंडेल-जीरत (22 कि.मी.) के दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। बंडेल-बंसबेरियां (4 कि.मी.) दोहरीकरण का काम शुरू हो गया है और बंसबेरिया-त्रिवेणी (4 कि.मी.) को 2006-07 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जीरत के आगे दोहरीकरण का कार्य अभी रद्दीकृत नहीं हुआ है।

विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा

344. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व पर्यटन में भारत के हिस्से का वर्षवार प्रतिशत कितना रहा;

(ख) देश में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान विश्व पर्यटक आगमनों में भारत का शेयर क्रमश: 0.39%, 0.45% और 0.49% होना अनुमानित है। इन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का अनुमानित शेयर क्रमश: 0.69%, 0.76% और 0.84% है।

(ख) भारत में पर्यटन उद्योग द्वारा सामना की जा रही बाधाओं में, होटल आवास की कमी और उच्च होटल टैरिफ, जैसी पर्याप्त पर्यटन अवसंरचना की कमी, हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे, आदि जैसी अवसंरचना में कमियां, कर की बहुलता और उच्च स्तर, होटल परियोजनाओं के लिए प्रतिबंधित भू उपयोग नीतियां, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवेश सुगम सुविधा की कमी, एयर सीट क्षमता की कमी, उच्च हवाई किराये, आदि शामिल हैं।

(ग) चूंकि पर्यटन उद्योग द्वारा सामना की जा रही बाधाएं, विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों से संबंधित हैं, पर्यटन मंत्रालय, यात्रा व्यवसाय द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, मामलों को उनके साथ नियमित रूप से उठाता है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय इन मामलों को योजना आयोग, राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में मंत्रियों के समूह की बैठक और अन्य उच्च स्तर फोरा में भी उठाता है। इसके अलावा, पर्यटन गंतव्यों एवं परिपथों में पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अभी तक 10वीं योजना में 1008 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु विभिन्न प्लान योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल की ढुलाई हेतु टैंकर

345. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों ने राजस्थान में मिलावट की समस्या पर काबू पाने के लिए कम दरों पर पेट्रोल और डीजल की ढुलाई के लिए स्वयं के टैंकरों का उपयोग करने का आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन डीलरों को अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) डीलरों तथा उपभोक्ताओं को थोक में पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु, टैंक ट्रकों को लगाने के लिए उद्योग आधार पर सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। तेल कंपनियों के टर्मिनलों/डिपुओं से डीलरों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्तियों की सुपुर्दगी तेल विपणन कंपनियों के स्वामित्व वाले ढुलाई के ठेकेदारों के स्वामित्व वाले टैंक ट्रकों द्वारा की जाती हैं। राजस्थान में 3 वर्ष की अवधि के लिए सभी स्थलों के लिए पेट्रोल व डीजल के परिवहन हेतु निविदाओं को 1.10.2005 से अंतिम रूप दे दिया गया था। डीलरों तथा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक निविदा में भाग लेने के लिए परामर्श दिया गया था। कंपनी-वार डीलरों की संख्या, जिन्होंने निविदा में भाग लिया तथा जो शामिल किये गये, निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	भाग लेने वाले डीलरों की संख्या	भर्ती किए गए डीलरों की संख्या
आईओसी	245	239
एचपीसीएल	137	119
बीपीसीएल	131	131
आईबीपी	38	38

(ङ) आई.ओ.सी. द्वारा रिपोर्ट दी गई कि 6 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों को शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में वे आयोग्य पाए गए थे। एचपीसीएल ने रिपोर्ट दी है कि 9 डीलरों को तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में अस्वीकार किया गया, 6 डीलरों ने एल-1 अंतिम दरों को स्वीकार नहीं किया था तथा 3 डीलरों ने परिवहन करार पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

[अनुवाद]

क्यूबा के साथ उत्पादन साझेदारी ठेका

346. श्री नवीन जिन्दल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने हाल में क्यूबा के साथ उत्पादन साझेदारी ठेका पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते से प्राकृतिक गैस निगम को कितना हिस्सा मिलेगा;

(ग) गत छह माह के दौरान अन्य देशों के साथ इस प्रकार किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनसे भारत को कितना हिस्सा प्राप्त होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। ओएनसीजी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने हाल ही में क्यूबा के साथ उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) क्यूबा, ब्राजील तथा वियतनाम में उपर्युक्त वर्णित परियोजनाएं अन्वेषण चरण में हैं, जिनके परिणाम केवल इस चरण के पूरा होने के पश्चात होंगे।

ओवीएल तथा चीन की साइनोपेक द्वारा संयुक्त रूप से अधिग्रहीत कोलम्बिया की परियोजना से वर्तमान में प्रतिदिन 17,850 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है, जिसके 2012-13 तक 70,000 बैरल तक बढ़ जाने की संभावना है। इस परियोजना से ओवीएल का तेल हिस्सा इस परियोजना में उसकी भागीदारी के अनुपात में होगा।

विवरण I

क्यूबा के साथ ओवीएल की उत्पादन भागीदारी संविदा

क्र.सं.	परियोजना	ओवीएल का हिस्सा	भागीदार
1.	ब्लाक 34	100%	
	ब्लाक 35	100%	
2.	ब्लाक 25	30%	रेपसोल-वाई-पीएफ-40% (प्रचालक), नोर्स्क हाईड्रो-30% (सभी ब्लाकों में समान रूप से)
	ब्लाक 26	30%	
	ब्लाक 27	30%	
	ब्लाक 28	30%	
	ब्लाक 29	30%	
	ब्लाक 36	30%	

विवरण II

पिछले छः माह के दौरान ओवीएल द्वारा अन्वेषण व उत्पादन आस्तियों में शेयरों का अधिग्रहण

क्र.सं.	परियोजना	ओवीएल का हिस्सा	भागीदार
1.	बीसी 10, ब्राजील	15%	शैल-50% (प्रचालक) पेट्रोब्रास-35%
2.	ब्लाक 127, वियतनाम	100%	-
3.	ब्लाक 128, वियतनाम	100%	-
4.	ओमिमैक्स कोलम्बिया का अधिग्रहण	50%	साइनोपेक 50%

[हिन्दी]

हैंगर के उपयोग हेतु किराये को माफ करना

347. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** हैंगर के उपयोग हेतु किराये को बट्टे खाते में डालने के बारे में 17 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से पुराने हैंगर के किराये को माफ करने के संबंध में प्राप्त हुए अनुरोध की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। पुराने हैंगर के किराये में छूट देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास सक्रिय रूप से विचार करने के लिए विचाराधीन है।

[अनुवाद]

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ की नियुक्ति

348. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा':
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सेना मुख्यालय में पूर्व सेनाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या पूर्व सेनाध्यक्षों ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए चाफ आफ डिफेन्स स्टाफ की नियुक्ति हेतु अपनी राय दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) सेना मुख्यालय में 16 अक्तूबर, 2006 को पूर्व सेनाध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई थी। पूर्व सेनाध्यक्षों को, उभरते हुए सुरक्षा परिप्रेक्ष्य और सेना के कल्याण तथा हित से जुड़े अन्य विषयों की भी संक्षिप्त जानकारी दी गई।

(ग) रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्ति के विषय में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तहलका घोटाला

349. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तहलका मामले की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी तहलका मामलों की जांच जारी है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री एच.सी. पंत, तत्कालीन स्टाफ अधिकारी, आयुध निर्माणी एकक, श्री नरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक वित्तीय सलाहकार, श्री पी. सासी, तत्कालीन सहायक, ले. कर्नल वी.पी. स्याल (सेवानिवृत्त) और मेजर जनरल एम.एस. अहलुवालिया (सेवानिवृत्त), तत्कालीन अपर महानिदेशक, आयुध सेवा (तकनीकी सामान), एमजीओ ब्रांच, सेना मुख्यालय और मेजर जनरल एस.पी. मुरगाई (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध नियमित मामले दर्ज किए हैं। श्री एल.एम. मेहता, तत्कालीन अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय और मेजर जनरल एस.पी. मुरगाई (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज की गई है।

2. निर्दिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित विभागीय कार्रवाई की गई है:

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दिया गया दंड
1	2	3
1.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सतनाम सिंह	निंदा
2.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) मनजीत सिंह अहलुवालिया	निंदा
3.	ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) बी.बी. शर्मा	सेवा से बर्खास्त
4.	मेजर जनरल पी.एस.के. चौधरी	सकलंक पदच्युत करना और एक वर्ष का कठोर कारावास।

1	2	3
5.	ब्रिगेडियर इकबाल सिंह	सकलंक पदच्युत करना और एक वर्ष का कठोर कारावास।
6.	कर्नल अनिल सहगल	सकलंक पदच्युत करना और एक वर्ष का कठोर कारावास।
7.	श्री एच.सी. पंत, स्टाफ अधिकारी/आयुध निर्माणी एकक	सेवा से बर्खास्त।
8.	श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक वित्तीय सलाहकार/रक्षा मंत्रालय	निलंबित हैं और उनके विरुद्ध जांच चल रही है।
9.	श्री पी सासी, सहायक	निलंबित हैं और उनके विरुद्ध जांच चल रही है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रेल उपरि पुलों का निर्माण

350. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में रेल उपरि पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के संबंध में 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें से एक पहले से ही बिना बारी के निर्माण के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। चालू वर्ष में 19 प्रस्तावों को प्रारंभिक निर्माण कार्यक्रम (पीडब्ल्यूपी) 2007-08 में शामिल किये जाने के लिए संवीक्षा की जा रही है, जबकि 11 प्रस्ताव ऐसे हैं जो लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अर्हक नहीं है। बहरहाल, आंध्र प्रदेश में लागत में भागीदारी के आधार पर 63 कार्यों को स्वीकृत किया जा चुका है जो नियोजन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

ताजमहल के आसपास विकास

351. श्री जे. एम. आरून रशीद:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मद्देनजर 'ताज महल' के आसपास की चीजों को आधुनिक रूप देने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में कई स्थल दौरे किये गये तथा कई बार विचार-विमर्श किया गया। इसके आधार पर 39.34 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 'ताज महल के आसपास के लिए आगरा सुदृढ़ीकरण और पर्यटन प्रबंधन' के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने ताज महल के ईस्ट गेट एन्ट्री से अवसंरचना सुधार के लिए 767.00 लाख रुपये तथा ताज महल से वेस्ट गेट एन्ट्री के लिए 758.00 लाख रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिये हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। इसके अतिरिक्त, आगरा तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वीकृत अन्य परियोजनाएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन से अतिक्रमणों, विज्ञापन पट्टों (होर्डिंगों) को हटाने तथा उच्च स्तरीय नागरिक प्रशासन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) 36 महीनों की अवधि के अन्दर समन्वित परियोजना पूरी की जाएगी।

विवरण I

विशेष केन्द्र के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में ताज महल के आसपास के लिए आगरा सुदृढ़ीकरण और पर्यटक प्रबंधन (आगरा-रिवाइटलाइजेशन एंड विजिटर मैनेजमेंट फार ताज महल विसिनिटी) का एकीकृत विकास

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	राशि
ख.	**ताजमहल के लिए ईस्ट गेट एन्ट्री**	
1.	*जेपी क्रासिंग से शिल्पग्राम तक रोड का सुधार:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैन्ड स्टोन पेविंग, प्रीकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भू-दृश्य निर्माण, बाउन्ड्री वाल	113.00
2.	*शिल्पग्राम से ताज महल ईस्ट गेट तक रोड का सुधार:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैन्ड स्टोन पेविंग, प्रीकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भू-दृश्य निर्माण, रेलिंग, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे	85.00
3.	*नयी शापिंग सुविधाओं तथा अन्य सुधार उपायों सहित शिल्पग्राम का सुदृढ़ीकरण:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैंड रब्बेड सैन्ड स्टोन पेविंग, प्रीकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भू-दृश्य निर्माण लैप्ट ओवर, बिल्डिंग (नया), बिल्डिंग (पुनरुद्धार), फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, बाउन्ड्री वाल, संरक्षण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को प्रस्तुत मरम्मत अनुमान	276.00
4.	*ताज महल-नेचर पार्क सुधार के लिए ट्रेकिंग रूट:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैन्ड स्टोन पेविंग, प्रीकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, ओल्ड ट्रेक रूट का सुधार, भू-दृश्य निर्माण, बिल्डिंग (नया), बिल्डिंग (उन्नत), ओएटी, खेल क्षेत्र का उन्नयन, मचान, वाटर बाडी, फाउन्टेन, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे	94.00
5.	*ताज महल की ईस्ट गेट एन्ट्री पर विजिटर एप्रोच का सुधार:* डब्ल्यूबीएम रोड, डब्ल्यूबीएम रोड्स की मरम्मत, सीसी रोड, एम20, रैंड रब्बेड सैन्ड स्टोन पेविंग, प्रीकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भू-दृश्य निर्माण, रेलिंग, बिल्डिंग (नया), फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, डिमोलिशन/शिफ्टिंग कार्य	51.00
6.	*ईस्टर्न गेट एंड लैण्डस्केपिंग के निकट नाला को ढकना (दोनों ओर 200 मीटर):* चुनाई कार्य, पीसीसी कार्य 1:4:8, आरसीसी पटिया, आरसीसी के ऊपर रैड सैण्ड स्टोन, भू-दृश्य निर्माण, कलवर्ट-फाउन्टेन, पियर, पटिया, रेलिंग	102.00
7.	*ताज खेमा पर सुविधाओं का उन्नयन:* डब्ल्यूबीएम रोड, सीसी 20, रैड रब्बेड सैन्ड स्टोन पेविंग, प्रीकास्ट पीसीसी (केईआरबी स्टोन, भू-दृश्य निर्माण, बाहरी भू-दृश्य निर्माण, भवन (नया), भवन (पुनरुद्धार), खुली और बांस की छतरी सहित बांस का रेस्तरां, सीआई के बिजली के खम्भे तथा साथ में फिक्चर, स्विस काटेज	46.00
	योग	767.00

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	मद	राशि
क.	**ताजमहल के लिए वेस्ट गेट एन्ट्री**	
1.	*नए शापिंग केन्द्र के निर्माण सहित अमरूद का टीला पर पार्किंग नोड का रिडिजाइन करना:* डब्ल्यूबीएम रोड, सीसी रोड एम-20, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्टपीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, बिल्डिंग (नया), दुकानें, सुरक्षा, शौचालय, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, सूचना पट्ट	201.00
2.	*प्रस्तावित रोज गार्डन होते हुए ताजमहल को एप्रोच:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, रोज गार्डन, रैलिंग, बिल्डिंग (नया), फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, सम्प, नलकूप	52.00
3.	*ताजमहल के लिए ग्रीन बस कारिडोर/रोड का उन्नयन:* डब्ल्यूबीएम रोड, सीसी रोड एम-20, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, रैलिंग, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, सूचना पट्ट	21.00
4.	*ताजमहल की वेस्ट गेट एन्ट्री के लिए विजिटर एप्रोच का उन्नयन:* डब्ल्यूबीएम रोड, सीसी रोड एम-20, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, बिल्डिंग (नया), बिल्डिंग (पुनरुद्धार), फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, फाउंटेन	44.00
5.	*शाहजहां पार्क-पुरातत्वीय पार्क का सुधार:* डब्ल्यूबीएम रोड, सीसी रोड एम-20, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, रैलिंग, बिल्डिंग (नया), फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे, बाल खेल क्षेत्र, सम्प, नलकूप, झीलों की गाद निकालना, पुरानी सिंचाई प्रणाली/सुविधाओं का सुधार	153.00
6.	*पुरानी मंडी से रानी लक्ष्मीबाई चौक तक रोड का उन्नयन:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, रैलिंग, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे	41.00
7.	*रिवर फ्रंट रोड सुधार हेतु प्रस्ताव:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माणं, रैलिंग, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे	35.00
8.	*रानी लक्ष्मीबाई चौक से अमरूद का टीला पर पार्किंग नोड तक रोड का उन्नयन:* डब्ल्यूबीएम रोड, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, रैलिंग, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे	35.00
ग.	सूचना पट्ट	20.00
च.	*रेलवे स्टेशन/एअरपोर्ट से जेपी क्रासिंग को जोड़ने वाले रोड का उन्नयन:* डब्ल्यूबीएम रोड, सीसी रोड एम-20, रैड रब्बेड सैंड स्टोन पेविंग, रिकास्ट पीसीसी केईआरबी स्टोन, भूदृश्य निर्माण, बाउन्ड्री वाल, फिक्चर सहित सीआई के बिजली के खम्भे	156.00
	योग	758.00

विवरण II

आगरा के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
	1992-93	
1.	फतेहपुर सीकरी की फ्लड लाइटिंग	15.15
	1993-94	
1.	बटेश्वर स्थित घाटों का सुधार	20.00
	1995-96	
1.	आगरा किला में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम	20.00
	1996-97	
1.	अकबर के मकबरे का रिफरबिशरमेंट	35.32
	1997-98	
1.	पर्यटन केन्द्र, आगरा	20.92
	1998-99	
1.	आराम बाग का रिफरबिशरमेंट, आगरा	11.34
2.	आगरा जिला में बटेश्वर मंदिर की फ्लड लाइटिंग	05.00
	1999-2000	
1.	ताजमहल में प्रसाधन कक्ष, आगरा (पांच सितारा स्तर)	21.00
2.	सिकन्दरा की फ्लड लाइटिंग (जिला आगरा)	04.27
3.	एतमाउदौला की फ्लड लाइटिंग (जिला आगरा)	05.29
	2000-2001	
1.	ताजगंज आगरा स्थित प्रसाधन कक्षों का जीर्णोद्धार	07.54
2.	फतेहपुर सीकरी (मुख्य द्वार) तथा पंच महल (आंतरिक) स्थित सामुदायिक प्रसाधन कक्षों का जीर्णोद्धार, फतेहपुर सीकरी	16.90
3.	बटेश्वर का समन्वित विकास (जिला आगरा)	50.00
	2003-04	
1.	भाषान्तरण केन्द्र/शापिंग केन्द्र का निर्माण तथा संबधित विकास कार्य तथा सेवाएं, फतेहपुर सीकरी (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)	495.80
	2005-06	
1.	फरवरी, 2006 में आगरा में निवेशकों की बैठक	15.00

कुर्दवाडी स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण

352. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर महाराष्ट्र में कुर्दवाडी स्टेशन पर एक अन्य प्लेटफार्म का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

353. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना के भागीदार देशों के बीच पिछले तीन माह के दौरान कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) भारत ईरान से इरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात करने की पैरवी कर रहा है। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मंचों में परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच तीसरी त्रिपक्षीय संयुक्त कार्रवाई दल बैठक नई दिल्ली में 3-4 अगस्त, 2006 को आयोजित की गई। बैठक में तीनों देशों के बीच सहमत पद्धति के अनुसार गैस मूल्य का आकलन करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। बाद में ईरानी पक्ष द्वारा मैसर्स गेफनी क्लाइन एंड एसोसिएट्स की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की गई है। गैस मूल्य का आकलन करने हेतु पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 28-29 सितम्बर, 2006 को दुबई में एक बैठक आयोजित की गई। परामर्शदाता द्वारा आकलित मूल्य, जो ईरान द्वारा किये गये कतिपय मानदंडों पर आधारित था, भारत और पाकिस्तान को स्वीकार्य नहीं था। गैस मूल्य का आकलन करने के लिए परामर्शदाता को संशोधित मानदंड प्रदान किये गये हैं।

[हिन्दी]

रूस के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

354. श्री सज्जेश पाठक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रूस के साथ अनुसंधान विकास और हाईटैक शस्त्र प्रणाली के क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) जी, नहीं। रूस के साथ, इस समय चल रही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परियोजना को छोड़कर, विशेष रूप से अनुसंधान तथा विकास के संबंध में और किसी परियोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रेल कोच फैक्टरी

355. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेनों में मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली

356. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों में मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन (एम.टी.आर.सी.) प्रणाली प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन ट्रेनों में यह प्रणाली शुरू में उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(घ) यह प्रणाली सभी ट्रेनों में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों, जोकि रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, के अनुसार भारतीय रेलवे के क, ख एवं ग मार्गों पर सचल रेलगाड़ी रेडियो सम्प्रेषण को शुरू किया जाना है। इस कार्य हेतु उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 3200 आरकेएम (मार्ग कि.मी.) को स्वीकृत किया गया है और निष्पादन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह सुविधा, मार्च, 07 से पैसेंजर और माल गाड़ियों में चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानन बोर्ड का गठन

357. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय विमानन बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विमानों को किराए पर लेने हेतु मानदंड/मानक

358. श्री वी. के. थुम्मर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों को विमान किराये पर लेने की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड/मानक अपनाये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इन एयरलाइन्सों द्वारा कितने विमान किराये पर लिये गये हैं और तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या इन कंपनियों द्वारा विमानों को किराये पर लेने के लिए कोई लागत लाभ विश्लेषण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) एयरलाइनों द्वारा अल्प से मध्यम अवधि के परिप्रेक्ष्य में अपनी क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमानों की लीजिंग का आश्रय लिया गया है। राष्ट्रीय वाहकों को भी संबंधित समय पर अपने विमान अर्जन के प्रस्तावों के लंबित होने के कारण उत्पन्न हुई क्षमता संबंधी बाध्यताओं पर काबू पाने के लिए लीजिंग का आश्रय लेना पड़ा है। एयरलाइनों के निदेशक मंडल मामला-दर-मामला आधार पर लीजिंग के बारे में निर्णय, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण पर विचार करना भी शामिल है, करने में सक्षम है। एअर इंडिया, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भाड़े पर लिये गये विमानों की संख्या का कंपनीवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1.1.2004 से एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा भाड़े पर लिए गए विमानों का ब्यौरा

क्र.सं.	विमान का नाम	पंजीकरण संख्या	मालिक	पंजीकरण की तिथि
1	2	3	4	5
1.	एयरबस ए 310-300	वीटी-एआईबी	सिंगापुर एयरलाइंस लि., एयरलाइंस हाउस, 25 एयरलाइंस रोड, सिंगापुर	10.2.2004
2.	एयरबस ए 310-300	वीटी-एआईएच	बोईंग एयरक्राफ्ट होल्डिंग कंपनी, 1901 ओकेसडेल एवेन्यू, एस डब्ल्यू रेन्टन, डब्ल्यू ए वाशिंगटन 98055, यूएसए	14.7.2004
3.	एयरबस ए 310-300	वीटी-एआईजी	बोईंग एयरक्राफ्ट होल्डिंग कंपनी, 1901 ओकेसडेल एवेन्यू, एस डब्ल्यू रेनटन, डब्ल्यू ए 98055, यूएसए	29.6.2004
4.	एयरबस ए 310-300	वीटी-ईवीडब्ल्यू	आस्ट्रे एयरक्राफ्ट लीजिंग लि., द्वारा एम एवं सी कारपोरेट सर्विस लि. यूजी लैण्ड हाऊस, साउथ ग्रैंड केमैन, केमैन द्वीप	21.12.2004
5.	एयरबस ए 310-300	वीटी-ईवीएक्स	आस्ट्रे एयरकराफ्ट लीजिंग लि., द्वारा एम एवं सी कारपोरेट सर्विस लि. यूजी लैण्ड हाउस, साउथ ग्रेंड केमैन, केमैन द्वीप	21.12.2004
6.	बोईंग बी 777	वीटी-एआईजे	यूएस बैंक ट्रस्ट नेशनल एसोसिएशन, 225, एसाइल्स स्ट्रीट 06103 हाईफोर्ड सीटी, यूएसए	17.2.2005
7.	बोईंग बी 747-400	वीटी-एआईएम	वैल्स फारगो बैंक, नार्थ वेस्ट, नेशनल एसोसिएशन, द्वारा एयर कैसल एडवाइजर एलएलसी 1251, न्यूयार्क यूएसए	28.4.2005
8.	बोईंग बी 777	वीटी-एआईल	यूएस बैंक ट्रस्ट नेशनल एसोसिएशन, 225, एसाइल्म स्ट्रीट 06103 हॉर्टफोर्ड सीटी, यूएसए	27.5.05
9.	एयरबस ए 310-300	वीटी-एआईएल	रिवर्स ऑफ इंडिया लि. द्वितीय तल फेयरफैक्स हाऊस 21, माउन्साइनर गोनीन स्ट्रीट पोर्ट लुईस, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, मॉरीशस	7.6.05
10.	एयरबस ए 310-300	वीटी-एआईओ	रिवर्स ऑफ इंडिया लि. इंडिया लि., द्वितीय तल, फेयरफैक्स हाऊस 21, माउन्साइनर गोनीन स्ट्रटी पोर्ट लुईस, रिपब्लिक ऑफ मॉरीशस, मॉरीशस	5.8.05
11.	एयरबस ए 310-300	वीटी-एआईपी	वैल्स फारगो बैंक, नार्थ वेस्ट, 79, साउथ मेन स्ट्रीट साल्ट लेक सिटी, यूटीएच-84111, यू.एस.ए.	21.9.05
12.	बोईंग बी 747-400	वीटी-एआईएफ	वैल्स फारगो बैंक, नार्थ वेस्ट, 79 साऊथ मेन स्ट्रीट सॉल्ट लेक सिटी, यूटीएएच 84111, यूएसए	30.12.05

1	2	3	4	5
13.	बोईंग बी 747-400	वीटी-एआईई	वैल्स फारगो बैंक, नार्थ वेस्ट, 79 साऊथ मेन स्ट्रीट सॉल्ट लेक सिटी, यूटीएएच 84111, यूएसए	31.12.05
14.	बोईंग बी 777	वीटी-एआईआर	वैल्स फारगो बैंक, नार्थ वेस्ट, 79 साऊथ मेन स्ट्रीट सॉल्ट लेक सिटी, यूटीएएच 84111, यूएसए	4.1.06
15.	बोईंग बी 777	वीटी-एआईके	वैल्स फारगो बैंक, नार्थ वेस्ट, 79 साऊथ मेन स्ट्रीट सॉल्ट लेक सिटी, यूटीएएच 84111, यूएसए	27.1.06

1/1/2004 से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भाड़े पर लिए गए विमानों का ब्यौरा

क्र.सं.	विमान का नाम	पंजीकरण संख्या	मालिक	पंजीकरण की तिथि
1.	एयरबस ए 320	वीटी-ईवाईएफ	ऑरिक्स एविएशन सिस्टम लिमिटेड एआईजी सेन्टर अन्टरनेशनल फाइनेन्शयल सेन्टर, नार्थवॉल डबलिन, आयरलैण्ड	9.7.04
2.	एयरबस ए 320	वीटी-ईवाईए	एएलएस आइरिश एयरक्राफ्ट लीजिंग एमएसएन 376 लिमिटेड, डेबिस एयर फाइनेंस, आयरलैण्ड लि., डेबिस एयर फाइनेंस, आयरलैण्ड	7.12.05
3.	एयरबस ए 320	वीटी-ईवाईबी	एएलएस आइरिश एयरक्राफ्ट लीजिंग एमएसएन 386 लिमिटेड, डेबिस एयर फाइनेंस, आयरलैण्ड लि., डेबिस एयर फाइनेंस, आयरलैण्ड	7.12.05
4.	एयरबस ए 320	वीटी-ईवाईजी	एएलएस आइरिश एयरक्राफ्ट लीजिंग एमएसएन 344 लिमिटेड, डेबिस एयर फाइनेंस, आयरलैण्ड लि., डेबिस एयर फाइनेंस आयरलैण्ड,	7.12.05

[अनुवाद]

डी.आर.सी. की स्थापना

359. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश मे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में स्थानवार कौन-कौन से जिला पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक केन्द्रों की स्थापना का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों को राज्यवार किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाना है; और

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) 1984 से 1989 तक निम्नलिखित स्थानों पर जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित

किए गए थे-(1) महाराष्ट्र में विरार (2) उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर और सीतापुर (3) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, (4) हरियाणा में भिवानी, (5) आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, (6) कर्नाटक में मैसूर, (7) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर (8) राजस्थान में कोटा, (9) तमिलनाडु में चिंगलपट्टू, और (10) उड़ीसा में भुवनेश्वर।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। नया पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ट्रेवल एजेन्टों और टूर ऑपरेटरों के लिए योजना

360. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ट्रेवल एजेन्टों और टूर आपरेटरों को अनुमोदित करने वाली योजना में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमोदन देने हेतु नए मानदंड क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं कि टूर आपरेटर और ट्रेवल एजेन्ट विदेशी पर्यटकों से धोखाधड़ी न करें और देश का नाम बदनाम न करें?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं। ट्रेवल एजेन्टों और टूर आपरेटरों को अनुमोदन प्रदान करने की योजना में 2003 में संशोधन किया गया था।

(ग) पर्यटकों से प्राप्त किशकायतों को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। ट्रेवल एजेन्टों और टूर आपरेटरों के विरुद्ध विशेष शिकायतें प्राप्त होने पर, मामले की जांच की जाती है और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

साहसिक पर्यटन संबंधी नए मार्गदर्शी सिद्धांत

361. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साहसिक पर्यटन संबंधी नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या नए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत ट्रम्पोलाइन बंगी, जोकि माल क्लासर्स और उनके बच्चों के बीच लोकप्रिय है, की अनदेखी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वालों/पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ, उपकरणों तथा मानव संसाधनों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए ढांचागत न्यूनतम स्तरों को दर्शाते हुए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में जमीन, हवा और जल आधारित गतिधियां कवर होती हैं, जिनमें पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, बंगीजंपिंग और राफ्टिंग शामिल हैं।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय, साहसिक पर्यटन सहित, पर्यटन परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पास्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ट्रम्पोलाइन बंगी मुख्यत: शॉपिंग माल्स में प्रयोग की जाने वाली एक मनोरंजन गतिविधि है। अत: साहसिक पर्यटन के अंतर्गत इस पर विचार नहीं किया जाता है।

किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा-बचाव उपाय संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं।

पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति

362. श्री एम. अप्पादुरई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है ताकि इसकी ढुलाई में होने वाली हानि से बचा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव

सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, तेल विपणन कंपनियां विभिन्न स्थलों से पेट्रोलियम उत्पादों के थोक परिवहन के लिए पाइपलाइनों का प्रचालन/निर्माण कर रही हैं।

रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी

363. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री अनन्त नायक:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ग्यारहवीं योजना के दौरान निजी सरकारी भागीदारी के माध्यम से कुछ रेल परियोजनाओं को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे विस्तार में निजी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजनाओं के चयन को भी सरलीकृत कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (च) कुछ क्षेत्रों/गतिविधियों जैसे प्रमुख महानगरों में स्टेशनों का उन्नयन, बेहतर सुविधा वाले अस्पतालों की स्थापना चल स्टाक के लिए विनिर्माण, इकाइयों की व्यवस्था, रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) के माध्यम से बन्दगाहों को जोड़ने के लिए अवसंरचना परियोजनाएं और खानपान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विभिन्न क्रिया-कलापों के सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा संभव निष्पादन के लिए पहचान की गई है। इस संबंध में विभिन्न चेम्बर्स आफ कामर्स/उद्योग तथा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श करना सतत् और चालू प्रक्रिया है। संपूर्ण प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है।

भुवनेश्वर और मुंबई के बीच सीधी ट्रेन

364. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का भुवनेश्वर और मुंबई के बीच अतिरिक्त सीधी ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों शहरों के बीच अतिरिक्त ट्रेन सेवा कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कटक और सूरत के बीच भी सीधी ट्रेन चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ट्रेन चलाने के लिए अपारम्परिक स्रोतों का उपयोग

365. **श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा:**
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री संतोष गंगवार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ट्रेनों को चलाने के लिए बायो-गैस, बायो-डीजल और पवन ऊर्जा जैसे अपारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 2002 में अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस पर 5% बायो डीजल समिश्रण के साथ किये गये पूर्व परीक्षण की तुलना में लखनऊ और इलाहाबाद के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस पर 10% बायो डीजल समिश्रण का उपयोग करके सफलतापूर्वक क्षेत्र परीक्षण किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, दक्षिण रेलवे यात्रियों की सेवा के लिए 4 डीजल/विद्युत मल्टीपल यूनिट और 2 मीटर आमान इंजन 5% बायो डीजल समिश्रण के साथ चलाती है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर रायपुर-धामतरी छोटी लाइन खंड के बीच 21.7.2006 से परीक्षण आधार पर 5% बायो-डीजल समिश्रण वाला उच्च गति वाले डीजल से दो नामित रेल इंजन द्वारा दो भिन्न छोटी लाइन गाड़ियों को चलाया जा रहा है।

जब कभी बायो-डीजल वाणिज्यिक रूप में मुक्त रूप से उपलब्ध होगा, तब इस ईंधन को नियमित विकल्प के रूप में दोहन करने की विस्तृत योजना आरंभ की जाएगी।

रसोई गैस की कमी

366. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री शिशुपाल पटले:
श्री ई. जी. सुगावनम:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की रिफाइनरी में हाल में लगी आग के कारण देश में रसोई गैस की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रसोई गैस की आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) वर्तमान में देश में एल पी जी की कोई नहीं है और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी की आपूर्तियां की जा रही हैं। तथापि, ओ एम सीज ने रिफाइनरियों के अघोषित बंद, परिवहनकर्त्ताओं की हड़ताल, मार्गों की खराब स्थिति तथा मैंगलौर में दंगों के कारण आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु जैसे कुछ दक्षिणी राज्यों में 2 से 8 दिनों के एक बैकलॉग की रिपोर्ट दी है।

(ग) सरकार ने ओ एम सीज को अवकाश दिवसों तथा बढ़ाए गए घंटों में भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा इन राज्यों में बैकलॉग को समाप्त करने का परामर्श दिया है।

[अनुवाद]

भारत-अमरीका सैन्य सहयोग

367. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने सैन्य सहयोग बढ़ाने और अधिक द्विपक्षीय अभ्यास करने तथा एक दूसरे के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्टूबर 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स पेसेफिक कमान के चीफ एडमिरल और भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) जून 2005 में रक्षा मंत्री तथा अमरीकी समकक्ष के बीच हस्ताक्षरित समझौते को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और इससे हमारी सैन्य शक्ति कितनी बढ़ी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जून 2005 में किए गए करार में दोनों देशों के बीच अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा संबंधों की रूपरेखा दी गई है। दोनों देश विभिन्न घटनाओं को वार्षिक बैठकों में निष्पादित कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अंतर-संचालनीयता, युद्धक-अनुभव को बांटने, शांति स्थापना संबंधी कार्यों और आपदा प्रबंधन में वृद्धि हुई है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में निवेश और उत्पादन

368. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम आयल फील्ड्स में आयल इंडिया लिमिटेड (ओ. आई. एल.) और तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा कितना निवेश किया गया है और उत्पादन का रुझान क्या रहा है तथा भविष्य में तेल गैस की सम्भावनाएं क्या हैं;

(ख) संबद्ध और फ्री गैस के आंकड़ों को अलग-अलग दर्शाते हुए इस अवधि के दौरान किस सीमा तक गैस जली है और दोनों कंपनियों द्वारा अपने भावी नियंत्रण हेतु योजना क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के कौन से नए ब्लाक आबंटित किए गए हैं और भविष्य हेतु लक्ष्य क्या हैं, यदि कोई हो तो?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम तेल क्षेत्रों में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) द्वारा निवेश-

निवेश (करोड़ रुपए में)

वर्ष	ओ एन जी सी	ओ आई एल	योग
2003-04	755.82	481.23	1,237.05
2004-05	598.45	660.49	1,258.94
2005-06	501.87	521.17	1,023.04

(2) पिछले तीन वर्षों में ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा तेल और गैस उत्पादन

	तेल उत्पादन (एम एम टी)		*गैस उत्पादन (एम एम एस सी एम)*	
वर्ष	ओ एन जी सी	ओ आई एल	ओ एन जी सी	ओ आई एल
2003-04	1.621	2.969	498	1,706
2004-05	1.546	3.155	467	1,780
2005-06	1,285	3.187	400	2,003

असम में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ओ एन जी सी द्वारा निम्नलिखित बड़े उपाय किए गए हैं-

(1) ओ एन जी सी ने उच्च प्रौद्योगिकी के कूपों, साइड ट्रेक कूपों और अत्यधिक कम त्रिज्या वाले नालिका छिद्र कूपों (यू एस आर डी एच) के वेधन के अलावा सतह सुविधाओं, पाइपलाइन, नेटवर्क, वेधन और वर्कओवर रिगों इत्यादि के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए असम नवीकरण योजना में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने की पहले ही योजना बनाई है।

(2) असम के सभी तीन बड़े उत्पादक क्षेत्रों अर्थात लाकवा, रुद्रसागर और जेलेकी में आई ओ आर योजनाओं का कार्यान्वयन।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से असम में तेल के उत्पादन के 2009-2010 तक 3.00 एम एम टी पी ए के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।

जहां तक ओ आई एल का संबंध है, असम में उत्पादक क्षेत्रों में पुराने, परिपक्व और निशेषित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ओ आई एल असम तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल की वर्तमान उत्पादन रूपरेखा को बनाए रख सकेगी। तदनुसार 3.45 एम एम टी प्रति वर्ष का समान कच्चे तेल उत्पादन लक्ष्य पूरी ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान रहने का अनुमान है।

(ख) असम में मुक्त गैस का दहन नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में सहबद्ध गैस का दहन निम्नानुसार है-

सहबद्ध गैस (एम एम एस सी एम डी)

वर्ष	ओ एन जी सी	ओ आई एल
2003-04	0.18	0.29
2004-05	0.18	0.36
2005-06	0.15	0.31

गैस के दहन को कम करने के लिए ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए हैं या किए जा रहे हैं-

(1) गैस प्रणाली के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षणीय नियंत्रण और आंकड़ा अर्जन (स्काड) की स्थापना।

(2) नए क्षेत्रों को तुरंत गैस नेटवर्कों से जोड़ना।

(3) गैस संपीडकों में क्षमता नियंत्रण का निगमन और तेजी के प्रभाव को नकारने के लिए गैस धारकों की स्थापना।

(4) क्षेत्र में चाय बागानों के सीमांत क्षेत्रों से सीधे कम दबाव वाली प्रणालियों में कम दबाव वाली गैस की आपूर्ति।

(5) वर्तमान गैस परिवहन लाइनों का और अधिक व्यवधान हटाना।

(6) गैस समपीडन के माध्यम से अलग-थलग क्षेत्रों में कम दबाव की गैस का वर्धन।

(7) उन अलग-थलग क्षेत्रों के पास छोटे उपभोक्ताओं की पहचान जहां गैस का छोटी मात्राओं में कम दाबव पर उत्पादन किया जा रहा है।

(8) प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं से गैस की वचनबद्धित मात्रा का उठान करने का अनुरोध करना क्योंकि कोई फाल बैक ग्राहक नहीं हैं।

(9) कम दबाव के वर्धन संपीड़कों की स्थापना।

(10) अपतटीय संस्थापनाओं में शून्य गैस दहन परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित ब्लाकों में विभिन्न एन ई एल पी दौरों के अंतर्गत ओ एन जी सी और ओ आई एल के नेतृत्व वाले परिसंघ को निम्नलिखित ब्लाक प्रदान किए गए-

राज्य	ब्लाक
एन ई एल पी-3	ओ एन जी सी के नेतृत्व वाले परिसंघ
असम	एए-ओएनएन-2001/3
नागालैण्ड	एए-ओएनएन-2001/4
त्रिपुरा	एए-ओएनएन-2001/1
मिजोरम	एए-ओएनएन-2001/2
एन ई एल पी-4	ओ एन जी सी के नेतृत्व वाले परिसंघ
असम	एए-ओएनएन-2002/3
नागालैण्ड	एए-ओएनएन-2002/04
एन ई एल पी-5	ओ आई एल के नेतृत्व वाले परिसंघ
असम	एए-ओएनएन-2003/

एन ई एल पी के छटे दौर में बोली के लिए 55 ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

सैन्य शिक्षा

369. श्री सूरज सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैन्य शिक्षा को अनिवार्य बनाने अथवा इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन

370. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सी.एन.जी. मोटर चालकों की सुविधार्थ संपीड़ित प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन की एक श्रृंखला स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि वे पेट्रोल अथवा डीजल बदले बिना सी.एन.जी. ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित करने में रुचि दर्शाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, नही। तथापि, पाइपलाइन बुनियादी ढांचें के विस्तार तथा प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के साथ अधिक शहरों में प्रस्तावित उत्तरोत्तर सी एन जी शुरू करना प्रस्तावित है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सी एन जी स्टेशनों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

मवेशियों की ढुलाई

371. **श्री संतोष गंगवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मवेशियों की ढुलाई मालगाड़ियों के द्वारा करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने पशु, नस्लवार पश्चिम बंगाल को भेजे गए तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से उनकी ढुलाई की गयी;

(ग) क्या मालगाड़ियों से गाय के बछड़ों की तस्करी करने का मामला रेलवे के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो मालगाड़ियों से गाय के बछड़ों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) उन राज्यों के नाम जहां से पश्चिम बंगाल को विगत प्रत्येक दो वर्षों के दौरान परिवहन किये गये जानवरों के साथ-साथ उनकी प्रजातिवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	राज्य जहां से लादे गये	जिस राज्य को भेजे गये	मवेशियों की संख्या	जानवरों की प्रजाति
1	2	3	4	5
2004-05	हरियाणा	पश्चिम बंगाल	480	बच्चों के साथ दूध वाली भैंसें
	पंजाब	पश्चिम बंगाल	(1) 2704 (2) 2496	बच्चों के साथ दूध वाली भैंसें भैंस
	हरियाणा/पंजाब	पश्चिम बंगाल	688	भैंस
	बिहार	पश्चिम बंगाल	925	सींग वाले पशु

1	2	3	4	5
2005-06	हरियाणा	पश्चिम बंगाल	(1) 3536 (2) 2528	बच्चों के साथ दूध वाली भैंसें भैंस
	पंजाब	पश्चिम बंगाल	(1) 1568 (2) 1224	बच्चों के साथ दूध वाली भैंसें भैंस
	हरियाणा/पंजाब	पश्चिम बंगाल	809	भैंस
	बिहार	पश्चिम बंगाल	500	सींग वाले पशु
2006-07 (15.11.2006 तक)	हरियाणा	पश्चिम बंगाल	(1) 4704 (2) 4739	बच्चों के साथ दूध वाली भैंसें भैंस

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा

372. **श्री सुव्रत बोस:**
श्री जोयाकिम बखला:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और उसके विकास हेतु कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) पश्चिम बंगाल विशेषकर पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल हेतु वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित और अंतिम रूप दिए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए सरकार ने कई योजना स्कीमें कार्यान्वित की हैं। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास के लिए समर्थन, विभिन्न संस्थानों में गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का संवर्धन, कोडेक्स सेल का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

ऋण की सुलभ उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में शामिल किया है। फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से पहले ही छूट प्राप्त है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2004-05 में आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी है। डेरी प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर लगने वाले 16% के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा लिया गया है। मांस, पॉल्ट्री और मछली उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है। खाद्य तेल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% किया गया है। बजट 2005-06 में परिष्कृत तेल पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 रुपये प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैनों पर सीमा शुल्क को

20% से कम करके 10% किया गया है। बजट 2006-07 में सरकार ने कंडैन्स्ड मिल्क, आइसक्रिम, मांस, मछली और पॉल्ट्री से तैयार वस्तुओं, पैक्टिन, पास्ता और खमीर को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी है। पैक किए हुए खाने के लिए तैयार खाद्यों और इंस्टेंट फूड मिक्सेज जैसे डोसा और इडली मिक्स पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% किया गया है। वातित पेयों पर उत्पाद शुल्क को 24% से कम करके 16% किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि प्रसंस्करण बुनियादी विकास एवं बाजार विकास के लिए पुनर्वित्तपोषण ऋण देने के वास्ते 1000 करोड़ रुपये के कार्पस समेत एक पृथक खिड़की (विंडो) सृजित किया है। पिछले तीन सालों के दौरान स्कीम-वार और राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I, II, III में दिए गए हैं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 भी अधिनियमित किया है जिसे दिनांक 2.8.2006 को संसद द्वारा पारित किया गया और अधिनियम सं. 34/2006 के रूप में दिनांक 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-1 में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एकल खाद्य संविधि बनाना है।

(ग) और (घ) अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित क्षेत्र में है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या संबंधी आंकड़े मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। वैसे 10वीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	योजना स्कीमें								
	बुनियादी विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार/तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फारवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	सिक्किम समेत पूर्वोत्तर हेतु एकमुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामन्यतः	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान एवं निकबार					1.00				1.00
आंध्र प्रदेश		465.57		10.17	51.00				526.74
असम				0.45			307.32		307.77
बिहार				0.42					0.42
चंडीगढ़				7.85					7.85
छत्तीसगढ़					3.00				3.00
दिल्ली	100.00		19.64	100.94	54.00				274.58
गोवा		17.00			22.00				39.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात		165.85	4.00	11.89	8.00	3.88			193.62
हरियाणा		185.94	61.00		10.00	1.00			257.94
हिमाचल प्रदेश		99.18			4.00	1.00			104.18
जम्मू-कश्मीर		108.78	50.00		3.00	5.00			166.78
कर्नाटक		151.49	66.84	40.00	3.00				261.33
केरल		192.53		7.00	10.00				209.53
मध्य प्रदेश	200.00	88.93	4.85		8.00	1.00			302.78
महाराष्ट्र	469.92	529.03	28.22	9.38	64.00				1,100.55
मणिपुर							110.29		110.29
मिजोरम							111.50		111.50
नागालैंड							40.75		40.75
उड़ीसा					4.00	1.00			5.00
पांडिचेरी				0.03					0.03
पंजाब		163.00	8.76	0.60	82.00				254.36
राजस्थान	100.00	86.00		2.34	8.00				196.34
सिक्किम							0.50		0.50
तमिलनाडु		274.03		36.90	25.00	239.00			574.93
त्रिपुरा							34.07		34.07
उत्तर प्रदेश	200.00	263.19	150.55	7.82	13.00				634.56
उत्तरांचल		5.37							5.37
पश्चिम बंगाल	300.00	132.96	6.13	10.77	23.00				472.86
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामान्यत:								40.33	40.33
कुल	1369.92	2928.85	399.99	246.56	396.00	251.88	604.43	40.33	6,237.96

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान प्रमुख स्कीमों हेतु विभिन्न राज्यों में स्थित परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	योजना स्कीमें						
	बुनियादी विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार/तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास	बैकवर्ड और फारवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान एवं निकबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	0.25	–	0.25
आंध्र प्रदेश	3.39	797.67	–	2.27	50.37	0.36	854.06
असम	–	245.74	–	–	0.60	–	246.34
बिहार	–	25.32	3.74	4.34	12.00	–	45.40
छत्तीसगढ़	–	32.61	–	–	4.14	–	36.75
दिल्ली	–	2.50	14.85	271.50	19.35	–	308.20
चंडीगढ़	–	–	–	5.00	–	–	5.00
गोवा	–	25.00	–	–	1.16	–	26.16
गुजरात	3.40	262.15	–	17.55	77.60	1.00	361.70
हरियाणा	211.35	183.34	39.00	33.17	–	–	466.86
हिमाचल प्रदेश	25.72	75.51	–	–	9.60	–	110.83
जम्मू-कश्मीर	–	74.78	–	0.50	–	–	75.28
झारखंड	–	–	58.40	2.94	25.60	4.93	91.87
कर्नाटक	–	425.32	6.81	9.78	28.31	–	470.22
केरल	–	152.86	–	–	16.68	1.00	170.54
मध्य प्रदेश	128.76	45.62	–	10.00	38.78	1.00	224.16
महाराष्ट्र	250.00	778.67	53.61	18.76	42.22	–	1,143.26
मेघालय	–	12.14	–	–	–	–	12.14
मिजोरम	182.00	12.30	–	–	3.54	–	197.84
उड़ीसा	–	63.31	–	–	30.98	1.00	95.29

1	2	3	4	5	6	7	8
पांडिचेरी	–	24.54	–	–	–	–	24.54
पंजाब	–	538.23	0.50	–	9.01	–	547.74
राजस्थान	–	35.83	–	–	4.67	–	40.50
सिक्किम	–	–	–	–	0.90	–	0.90
तमिलनाडु	–	310.60	–	4.50	47.03	25.20	387.33
उत्तर प्रदेश	200.00	591.76	45.80	17.15	122.04	2.00	978.75
उत्तरांचल	–	87.88	7.50	–	–	–	95.38
पश्चिम बंगाल	177.38	325.74	69.50	30.85	77.12	–	680.59
पूर्वोत्तर राज्य	–	–	–	–	14.14	–	14.14
कुल	1182.00	5129.42	299.71	395.14	669.26	36.49	7697.88

विवरण III

वर्ष 2005-06 के दौरान प्रमुख स्कीमों हेतु विभिन्न राज्यों में स्थित परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थापना	मानव संसाधन विकास	एकीकरण और संवर्धन	गुणवत्ता आश्वासन	बुनियादी ढांचा विकास	नोडल एजेंसी का सुदृढ़ीकरण	कुल (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	750.22	26.29	5.00	175.19	0.00	0.00	956.70
असम	44.34	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
बिहार	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51
गुजरात	282.25	74.93	46.94	137.40	3.35	0.00	544.87
हरियाणा	49.37	8.94	10.00	0.00	0.00	0.00	68.31
हिमाचल प्रदेश	110.10	9.19	7.50	0.00	0.00	0.00	126.79
जम्मू-कश्मीर	41.59	5.64	0.50	0.00	72.87	0.00	120.60
कर्नाटक	293.64	4.04	0.00	2.81	0.00	0.00	300.49
केरल	306.92	52.72	0.00	8.20	29.61	0.00	397.45

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	168.56	10.03	0.00	14.85	0.00	0.00	193.44
महाराष्ट्र	877.84	13.16	5.00	19.77	265.50	0.00	1181.27
मणिपुर	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
मेघालय	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
नागालैंड	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
उड़ीसा	3.96	10.28	0.00	2.00	0.00	0.00	16.24
पंजाब	468.52	60.92	0.00	71.57	0.00	0.00	601.01
राजस्थान	102.95	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153.71
तमिलनाडु	345.71	105.43	11.00	146.72	16.03	0.00	624.89
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	579.10	84.57	6.45	0.15	24.34	0.00	694.61
पश्चिम बंगाल	322.39	61.77	0.00	239.35	128.21	0.00	751.72
सिक्किम	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
अंडमान निकोबार	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	11.77	144.48	10.25	44.68	37.50	0.00	248.68
दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एल.एम. एंड ए. द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
पांडिचेरी	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67
गोवा	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
झारखंड	48.28	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.28
उत्तरांचल	119.19	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	128.42
छत्तीसगढ़	91.76	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56
कुल (लाख रुपये में)	5166.09	741.70	102.64	862.69	577.41	0.00	7450.53

विवरण IV

दसवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित अनुमोदित प्रस्तावों की स्कीमवार संख्या

क्र.सं.	स्कीमों के नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	1	6	2	2	1
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम	2	6	13	10	13
3.	बैकवर्ड और फारवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप संबंधी स्कीम	1	1	–	–	1
4.	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान तथा विकास संबंधी स्कीम	1	2	2	4	4
5.	मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम	4	2	4	4	7

[हिन्दी]

तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

373. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के पहली छमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कंपनियों द्वारा निवेश की गई पूंजी के संबंध में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लाभ का प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान तेल क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों (पी एस यूज) द्वारा अर्जित लाभ (करोपरांत लाभ) और उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के संदर्भ में लाभ के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तेल पीएसयूज का नाम	लाभ (करोड़ रुपये में)	निवेश की गई पूंजी के संदर्भ में लाभ का प्रतिशत
आईओसी	4,830.79	9.58
बीपीसी	832.00	8.43
एचपीसी	614.32	4.45
ओएनजीसी	8292.97	14.92
गेल	1040.00	9.54
ओआईएल	778.24	12.10

भारतीय सैन्य टुकड़ी को पुरस्कार

374. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लेबनान में तैनात भारतीय सैन्य टुकड़ी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) 4 सिख बटालियन संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना के एक हिस्से के रूप में लेबनान में तैनात है। इजराइल-हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान उनकी कार्रवाई की प्रशंसा की गई थी और उन्हें लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अभियान के फोर्स कमांडर ने यूनिट प्रशस्ति-पत्र और वीरता के लिए 73 व्यक्तिगत पुरस्कार दिए हैं।

अतिथि देवो भव अभियान

375. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''अतिथि देवो भव' जागरूकता अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह अभियान आरंभ किया गया है;

(ग) क्या इस अभियान में कई ऐसे राज्य शामिल नहीं किए गए हैं जहां पर्यटन की दृष्टि से कई काफी महत्वपूर्ण स्थान अवस्थित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) छह राज्यों में सात शहरों को कवर करते हुए जिनमें; आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र में मुंबई तथा औरंगाबाद, राजस्थान में जयपुर और उत्तर प्रदेश में आगरा शामिल हैं, सेवा प्रदाताओं के बीच उनकें रवैये में बदलाव लाने के लिए अतिथि देवो भव जागरूकता अभियान को दो चरणों में पहले ही वर्ष 2004-05 में तथा वर्ष 2005-06 में चलाया जा चुका है। प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से संपूर्ण देश को कवर करते हुए स्मारकों में विकृति और कचड़े पर नवम्बर, 2006 से अतिथि देवो भव जागरूकता अभियान चलाया गया है।

पटना और गया के विमानपत्तनों का उन्नयन

376. **श्री गिरिधारी यादव:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पटना और गया के विमानपत्तनों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गया एयरपोर्ट का उन्नयन किया जा चुका है और इसका, एबी-320 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए विकसित किया जा चुका है। व्यस्ततम् समय में 500 यात्रियों को संभालने के लिए सभी आधुनिक सुख-सुविधाओं सहित नए एकीकृत टर्मिनल भवन, कार पार्क, एप्रन, संपर्क टैक्सीमार्गों, आइसोलेशन बे एवं संबद्ध पटरियों का निर्माण किया गया है।

पटना एयरपोर्ट पर एबी-320 प्रकार के विमान के लिए वर्तमान रनवे सर्वथा उपयुक्त है। वर्तमान में, पहुंच मार्ग पर बाधाओं (वृक्ष आदि) के कारण रनवे की पूरी लम्बाई उपलब्ध नहीं हो रही है। वृक्षों की छंटाई की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस संबंध में कार्य आरंभ कर रही है। एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की योजना है बशर्ते कि राज्य सरकार इसके लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

रेल टिकटों की बिक्री

377. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री एल. राजगोपाल:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल टिकटें जारी करने के लिए बैंकों, डाक तार विभाग और अन्य विभागों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे स्थानों पर टिकट बेचने के पीछे क्या कारण हैं;

(घ) क्या यात्रियों को टिकटें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर्याप्त नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों के बाहर टिकटें बेचने के क्या निहितार्थ हैं; और

(च) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) "क", "ख" और "ग" श्रेणी स्टेशनों पर ई-टिकटें जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एटीएम की सुविधा सहित आटोमैटिक टेलर मशीनें लगाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी प्रकार छः अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ भी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है।

रक्षा प्राधिकरणों तथा कुछ राज्य सरकारों के पास भी आरक्षित टिकटें जारी करने की यह व्यवस्था उन स्थानों पर मौजूद हैं, जो स्थान काफी दूरी पर स्थित हैं और जहां रेल संपर्क नहीं हैं।

(ग) से (च) दूरस्थ क्षेत्र के यात्रियों को भी आरक्षित टिकटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। यद्यपि आरक्षित टिकटें जारी करने के लिए की गई व्यवस्था पर्याप्त है, तथापि, अति व्यस्त अवधि के दौरान अतिरिक्त काउंटर खोले जाने के बावजूद यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। इस दिशा में, आरक्षित टिकटें अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें नए यात्री आरक्षित प्रणाली (पीआरएस) केन्द्र खोलना, इंटरनेट के माध्यम से टिकटें जारी करना आदि शामिल है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बेटिकट यात्री

378. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और उनके कर्मचारियों/रिश्तेदारों द्वारा बेटिकट यात्रा की कुछ घटनाएं रेलवे के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005 और 2006 के दौरान पता चली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या निर्देश दिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। अनियमित यात्रा की कुछ घटनाएं देखने में आई हैं। इस प्रकार के मामलों को रेलवे अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है। बहरहाल, इस संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। विभिन्न पासों और संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों के परिचय पत्र तथा विधान सभा सदस्यों के रेल यात्रा कूपनों सहित यात्रा प्राधिकार पर जाली बुकिंग के विरुद्ध सतर्क रहने के लिए सभी आरक्षण कर्मचारियों के पास निर्देश मौजूद हैं। उपरोक्त वर्णित सहित विभिन्न यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों के पास भी अनुदेश मौजूद हैं।

विशिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

379. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से उन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध करने वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिन्होंने संस्कृति, कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त की है और इस समय दरिद्रता की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं, इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी): (क) से (ङ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने "विपन्न परिस्थितियों में रह रहे साहित्य, कला तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम" के तहत 131 कलाकारों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है। प्राप्त ऐसे आवेदनों पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति में विचार किया जाता है। उक्त आवेदनों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की शीघ्र बैठक होनी है।

ट्रेनों का प्रचालन बंद किया जाना

380. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली से केरल जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और मिलेनियम एक्सप्रेस नाम की दो साप्ताहिक ट्रेनों का प्रचालन बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का राजधानी एक्सप्रेस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनों की बारंबारता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस/केरोसीन उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट कार्ड आरम्भ करना

381. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रसोई गैस/केरोसिन उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट कार्ड के बारे में 27 जुलाई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस और केरोसिन उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट कार्ड आरम्भ करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता का लाभ एक कुशल कम लागत के तरीके से लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंच सके और रिसावों को रोकने के लिए यह मंत्रालय सा.वि.प्र. मिट्टी तेल के वितरण के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली आरम्भ करने पर विचार कर रहा है। यह योजना आरम्भ में 1.1.2007 से तीन जिलों—महाराष्ट्र में लातूर, बिहार में नालंदा और उत्तरांचल में नैनीताल में प्रायोगिक आधार पर लागू किये जाने की संभावना है। प्रायोगिक परियोजना में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उपलब्ध होने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य सभी राशन कार्ड धारकों को गैर-राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल दिया जाएगा। प्रायोगिक की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) प्रायोगिक के कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान सा.वि.प्र. और गैर-राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

[अनुवाद]

जर्मनी के साथ रक्षा सहयोग समझौता

382. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री महोदय ने सितम्बर 2006 में जर्मनी की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी के साथ किसी रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 6-7 सितम्बर, 2006 के दौरान जर्मनी का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय तथा जर्मनी संघीय गणराज्य के संघीय रक्षा मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित एक करार पर 6 सितंबर 2006 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

(1) रक्षा सचिव/स्टेट सेक्रेटरी आफ डिफेंस के स्तर पर सशस्त्र बलों के लाभ के लिए सामरिक वार्ता हेतु ढांचे नामत: भारत-जर्मनी उच्चा रक्षा समिति की स्थापना करना; और

(2) "सामरिक रक्षा सहयोग", "रक्षा तकनीकी सहयोग" तथा "सेना से सेना स्तर पर सहयोग" पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उप समूहों का गठन करके द्विपक्षीय विशेषज्ञ-वार्ताओं के लिए ढांचे की स्थापना करना।

धारवाड़ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना

383. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने धारवाड़, कर्नाटक में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत और जारी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कर्नाटक सरकार को अपेक्षित धनराशि कब तक जारी की जाएगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी): (क) से (च) जी, हां। धारवाड़ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना संबंधी 6.50 करोड़ रु. की प्राक्कलित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को 10 एकड़ भूमि प्रदान करनी थी और पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत वहन करना था। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी वित्तीय सहायता की मंजूरी नहीं दी है/उसे जारी नहीं किया है क्योंकि अभी तक धारवाड़ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए किसी उपयुक्त स्थल का निर्णय नहीं किया गया है।

निष्क्रिय फ्लाइंग स्कूलों/संस्थानों का पुनरुद्धार

384. श्री एल. राजगोपाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों में पायलटों की भारी कमी से निपटने के लिए कोई दीर्घावधि उपाय तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त पायलटों को इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के व्यावसायिक विमान उड़ाने के लिए नियुक्त नहीं करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कई वर्षों से निष्क्रिय हो गए देश के 15 फ्लाइंग स्कूलों/संस्थानों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश के कई फ्लाइंग स्कूलों/संस्थानों में ट्रेनर विमान भी नहीं हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) राष्ट्रीय वाहक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इगुआ) के साथ-साथ अन्य उड़ान क्लबों से प्रशिक्षु पायलटों तथा कैडेटों पायलटों की भर्ती करते रहे हैं। सरकार ने इगुआ की 40 पायलटों की मौजूदा क्षमता की तुलना में प्रतिवर्ष 100 पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इगुआ का स्तरोन्नयन करने का निर्णय किया है। हाल के समय में पायलटों की बढ़ती मांग को देखते हुए, एअर इंडिया लगभग 150 विज्ञान तथा इंजीनियरिंग स्नातकों को भर्ती करने का निर्णय किया है जिन्हें एअर इंडिया में कैडेट पायलटों के रूप में भर्ती किया जाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गोंदिया, महाराष्ट्र में संयुक्त उद्यम भागीदार द्वारा एक नए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी पायलटों की

आयु सीमा को भी बढ़ाकर 65 वर्ष करके पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं जिससे वे पायलटों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वाणिज्यिक परिवहन प्रचालनों के लिए अपने लाइसेंसों के विशेषाधिकारों/लाभों का उपयोग कर सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। देश के उड़ान क्लब सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन नहीं हैं। गैर-प्रचालनिक उड़ान क्लबों को अपने नवीनीकरण के लिए यथा आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

(छ) और (ज) जी, नहीं। अधिकांश उड़ान क्लबों के पास भारत सरकार द्वारा डीजीसीए और एयरो क्लब आफ इंडिया (एसीआई) के माध्यम से इन्हें प्रदान किये गये अथवा स्वयं द्वारा खरीदे गए। राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान किये गये विमान हैं। एयरो क्लब आफ इंडिया (एसीआई) तथा डीजीसीए, उपलब्धता के अध्यधीन, प्रचालनरत उड़ान क्लबों को न लाभ न हानि उधार पर विमान प्रदान करते रहे हैं। वार्षिक योजना 2006-07 में एसीआई को, उन जरूरतमन्द उड़ान क्लबों जिन्हें डीजीसीए द्वारा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया है, को आबंटन के लिए विमानों की खरीद हेतु अनुदान सहायता के रूप में जारी करने के लिए 12.79 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नगरकोइल से कोयम्बटूर तक रात्रिकालीन रेलगाड़ियों का प्रचालन आरंभ करना

385. श्री ए. वी. वेल्लारमिन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार चेन्नई से नागरकोइल तथा चैन्नई से कोयम्बतूर तक चलने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की बारम्बारता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार नागरकोइल से कोयम्बतूर तक एक रात्रिकालीन रेलगाड़ी का प्रचालन शुरू करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मूल कोशिका प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना

386. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सशस्त्र सेना चिकित्सा केन्द्रों में मूल कोशिका प्रत्यारोपण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थलों का चयन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ङ) सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल), दिल्ली छावनी और सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में एडल्ट स्टेम सेल से कैंसर रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही स्टेम सेल प्रत्यारोपण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। भारतीय नौसेना अस्पताल पोत (आईएनएचएस), अश्विनी, मुंबई में एक और केन्द्र के निकट भविष्य में चालू हो जाने की संभावना है।

मिग-29 की प्रचालन अवधि बढ़ाना

387. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने मौजूदा मानकों की तुलना में अपने प्रमुख लड़ाकू विमान मिग-29 की प्रचालन अवधि में 500 अतिरिक्त घंटों की वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मिग-29 की उड़ान अवधि बढ़ाये जाने से इसकी कार्यक्षमता एवं सुरक्षा के साथ-साथ इसकी उड़ान भरने की क्षमता प्रभावित न हो?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना ने मिग-29 विमान के मध्य कार्यकाल उन्नयन तथा कुल तकनीकी कार्यकाल (टीटीएल) विस्तार का प्रस्ताव किया है। मध्य कार्यकाल उन्नयन के भाग के रूप में, मिग-29 विमानों, जिन्हें 1986 और 1995 के बीच शामिल किया गया था, का कार्यकाल 25 वर्ष/2500 घंटों से बढ़कर 40 वर्ष/3500 घंटे हो जाएगा ताकि भारतीय वायु सेना की जरूरत पूरी हो सके। इन विमानों में 1980 के दशक की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है और अब बेहतर प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जिनसे विमान की प्रचालनात्मक क्षमता में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है।

(ग) मध्य कार्यकाल उन्नयन तथा कुल तकनीकी कार्यकाल विस्तार एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया है तथा कार्य निष्पादन, सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इसे वैज्ञानिक आधार पर अपनाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल संवर्धन, रूसी-संघ सुविधाओं पर किये गये अध्ययनों पर आधारित है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में खुदरा बाजार का हिस्सा

388. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के माध्यम से राजस्व उगाहने के लिए अग्रणी व्यापारिक/औद्योगिक चैम्बर्स से सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चैम्बर्स द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के खुदरा बाजार में अधिक भागीदारी को पाने के लिए सरकार द्वारा कब तक व्यापक योजना तैयार किये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) उद्योग संघों ने बजट 2007-08 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कर प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये हैं ताकि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का स्तर बढ़े, बरबादी कम हो और कृषि उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का अंशदान बढ़े; बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो, किसानों की आय में वृद्धि हो और यह क्षेत्र देश की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान दे। किये गये सुझावों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों के रूप में बहुआयामी रणनीति का अनुपालन, रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराना, परियोजनाओं की द्रुत निकासी, देश भर के खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग की संपूर्ण शृंखला को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर अवकाश का प्रावधान, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी तथा प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले प्रशीतित ट्रकों और वाहनों को उत्पाद शुल्क से छूट, मेगा खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के आयात हेतु सीमा शुल्क और समरूप शुल्क से छूट, ताजे और प्रसंस्कृत खाद्य हेतु फारवर्ड लिंकेजों का विकास तथा विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य मदों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौतियां शामिल हैं।

सेना में बीमा योजना आरम्भ करना

389. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेना में कोई बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) सेना में पहले से ही एक बीमा योजना है जिसमें रक्षा सेना अफसरों और अफसर रैंक से निचले कार्मिकों को मासिक अंशदान का भुगतान करने पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त योजना में भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद 25 वर्ष तक अथवा 75 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, वापस न किये जाने वाले एक बार के प्रीमियम का भुगतान करने पर विस्तारित बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

कंटेनर ट्रेनों के प्रचालन में निजी कम्पनियां

390. श्री गणेश सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंटेनर ट्रेनों के प्रचालन के लिए निजी कम्पनियों सहित कितने आपरेटरों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए कितने आपरेटरों को लाइसेंस प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इन आपरेटरों को विदेशी भागीदारी की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने अवसंरचना अथवा कार्य प्रचालन के लिए एफडीआई को अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) चौदह।

(ख) चौदह।

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कोई व्यक्ति विशेष अथवा संयुक्त उद्यम अथवा कंपनी कंटेनर रेलगाड़ियों के संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(ङ) और (च) भारतीय रेल ने, भारत सरकार की नीति के अनुसार अवसंरचना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निवेश में अनुमति प्रदान की है। बहरहाल, रेल द्वारा पैसेंजर/मालभाड़ा परिवहन में किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दी है क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्यमों के लिए आरक्षित हैं।

अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति हेतु आय प्रमाण-पत्र

391. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) विगत दो वर्षों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के बारे में कोई नए निदेश जारी नहीं किये गये हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार

392. श्री परशुराम माझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं में विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर नये टर्मिनलों की भी स्थापना की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मौजूदा टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार के लिए नयी दिल्ली में 4 यात्री प्लेटफार्म, दिल्ली मेन में एक वाशिंगलाइन, दिल्ली सराय रोहिल्ला में एक यात्री प्लेटफार्म, नई दिल्ली तिलक ब्रिज पर पांचवीं और छठी लाइन, नई दिल्ली में 6 लाइन प्रवेश और निकास, सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी आमान परिवर्तन, साहिबाबाद-आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन तथा रामपुर केबिन में ग्रेड सेपरेटर का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। आनंद विहार में अतिरिक्त टर्मिनल के विस्तार का कार्य 85 करोड़ रुपये की लागत पर शुरू किया गया है। एकीकृत माल तथा कोचिंग टर्मिनल के विकास के लिए बिजवासन में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव 75.29 करोड़ रुपये की लागत पर अनुदान की पूरक मांगों (2006-07) में शामिल किया गया है। होलंबी कलां में एक दिशीय टर्मिनल का भी प्रस्ताव है।

झारखंड में रेल सेवाओं का विकास

393. **श्री टेकलाल महतो:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने झारखंड गठन के पश्चात वहां रेल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और खर्च की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद नई परियोजनाओं तथा मार्च 2006 तक किये गये खर्च, वर्ष 2006-07 के दौरान आवंटित धनराशि और परियोजनाओं की प्रति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम/बजट में शामिल किये जाने का वर्ष	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2006 तक खर्च किया गया व्यय	आवंटित परिव्यय (2006-07) (करोड़ रु. में)	प्रगति
1.	कोडरमा तिलैया नई लाइन (68 कि.मी.) (2001-02)	307.71	26.91	10.00	भूमि अधिग्रहण मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
2.	बड़हरवा-तीन पहाड़ दोहरीकरण (16.49 कि.मी.) (2003-04)	41.13	1.61	15.00	बड़हरवा-वाकुडी (8 कि.मी.) को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

एअर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स की विस्तार योजना

394. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया (एआई) और इंडियन एअरलाइन्स की योजना अपने कार्य प्रचालन बढ़ाने और लगभग 4300 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की है जैसाकि दिनांक 17 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त विस्तार योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(घ) इसके फलस्वरूप इन कम्पनियों की बाजार हिस्सेदारी में किस सीमा तक वृद्धि होगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एअर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नए विमानों के अधिग्रहण तथा प्राकृतिक बर्बादी से निपटने के लिए भी, राष्ट्रीय एयरलाइनें आगम अवधि एवं उसके बाद भी अपनी प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति लगा सकती हैं। यद्यपि, बढ़ी हुई क्षमता के लगाए जाने के कारण एयरलाइनों को अपना बाजार हिस्सा बढ़ने की आशा है परन्तु बढ़ाई जाने वाली क्षमता की मात्रा, उस समय मौजूद बाजार दशाओं पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

वातानुकूलित डिब्बों को बदलना

395. **प्रो. महादेव राव शिवनकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों के वातानुकूलित डिब्बों को चरणबद्ध प्रक्रिया से बदलने का है जैसाकि दिनांक 23 अक्तूबर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन डिब्बों की प्रचालन आयु कितनी है और कब तक इन सभी डिब्बों को बदल दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। मांट्रीयल प्रोटोकाल के परिणामस्वरूप एसी कोचों को समय से पहले नहीं बदला जाएगा।

(ख) वर्तमान में रेलवे के पास लगभग 4200 एसी सवारी डिब्बे हैं। इनमें से 780 एसी सवारी डिब्बों में आर-12 रेफिजेरेंट हैं। ये डिब्बे 1994 से पहले बनाए गए थे। 1994 के बाद, रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल रेफिजेरेंट वाले ऐसी सवारी डिब्बों का निर्माण करके पहले ही बदल लिया है।

(ग) आर-12 रेफिजेरेंट को 2010 तक समाप्त किया जाना है। 780 डिब्बों में से लगभग 300 सवारी डिब्बे अपनी सेवा अवधि वर्ष 2010 तक पूरा कर लेंगे तथा इन्हें समय से हटा दिया जाएगा। शेष 480 डिब्बों को वर्ष 2010 तक पर्यावरण के अनुकूल गैस से बदल दिया जाएगा। इस दिशा में कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

रसोई गैस की नई विपणन नीति

396. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (रसोई गैस) की कोई नई विपणन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए नई विपणन नीति तैयार करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

विशेष डिब्बों की आवश्यकता

397. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वातानुकूलित और अन्य डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की फैक्टरियां रेलवे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे डिब्बों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। एसी सवारी डिब्बों सहित 2006-07 में कुल 2821 सवारी डिब्बे अधिगृहित किये जाने की योजना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इसके अतिरिक्त 2006-07 के दौरान रेलवे की अपनी उत्पादन इकाइयों अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) और रेल डिब्बा कारखाना (आरसीएफ) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अर्थात् भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) से 2736 सवारी डिब्बे तथा निजी क्षेत्र से 85 सवारी डिब्बे प्राप्त किये जाने की संभावना है।

(ङ) भविष्य में यात्रियों की मांग में भारी वृद्धि होने के कारण सवारी डिब्बों की मांग में भारी वृद्धि होने की संभावना है, त्वरित उपाय के रूप में, आईसीएफ तथा आरसीएफ के क्षमता संवर्धन की स्वीकृति दी गई है।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए फेरी सेवा

398. श्री एम. शिवन्ना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर शारीरिक रूप से अशक्त यात्रियों के लिए बैट्री से चलने वाले यान (बैट्री आप्रेटिड कार) की फैरी सेवा आंरभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य शहरों में ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए बेंगलूर सिटी रेलवे स्टेशन में रीचार्जिएबल बैटरी द्वारा परिचालित चौपहिया गाड़ी के उपयोग में लाया जा रहा है। इस गाड़ी को मैसर्स मन्नी मटीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है तथा इसके रखरखाव का जिम्मा मैसर्स सृष्टि कम्युनिकेशंस को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नई नागर विमानन नीति

399. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई नागर विमानन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक हो जाएगी और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नई रेलवे समय-सारणी

400. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने एक वर्ष की बजाय केवल पांच महीनों के लिए एक जुलाई, 2006 से पहले की तरह 30 रुपये प्रति कापी की दर से नई रेलवे समय-सारणी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लोगों को समय-सारणी को जानने के लिए वर्ष में दो बार रेलवे समय-सारणी खरीदनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो गरीब लोगों के हितों की रक्षा के लिए वर्ष में एक बार समय-सारणी जारी करने की पूर्व प्रक्रिया कोई अपनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी, हां। रेल बजट 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय रेल ने अखिल भारतीय समय सारणी की नए सिरे से समीक्षा करने की कार्य प्रारंभ किया था। फलस्वरूप, प्रथम चरण में बहुत सी गाड़ियों का समय सुविधाजनक बनाया गया है और 140 गाड़ियों को सुपरकास्ट भी बनाया गया है। यह परिवर्तन समय-सारणी के जुलाई-नवंबर, 2006 संस्करण में दर्शाया गया है। चूंकि समय-सारणी की पुन: समीक्षा करने का दूसरे चरण का कार्य चल रहा था (जिसे अब पूरा कर लिया गया है), दूसरे चरण के कार्य में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने के कारण एक पूर्ण वर्ष के लिए वैध समय-सारणी अनुपयोगी हो जाती। अत: विशाल जन समूह को सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए समय-सारणी की पुन: छपाई की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए दूसरी समय-सारणी दिसंबर, 2006 में निर्गत होने वाली है। यह केवल इसी वर्ष के लिए है कि समय-सारणी का दो बार मुद्रण किया जा रहा है।

नासिक रोड रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में बदलना

401. श्री देविदास पिंगले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को नासिक रोड रेलवे स्टेशन को टर्मिनल में बदलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। नासिक रोड रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में आधुनिकीकरण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और मनमाड के बीच 260 कि.मी. की दूरी में चार कोचिंग टर्मिनलों अर्थात मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस तथा मनमाड में पहले से ही व्यवस्था की गई है। नासिक रोड

स्टेशन पर पहले से ही 24 सवारी डिब्बों की क्षमता वाले 2 प्लेटफार्म सुरक्षित और स्वचालित परिचालन के लिए एक रूट रिले इंटरलाक्ड केबिन तथा सुगमता से माल शेडों में माल रखने/ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए नासिक रोड में एक अन्य टर्मिनल प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है—नासिक रोड स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं को यातायात के मौजूद स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

रूपनगढ़ रोड पर रेल उपरि पुल का निर्माण

402. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अत्यधिक व्यस्त सड़क समपार रेलवे लाइनों पर रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या रेलवे को विभिन्न संगठनों से किसनगढ़ स्टेशन के निकट अति व्यस्त रूपनगढ़ रोड पर रेल उपरि पुल के निर्माण के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त उपरि पुल की आधी लागत को मंजूरी देने और राजस्थान सरकार द्वारा इसी कार्य का प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद रेलवे द्वारा उक्त रेल उपरि पुल के निर्माण के आरंभ में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त पुल का निर्माण कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यदि समपारों पर यातायात घनत्व एक लाख या अधिक यातायात वाहन इकाइयां होता है, तो रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है (यातायात वाहन इकाई 24 घंटे में समपार से होकर गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या के गाड़ियों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त इकाई) अन्यथा यह कार्य निक्षेप शर्तों के आधार पर अर्थात् राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण की लागत पर किया जाता है। मौजूदा नियमों के तहत कतिपय अपेक्षित प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने पर दोनों मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों का निक्षेप शर्तों के आधार पर भी निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर सहमत प्रस्ताव पर कार्य को बिना बारी के शुरू करने हेतु अथवा निर्माण कार्यक्रम 2007-08 में शामिल करने के लिए जांच की जा रही है।

(घ) कार्य को स्वीकृत करने के बाद कार्य का वास्तविक निष्पादन करने के लिए आरेखण और उसके नक्शों सहित संयुक्त आकलन तैयार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।

[अनुवाद]

असम स्थित तेलशोधक कारखानों को अतिरिक्त कच्चे तेल की आपूर्ति

403. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन और तेल शोधक कारखानों का आउटपुट कितना रहा;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम ने पूर्वोत्तर तेल क्षेत्र से एकसमान कच्चे तेल की आपूर्ति को देखते हुए असम की बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाने और अन्य कारखानों के लिए अतिरिक्त कच्चे तेल को आवंटित करने का प्रस्ताव पेश किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन तथा रिफाइनरियों का उत्पादन निम्नवत् है:

	2003-04	2004-05	2005-06
कच्चा तेल उत्पादन (एमएमटी)	4.572	4.692	4.503
रिफाइनरी उत्पादन (एमएमटी)	4.649	4.771	4.529

एमएमटी-मिलियन मीट्रिक टन

(ख) और (ग) आईओसी ने असम में बीआरपीएल तथा अन्य रिफाइनरियों को राव्वा क्रूड आबंटन के लिए सितम्बर, 2002 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क किया।

आगे क्षमता उपयोग वृद्धि हेतु बीआरपीएल को अतिरिक्त राव्वा क्रूड आबंटन के लिए आईओसी ने जनवरी, 2006 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(घ) मंत्रालय 2003-04 से असम में बीआरपीएल और अन्य रिफाइनरियों को 1.5 एमएमटीपीए राव्वा क्रूड का आवंटन कर रहा है।

विदेशी नागरिकों की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

404. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक भर्ती केन्द्रों पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में सरकार की जानकारी में ऐसी कितनी घटनाएं आई हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सशस्त्र बलों में विदेशी नागरिकों की भर्ती पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आने वाले सभी उम्मीदवारों के अधिवास/राष्ट्रीयता, आयु तथा शैक्षिक योग्यता, आदि की जांच करने के लिए कड़े जांच उपाय लागू किए गए हैं। इन उपयों के अनुपालन के लिए भर्ती अफसरों/केन्द्रों द्वारा उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा, रंगरूटों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त की जांच संबंधित पुलिस/आसूचना प्राधिकारियों से कारवाई जाती है।

कॉनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग, चेन्नई का पुनरुद्धार

405. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने विश्व प्रसिद्ध कॉनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग, चेन्नई का पुररुद्धार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके नवीकरण पर कितनी लागत आई और इसकी विशेष विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या देश में अन्य जर्जर पुस्तकालय भवनों के नवीकरण का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक नवीकृत किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुनरुद्धार कार्य में निम्नलिखित मुख्य मदें शामिल हैं:

* केन्द्रीय भाग में क्षतिग्रस्त टाइल वाली छत तथा गलियारा वाले भाग की मद्रास टैरेस छत को पुन: बनाना;
* मेहराबदार छत तथा दीवार पट्टियों पर पुष्प डिजाइनों वाले रंगीन कांच के गायब टुकड़ों की मरम्मत करना तथा बदलना,
* भवन के भीतर स्टूको कार्य तथा वास्तुशिल्पीय विशेषताओं का पुनरुद्धार, तथा
* छत पर क्षतिग्रस्त कला कार्य का पुनरुद्धार।

पुनरुद्धार कार्य की कुल लागत 1,02,21,079 रुपए है।

(घ) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को देश की अन्य किसी एजेंन्सी से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रतलाम तथा कोटा मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

406. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रतलाम तथा कोटा मंडल में ''यात्री सुविधाओं में वृद्धि तथा स्टेशनों का उन्नयन'' शीर्ष के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2006-07 के दौरान कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उक्त की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): रतलाम और कोटा मंडल में स्वीकृत यात्री सुविधा संबंधी कार्यों का ब्यौरा, उनके कार्यों की प्रगति सहित संलग्न विवरण में दी गई है। रतलाम और कोटा मंडल में सभी यात्री सुविधा संबंधी कार्यों की लागत क्रमश: 18.37 करोड़ रु. और 4.86 करोड़ रु. है।

विवरण

रतलाम और कोटा मंडल पर यात्री सुविधाओं संबंधी कार्यों की प्रगति सहित ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (हजार रु. में)	वास्तविक प्रगति	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
रतलाम मंडल				
1.	इंदौर-(बड़ी लाइन)-24 सवारी डिब्बों को समाहित करने हेतु महु छोर पर प्लेटफार्म संख्या 5 का विस्तार और संबंधित भूमि अधिग्रहण	25087	-	स्वीकृत नया कार्य
2.	इंदौर-जल के एकत्रण को दूर करने के लिए स्टेशन क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था	2068	14%	पुन: आमंत्रित निविदाएं 29.8.06 को खोली गईं। निविदा, निविदा समिति के अधीन है।
3.	महु उप मंडल : पर पूरी लंबाई की रेलगाड़ी को समाहित करने हेतु पी एफ संख्या 1 का विस्तार महु पर गाड़ी और बारनगर पर प्लेटफार्म सायबान का विस्तार एवं प्रतीक्षालय की व्यवस्था और प्लेटफार्म संख्या 2 में सुधार	2997	75%	महु में बी एन जी पर कार्य समाप्त हो चुका है और एम एस डब्ल्यू सी आर एस की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
4.	दाहोद-यात्री प्लेटफार्म संख्या 1, 2 एवं 3 के फर्श की मरम्मत	1329	100%	कार्य पूरा हो चुका है।
5.	रतलाम : भंडारण क्षमता (अर्थात आर सी सी शिरोपरि टैंक और सम्पस) का प्रावधान करके पानी की सुविधा में सुधार और स्टेशन के आवश्यक पाइप लाइन	2985	1%	निविदाएं 12.10.2006 को पुन: खोली गई। बी/नोट ए/सी निविदा समिति के समीक्षाधीन है।
6.	सिहोर : 24 सवारी डिब्बों हेतु प्लेटफार्म संख्या 1 का विस्तार	1301	100%	कार्य पूरा हो चुका है।
7.	लक्ष्मीबाई नगर : 2.25 लाख लीटर के एम एस टैंक के बदले आर सी सी ओ एच वाटर टैंक का प्रावधान और सी आई पाइप लाइन के बदले 150 मिमी. व्यास जी आई पाइप लाइन का प्रावधान	4991	-	प्राक्कलनों का संशोधन किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
8.	देवास : प्लेटफार्म संख्या 2 पर सायबान का प्रावधान	816	62%	कार्य प्रगति पर है। ढांचा तैयार कर लिया गया है। ढांचे को खड़े करने का कार्य प्रगति पर है।
9.	उज्जैन : प्लेटफार्म संख्या 1, 3/4 पर सी सी एप्रेन का प्रावधान	4515	–	उच्च दरों के कारण निविदाओं को रद्द कर दिया गया है। निविदाओं को 31.11.06 को पुन: खोला जाना है।
10.	इंदौर : प्लेटफार्म संख्या 5 पर सी सी एप्रेन का प्रावधान	2975	–	निविदाएं 3.11.06 को खोली जाती है।
11.	लक्ष्मीबाई नगर : शौचालय खंड पर कवर शैड और परिचलन क्षेत्र के सुधार सहित एफ ओ बी का विस्तार	2984	100%	कार्य पूरा हो चुका है।
12.	इंदौर : उच्च दाब जेट क्लीनिंग संयंत्र का प्रावधान	1679	–	कार्य प्रगति पर है।
13.	उज्जैन-भोपाल खंड : कालापीपल एवं बिच्छपुरी पर एफ ओ बी का प्रावधान (03-04/ओ टी)	2486	–	निविदाएं रद्द कर दी गई हैं। संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत हैं। निविदाओं को पुन: आमंत्रित किया जाना है।
14.	इंदौर (आदर्श स्टेशन): प्लेटफार्म संख्या 1 पर कोटा स्टोन के फर्श का प्रावधान	1666	60%	कार्य प्रगति पर है।
15.	मेघनगर : मौजूदा जंग लगे स्टील टैंकों के स्थान पर 1.00 लाख लीटर क्षमता वाले आर सी सी शिरापरि टैंक का प्रावधान	1157	2%	कार्य प्रगति पर है।
16.	पिपलोड जंक्शन : मौजूदा जंग लगे स्टील टैंकों के स्थान पर 1.00 लाख लीटर क्षमता वाले आर सी सी शिरापरि टैंक का प्रावधान	1159	2%	कार्य प्रगति पर है।
17.	मंगोलिया गांव : ऊपरी पैदल पुल का प्रावधान	2887	–	योजना पर 3.10.06 से अनुमोदन के लिए विचार किया जा रहा है। 3.11.06 को पुन: निविदाएं खोली जाएंगी।
18.	उज्जैन : प्लेटफार्म संख्या 6 पर सी सी एप्रेन का प्रावधान	2998	–	संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित हो गए हैं। निविदाएं पुन: 3.11.06 को खोली जाएंगी।

1	2	3	4	5
19.	रतलाम मंडल : मंदसौर, नीमच, वैरामढ़ एवं इंदौर पर साइनेज बोर्ड का प्रावधान	519	–	नया कार्य, योजना और प्राक्कलन अनुमोदित हो गए हैं।
20.	इंदौर (आदर्श स्टेशन) : उचित पार्किंग सुविधाओं सहित परिचलन क्षेत्र (ब.ला. एवं. मी.ला.) का सुधार	2967	62%	निविदाएं 3.3.06 को खोली गईं। उच्च दरों के कारण निविदाओं को रद्द कर दिया गया है। एफ ओ बी को छोड़कर जोन संख्या-15 में काम हो रहा है। निविदा समिति के अधीन एफओबी को 4.8.06 को खोला गया है।
21.	इंदौर (आदर्श स्टेशन) : 'ए' कोटि के स्टेशन पर (वांछित क्षेत्रों में) यात्री सुविधाओं का प्रावधान	2988	10%	कार्य प्रगति पर है।
22.	रतलाम (आदर्श स्टेशन) : स्टेशन पर पृथक प्रवेश की व्यवस्था	2991	75%	कार्य प्रगति पर है।
23.	रतलाम (आदर्श स्टेशन) : 'ए' कोटि के स्टेशन पर (वांछित क्षेत्रों में) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था	2956	70%	कार्य प्रगति पर है।
24.	दाहोद-रतलाम खंड के मेघनगर में प्रतीक्षालय कक्ष के विस्तार सहित परिचलन क्षेत्र में सुधार तथा पी सी एन में प्रतीक्षालय कक्ष और शौचालयों की व्यवस्था	2965	98%	
25.	अन्य आनुषांगिक कार्य	1296	–	
कोटा मंडल				
26.	सवाई माधोपुर-लाइन सं. 1 में सी सी एप्रेन	8135	–	निविदा की तैयारी की जा रही है।
27.	सी एम यू—प्लेटफार्म सं. 1 एवं 2 में मौजूदा फर्श का सुधार	2224	100%	कार्य पूरा हो गया है।
28.	जी जी सी—प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान की व्यवस्था	2146	100%	कार्य पूरा हो गया है।
29.	कोआ : 2.25 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी की ऊपरी हिस्से पर आर सी सी की व्यवस्था	1721	95%	कार्य समाप्ति पर है।

1	2	3	4	5
30.	नागदा-मथुरा जं. खंड—बी श्रेणी के 34 स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था	2924	–	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
31.	भरतपुर—20 मी. की ऊंचाई पर 225000 लीटर क्षमता का निर्माण	1524	–	कार्य सौंप दिया गया है।
32.	कोटा—प्लेटफार्म सं. 5 पर यात्री क्षेत्र को आच्छादित करना।	2999	10%	कार्य प्रगति पर है।
33.	कोटा मंडल—लालपुरी नारायणपुर ततवाड़ एवं निमोडा में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए 200 मिमी व्यास की नलकूल की व्यवस्था	1393	90%	कार्य प्रगति पर है।
34.	पिलोद एवं बयाना खंड—2 अदद नलकूप की व्यवस्था करना	1107	–	कार्य सौंप दिया गया है।
35.	कोटा मंडल—विभिन्न स्टेशनों पर परिचलन क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था में सुधार	1500	100%	कार्य पूरा हो गया है।
36.	कोटा : रूठिया एवं कोटा खंड—बी श्रेणी के स्टेशन पर पी ए प्रणाली की व्यवस्था	1538	–	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
37.	हिंडोन सिटी—2.25 लाख लीटर क्षमता को ओ एच पानी टंकी की व्यवस्था करना	1535	–	कार्य सौंप दिया गया है।
38.	गंगापुर सिटी—20 मी की ऊंचाई पर 2.25 लाख लीटर क्षमता की आर सी सी ओ एच पानी टंकी की व्यवस्था	2990	–	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
39.	कोटा-सी/डब्ल्यू नए वाशिंग पिट लाइन में लोको शेड के नजदीक 2.25 लाख लीटर क्षमता की टंकी पर आरसीसी के साथ 200 मिमी व्यास वाली नलकूप की व्यवस्था	1721	–	कार्य सौंप दिया गया है।
40.	कोटा—पुराने एवं नए चंबल में 250 मिमी व्यास की नलकूप का व्यवस्था करना।	899	–	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
41.	के ए पी आर ई एन—20 मिमी व्यास की नलकूप तथा जी आई पाईप लाइन एवं ओ एच टैंक की व्यवस्था करके पानी आपूर्ति में सुधार	811	–	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5
42.	द्वारा—20 मी. की ऊंचाई पर 80000 लीटर की आर सी सी ओ एच पानी टंकी की व्यवस्था	1126	–	निविदा 21.11.2006 को खोली जानी है।
43.	गैरोत नागदा खंड—सहायक इंजीनियर/ श्यामगढ़ खंड में पानी आपूर्ति का सुधार	2997	–	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
44.	बरान—स्टेशन पर जंग लगी स्टील की ओ एच टंकी को बदलना	1608	–	निविदा पुनः आमंत्रित की गई है।
45.	श्यामगढ़—20 मी. की ऊंचाई पर फिल्टर प्लांट में 50000 गैलन क्षमता की आर सी सी ओ एच पानी टंकी की व्यवस्था	2215	–	निविदा पुनः आमंत्रित की गई है।
46.	कोटा मंडल—विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त खाते में 150 ली. क्षमता वाले 27 अदद वाटर कूलर की व्यवस्था	1800	100%	कार्य पूरा हो गया है।
47.	सवाई माधोपुर—पूछताछ कार्यालय, भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना	495	50%	कार्य प्रगति पर है।
48.	बयाना—अतिरिक्त प्रतीक्षालय हॉल एवं पुराने प्रतीक्षालय को ठीक करने की व्यवस्था	495	90%	कार्य प्रगति पर है।
49.	बयाना—परिचलन क्षेत्र की व्यवस्था करना	485	15%	कार्य प्रगति पर है।
50.	कोटा—टच स्क्रीन वाली पी एन आर पूछताछ की व्यवस्था करना	500	100%	कार्य पूरा हो गया है।
51.	गंगापुर सिटी—बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	495	50%	कार्य प्रगति पर है।
52.	कोटा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए ग्लो संसूचक पटल की व्यवस्था	400	10%	कार्य प्रगति पर है।
53.	आर आर/कोटा में वातानुकूलित डॉमिटरी एवं प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना	480	100%	कार्य पूरा हो गया है।
54.	गंगापुर सिटी, कोटा, सवाई माधोपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली/बुकिंग कार्यालय पर वाटर कूलर तथा कोटा एवं सवाई माधोपुर में गुड्स शेड की व्यवस्था करना।	336	100%	कार्य पूरा हो गया है।

हरियाणा में रेल उपरि पुलों का निर्माण

407. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा में 72 रेलवे समपार तथा 1 लाख टीवीयू यातायात घनत्व होने के बावजूद इसके लिए कोई सड़क उपरि पुलों को मंजूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन समपारों पर सड़क से आने-जाने वालों को लंबे इंतजार से बचाने तथा सड़क यातायात को निर्बाध बनाने के लिए रेल उपरि पुलों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) कुल अर्हक 94 समपारों में से अभी तक 20 समपारों को स्वीकृति दे दी गई है। इस समय, हरियाणा सरकार से 20 अद्द प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें निर्माण कार्यक्रम 2007-08 में शामिल किए जाने के लिए संवीक्षा की जा रही है। अभी भी 54 ऐसे समपार हैं जो लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल द्वारा बदले जाने के लिए अर्हक हैं। लेकिन राज्य सरकार से अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रायोजित करने के लिए निरंतर कहा जा रहा है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते ही इस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

एन.सी.आर.एल.एम. की रिपोर्ट

408. **श्री ई. जी. सुगावनम:** क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री एन.सी.आर.एल.एम. की रिपोर्ट के बारे में दिनांक 27 जुलाई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.आर.एल.एम.) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यकाल बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) इस आयोग का कार्यकाल पहले ही 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ये आंकड़ों को एकत्र, मिलान और उनका विश्लेषण करके, अपनी सिफारिशों को निश्चित रूप दे सके।

(ङ) 31.3.2007 तक।

[हिन्दी]

रेलवे पूछताछ सेवा

409. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेल यात्रियों के समक्ष रेल आरक्षण की पर्याप्त सुविधाओं तथा कन्फर्मेशन और रद्द करने संबंधी जानकारी और प्लेटफार्म संख्या, आने वाली तथा पहुंचने वाली रेलगाड़ियों, रेलगाड़ियों के आने तथा जाने के बार में टेलीफोनिक तथा वैयक्ति पूछताछ और परामर्श तथा सहायता संबंधी अन्य मुद्दों की जानकारी से संबंधित पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण पेश आने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पश्चिम मध्य रेलवे के संबंध में 'क' श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये व्यवस्थाएं यात्रियों की संख्या के अनुपात में की जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल आरक्षण और गाड़ी संबंधी पूछताछ में पर्याप्त सेवाओं की कमी के बारे में कुछ शिकायतें ध्यान में आई हैं।

रेल आरक्षण और गाड़ी पूछताछ की जानकारी में यात्रियों को सुविधा देने की दृष्टि से, रेलों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं यथा कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) के अतिरिक्त टर्मिनलों की व्यवस्था, टिकटों की इंटरनेट पर बुकिंग, यात्री परिचालित पूछताछ टर्मिनल (पी ओ ई टी), इंटरएक्टिव वायस रिसपोन्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड, टच स्क्रीन, इत्यादि। इसके अलावा, गाड़ियों के आने जाने की स्थिति, आरक्षण की स्थिति, अन्य मूल्यसंवर्धित सेवाओं सहित आरक्षण की उपलब्धता पर सूचना के प्रचार के लिए समूचे देश में काल सेंटरों की व्यवस्था करके रेल एकीकृत ट्रेन पूछताछ प्रणाली की व्यवस्था कर रही है।

(ग) पश्चिम मध्य रेलवे के सभी 'क' श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर अपेक्षित सुविधाएं यथा आरक्षण और गाड़ियों के आने-जाने की स्थिति से संबंधित जानकारी देने के लिए इंटरएक्टिव वायस रिस्पोंस सिस्टम (आई वी आर एस) यात्री परिचालित पूछताछ टर्मिनल (पी ओ ई टी), टच स्क्रीन, आमने-सामने पूछताछ, इलेक्ट्रानिक डिसप्ले बोर्ड मुहैया कराए गए हैं। इन सुविधाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है और यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रबंध किए जाते हैं।

(घ) से (च) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना/संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है जो स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात के स्तर पर निर्भर है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

रेलवे में उपकरणों का उत्पादन

410. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजनों, व्हील्स, एक्सल तथा यात्री डिब्बों का उत्पादन रेलवे की आवश्यकता से कम रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक मद की रेलवे में वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) क्या यातायात में वृद्धि को देखते हुए उक्त उपकरणों के लिए 10वीं योजना अवधि के दौरान रेलवे द्वारा परिकल्पित मांग रेलवे की दो यात्री डिब्बा विनिर्माण इकाइयों द्वारा पूरी हो जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। सामान्यत: रेलवे की उत्पादन इकाइयां रेल मंत्रालय द्वारा पूर्वानुमान आधार पर तय किए गए अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर रही हैं। बहरहाल, अब रेल इंजन, सवारी डिब्बों, पहियों तथा धुरों की कमी होना हाल ही में यातायात की मांग में बढ़ोत्तरी के कारण प्रत्याशित है।

(ग) चालू वर्ष (2006-07) के लिए जरूरत निम्नानुसार है:

डीजल इंजन (लोको)	-	150
बिजली इंजन (लोको)	-	150
सवारी डिब्बे	-	2,821
पहिए	-	2,25,000
धुरा	-	69,000

(घ) जी हां। बहरहाल, उपनगरीय सेवाओं के लिए ईएमयू (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट) के संबंध में 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गिरावट होने की संभावना है। अन्य प्रकार के डिब्बों को अधिकांश अधिग्रहण करके इसे संतुलित बनाया जा रहा है, ताकि अधिग्रहित यात्री डिब्बों की कुल संख्या बराबर हो जाए नहीं तो सुनियोजित लक्ष्य से अधिक हो जाएगा।

(ङ) आगामी मांग में बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए रेल कोच फैक्टरी (आर सी एफ) एवं इंटीग्रल कोच फैक्टरी की क्षमता को क्रमश: प्रति वर्ष 1000 डिब्बे से 1400 डिब्बे तथा 1500 डिब्बे बढ़ाने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इंटिग्रल कोच फैक्टरी (आर सी एफ) में ईएमयू निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

खन्ना तथा राकेश मोहन समितियों की सिफारिशें

411. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर खन्ना समिति तथा राकेश मोहन समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा मंजूर की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इनके कार्यान्वयन के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) रेलवे द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें मंजूर नहीं की गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। खन्ना समिति की सभी सिफारिशें अभी लागू नहीं हुई हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार अंशत: और पूर्णत: स्वीकृत 240 सिफारिशों में से 177 सिफारिशें जो मुख्य तौर पर रेल भर्ती बोर्डों, प्रशिक्षण, रेलपथ, चल स्टॉक, संरक्षा संगठन, निगमित संरक्षा योजना का निर्माण करना, इत्यादि से संबंधित हैं, को पहले ही अक्टूबर, 2006 तक लागू कर दिया गया है। शेष 63 स्वीकृत/अंशत: स्वीकृत सिफारिशों को लागू किए जाने की प्रक्रिया विभिन्न चरण में है जो संसाधनों के उपलब्धता तथा परीक्षण के सफलता इत्यादि पर निर्भर करता है। राकेश मोहन समिति की सिफारिशों का संरक्षा/संरक्षा से संबंधित अन्य मामलों से संबंध नहीं है।

(ग) 278 सिफारिशों में से 38 को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया था। ये सिफारिशें सेवानिवृत्ति के लिए आयु, भत्ता, के लिए शैक्षणिक योग्यता, प्रोत्साहन, ट्रेड यूनियन अधिनियम में संशोधन, कर्मचारियों की संख्या में कमी, संरक्षा वर्ग के पदों पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं करने इत्यादि से संबंधित थीं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की बारम्बारता

412. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोधपुर से चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, पुणे तथा मुंबई जाने वाली यात्री रेलगाड़ियों पर यात्री यातायात की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त रूटों पर रेलगाड़ियों की बुकिंग खुलने के एक-दो घंटे में सभी सीटें रिजर्व हो जाती हैं और 'कोई स्थान नहीं' रहने वाली स्थिति बन जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्थिति को देखते हुए इन मार्गों पर कुछ रेल गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इन गाड़ियों से बहुत से लोग यात्रा करते हैं।

(ख) पुणे और सिंकदराबाद जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर 2006 के दौरान कुछ अवसरों पर अन्य गाड़ियों में नो-रूम स्थिति उत्पन्न हुई है।

(ग) से (ङ) इस समय जोधपुर जाने वाली गाड़ियों के फेरे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल, जोधपुर के यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए 2006-07 के दौरान निम्नलिखित गाड़ियों को विस्तार दिया गया है:

1. जोधपुर के लिए 1089/1090 पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. जोधपुर के लिए 8473/8474 पुरी-जयपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. बाड़मेर के लिए 5631/5632 गुवाहाटी-जोधपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
4. बीकानेर के लिए 6311/6312 त्रिवेंद्रम-जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. बांद्रा टर्मिनल के लिए 2479/2480 जोधपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस।

विमान की खरीद

413. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय सेना का लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सेना के लिए किन-किन विमानों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार सुरक्षा परिवेश की निरंतर समीक्षा करती है और तदनुसार समुचित उपस्कर शामिल करने तथा पर्याप्त रक्षा तैयारियों के लिए अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लेती है। वायुसेना के लिए अपेक्षित युद्धक विमान की खरीद, स्थापित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार, की गई है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया (ए आई) द्वारा विमानों के लिए ऋण लेना

414. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया (ए आई) का विचार अपनी बड़ी खरीद योजना कार्यक्रम के अंतर्गत विमानों की खरीद हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने का है जैसा कि 10 अक्टूबर, 2006 के **द टाइम्स ऑफ इंडिया** में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकों/वित्तीय संस्थानों, लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बोइंग कंपनी से कोई विमान प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त कंपनी से विमानों की पहली खेप कब तक प्राप्त होने की आशा है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी, एअर इंडिया चार्टर्स लि. का परियोजना लागत अर्थात् यू एस एग्जिम बैंक द्वारा दी गई ऋण गारंटी के माध्यम से 68 विमानों की खरीद के लिए परियोजना का 85% की वित्त व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। यद्यपि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया/हस्ताक्षर किया गया है, मैसर्स एबीएन एमरो बैंक को 17 विमानों की पहली खेप के लिए एग्जिम गारंटी युक्त लेनदार अनिवार्य कर दिया है। शेष 15% वित्त व्यवस्था वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से की जाएगी जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक/आई सी आई सी आई बैंक का चयन किया गया है। 17 विमानों की पहली खेप के लिए वित्तीय पैकेज की कुल लागत 1.5 बिलियन अमरीकी डालर है शेष 51 विमानों के लिए वित्त व्यवस्था के लिए कुल लागत 5.7 बिलियन अमरीकी डालर आएगी तथा इसके लिए बाद में प्रबन्ध किए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पहले विमान की डिलीवरी नवम्बर, 2006 के अंत में होने की संभावना है।

[हिन्दी]

सुरेन्द्रनगर-धगन्धा आमान परिवर्तन परियोजना

415. **श्री हरि सिंह चावड़ा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरेन्द्रनगर-धगन्धा आमान परिवर्तन परियोजना को सुरेन्द्रनगर-भावनगर आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत रेलवे द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। सुरेन्द्रनगर-धंगध्रा (34.48 किमी) के परिवर्तन संबंधी कार्य को 33.78 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) 4.19 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 1.2 घन मीटर, 7 बड़े पुलों में से 2, 26 छोटे पुलों में से 3 तथा 85,000 घन मीटर गिट्टी आपूर्ति में से 10323 घन मीटर मिट्टी सप्लाई का कार्य पूरा हो चुका है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समरूप गैस मूल्य निर्धारण नीति

416. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समरूप गैस मूल्य निर्धारण नीति शुरू करने का है जैसा कि दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. की गुणवत्ता

417. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आपूर्ति की जा रही सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की गुणवत्ता में कोई विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) आटो ईंधन नीति 2003 में विनिर्धारित पैरामीटरों के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा सी एन जी की आपूर्ति की जा रही है।

(ङ) यह महसूस किया गया कि सी एन जी सी के संबंध में आटो ईंधन नीति विनिर्देशों को अधिक मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) सी एन जी ईंधन गुणवत्ता विनिर्देशों को तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई पी सी ए) द्वारा भी इस पर निगरानी रखी जाती है, ई पी सी ए नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को भेज रहा है।

नेशनल हेरिटेज साइट्स कमीशन

418. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 'नेशनल हेरिटेज साइट्स कमीशन' स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में एक विधान बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी। हां। सरकार का प्रस्ताव एक विरासत स्थल आयोग गठित करने का है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तावित विरासत स्थल आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे।

* विरासत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
* विरासत स्मारकों तथा स्थलों के संरक्षण के मामले में दिशानिर्देश तैयार करना।
* विरासत के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन करना या करवाना और सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
* वर्तमान विरासत कानूनों में उचित संशोधनों के लिए सुझाव देना।

इस संबंध में कानून स्थापित करने की समय सीमा सूचित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन

419. श्री जे. एम. आरून रशीद:
श्री रशीद मसूद:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा अब तक प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन की संभावना वाले अभिनिर्धारित ग्रामीण स्थलों के विकास और संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे अभिनिर्धारित स्थलों के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ली गई ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, समय पर कार्य समापन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

विवरण

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	अवसंरचना घटक (लाख रुपयों में)			क्षमता निर्माण घटक (लाख रुपयों में)		
			स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	1.	पोच्चमपल्ली, जिला नालगौंडा	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	2.	गांव कोनासीमा जिला, गोदावरी	2003-04	50.00	50.00	–	–	–
	3.	पुट्टापार्थी, जिला अनंतपुर	2004-05	49.50	49.50	–	–	–
	4.	चिनचिनाड़ा, जिला पूर्वी गोदावरी	2004-05	50.00	40.00	–	–	–
	5.	श्रीकलाहस्ती, जिला चित्तूर	2004-05	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
2. अरुणाचल प्रदेश	6.	गांव रेंगो, जिला पूर्वी शियांग	2005-06	49.62	39.69	–	–	–
	7.	गांव लिगू, जिला उपरी सुबनसीरी	2006-07	46.00	36.80	2006-07	20.00	16.00
	8.	गांव इगो-निकटे, जिला पश्चिमी शियांग	2006-07	46.50	37.20	2006-07	20.00	16.00
3. असम	9.	दुर्गापुर, जिला गोलाघाट	2002-03	46.83	14.04	2004-05	20.00	16.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10.	देहिंग-पाटाकई क्षेत्र, जिला तिनसुखिया	2004-05	44.33	35.46	-	-	-
	11.	कामरूप जिले में सुआलकुची	2004-05	50.00	40.00	2004-05	19.95	15.96
	12.	गांव आसरी कण्डी, जिला धुबरी	2005-06	48.97	39.17	-	-	-
4. बिहार	13.	गांव नेपुरा, जिला नालंदा	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
5. छत्तीसगढ़	14.	गांव चित्रकूट, जिला बस्तर	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	15.	गांव चित्रकूट, जिला बस्तर	2003-04	50.00	40.00	-	-	-
	16.	चम्पारन, जिला रायपुर	2003-04	50.00	15.00	-	-	-
	17.	नागरनार, जिला बस्तर	2003-04	48.00	38.40	2004-05	20.00	16.00
	18.	कोंडागांव, जिला बस्तर	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
	19.	माना-तुता, जिला रायपुर	2006-07	50.00	40.00	2006-07	20.00	16.00
6. दिल्ली	20.	कोटला मुबारकपुर	2003-04	09.78	09.78	-	-	-
	21.	नंगली, राजापुर दिल्ली	2003-04	36.30	36.30	-	-	-
7. गुजरात	22.	टेरा में हेरिटेज गांव	2003-04	50.00	40.00	-	-	-
	23.	गांव होडका, जिला कच्छ	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	24.	नवागांव और मालेगांव गांव, जिला डंग	2003-04	92.70	27.81	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. हरियाणा	25.	ज्योतिसर, जिला कुरुक्षेत्र	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
9. हिमाचल प्रदेश	26.	नगर, जिला कुल्लू	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	27.	परागपुर, जिला कांगडा वैली	2003-04	50.00	40.00	-	-	-
10. जम्मू-कश्मीर	28.	गांव डरंग, जिला बारामुला	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
	29.	सुरीनसर, जिला जम्मू	2005-06	50.00	40.00	2006-07	19.00	15.20
	30.	गगनगीर, जिला श्रीनगर	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
	31.	गांव पहलगाम, जिला अनंतनाग	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
	32.	गांव झेरी, जिला जम्मू	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
11. कर्नाटक	33.	कोक्कारे बेल्लुर, जिला बेल्लुर	2002-03	50.00	15.00	-	-	-
	34.	आतीवैरी पक्षी अभ्यारण्य, जिला उत्तर कानन्दा	2003-04	60.00	18.00	-	-	-
	35.	बनवासी जिला, उत्तर कानन्दा	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	36.	अनेगुण्डी, जिला कोप्पल	2003-04	50.00	40.00	2005-06	20.00	16.00
	37.	कुर्ग, जिला कोडागु	2003-04	50.00	40.00	-	-	-
12. केरल	38.	कुम्बलांगी, जिला इरनाकुलम	2003-04	50.00	50.00	2004-05	20.00	16.00
	39.	अरनामुला, जिला पाठनमथिट्टा	2003-04	500	40.00	2004-05	20.00	16.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40.	बलरामपुर में थिरूवनंतपुर जिला	2004-05	50.00	40.00	-	-	-
	41.	गांव कालाडी, जिला इरनाकुलम सपाइस सर्किट के लिए	2006-07	47.20	37.76	2005-06	20.00	16.00
	42.	गांव अनाक्कारा, जिला इडुक्की सपाइस सर्किट के लिए	2006-07	50.00	40.00	2005-06	20.00	16.00
13. मध्य प्रदेश	43.	हटवा गांव, जिला सिद्धि	2002-03	44.00	13.20	-	-	-
	44.	चाउगन, जिला मांडला	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	45.	परानपुर, जिला अशोकनगर	2003-04	48.00	38.00	2004-05	20.00	16.00
	46.	ओरछा, जिला टिकमगढ़	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
14. महाराष्ट्र	47.	सुलीभंजन-खुलताबाद, जिला औरंगाबाद	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
15. नागालैण्ड	48.	मोपुनचुपकैट, जिला मोकोकचुंग	2002-03	50.00	50.00	-	-	-
16. उड़ीसा	49.	रघुराजपुर, जिला पुरी	2002-03	50.00	40.00	2004-05	20.00	17.60
	50.	पुरी जिले में पिपली	2004-05	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	51.	खिचिंग, जिला मयूरभंज	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
	52.	बरपाली, जिला बारगढ़	2006-07	50.00	40.00	-	-	-
	53.	हिरापुर, जिला खुदरा	2006-07	50.00	40.00	-	-	-
	54.	पदमानवपुर, जिला गंजम	2006-07	50.00	40.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	55.	देउलझारी, जिला अंगुल	2006-07	50.00	40.00	–	–	–
17. पंजाब	56.	बुथमगढ़, जिला होशियारपुर	2006-07	50.00	40.00	–	–	–
	57.	राजासांसी, जिला अमृतसर	–	–	–	2004-05	20.00	16.00
18. राजस्थान	58.	नीमराना, जिला अलवर	2003-04	50.00	50.00	2004-05	20.00	16.00
	59.	समोद गांव, जिला जयपुर	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	60.	हल्दीघाटी, जिला राजसमान्द	2006-07	50.00	40.00	2004-05	19.32	15.45
19. सिक्किम	61.	लाचैन में उत्तरी जिला	2004-05	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
20. तमिलनाडु	62.	ग्रामीण पर्यटन के अधीन काझुगुमालाई, जिला थुथुकुडी	2003-04	48.66	38.94	2004-05	20.00	16.00
	63.	थीरथामालाई, जिला धर्मापुरी	2003-04	50.00	40.00	–	–	–
	64.	कराईकुडी, चैट्टीनाडु, जिला शिवगंगा	2003-04	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	65.	रामनाथपुरम जिले में देवीपट्टीनाम नवभाचनम	2005-06	50.00	40.00	–	–	–
	66.	थिरुकुरुंगुडी, जिला तिरुनेलवैली,	2005-06	50.00	40.00	–	–	–
	67.	थिरुप्पुडाइमाठरथुर, जिला तिरुनेलवैली, तमिलनाडु	2005-06	49.55	39.64	–	–	–
	68.	गांव कोमबाई, जिला थैनी, सपाइस सर्किट के लिए	2006-07	50.00	40.00	2005-06	10.00	08.00
	69.	थाडीयांनकदिस्साई, जिला डिंडीगुल, सपाइस सर्किट के लिए	2006-07	50.00	40.00	2005-06	20.00	16.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. त्रिपुरा	70.	कमलासागर, जिला पश्चिम त्रिपुरा	2002-03	42.92	13.48	2004-05	20.00	16.00
	71.	जामपुई हिल्स, जिला उत्तरी त्रिपुरा	2003-04	50.00	15.00	-	-	-
	72.	गांव जोयचन्द्रपुर, जिला दक्षिणी त्रिपुरा	2005-06	50.00	40.00	-	-	-
22. उत्तरांचल	73.	जागेश्वर, जिला अलमोड़ा	2002-03	50.00	50.00	2005-06	20.00	16.00
	74.	आगोरा गांव (डोडीताल) जिला उत्तरकाशी	2005-06	48.50	38.80	-	-	-
	75.	मोट्टाड और इट्स सैटेलाइट स्टेशन	2005-06	48.05	38.44	-	-	-
	76.	चैखोनी बोरा, जिला चम्पावत	2005-06	44.20	35.28	-	-	-
	77.	कोटी, इंदरोली	2005-06	47.10	37.68	-	-	-
	78.	माना, जिला चमोली	2005-06	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
	79.	गांव साडी, जिला रूद्रप्रयाग	2005-06	45.14	36.00	-	-	-
23. उत्तर प्रदेश	80.	भीतर ग्राम, जिला रॉय बरेली	2005-06	49.52	39.62	-	-	-
	81.	मुखराई, जिला मथुरा	2005-06	45.89	36.00	-	-	-
	82.	भागुवाला, जिला सहारनपुर	-	-	-	2004-05	20.00	16.00
24. पश्चिम बंगाल	83.	बल्लभपुर डांगा, जिला बिरभूम	2003-04	50.00	15.00	2004-05	20.00	16.00
	84.	सोनाडा गांव, जिला दार्जिलिंग	2004-05	50.00	40.00	-	-	-
	85.	मुकुटमोनीपुर, जिला बंकुरा	2006-07	50.00	40.00	2004-05	20.00	16.00
		जोड़		4087.26	3094.99		788.27	632.21

शोलापुर और पुणे के बीच शटल रेल

420. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार शोलापुर और पुणे के बीच शटल रेल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेलवे द्वारा कोई प्रस्ताव भी प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) शोलापुर-पुणे के बीच एक नई रेलगाड़ी को चलाना न तो परिचालनिक रूप से व्यवहारिक और न ही वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण पाया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि

421. श्री ब्रजेश पाठक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों यथा पेट्रोल, डीजल, एल पी जी और केरोसिन के दाम कितनी बार बढ़े हैं और इन उत्पादों के दाम प्रत्येक बार कितने बढ़े हैं; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिट्टी तेल तथा एल पी जी के मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद पी डी एस मिट्टी तेल के बुनियादी मूल्य में मार्च, 2002 से तथा घरेलू एल पी जी के बुनियादी मूल्य में नवम्बर, 2004 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

निम्न तारीखों से प्रभावी मूल्य संशोधन*	पेट्रोल (रुपए/लीटर)	डीजल (रुपए/लीटर)	घरेलू एल पी जी (रुपए/प्रति सिलेंडर)
16.4.03	(1.00)	(1.00)	–
27.4.03	(1.00)	(1.00)	–
16.5.03	(1.10)	(0.95)	–
1.6.03	(0.10)	(0.10)	–
1.9.03	2.10	1.25	–
16.10.03	(0.70)	(0.60)	–
16.12.03	1.00	1.00	–
1.1.04	1.00	1.00	–
16.6.04	2.00	1.00	20.00
1.8.04	1.10	1.42	–
5.11.04	2.19	2.12	20.00
16.11.04	(1.16)	–	–
21.6.05	2.50	2.00	–
7.9.05	3.00	2.00	–
6.6.06	4.00	2.00	–

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मूल्यों में कमी को दर्शाते हैं।

*वैट दर, साइडिंग/शंटिंग प्रभार, स्थानीय परिवहन प्रभार आदि में वैट लागू करने के कारण प्रभावी मूल्य संशोधन उक्त तालिका में नहीं दिया गया है।

(ख) दिल्ली में संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य निम्नवत हैं-

पेट्रोल	रुपए 46.85/- लीटर
डीजल	रुपए 32.25/- लीटर
घरेलू एल पी जी	रुपए 294.75/- प्रति सिलेंडर
पी डी एस मिट्टी तेल	रुपए 9.04/- लीटर

[अनुवाद]

अ.जा. और अ.पि.व. को छात्रवृत्ति

422. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के छात्रों हेतु प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्हें प्रदान की गई छात्रवृत्ति की राशि कितनी है और लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त छात्रवृत्ति के लिए अर्ह बनाने के लिए अ.जा. और अ.पि.व. की वार्षिक आय सीमा कितनी है;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आय सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) केन्द्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नहीं आबंटित की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गयी केन्द्रीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उच्चतम आय सीमा तक लाख रुपए है। अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर और मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्चतम आय सीमा 44,500 रुपए है। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है।

(घ) से (च) केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्चतम आय सीमा बढ़ाने हेतु अक्टूबर माह में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

विवरण

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)

		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5449.14	299.02	8434.74	299.02	9435.46	299.02	1814.24	364.73
2.	असम	412.41	1.61	228.28	100.02	490.41		264.86	
3.	बिहार	0		1000		1100	6.56	1892.74	601.74
4.	छत्तीसगढ़	352.72		1567.79		526		0	
5.	गोवा	0	3.26	1.93	5.96	3	13.9	3.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	1373.70	323.25	463.84	365.25	940.12	344.12	521.13	401.96
7.	हरियाणा	228.53		425.9	13.77	456		657.99	
8.	हिमाचल प्रदेश	11.82		31.21	16.28	143.87		0	
9.	जम्मू-कश्मीर	95.99		28.8		136.31	224.24	111.71	
10.	झारखंड	281.04		84.31		शून्य		प्राप्त नहीं	
11.	कर्नाटक	2481.94	187.25	2699.58	248.45	2652		3242.22	539.66
12.	केरल	677.57		999.49		3771		453.14	
13.	मध्य प्रदेश	1278.93		1366.60		3064.10		1327.98	
14.	महाराष्ट्र	2765.58		4220.47	13.76	8490.95	56.56	1433.36	
15.	मणिपुर	82.77		84.13	108.51	126.43	203.34	11.57	100
16.	मेघालय	15.55		4.67		8.33		1.62	
17.	उड़ीसा	0	18.09	प्राप्त नहीं		शून्य		1739.68	
18.	पंजाब	0		प्राप्त नहीं	109.53	शून्य	138.42	प्राप्त नहीं	
19.	राजस्थान	1207.70	326.72	1157.87		1508.34	235.24	1992.21	
20.	सिक्किम	0		0	6.55	शून्य		4.48	
21.	तमिलनाडु	2184.45		2891.78	266.63	6982.18	290.25	1719.97	
22.	त्रिपुरा	174.24	240	195.84	98.83	222.39	111.13	80.61	
23.	उत्तर प्रदेश	5137.58	987.91	5937.7	742.09	11087	640.31	5098.37	671.56
24.	उत्तरांचल	0	11.9	302.25	62.31	296.13	72.53	555.47	81.94
25.	पश्चिम बंगाल	2165.81		807.19		3279		3531.84	
26.	दमन और दीव	0		0.89		0.5		2.23	
27.	दादरा और नगर हवेली	0		प्राप्त नहीं		शून्य		प्राप्त नहीं	
28.	दिल्ली	22.16		6.65		शून्य	5	प्राप्त नहीं	
29.	पांडिचेरी	99.737		85.38	10	90		59.71	
	कुल	26499.36	2399.01	33027.29	2466.96	54809.52	2640.62	26520.58	2761.63

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
		अनु.जा.	अ.पि.व.	अनु.जा.	अ.पि.व.	अनु.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	276880	15454	346495	15454	399960	15454
2.	असम	14007	858	23370	8580	21600	
3.	बिहार	29031		37187		37425	1
4.	छत्तीसगढ़	33523		65697		46356	
5.	गोवा	92	400	94	285	104	460
6.	गुजरात	81766	13000	81656	20800	80141	13600
7.	हरियाणा	15930		15510	1	18812	
8.	हिमाचल प्रदेश	5216		5295	2197	5593	
9.	जम्मू-कश्मीर	4581		5974		12834	
10.	झारखंड	10950		12045		13740	
11.	कर्नाटक	87103	16525	154265	18439	169690	
12.	केरल	73550		81234		88452	
13.	मध्य प्रदेश	82554		81602		89495	
14.	महाराष्ट्र	288182		318515	1	334441	1725
15.	मणिपुर	2744		3380	8840	3719	7840
16.	मेघालय	1331		1464		1554	
17.	उड़ीसा	45718	624	लागू नहीं		लागू नहीं	
18.	पंजाब	5920		6930	8266	43370	22992
19.	राजस्थान	83948	18604	79985		120328	959
20.	सिक्किम	194		लागू नहीं	1028	लागू नहीं	
21.	तमिलनाडु	234324		241718	25120	253803	2590
22.	त्रिपुरा	8491	23934	8640	6612	9040	8357
23.	उत्तरांचल	25805	3669	27784	7458	30608	324

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	391380	141321	481804	102762	511122	64248
25.	पश्चिम बंगाल	166415		180789		लागू नहीं	
26.	दमन व दीव	62		79		लागू नहीं	
27.	दादरा और नागर हवेली	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	
28.	दिल्ली	10021		371		443	55
29.	पांडिचेरी	3578		2438	2137	2519	
	कुल	1983296	234389	2264321	227980	2498859	138605

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

विगत वर्षों के दौरान शामिल लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
		अनु.जा.	अ.पि.व.	अनु.जा.	अ.पि.व.	अनु.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	24007	96545	27529	120000	28578	100229
2.	असम	3089	16459	3148		लागू नहीं	
3.	बिहार	2209		4593		3706	
4.	छत्तीसगढ़	11497		12854	46000	15153	
5.	दिल्ली	लागू नहीं		लागू नहीं		0	
6.	गोवा	150		238		226	
7.	गुजरात	200055	46000	228725	59320	241837	91000
8.	हरियाणा	16592		19700		लागू नहीं	
9.	हिमाचल प्रदेश	3335		लागू नहीं		लागू नहीं	3500
10.	जम्मू-कश्मीर	लागू नहीं		985		1301	35820
11.	झारखंड	753		988		लागू नहीं	
12.	कर्नाटक	0	159860	4711		लागू नहीं	
13.	केरल	470		597		1788	
14.	मध्य प्रदेश	57517		57634		58594	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	57204		70692		74225	
16.	उड़ीसा	1641		लागू नहीं		1763	
17.	पांडिचेरी	1615		1814		1011	
18.	पंजाब	0		8472		9186	24360
19.	राजस्थान	16496	87497	22375		27557	
20.	सिक्किम	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	
21.	तमिलनाडु	42334		42257	48470	50334	60000
22.	त्रिपुरा	4486	39375	4208	54889	4563	55050
23.	उत्तर प्रदेश	56399	1150000	47641	900000	53665	901830
24.	उत्तरांचल	1245		1352	38141	1253	32083
25.	पश्चिम बंगाल	1870		781		732	
26.	मणिपुर				20790	–	25000
	कुल	502964	1595736	561294	1287610	575472	1328872

अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रायोजित मैट्रिक छात्रवृत्ति विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)

		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (नवम्बर 2006)	
		अ.पि.व.	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	402.6	458.9	673.37	500.59	457.86	262.37	510	157.42
2.	असम	26	10.0725		4.215		2.1		1.25
3.	बिहार		32.79		शून्य		0		0
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	20.54	102	8.45	49.06			45.33
5.	दिल्ली		0		शून्य		0		
6.	गोवा		0.329		0.3295		1.56		0.93
7.	गुजरात	260.3	345.571	335.3	103.67	456.65	354.03	346.12	590.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा		0		शून्य		0		0
9.	हिमाचल-प्रदेश	शून्य	0		शून्य	16.5	0		0
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	0		शून्य	61.26	0		23.67
11.	झारखंड		0		शून्य		0		0
12.	कर्नाटक	26.57	0		शून्य		0	122.34	0
13.	केरल		0		शून्य		0		0
14.	मध्य प्रदेश		85.60383		126.56		10.5		6.3
15.	मणिपुर			75		50		65.32	
16.	महाराष्ट्र		157.738		47.32		215.62		129.35
17.	उड़ीसा		0		शून्य		0		0
18.	पांडिचेरी		8.457		5		10		10
19.	पंजाब		18.513		5.55	100	0		29.26
20.	राजस्थान	194.24	124.5935		63.88		31.94	310	103.31
21.	सिक्किम		0		शून्य		0		0
22.	तमिनाडु	शून्य	91.041	242.55	27.31	400	86.47		174.15
23.	त्रिपुरा	175	6.638	120.67	5.98	121.03	7.57	139.74	9.35
24.	उत्तर प्रदेश	615.29	92.56225	325.17	88.325	296.11	44.16	225.6	129.49
25.	उत्तरांचल	0	1.6	शून्य		11.58	4.78	16.4	7.24
26.	पश्चिम बंगाल		6.81775		2.05		0		0
	कुल	1700	1460.17	1875.7	989.22	1970.99	1080	1735.52	1417.28

[हिन्दी]

रेलवे और तंजानिया के मध्य समझौता

423. श्री रशीद मसूद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने तंजानिया में रेल चलाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते पर कितनी अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) उक्त परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने तंजानिया में गाड़ियां चलाने के लिए कोई करार

नहीं किया है। बहरहाल, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राइट्स लिमिटेड जोकि सार्वजनिक खेत्र का एक उपक्रम है तथा अन्य सदस्य जैसे गैपको (मारीशस की कंपनी) तथा यूटीआई बैंक लि., तंजानिया रेल निगम को रियायत के लिए प्राधिकृत किए गए हैं। रियायती करार पर अभी भी दस्तखत किए जाने हैं।

रियायत की शर्तों के तहत, कुल अवसंरचना में रेलपथ, चल स्टॉक इत्यादि शामिल हैं, को इनके अधिग्रहण की तारीख से 25 वर्षों की अवधि तक इनके पुर्नस्थापन, अनुरक्षण, परिचालन तथा प्रबंधन के लिए संघ को सौंपा जाएगा। इसके बदले संघ अपनी सेवाएं मुहैया करवाकर राजस्व सृजित करेगा और सृजित आमदनी में से तंजानिया सरकार को शुल्क अदा करेगा।

संपूर्ण रियायती अवधि के दौरान परियोजना की संपूर्ण अनुमानित पूंजी लागत 305 मिलियन अमरीकी डालर है इसे तकरीबन 15 मिलियन अमरीकी डालर की इक्विटी पूंजी, 153 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण तथा 117 मिलियन अमरीकी डालर के आंतरिक प्रोद्भुत के जरिए पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

जाली रेल टिकट रैकेट

424. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सतर्कता विभाग ने हाल ही में देश में जाली रेल रैकेट में शामिल कुछ व्यक्तियों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर-कानूनी गतिविधियों में मौन सहमति देने वाले रेलवे कर्मचारियों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) हाल ही में नकली टिकटों का किसी देशव्यापी रैकेट का पर्दाफाश नहीं हुआ है। बहरहाल, नकली टिकटों की बिक्री/चलाने के निम्नलिखित इक्का-दुक्का मामले प्रकाश में आए हैं।

(1) 8.9.2006 को रेलवे बोर्ड सतर्कता और बिहार पुलिस के संयुक्त दल ने किसी सरोज सिंह के निवास स्थान ग्राम इमदपुर, बिहार शरीफ में छापा मारा और एक नकली ग्राहक को आधे मूल्य पर जाली रेलवे टिकटें बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

(2) 22 जून, 2006 को जमुई रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर 125 मुद्रित कार्ड टिकट मिले।

(3) 7.6.2006 को कटिहार स्टेशन पर 4 व्यक्तियों को फारबिसगंज से जम्मुतवी तक की चार जाली टिकटों के साथ पकड़ा।

(ग) जमुई बुकिंग कार्यालय में एक रेलवे कर्मचारी जिसके काउंटर पर नकली टिकटें पाई गई थीं, के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो/भ्रष्टाचार निवारक शाखा/पटना द्वारा जांच-पड़ताल शुरू हो गई है।

(घ) वह अधिकारी/कर्मचारी जो इन गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त था को अभियोजन के लिए स्थानीय पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

आरक्षण का औचित्य

425. श्री के. एस. राव:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलित मामलों संबंधी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से अधिक न करके आरक्षण प्रणाली को तार्किक बनाने का है ताकि समाज के अन्य वर्गों के समानता के अधिकारों की रक्षा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण प्रणाली पहले से ही तार्किक है।

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं

426. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति पश्चात कार्यों के संबंध में रेलवे मुख्यालय का दौरा करने के लिए नि:शुल्क रेलवे पास देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी अधिवर्षिता उपरांत मानार्थ पास, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, अधिवर्षिता ग्रेच्युटी और उपयोग न की गई छुट्टियों का नकदीकरण सुविधा के पात्र होते हैं जो इस विषयगत नियमों के अहर्कतानुसार होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीएटी-3 आई एल एस के बारे में पायलटों को प्रशिक्षण

427. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्ष पूर्व दिल्ली विमानपत्तन पर स्थापित किए गए सीएटी-3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस) का केवल कुछ प्रतिशत घरेलू पायलट ही उपयोग करना जानते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन एयरलाइनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो उन पायलटों को यह प्रशिक्षण दिलाने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शीतकाल के दौरान जहाजों के सुरक्षित उतरने व उड़ने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) घरेलू सेक्टर में, केवल इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड ने अपने पायलटों को कैट-III प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित किया हुआ है। प्रशिक्षुओं को मिलाकर 683 पायलटों में से, इंडियन एयरलाइन्स ने 146 (21.37%) पायलटों को कैट-III प्रचालनों के लिए अनुमोदित किया है।

(ग) और (घ) अपनी आवश्यकतानुसार आई एल एस कैट-II/III प्रचालनों के लिए अपने पायलटों को प्रशिक्षित करना संबंधित एयरलाइन प्रचालक पर है। तथापि, एयरलाइन प्रचालकों को समय-समय पर अपने पायलटों को आई एल एस कैट-II/III प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कहा जाता है। एयरलाइनों पर इस बात के लिए भी जोर दिया जाता है कि प्रशिक्षक/परीक्षक कैट-II/III अनुमोदित होने चाहिए, ताकि बाद में वे अधिकतम संख्या में पायलटों को प्रशिक्षित कर सकें।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने कम दृश्यता वाली स्थितियों के दौरान विमान प्रचालनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और एयरलाइनों के पास उपलब्ध कैट-II/III प्रशिक्षित पायलटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कम दृश्यता अवधि के दौरान एयरलाइनों की अनुसूचि बनाई है। हवाई अड्डा प्रचालक ने कम दृश्यता स्थितियों में प्रचालनों के सरलीकरण के लिए नए टैक्सीवे चालू किए हैं और अतिरिक्त पार्किंग स्टैण्ड, नई पीढ़ी के फॉलो-मी वाहन जिनमें हाई इन्टैन्सिटी फ्लैंगिग लाइटें लगी हैं, संचार के लिए आर/टी सैट आरम्भ किए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 9.11.2006 को कम दृश्यता प्रचालनों के लिए सभी एयरलाइनों तथा हवाई अड्डा प्रचालनों की तैयारियों की समीक्षा की है।

इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में वृद्धि

428. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के यात्री विमान बेड़े में पहले ए-319 विमान को शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइंस की विमान बेड़े के विस्तार की योजना और पहचाने गए विमान और उसके लिए पहचाने गए आपूर्तिदाताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी खरीद के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) ए-319 विमान, 122 सीटों वाला विमान है जिसमें 8 सीटें बिजनेस क्लास (जे) की तथा 114 सीटें इकानोमी क्लास (वाई) की हैं। इसमें दो सी एफ एम इंजनों को लगाया गया है, जिसमें से प्रत्येक ईंजन की प्रस्ट रेटिंग 23,500 पाउंड्स है। आधुनिक डिजाइन वाला यह विमान फ्लाई बाई वायर प्रौद्योगिकी से युक्त है तथा आई एल एम श्रेणी के 3-वी प्रचालन में सक्षम है विमान की लागत लगभग 190 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) फरवरी, 2006 में, इंडियन एयरलाइन्स ने एयरबस इण्डस्ट्री को 43 विमानों-19 ए-319, 4ए-320 तथा 20ए-321, का ऑर्डर दिया था। एक ए-319 विमान पहले ही 19.10.2006 को डिलीवर किया जा चुका है। शेष विमानों के लिए डिलीवरी की समय सारणी जून, 2007 से मार्च, 2010 की अवधि में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स के पास जनवरी, 2007 से अप्रैल, 2007 के दौरान 5 ए-320 तथा जून, 2007 से नवम्बर, 2007 के दौरान 2 विशालकाय ए-330-300 विमान को ड्राई लीज पर लेने की भी योजनाएं हैं।

पूर्वतट (ईस्ट कोस्ट) रेलवे के अंतर्गत भूमि

429. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत कुल कितनी भूमि है;

(ख) क्या कुल भूमि का कोई भाग अधिशेष घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे का अधिशेष भूमि का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है;

(घ) क्या पूर्वतट क्षेत्र के हिस्से में रेलवे की किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पूर्वतट रेलवे के अधीन आज कुल भूमि लगभग 12621 हेक्टेयर है।

(ख) जी नहीं। रेलवे के पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है। बहरहाल, अभी रेलवे के पास 1355 हेक्टेयर खाली भूमि है जिसकी भविष्य में इसके परिचालनिक उपयोग के लिए आवश्यकता होगी।

(ग) परिचालनिक उपयोग के लिए रेल द्वारा अपेक्षित होने तक राजस्व जुटाने के लिए वाणिज्यिक विकास हेतु खाली भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) पूर्वतट रेलवे में लगभग 31 हेक्टेयर रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया गया है।

(च) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे अतिक्रमण से अपनी भूमि को मुक्त कराने के लिए सतत् प्रक्रिया में लगी रहती है।

[हिन्दी]

ईरान के साथ तेल ब्लाक समझौते का पुनरुद्धार

430. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईरान के साथ तेल ब्लाक समझौते के पुनरुद्धार का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस पर ईरानी प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य के पेट्रोलियम मंत्री की सितम्बर, 2004 में वियना में एक बैठक हुई, जिसमें ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) को ईरान में जुफैयर तेल क्षेत्र का प्रस्ताव मिला था और इस प्रस्ताव को नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एन आई ओ सी) तथा ओ वी एल के बीच जनवरी, 2005 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, ओ वी एल को ईरान में चल रही पुन: खरीद व्यवस्था के अंतर्गत, प्रचालक के रूप में क्षेत्र के विकास के शत प्रतिशत अधिकार व बाध्यताओं का तथा गैर-प्रचालक के रूप में यादावरन क्षेत्र के विकास के 20% अधिकार व बाध्यताओं का प्रस्ताव किया गया था।

ओ वी एल ने अप्रैल, 2005 में जुफैयर क्षेत्र के लिए प्रमुख विकास योजना (एम डी पी) का प्रारम्भिक मसौदा प्रस्तुत किया। एन आई ओ सी तथा ओ वी एल के बीच आगे हुई चर्चाओं के उपरान्त, एन आई ओ सी द्वारा कुछ संशोधनों के सुझाव दिए गए थे और व्यवस्थित रूप देने तथा उनकी पुन: व्याख्या के लिए डिजिटल प्रारूप में आंकड़ों को भी दिया गया था। चूंकि इन आंकड़ों की पुन: व्याख्या के निष्कर्ष पूर्व-रूपांतर से बहुत भिन्न थे अत: स्थल के वास्तविक मूल्यांकन के लिए ओ वी एल ने एन आई ओ सी द्वारा अधिग्रहीत तथा तैयार किए गए त्रिआयामी आंकड़े प्राप्त किए। इस पुन: मूल्यांकन के पश्चात् ओ वी एल ने 1.10.2006 को जुफैयर स्थल की प्रमुख विकास योजना (एम डी पी) एन आई ओ सी के पास भेजी।

एक अन्य घटनाक्रम में, 5 एम एम टी पी ए प्रति वर्ष एल एन जी की आपूर्ति के लिए संविदा के 13.6.2005 को एक पार्श्व पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें कहा गया है कि ओवीएल को खेत्र के प्रचालक के रूप में जुफैयर क्षेत्र के लिए 2.5 एम एम टी प्रति वर्ष एल एन जी के प्रति 100% अधिकार व बाध्यताएं दी गई हैं और शेष 2.5 एम एम टी प्रति वर्ष एल एन जी के प्रति यादावरन क्षेत्र के विकास के लिए 10% अधिकार व बाध्यताएं दी गई हैं। एस पत्र के अनुसार, यदि भारतीय कंपनियां मार्च, 2006 तक अतिरिक्त 2.5 एम एम टी के लिए एक अन्य एल एन जी संविदा पर हस्ताक्षर करती हैं तो ओ वी एल को यादावरन के विकास के लिए अन्य 10% अधिकार तथा बाध्यताएं दी जाएंगी। यादावरन क्षेत्र के आंकड़ों के आकलन तथा इसकी संभावनाओं के मूल्यांकन के पश्चात, ओ वी एल ने क्षेत्र के विकास में भागीदारी की अपनी इच्छा व्यक्त की। ओ वी एल ने रिपोर्ट दी है कि यादावरन स्थल के लिए यदि एक बार एन आई ओ सी तथा चीन की प्राचलक कंपनी के बीच शर्तों और निबंधनों पर सहमति बनती है तो एन आई ओ सी द्वारा शर्तों और निबंधनों को इंगित करता एक ''प्रस्ताव पत्र'' ओ वी एल को भेजे जाने की संभावना है।

ओ वी एल ने सूचना दी है कि चीनी कंपनी ने जुफैयर क्षेत्र में भागीदारी की भी इच्छा व्यक्त की है और चल रही तकनीकी वाणिज्यिक वार्ताओं को पूरा करने के पश्चात, एन आई ओ सी ने ओ वी एल के साथ उनकी भागीदारी पर सहमति व्यक्त की। ओ वी एल ने एन आई ओ सी को यह दर्शाते हुए अपनी सहमति भेजी है कि चीनी कंपनी की भागीदारी, यादावरन क्षेत्र में ओ वी एल को अंश की अनुपातिक रूप में बढ़ोत्तरी की शर्त पर होनी चाहिए।

ओ वी एल (40%), आई ओ सी (40%) तथा ओ आई एल (20%) का परिसंघ ईरान में फारसी अपतटीय ब्लाक में पहले ही भागीदारी कर रहा है।

[अनुवाद]

विमानपत्तन पर निवेश आयोग की सिफारिशें

431. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश आयोग ने देश में कुछ विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष उद्देश्य वाहनों के सृजन के संबंध में कोई सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आयोग ने सरकार से देश के चुनिंदा शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौता

432. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ गत छह महीनों के दौरान सरकार द्वारा द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता किया गया है;

(ख) क्या वर्तमान में किसी देश के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौते के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले छह महीनों के दौरान समझौता ज्ञापन, अनुबंधित कार्यवृत्त, राजनयिक नोट विनियम के आकार में, फिनलैंड, मालद्वीव, स्विट्जरलैण्ड, सिंगापुर, कुवैत, बंगलादेश, यूएई (शारजाह), श्रीलंका, स्पेन, भूटान, जापान एवं ओमान के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौते को अंतिम रूप दिया गया है।

(ख) से (घ) विभिन्न देशों के साथ विमान सेवा समझौते की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इन्हें यातायात मांग, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हित के संतुलन तथा राजनयिक/राजनीतिक विचार के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। स्वीडन के साथ द्विपक्षीय परामर्शों के नवंबर 2006 में आयोजित होने की योजना है।

अल्पसंख्यकों की जनसंख्या संबंधी सर्वेक्षण

433. श्री रघुनाथ झा: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अल्पसंख्यक ग्रुपों के गरीबी रेखा के दोगुने नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आंकड़ों के अभाव में सरकार ने किस तरीके से अल्पसंख्यक ग्रुपों के कल्याण के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाई हैं;

(घ) क्या अब कोई सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले): (क) और (ख) योजना आयोग ने दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित व्यक्तियों के अनुपात के बारे में अनुमानित संख्या प्रदान की है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनसंख्या की धार्मिक आधार पर प्रतिशतता

(ग्रामीण)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवार का धर्म				
		हिन्दू	इस्लाम	ईसाई	सिक्ख	अन्य
1	2	3	4	5	6	
1.	आंध्र प्रदेश	76.00	77.48	84.57	0.00	91.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.79	88.35	76.32	54.95	72.30
3.	असम	93.22	96.42	98.21	0.00	91.04

1		2	3	4	5	6
4.	बिहार	94.31	94.84	96.18	74.68	98.44
5.	गोवा	47.35	4.81	23.66	0.00	0.00
6.	गुजरात	74.00	63.45	95.90	14.30	49.39
7.	हरियाणा	62.20	91.85	0.00	39.28	1.24
8.	हिमाचल प्रदेश	70.05	50.25	0.00	63.51	59.52
9.	जम्मू-कश्मीर	72.99	67.33	76.90	49.73	40.79
10.	कर्नाटक	80.55	75.28	73.94	0.00	74.85
11.	केरल	61.93	71.26	53.73	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	90.26	90.50	76.39	63.40	81.84
13.	महाराष्ट्र	79.30	79.84	93.50	100.00	82.49
14.	मणिपुर	87.11	81.82	84.49	100.00	86.30
15.	मेघालय	89.61	88.18	85.68	74.30	91.07
16.	मिजोरम	79.08	0.00	53.31	0.00	93.77
17.	नागालैण्ड	43.64	66.62	26.69	100.00	0.00
18.	उड़ीसा	92.43	75.20	92.63	0.00	97.77
19.	पंजाब	65.15	81.82	68.99	57.47	55.90
20.	राजस्थान	79.31	85.53	59.14	58.83	77.47
21.	सिक्किम	85.33	84.27	87.59	0.00	84.18
22.	तमिलनाडु	78.12	61.33	74.13	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	85.42	92.28	92.53	77.85	88.49
24.	उत्तर प्रदेश	86.18	88.83	88.60	32.12	90.41
25.	पश्चिम बंगाल	88.07	93.68	88.87	0.00	92.97
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.36	54.25	44.63	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	52.39	60.00	38.39	6.80	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	80.85	11.08	69.67	0.00	100.00

	1	2	3	4	5	6
29.	दमन और दीव	27.72	28.61	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	29.82	9.17	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	24.56	41.99	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	62.62	63.03	90.60	0.00	0.00
	अखिल भारतीय	83.33	85.91	69.74	46.54	81.53

विवरण II

दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनसंख्या की धार्मिक आधार पर प्रतिशतता

(शहरी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवार का धर्म				
		हिन्दू	इस्लाम	ईसाई	सिक्ख	अन्य
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	70.89	88.59	64.79	100.00	59.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.01	87.07	62.10	0.00	44.57
3.	असम	51.48	65.36	45.60	0.00	24.45
4.	बिहार	76.56	90.63	85.95	32.86	66.20
5.	गोवा	60.15	71.77	52.79	0.00	0.00
6.	गुजरात	67.76	80.30	41.20	16.50	23.12
7.	हरियाणा	54.07	94.68	100.00	25.66	5.20
8.	हिमाचल प्रदेश	33.67	55.36	24.10	29.71	10.52
9.	जम्मू-कश्मीर	39.56	55.48	59.50	19.13	61.42
10.	कर्नाटक	65.89	87.34	27.02	64.20	73.68
11.	केरल	63.76	78.61	47.75	0.00	11.26
12.	मध्य प्रदेश	83.20	90.48	71.60	68.59	60.37
13.	महाराष्ट्र	68.81	85.34	41.52	22.50	73.93
14.	मणिपुर	58.99	70.53	65.20	0.00	67.54

1		2	3	4	5	6
15.	मेघालय	14.79	33.88	23.14	49.48	17.10
16.	मिजोरम	11.78	16.32	20.18	0.00	4.93
17.	नागालैण्ड	9.23	12.30	9.45	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	86.24	92.09	95.80	0.00	8.20
19.	पंजाब	53.45	69.27	59.55	49.40	0.29
20.	राजस्थान	73.71	84.58	41.60	45.49	59.35
21.	सिक्किम	40.64	73.13	4.76	15.92	22.84
22.	तमिलनाडु	68.00	78.62	64.21	78.10	40.07
23.	त्रिपुरा	42.38	90.32	65.14	0.00	57.10
24.	उत्तर प्रदेश	71.41	88.22	51.59	46.72	38.27
25.	पश्चिम बंगाल	60.63	81.11	28.24	69.91	52.49
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54.32	40.51	39.08	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	28.89	40.53	0.01	14.75	36.18
28.	दादरा और नगर हवेली	48.19	38.90	0.00	0.00	0.00
29.	दमन और दीव	77.95	59.48	46.88	0.00	0.00
30.	दिल्ली	45.86	70.98	0.75	30.16	35.05
31.	लक्षद्वीप	12.60	58.68	9.58	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	71.41	87.18	76.70	0.00	0.00
	अखिल भारतीय	67.59	84.12	51.22	51.04	57.25

पुराने पड़े तेल क्षेत्रों से उत्पादन

434. श्री नवीन जिन्दल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) पुराने पड़े तेल क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने और कोयला खदानों से गैस खोजने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की खोज की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्यम पर कितनी राशि व्यय की जानी है और इससे कितने अतिरिक्त तेल और गैस का उत्पादन होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन का इष्टतमीकरण

करके वर्तमान स्तर से तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ओ एन जी सी ने उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर)/वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) योजनाएं क्रियान्वित की हैं। तथापि, उन्होंने कोयलना खानों से गैस के निष्कर्षण संबंधी कोई कार्य नहीं किया है।

(ख) ओ एन जी सी ने निम्नलिखित 15 क्षेत्रों की पहचान की है और आई ओ आर/ई ओ आर योजनाओं की 18 परियोजनाएं आरम्भ कर दी हैं–

(1) पश्चिमी अपतट—मुंबई हाई नार्थ, मुंबई हाई साउथ, नीलम, हीरा।

(2) गुजरात राज्य—गांधार, कलोल, सानन्द, संथाल, उत्तरी कादी, जोताना, सोभासन, बलोल।

(3) असम राज्य—जेलेकी, लाकवा, रुद्रसागर।

(ग) 18 परियोजनाओं की अनुमोदित लागत 14,060.24 करोड़ रुपये है और मार्च, 2006 तक 10,733.23 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। तेल उत्पादन में अनुमानित वृद्धि 111 एम एम टी और प्राकृतिक गैस में 26.28 बी सी एम है।

[हिन्दी]

वनों और तटीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

435. श्री बापू हरी चौरे: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में वन और तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य सरकार को इस उदेद्श्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सहित देश में पर्यटन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उनके साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र में कुनकेश्वर के गंतव्य विकास और यात्रा परिपथ के एकीकृत विकास, कोल्हापुर के लिए दो प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें राज्य के वन और समुद्र तट क्षेत्रों में पर्यटन का विकास शामिल है। सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की जांच दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और पारस्परिक प्राथमिकता एवं प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन के विकास हेतु 580.38 लाख रुपए की राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की है:

(1) महाबलेश्वर (चरण-2), जिला सतारा का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(2) कालीदास उत्सव मनाना

(3) एलोरा-औरंगाबाद उत्सव मनाना

(4) न्यू महाबलेश्वर हिल स्टेशन के विकास के लिए सम्भाव्यता अध्ययन

(5) हाथी उत्सव मनाना

(6) चिखलदारे उत्सव मनाना

(7) महाराष्ट्र में आई टी परियोजनाओं का विकास।

[अनुवाद]

जम्मू व कश्मीर एवं कर्नाटक में नागर विमानन क्षेत्र का विकास

436. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू व कश्मीर क्षेत्र में नागर विमानन क्षेत्र में भारी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के लिए भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें पर्यटन की अच्छी संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां 227.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर, जम्मू और लेह हवाई अड्डों पर सिविल एन्क्लेव के लिए विभिन्न विकास कार्य आरंभ किए गए हैं।

(ख) श्रीनगर में सिविल एन्क्लेव पर, दो यात्री पुलों सहित 950 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन के विस्तार तथा परिवर्धन तथा एप्रन के विस्तार से संबंधित कार्य के फेस-1 का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष कार्य के दिसम्बर, 2007 तक पूरा हो जाने की संभावना है। फेस-2 में एप्रन के विस्तार तथा अतिरिक्त लिंक टेक्सीपथ से संबंधित कार्य भी 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आरंभ किए गए हैं। लेह पर सिविल एन्क्लेव पर 80 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से नये टर्मिनल भवन कॉम्प्लेक्स के निर्माण तथा एप्रन के विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया गया है। जम्मू सिविल इन्क्लेव पर 60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर भूमि के अर्जन सहित टर्मिनल भवन कॉम्प्लेक्स तथा एप्रन के विस्तार की योजना बनाई गई हैं।

(ग) और (घ) 293.64 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर कर्नाटक में हवाई अड्डों के विकास के लिए विभिन्न स्तरोन्नयन कार्य या तो कर दिए गए हैं/किए जाने की योजना है। मंगलौर हवाई अड्डों पर, नये रनवे तथा सहायक सुविधाएं जुटाने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 800 यात्रियों के लिए एक नये समेकित टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण तथा नये टर्मिनल भवन के सामने एप्रन और लिंक टैक्सीपथ का निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। बंगलौर हवाई अड्डे पर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के विस्तार और परिवर्धन का कार्य पूरा किया गया है। मैसूर हवाई अड्डे पर 1700 मीटर लम्बाई वाले नये रनवे के निर्माण 100 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन कार पार्क नियंत्रण आवार का कार्य पूरा हो गया है। बी-737 प्रचालनों के लिए हुबली और बेलगाम पर हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि का अर्जन करने तथा इसे बिना लागत तथा सभी विवादों से मुक्त इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) उपरोक्त की दृष्टि से लागू नहीं होगा।

बंगलौर में पर्यटक होस्टल का निर्माण

437. श्री जी एम. सिद्धीश्वर: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को इंडिया हेरिटेज एकेडमी, बंगलौर में पर्यटक होस्टल के निर्माण के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इस परियोजना में, केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है;

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) परियोजना को अनुमोदन देने में विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (छ) जी, हां। 124.06 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ इंडिया हेरिटेज एकेडमी, बंगलौर में पर्यटक होस्टल के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार ने 6.11.2004 को एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था।

पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और पारस्परिक प्राथमिकता एवं संबंधित शीर्ष के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इंडिया हेरिटेज एकेडमी, बंगलौर में पर्यटक होस्टल के निर्माण की परियोजना, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थी और इसलिए स्वीकृत नहीं की गई।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर

438. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न राज्यों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में नए कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक ये केन्द्र काम करने लगेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 123 स्थानों पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्रों को स्वीकृत किया गया है। आंध्र प्रदेश (8), अरुणाचल प्रदेश (14),

असम (5), बिहार (3) छत्तीसगढ़ (2), दिल्ली (2), गुजरात (3), हरियाणा (4), जम्मू और कश्मीर (7), झारखंड (2), कर्नाटक (3), मध्य प्रदेश (3), महाराष्ट्र (2), मणिपुर (8), मेघालय (6), मिजोरम (7), नागालैण्ड (9), उड़ीसा (7), राजस्थान (5), सिक्किम (4), तमिलनाडु (2), त्रिपुरा (3), केन्द्रीय शासित क्षेत्र (1), उत्तर प्रदेश (7), उत्तरांचल (2), और पश्चिम बंगाल (4)।

(ग) चूंकि, अधिकांश स्थल गैर-रेल शीर्ष वाले हैं, अत: डाटा चैनेल के उपलब्ध होने तथा राज्य सरकारों द्वारा निशुल्क स्थान मुहैया कराए जाने के बाद कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र चालू कर दिए जाएंगे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी हेतु संयुक्त उपक्रम भागीदार

439. श्री एल. राजगोपाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान आकदमी हेतु 2 अक्टूबर, 2006 में **दि टाइम्स ऑफ इंडिया** में यथा प्रकाशित अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए इक्विटी भागीदारी पर वैश्विक व्यवसायी/संयुक्त उपक्रम भागीदारी को आमंत्रित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) के शासी परिषद ने क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं व्यावसायिक एजेंसियों के साथ प्रबंधन संपर्क के माध्यम से प्रबंधन में व्यावसायिकता लाने का निर्णय लिया है। इस उदेद्श्य के लिए नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा निदेशक, इग्नुआ के अधिकारियों की एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की है।

[हिन्दी]

भारत और कजाखिस्तान के बीच समझौता

440. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा कजाखिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार लाने के लिए संयुक्त व्यापार परिषद गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिस पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री ने कजाखिस्तान के अपने समकक्ष के साथ वार्ता की; और

(घ) इन प्रत्येक क्षेत्रों में अब तक दर्ज की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) कजाखिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों का पता लगाने और इनका विस्तार करने के लिए भारत और कजाखिस्तान के बीच अंतर-सरकारी आयोग की स्थापना की गई है। व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भारत-कजाखिस्तान अंतर-सरकारी आयोग की छठी बैठक 12-13 अक्टूबर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(ख) से (घ) बैठक के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, हाइड्रोकर्बनों, खनिज सांसाधनों, सूचना प्रौद्योगिकी, सैनिक तकनीकी सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य दूत संबंधी मुद्दों और परिवहन क्षेत्रों के बारे में वार्ता की गई। बैठक के अंत में राजनयिक माध्यमों के जरिए नयाचार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में जासूसी गतिविधियां

441. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
डा. के. धनराजू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में जासूसी की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बल-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) किन-किन देशों/विदेशी संगठनों के साथ इन जासूसी गतिविधियों के तार जुड़े थे;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा दंडित किए गए; और

(ङ) जासूसी गतिविधियों को प्रभावी रूप से समाप्त करने के लिए प्रति-आसूचना मशीनरी को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेना कार्मिकों के जासूसी गतिविधियों में संलिप्त होने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में सशस्त्र सेनाओं में ऐसे जिन मामलों की सूचना मिली है, उनकी संख्या इस प्रकार है:

	2003	2004	2005	2006
सेना	4	–	1	3
नौसेना	–	–	1	1
वायुसेना	–	–	–	1

(ग) पाकिस्तानी गुप्तचर/पाकिस्तानी उच्चायोग का स्टाफ इनमें से कुछ मामलों में अंतर्ग्रस्त/लिप्त पाया गया है।

(घ) इन मामलों में अंतर्ग्रस्तता के लिए 23 सशस्त्र सेना कार्मिक गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 21 को कड़ा दंड दिया गया है।

(ङ) शत्रु देशों/संगठनों की कार्य-प्रणाली के आधार पर रोकथाम के व्यापक उपाय लागू किए जा रहे हैं और सुरक्षा तंत्र को त्रुटिरहित बनाने के लिए परिवेश को सुग्राही बनाने के प्रयोजनार्थ समय-समय पर सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, सेनाओं के मौजूदा प्रति-आसूचना तंत्र को नियमित रूप से सहयोजित किया जाता है ताकि नई चुनौतियों का सामना किया जा सके। दोषारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सबक सिखाने वाला दंड दिया जा रहा है।

गैर-मैट्रो हवाई अड्डों पर अवसंरचना

442. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में गत एक वर्ष के दौरान औसतन 15% की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय हवाई मानचित्र पर देश के छोटे शहरों को जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो कितने गैर-मैट्रो हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए हवाई मानचित्र में जोड़े गए हैं तथा कितने नगर आगे आने वाले वर्षों में सीधी राष्ट्रीय उड़ान से जुड़ जाएंगे;

(घ) क्या इन गैर-मैट्रो नगरों में आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करा दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत रणनीति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों और एयरलाइन प्रचालकों के अनुरोध पर, कूच बिहार, मैसूर एवं अकोला एयरपोर्टों को नामित एयरलाइनों के प्रचालन योग्य बनाने के लिए उनका सुधार कार्य एवं वहां आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(ग) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर एवं हैदराबाद के अतिरिक्त, 18 अन्य शहरों यथा, अहमदाबाद, अमृतसर, कालीकट, कोचीन, कोयम्बटूर, गया, गोवा, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पुणे, तिरूवनंतपुरम, त्रिची, वाराणसी, मंगलौर, श्रीनगर एवं पटना को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अन्य गैर-मैट्रो एयरपोर्टों के विकास के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइन प्रचालकों से मांग के आधार पर कार्रवाई आरम्भ करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। तथापि, आधारभूत सुविधाओं का सुधार एवं उन्नयन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे मांग/क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में, वर्तमान एवं भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए, 35 गैर-मैट्रो शहरों/एयरपोर्टों के उन्नयन, सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन एयरपोर्टों पर रनवे, टैक्सी मार्ग, नेवीगेशन, लैण्डिंग सहायता एवं सी.एन.एस/ए.टी.एम. सुविधाओं का विकास करेगा।

एच ए एल द्वारा हैलीकाप्टरों का निर्माण

443. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का विचार अमेरिकी 'मेजर एम/एसबेल' के साथ सहयोग से 130 हेलीकॉप्टर का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सेना द्वारा पुराने पड़ गए चेतक को प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो सेना ने कितने हेलीकाप्टर प्रतिस्थापित करने की योजना बनाई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ-साथ रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निहित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भारतीय सेना के चीता/चेतक हेलीकॉप्टरों के प्रतिस्थापना हेतु अधिप्राप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

444. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरूआत होने के पूर्व राजधानी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना सभी स्टेशनों के लिए तैयार की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन्हें आधुनिक बनाया जाना है;

(घ) उन अन्य रेलवे स्टेशनों के राज्यवार क्या नाम हैं जिनका आधुनिकीकरण राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व किया जाना है;

(ङ) स्टेशन-वार खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है तथा इन स्टेशनों पर कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और कब तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में छोटे स्टेशनों सहित बड़ी संख्या में ऐसे स्टेशन हैं जहां बहुत कम संख्या में यात्री होते हैं और इन सभी स्टेशनों को आधुनिक बनाना व्यवहार्य या आवश्यक नहीं है। बहरहाल, दिल्ली, नई और हजरत निजामुद्दीन सहित प्रमुख स्टेशनों का राष्ट्र मंडल खेलों के शुरू होने से पूर्व आधुनिकीकरण हो जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन का विश्व स्तर के स्टेशन के रूप में परिवर्तन का प्रस्ताव भी है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

(घ) और (ङ) भारतीय रेलवे की अपनी प्रणाली पर 8000 से ज्यादा स्टेशन हैं जिन्हें अर्जन आदि के आधार पर विभिन्न कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। स्टेशन की कोटि पारस्परिक प्राथमिकता, धनराशि की उपलब्धता आदि के आधार पर स्टेशनों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर के स्टेशनों के लिए राष्ट्र मंडल खेलों के दृष्टिगत स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान इस प्रयोजन हेतु 350 करोड़ रु. (लगभग) तक धनराशि आबंटित की गई है और आने वाले वर्षों में यथाअपेक्षित और अधिक धनराशि का आवंटन किया जाएगा।

[अनुवाद]

ब्रुसेल्स में 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया'

445. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया' आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 15 वर्ष से अधिक अवधि के बाद 'फेस्टिवल' आयोजित करने तथा ब्रुसेल्स को इसके लिए चुनने के पीछे क्या कारण हैं; और

(घ) खर्च की जाने वाली राशि तथा सृजित किए जाने वाले राजस्व का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। सेंटर फॉर फाइन आर्ट्स (बीओजेडएआर), ब्रुसेल्स के साथ समन्वय बनाते हुए तथा संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय के साथ भागीदारी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई सी सी आर), नई दिल्ली अक्टूबर, 2006 से जनवरी, 2007 के दौरान ब्रुसेल्स में ''फेस्टिवल ऑफ इंडिया'' का आयोजन कर रही है। इस फेस्टिवल के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें कला प्रदर्शन, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, व्याख्यान, फैशन शोज, खान-पान उत्सव, फिल्म उत्सव, प्रसिद्ध लेखकों/पुस्तक लेखकों द्वारा बातचीत, स्मारिका की दुकानें और धार्मिक भारतीय कला एवं चित्रकारी की कुछ प्राचीन छवियों की प्रदर्शनी शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय ने 'तेजस' के नाम से, भारतीय सभ्यता के 1500 वर्षों पर, तीन माह लम्बी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है।

(ग) पिछले 15 वर्षों में बदलते विश्व में भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में सामने आया है। इस समारोह के माध्यम से भारत के अतीत की प्रसिद्धि को वर्तमान तथा भविष्य की संभावना के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूरोपीय संघ की राजधानी होने के कारण ब्रुसेल्स, भारत की सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता को प्रदर्शित करने तथा व्यापार एवं तकनालॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक भागीदारी के उदेद्श्य को भी आगे बढ़ाने के लिए, एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करता है।

(घ) इस समारोह पर होने वाले व्यय की हिस्सेदारी का वहन अपने घटक रखने वाले विभिन्न भारतीय विभागों/संगठनों तथा ब्रुसेल्स में सेंटर फॉर फाइन आर्ट्स (बीओजेडएआर) द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शनी के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 3 करोड़ रुपए का एक परिव्यय प्रदान किया है जबकि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की हिस्सेदारी लगभग 5.00 करोड़ रुपए की है। इस समारोह के परिणामस्वरूप, अपनी सांस्कृतिक छवि का आदान-प्रदान कर, भारत विविध दूरभागी लाभ हासिल करेगा।

[हिन्दी]

सवारी रेल गाड़ियों में ब्रेक निरीक्षण

446. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने सवारी रेल गाड़ियों के लिए ब्रैक निरीक्षण नियमों के संबंध में प्रतिबंध सीमा को बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सवारी रेल गाड़ियों में ब्रैक निरीक्षण से संबंधित प्रतिबंध सीमा को बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सवारी रेल गाड़ियों के लिए ब्रैक निरीक्षण से संबंधित प्रतिबंध सीमा को बढ़ाए जाने के कारण पटरी, ब्रैक, पहिया, धुरा आदि से संबंधित शिकायतें बार-बार मिल रहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो यात्री सुरक्षा नियम बनाए रखने के लिए स्थिति की समीक्षा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) रेलगाड़ी का ब्रेक निरीक्षण, प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान बेस डिपों पर और दूसरे छोर पर गौण अनुरक्षण के दौरान भी किया जाता है। नीति के तौर पर विस्तृत ब्रेक प्रणाली जांच को दूसरे सिरे पर समाप्त कर दिया गया है बशर्ते कि गाड़ी का राऊंड ट्रिप दूर 2500 किमी. अथवा 3500 किमी. (कुछ चिन्हित रेलगाड़ियों के लिए) से ज्यादा न हो। इसलिए यह निरीक्षण रेलगाड़ी के खत्म होने वाले छोर पर अथवा 2500 किमी. तक अथवा 3500 किमी. की राऊंड ट्रिप दूरी के बाद किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी इंजन को किसी भी कारण से बदला जाता है तो यात्रा के शुरू होने से पहले ब्रेक पॉवर कान्टीन्युटी चैक की जाती है।

(ग) हमारे देश के विशाल भू-भाग को देखते हुए कतिपय लंबी दूरी की रेल गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व और एक ब्रेक निरीक्षण होते हुए रेल गाड़ियां 3500 किमी. की दूरी पहले ही चल रही है। इसलिए सवारी डिब्बों के बेहतर उपयोग को देखते हुए, कतिपय अन्य रेलगाड़ियों को एक राऊंड

ट्रिप में 2500/3500 किमी. तक चलाने के लिए माध्यमिक अनुरक्षण की अनुमति प्रदान की गई है जिसमें ब्रेक निरीक्षण भी शामिल है।

(घ) जी नहीं। ब्रेक निरीक्षण के अंतराल के विस्तार के कारण इस तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। संरक्षा की आवश्यकताओं पर पर्याप्त विचार के बाद इस संबंध में दिशा-निर्देश और अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काव समिति की सिफारिशें

447. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ माहों में हवाई जहाजों में गड़बड़ियों की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काव समिति ने विमानन सुरक्षा में सुधार लाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति की सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) काव समिति ने नागर विमानन महानिदेशालय की भूमिका, कार्यकलापों तथा ढांचे का सर्वांगीण अध्ययन किया है जैसाकि विमानन प्रचालन में सुरक्षा के लिए कुछ विनियामक कार्यविधि को सरल बनाने की सिफारिश की है। जांच करके तथा रक्षा, संचार, वित्त, विधि, इत्यादि जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके, इन सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तथापि, नागर विमानन महानिदेशक ने अब तक नागर विमानन अपेक्षाएं, उड़ान योग्यता अनुदेश, विमान परिवहन परिपत्र तथा इसी प्रकार के मार्गदर्शन जारी करके विमानन संरक्षा से संबंधित 10 सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है।

काठमांडू-वाराणसी क्षेत्र में उड़ान बहाल करना

448. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी उड़ानों को काठमांडू-वाराणसी-काठमांडू क्षेत्र में स्थगित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अब उड़ान बहाल कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उड़ान फिर से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। अत्यधिक ठपस्कर तथा क्रू बाध्यताओं के कारण इंडियन एयरलाइन्स ने अप्रैल, 2005 से काठमांडू-वाराणसी-काठमांडू सेक्टर पर अपनी उड़ानें बंद कर दी थी।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने 15 सितम्बर, 2006 से ए-320 विमान के साथ वाराणसी तथा काठमांडू के बीच अपने दैनिक प्रचालनों को फिर से शुरू कर दिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों को शामिल करना

449. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान की कितनी जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है;

(ख) कितनी जातियां अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने के लिए लंबित पड़ी हैं तथा इनके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक बाकी जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल कर लिया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राजस्थान की 65 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ख) कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खजुराहो हवाई अड्डा

450. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा खजुराहो हवाई अड्डे पर उड़ान पट्टी के विस्तारित अंश का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। मुख्य कार्य पूरा हो गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सड़क को दूसरी दिशा में मोड़ने के कारण प्रारंभ में रनवे के विस्तृत भाग को चालू करने का कार्य रोक दिया गया है। एक छोटी पहाड़ी, जो अवरोध का एक हिस्सा थी, उसे काट दिया गया है। कुछ अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य भी प्रगति पर है।

(ख) मौजूदा रनवे की सशक्तिकरण, रनवे का विस्तार, रनवे के विस्तृत भाग की ग्रेडिंग तथा शोल्डरों के निर्माण एवं 22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले अन्य कार्यों जैसे विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) सभी अवरोधों को दूर करने के बाद रनवे के विस्तृत भाग को फरवरी 2007 तक चालू करने की संभावना है।

[अनुवाद]

रेलवे आरक्षण प्रणाली में खामियां

451. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे आरक्षण अधिकारियों तथा बिचौलियों के बीच गठजोड़ का पता चला है जैसा 15 अक्टूबर, 2006 को 'जनसत्ता' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने प्रणाली की खामियों का पता लगा लिया है जिसके चलते यह गठजोड़ चलता रहा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा ऐसे गठजोड़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) कभी-कभी अतिरिक्त डिब्बे लगाने के कारण उत्पन्न अतिरिक्त स्थान को चार्टिंग करते समय सिस्टम में फीड कर दिया जाता है। इन अतिरिक्त शायिकाओं का पहले प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को दिया जाता है तथा शेष शायकाएं चार्टिंग के उपरांत करंट बुकिंग काउंटर पर बुकिंग के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं। हालांकि, प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के आरक्षण पुष्टि स्वत: हो जाती है, फिर भी कुछ दलाल/बिचौलिए इस पुष्टिकरण का फायदा उठाते हैं। क्योंकि अंतिम क्षण में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाने की सूचना उन्हें भी मिल जाती हैं। यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन तब किया जाता है जब उच्च श्रेणी में सीटें खाली होती हैं तथा निम्नतर श्रेणी में आर ए सी (रद्दीकरण

के बदले आरक्षण) या प्रतीक्षा सूची होती है। अपग्रेडेशन प्रणाली स्वत: कार्य करती है तथा यह यात्रियों को यादृच्छिक तरीके से अपग्रेड करती है। अत: इस प्रणाली में किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) इस प्रणाली में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अंतिम क्षण में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाने, यदि कोई हो, की सूचना से सामान्यत: यात्री अनभिज्ञ होते हैं।

(ङ) खाली शायिकाओं की उपलब्धता के बारे में यात्रियों को सही प्रसार से सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उपलब्धता बोर्ड लगाए गए हैं। पी एन आर (यात्री नाम रिकार्ड) स्थिति तथा शयिकाओं/सीटों की उपलब्धता की सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरएक्टिव वायस रिस्पॉन्स सिस्टम (आई बी आर एस) मुहैया कराया गया है। बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए इंटरनेट बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

452. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री गिरिधारी यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया;

(ख) क्या सरकार का विचार और ज्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कौन-से ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या अनुबंध में दी गई हैं।

(ख) और (ग) पर्यटन मुख्यत: एक निजी क्षेत्र कार्यकलाप है, जिसमें सरकार सुगमकर्ता और उत्प्रेरक की भूमिका अदा करती है। अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सामान्यत: टूर आपरेटरों द्वारा विशेष पैकेज दिया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित संवर्धनात्मक कार्यकलाप चलाता है:

* संकेन्द्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑन लाईन अभियान,
* प्रिंट मीडिया में विज्ञापन,
* मेले और प्रदर्शनियों में भागीदारी,
* संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सड़क प्रदर्शनियों का आयोजन,
* भारतीय शाम का आयोजन/प्रायोजन करना,
* क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन/भागीदारी,
* भोजन और संस्कृति उत्सवों का आयोजन,
* विभाग के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों, टूर अपरेटरों और विचारकों को आमंत्रित करना,
* ब्रोशरों और कोलेट्रल्स का मुद्रण और वितरण,
* यात्रा एजेंटों/टूर आपरेटरों के साथ ब्रोशर समर्थन/संयुक्त विज्ञापन,
* मार्किट अनुसंधान एवं मार्किट ईटेलिजेंस डाटा एकत्र करना,
* जसम्पर्क।

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए संवर्धनात्मक उपायों के अलावा, पर्यटक गंतव्यों और परिपथों में पर्यटन अवसंरचना के विकास की परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न प्लान योजनाओं के अंतर्गत 10वीं योजना में अब तक 1008 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

विवरण

वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान राज्यवार विदेशी पर्यटक आगमन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	479318	501019	560024
2.	अरुणाचल प्रदेश	123	269	289
3.	असम	6610	7285	10782
4.	बिहार	60820	38118	63321
5.	गोवा	314357	363230	336803
6.	गुजरात	37534	21179	47107
7.	हरियाणा	84981	66153	59353
8.	हिमाचल प्रदेश	167902	204344	207790
9.	जम्मू-कश्मीर	24330	40242	44345
10.	कर्नाटक	249908	530225	545225
11.	केरल	294621	345546	346499
12.	मध्य प्रदेश	92278	145335	160832
13.	महाराष्ट्र*	986544	1218382	1448656
14.	मणिपुर	257	249	316
15.	मेघालय	6304	12407	5099
16.	मिजोरम	279	326	273
17.	नागालैण्ड	743	1084	883
18.	उड़ीसा	25020	28817	33310
19.	पंजाब	4589	7312	4353
20.	राजस्थान	628560	971772	1131164
21.	सिक्किम	11966	14646	16523

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	901504	1058012	1179316
23.	त्रिपुरा	3196	3171	2677
24.	उत्तरांचल	55228	62885	75995
25.	उत्तर प्रदेश	817000	1037243	1174597
26.	छत्तीसगढ़	1150	3000	912
27.	झारखण्ड	3223	4375	6035
28.	पश्चिम बंगाल	705457	775694	895639
29.	अंडमान एवं निकोबार	4142	4578	2147
30.	चण्डीगढ़	17057	16137	23284
31.	दमन एवं दीव	3274	4111	6164
32.	दिल्ली*	693827	839574	1511893
33.	दादरा एवं नगर हवेली	136	168	1226
34.	लक्षद्वीप	682	1285	941
35.	पांडिचेरी	25559	32053	36009
	कुल*	6708479	8360226	9939782

*अनुमानित आंकड़े

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें

राष्ट्रीय गैस सलाहकार बोर्ड

453. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाइपलाइनों तथा नगर वितरक नेटवर्कों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय गैस सलाहकार निकाय स्थापित करने पर विचार कर रही है जैसाकि 27 अक्टूबर, 2006 के ''दि बिजिनेस लाइन'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए मूल्य निर्धारित इत्यादि के संबंध में नियामक निकाय स्थापित करने पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए एक ऐसी नीति निर्धारित करने का सरकार का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय गैस सलाहकार बोर्ड (एन जी ए बी) की स्थापना की संकल्पना है।

(ग) और (घ) सरकार ने 3 अप्रैल, 2006 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिशोधन, संसाधन, भण्डारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना की परिकल्पना है। गैस मूल्य

निर्धारण के विनियमन का मामला नानडेडिकेटिड पाइपलाइनों और सुविधाओं के लिए परिवहन प्रशुल्क को छोड़कर बोर्ड के अधिकतर क्षेत्र में नहीं आता।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

454. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए यह सहायता प्रदान की जाती है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार विभिन्न राज्यों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सुन्दरवन बाघ अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्कों की पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए इनके विकास हेतु कोई विशेष सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय, गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की मौजूदा योजना के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके साथ परामर्श के पश्चात प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में से, प्रत्येक के दौरान पर्यटन के संवर्धन के लिए, विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि दर्शाता हुआ राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सुन्दरवन बाघ अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क के विकास हेतु, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2004-05			वर्ष 2005-06			वर्ष 2006-07		
		स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	16	2827.19	2240.68	7	2,615.82	1,700.00	1	468.63	337.90
2.	असम	8	986.03	766.22	10	2,140.00	1,698.45	1	454.28	363.42
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	1325.50	927.96	10	2,240.16	1,655.21	4	760.90	608.73
4.	बिहार	7	1901.43	1527.71	3	1,212.23	722.49	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	6	1117.94	897.93	7	1,775.59	1,436.54	7	876.38	701.10
6.	गोवा	3	110.00	38.00	1	10.00	8.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	2	138.93	111.14	5	2,011.58	1,169.04	5	347.73	278.18
8.	हरियाणा	6	693.55	513.64	7	639.71	515.77	3	25.00	20.00
9.	हिमाचल प्रदेश	12	2680.00	2161.00	6	1,645.00	921.00	4	285.00	228.00
10.	जम्मू-कश्मीर	5	819.25	699.04	22	6,656.01	5,320.31	13	2826.32	1828.00
11.	झारखंड	2	945.91	756.72	5	1,227.27	697.76	0	0	0
12.	कर्नाटक	12	2461.76	1937.37	8	1,706.52	1,001.21	1	226.88	204.20
13.	केरल	10	2283.63	1820.33	13	4,858.88	3,889.90	5	416.39	333.11
14.	मध्य प्रदेश	11	1595.19	942.21	12	3,047.39	2,419.54	3	903.10	722.40
15.	महाराष्ट्र	10	1620.62	925.30	9	2,075.04	1,662.99	7	580.38	465.28
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00	2	49.80	39.84	5	788.29	526.64
17.	मेघालय	2	963.30	807.91	1	5.00	4.00	2	15.00	12.00
18.	मिजोरम	6	1086.35	382.38	10	2,273.41	1,687.29	0	0	0
19.	नागालैण्ड	7	2250.69	1413.40	9	2,528.97	1,873.17	5	468.94	375.17
20.	उड़ीसा	8	1320.74	1059.38	10	2,309.61	1,586.44	8	477.12	381.70
21.	पंजाब	7	724.68	581.47	5	1,437.67	1,150.13	5	814.45	651.56
22.	राजस्थान	13	2516.61	1375.07	7	2,591.87	2,086.40	8	653.39	522.70
23.	सिक्किम	8	660.81	531.33	14	2,844.56	2,213.74	0	0	0
24.	तमिलनाडु	7	1308.92	705.83	19	4,264.62	3,007.68	6	625.63	503.26
25.	त्रिपुरा	1	20.00	16.00	3	716.26	569.43	1	4.15	3.32
26.	उत्तरांचल	7	2199.98	1750.73	13	2,738.00	2,193.18	6	528.99	428.19
27.	उत्तर प्रदेश	9	1044.93	831.19	18	3,905.23	3,126.03	5	2441.90	1953.52
28.	पश्चिम बंगाल	10	513.04	407.03	5	989.35	792.48	4	952.36	717.38
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0.00	0.00	1	6.25	5.00	0.	0	0
30.	चंडीगढ़	3	467.00	373.60	1	13.70	13.70	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0.00	2	29.79	25.92	0	0	0
32.	दिल्ली	8	628.85	511.00	2	20.00	17.00	3	20.00	17.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	दमन व दीव	0	0.00	0.00	4	262.28	208.61	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	451.00	360.00	2	469.39	375.51	0	0	0
	कुल	217	37,663.83	27,371.97	253	61,316.96	45,793.76	112	15,961.21	12,182.76

टिप्पणी: इसमें परिपंथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोनजाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आईटी, कार्यक्रम, मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कारपोरेशन में आरक्षित पदों का बैकलॉग

455. श्री रामदास आठवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) में आरक्षित पदों का बैकलॉग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैकलाग पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैकलॉग को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने सूचित किया है कि ''अनुसूचित जनजाति'' और ''अन्य पिछड़ी जातियां'' श्रेणियों में क्रमश: समूह ''क'' में 1 (एक) अनुसूचित जानजाति का पद और समूह ''घ'' में 10 (दस) और 46 (छियालिस) पद खाली पड़े हुए हैं।

(ग) से (ङ) इन खाली पदों को भरने हेतु आई.ओ.सी. की विशेष अभियान प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि यह संख्या नाममात्र की है। समूह ''क'' में अनुसूचित जनजाति के एक रिक्त पद के भर लिए जाने की संभावना है क्योंकि नए अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र जारी कर दिया गया है और वे नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं। आई ओ सी आमतौर से समूह ''घ'' में कोई भर्ती नहीं करती सिवाय उस स्थिति के जब मृत कर्मचारी के आश्रित पुत्र/पुत्री के पुनर्वास के लिए कारपोरेशन की योजना हो।

अध्यक्ष महोदय: आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले। सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई)।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) (2) के अंतर्गत जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक की अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के तैंतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 4946/2006]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): मैं एन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 4947/2006]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं श्री मणिशंकर अय्यर की ओर से पंचायतों की स्थिति मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन-2006 (खण्ड एक से तीन) के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 4948/2006]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 4949/2006]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): मैं, श्री दयानिधि मारन की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** सं. एल.टी. 4950/2006]

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 4951/2006]

(ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 4952/2006]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 2) जो 11 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(दो) भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्याक 3) जो 30 अक्टूबर, 2006 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** सं. एल.टी. 4953/2006]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1346(अ) जो 23 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजोकरी जंक्शन के सुधार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के निर्माण (चौड़ा करने, छह/आठ लेन वाला बनाने) के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1214 (अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 [ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (बागपत खंड)] के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1247 (अ) जो 2 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 [ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गाजियाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1286 (अ) जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 18 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 734(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(पांच) का.आ. 1288 (अ) जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के राप्ती पुल (लखनऊ-गोरखपुर खंड) सहित गोरखपुर बाईपास के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं।

(छह) का.आ. 1281 (अ) जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1307 (अ) जो 14 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 [ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गौतमबुद्ध नगर खंड)] के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1468 (अ) जो 11 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96 (उत्तरोला-फैजाबाद-इलाहाबाद खंड) पर गंगा नदी पर चन्द्रशेखर आजाद पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1489 (अ) जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 717 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 1502 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 911 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 1307 (अ) जो 14 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 [ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गौतमबुद्ध नगर खंड)] के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1593 (अ) जो 25 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 और 25 (भोगनीपुर-बारा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1598 (अ) और का.आ. 1599 (अ) जो 25 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (सीतापुर-लखनऊ खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1702 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1769 (अ) जो 16 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-222 (भिवंडी बाईपास जंक्शन से कल्याण शहर में दुर्गाडी चौक तक) के पांच किलोमीटर के भाग को छोड़ दिए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1246 (अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 [ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे (फरीदाबाद खंड)] के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1503 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 (बहादुरगढ़-रोहतक खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1380 (अ) जो 30 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 (बहादुरगढ़-रोहतक खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1695 (अ) जो 4 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 (दिल्ली-अंबाला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1586 (अ) तथा का.आ. 1589 (अ) जो 22 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (लखनाडोन-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1754 (अ) जो 12 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपासों (झांसी-लखनाडोन खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1566 (अ) जो 19 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1क के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, जालंधर को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1596 (अ) जो 25 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु एस.डी.एम., पठानकोट को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1709 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु एस.डी.एम., अमृतसर को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1731 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु एस.डी.एम., डेरा-बस्सी को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1766 (अ) जो 16 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 के अंबाला-कालका खंड पर डेरा-बस्सी के नजदीक रेल ऊपरी पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों को निर्धारित किए जाने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 4954/2006]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1724 (अ) जो 6 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 और 227 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 4955/2006]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नैशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4956/2006]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 4957/2006]

अपराह्न 2.03 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 25 अगस्त, 2006 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 14वीं लोक सभा के आठवें सत्र के दौरान ससंद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2006;

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2006;

(3) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006;

(4) छावनी विधेयक, 2006;

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006;

(6) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006;

(7) पांडिचेरी (नाम का परिवर्तन) विधेयक, 2006;

(8) उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006; और

(9) असम राइफल्स विधेयक, 2006।

मैं, ससंद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विविधत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006;

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2006;

(3) बीमांकक विधेयक, 2006;

(4) सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2006

(5) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006; और

(6) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.04 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को श्री के. चन्द्रशेखर राव का दिनांक 12 सितम्बर, 2006 का पत्र प्राप्त हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश के करीमनगर ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्वाचित सदस्य हैं, वे तुरंत प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने 23 सितम्बर, 2006 से उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.04$^{1}/_{2}$ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सीतादेवी (बडागरा): मैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित "भण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005 के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2006-07) का चौदहवां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 2.05 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

22वां और 23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) 'भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम' संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

---

*लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को 31 अक्टूबर, 2006 को प्रतिवेदन किया गया।

(2) 'रेलवे की दसवीं पंचवर्षीय योजना' संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05¼ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

178वां से 182वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रहता हूं:

(1) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2006", के बारे में एक सौ अठहत्तरवां प्रतिवेदन;

(2) "सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006", के बारे में एक सौ उनासीवां प्रतिवेदन;

(3) "त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006", के बारे में एक सौ अस्सीवां प्रतिवेदन;

(4) "राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006", के बारे में एक सौ इक्यासीवां प्रतिवेदन; और

(5) "अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006", के बारे में एक सौ बयासीवां प्रतिवेदन।

सभापति महोदय: मद संख्या 15—श्री राजनरायन बुधौलिया—उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.05½ बजे

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006—पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद संख्या 16 पर विचार करेगी—विधेयक पुर:स्थापित किया जाये। श्रीमती अम्बिका सोनी।

...(व्यवधान)

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नियम 377 के अधीन सूचनाएं सदन के पटल पर ले की जाती हैं।

(एक) निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का एनसीएमपी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अवसरों की पूर्ण समानता प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कदम उठाने जा रही है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, निजी कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रूप से की जाने वाली सरकारात्मक कार्यवाही हेतु तंत्र का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा एक पांच-सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। मेरा सुझाव है कि निजी क्षेत्र द्वारा आवश्यक कोटे को भरे जाने को सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र से नौकरियों की

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 23.11.2006 में प्रकाशित।

*सभा पटल पर रखे गये।

संख्या नहीं वरन् उनके वार्षिक मजदूरी बिल का कुछ भाग 10 या 15 प्रतिशत अ. जातियों/अ.जा. जातियों के लिए अलग रखने को कहा जाए। इसके अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने वाली कंपनियों को आयकर बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ जो कंपनियां अपेक्षित अ.जा./अ.ज.जा. कोटा को पूरा करती हैं उन्हें सभी सरकारी ठेकों तथा खरीद में वरीयता दी जाए। अत: मैं जहां सरकारी लाइसेंस आवश्यक है लाइसेंस जारी करने वाली एजेंसियों को उनके लाइसेंसों की मूलभूत आवश्यकता के रूप में आवश्यक रूप से आरक्षण के खंड को शामिल करने के अनुदेश दिए जाने चाहिए।

ऐसा करने से, निश्चित रूप से आ.जा./अ.जा.जा. की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां जिसमें वे जीवन-यापन कर रहे हैं, में सुधार होगा तथा निश्चित ही उनके सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाने में मदद मिलेगी।

(दो) देश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): महोदय, देश के कई क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होने के कारण देश का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। इन क्षेत्रों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है जिसके कारण देश में कई आर्थिक समस्याएं खड़ी हुई हैं। लोग एक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा गुजरात का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि बजट में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान किया जाये और बराबर इस बात का ध्यान रखा जाये कि संतुलित विकास कार्य ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं।

(तीन) तमिलनाडु के इरोड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपमंडलीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेलथन (पलानी): तमिलनाडु का इरोड जिला, औद्योगिक रूप से विकसित जिला है जिनमें कपड़ा, तेल मिल, चमड़ा फैक्ट्रियां, बीड़ी कंपनियां तथा अन्य अनेक प्रकार के छोटे उद्योग हैं। इरोड के 20 कि.मी. के दायरे में सिपकॉर कार्यशील है तथा वहां असंख्य उद्योग स्थापित है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि विभिन्न उद्योगों में एक लाख से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा सेलम में भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सेलम शहर अपने अंतिम छोर जैसे दक्षिणी ओर पर धारापुरम, उत्तर पश्चिमी ओर में थालावड़ी, बन्नारी, भवानीसागर से 160 कि.मी., पश्चिमी दिशा में उथुकुली, एस. पेसिपालायम, कांगायाम, वेल्लाकोइल, चिन्नेमलाई से 120 कि.मी. तथा इरोड से 65 कि.मी. दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में संसद सदस्यों को सेलम पहुंचने के लिए अपने एक दिन का वेतन तथा एक दिन का समय गंवाना पड़ता है। इसके अलावा, मेरे इरोड जिले के अधिकांश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं तथा असंगिठत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तथा बहुत कम आय अर्जित कर रहे हैं तथा उन्हें अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए सेलम जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। श्रम मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से पूर्व अपेक्षित जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, जबकि इरोड जिले की जनसख्या 12 लाख से अधिक है जिसमें 11 विधान सभा क्षेत्र भी शामिल हैं। इस जिले के अंतर्गत तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् गोबीचेट्टीपालायम, चिरूयेगोडे तथा पालानी भी आते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा दावों के शीघ्र निपटान अग्रिम राशि को स्वीकृत करके शिमला के तत्काल निपटारे के लिए मैं माननीय मंत्री से शीघ्रातिशीघ्र इरोड में एक उपमण्डलीय कार्यालय खोलने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहित कर ली गई थी उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): आज हमारे देश में खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। चूंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है। अत: जनसंख्या में भारी वृद्धि के चलते लगभग 30 वर्षों के बाद खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा उठाये गए गंभीर और हर संभव प्रयास के बावजूद भारतीय आबादी का 26 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जी रही है और हाल के दिनों में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं ने इस समस्या में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इन परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर चयनित आर्थिक क्षेत्र (सेज) की परियोजनाएं एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है। तात्कालिक लाभ के कारण हो सकता है ऋण से दबे

हुए किसान अपनी कृषि भूमि को बेच दें लेकिन एकमुश्त राशि जो उन्हें मिलेगी वह बहुत दिन तक नहीं चलेगी और उनको गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए और मजबूर करेगी। चूंकि भूमि का बड़ा भाग उत्पादन रहित हो जाएगा इसलिए संभावित आर्थिक विकास वाली एस.ई.जेड. परियोजनाओं से कृषि भूमि का क्षेत्रफल घटेगा और इससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होगा और हम लम्बी अवधि के बाद और अधिक खाद्य आयात पर आश्रित हो जाएंगे। समस्या का महत्वपूर्ण पहलु यह है कि चूंकि किसान आसंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और वे अपने को कुशल श्रमिक के रूप में नहीं बदल सकते और अर्जित भूमि पर खड़े किये गए करखानों या अन्य संस्थापनों में काम नहीं कर सकते और अपनी जीविका नहीं कमा सकते। इसलिए यह सार्थक होगा यदि उन किसानों को पनुर्वासित किया जाए जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाती है और ताकि वे अपनी आजीविका सुनिश्चित करें अन्यथा नकदी मुआवजा के भुगतान की हालत के कई तरह की अनैतिक गतिविधियां शुरू होगी और किसानों को गंभीर रूप में प्रभावित करेंगी।

(पांच) पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 का निरसन किए जाने की आवश्यकता

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में घोषित सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति का गठन किया है ताकि इस अधिनियम में मनवीय पक्ष जोड़ा जा सके या इस अधिनियम को निरस्त किया जा सके। कुछ ही समय पूर्व इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ऐसा भी समझा जाता है कि समिति ने इस अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की है। मैं 2004 में जब इस संसद में आया था तभी से इस अधिनियम के निरसन पर विचार करने के लिए अनुरोध करता रहा हूं।

मणिपुर के लोग इस अधिनियम को तत्काल समाप्त करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण मणिपुर राज्य के समक्ष उत्पन्न समस्या के समाधान की दिशा में यह काफी प्रभावी होगा। इसलिए, एक बार पुन: केन्द्र सरकार से मैं जोर-जोर शब्दों में इस अधिनियम को तत्काल निरसन के लिए विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, विश्व की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, 16 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उ.प्र., बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखण्ड में इसका प्रयोग व्यापक है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मारीशस, फिजी, ट्रिनिडाड, थाईलैंड, हालैण्ड, मलेशिया तथा सिंगापुर सहित 27 देशों में भी इसका व्यापक आधार है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र द्वारा 'भोज' शब्द जिससे भोजपुरी बनी, का उल्लेख तो है ही, महाभारत सहित विभिन्न धर्म-ग्रंथों से होते हुए मालवा के राजा भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी ति डुगरांव के भोज राजाओं का इतिहास भोजपुरी की व्यापकता, विशालता और प्राचीनता का गवाह है।

संत साहित्यकारों चौरंगीनाथ जी, गोरखनाथ जी, भतृहरि, कबीरदास, कमलदास, धरमदास, पलटूदास, भाखा साहेब जैसे सैंकड़ों विचारकों और चिन्तकों ने अपनी लोक कथाओं, गीतों, लोक गाथाओं और लोकोक्तियों से भोजपुरी को पीढ़ी दर पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, डा. भगवतशरण उपाध्याय, और चतुरी चाचा जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी गद्य साहित्य को नयी ऊंचाईयों प्रदान कीं।

महोदय, जैसाकि विदित है भारतीय संविधान के मूल रूप में 14 भाषाएं ही आठवीं सूची में थीं। बाद में इसमें संशोधन कर सिन्धी, कोंकणी, नेपोली, मैनपुरी, मैथिल, डोंगरी, संथाली और बोडो को भी शामिल कर लिया गया। भोजपुरी संस्कृति इन सभी भाषाओं का आदर करते हुए यह जानना चाहती है कि जिस वजह से इन बोलियों का इस सूची में शामिल किया गया उनमें से क्या कोई एक भी तत्व ऐसा है जिसे भोजपुरी पूरी न करता हो।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए भोजपुरी को तत्काल आठवीं सूची में शामिल किया जाये।

(सात) गुजरात के वनों में रहने वाले आदिवासियों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): पूरे गुजरात में केन्द्र सरकार के आदेश से आदिवासी लोगों को जंगलों से हटाया जा रहा है। ये आदिवासी लोग अपने पूर्वजों के समय से इन जंगलों में रहते आये हैं और अपने परिवार का लालन-पालन जंगल में पैदा होने वाली फसलों एवं अन्य चीजों के माध्यम से करते आ रहे हैं। जंगल एवं आदिवासी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इन जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं वे बेहद गरीब, अनपढ़ एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के वर्ग से हैं। सरकार उनके विकास के स्थान पर उनको जंगजों से निकालकर न जाने कौन सा कल्याणकारी कार्य करना चाहती है। इन आदिवासी लोगों

से जंगल बरबाद नहीं होते हैं, बल्कि आबाद होते हैं क्योंकि आदिवासी लोग जंगल को अपना देवता मानते हैं।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जंगलों में रहने वाले लोगों को जिस घर में वे रहते हैं और जिन खेतों को वे बोते हैं उनके नाम किया जाये। इसके लिए कोई संशोधन और कानून बनाये जाने की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत बनाया जाये।

(आठ) राजस्थान सरकार को राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान में भयंकर बाढ़ आई थी और लाखों रुपये का जन-धन का नुकसान हो गया और राजस्थान सरकार ने बाढ़ राहत के लिए कई बार केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है और एक टीम भी जो बाढ़ अध्ययन के लिए आई थी उसने भी यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार मदद करेगी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज भी वर्षा का पानी भरा हुआ है और इतना समय हो जाने के बाद भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान सरकार को एक स्पेशल वित्तीय पैकेज दिया जाये जिससे राज्य सरकार इस समस्या से निपट सके।

(नौ) अहमदाबाद-दांडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य शुरू करने और इसे समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): केन्द्र सरकार ने 1.6.2006 को अहमदाबाद-दांडी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 228 के रूप में घोषित किया है। मैं सरकार से इस योजना को पर्याप्त धन के साथ समयबद्ध तरीके से तथा योजनाबद्ध रूप में इसका समय पर समापन के लिए तत्काल शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) राज्य में उत्पादित तेल और गैस पर राज्य सरकार को 50 प्रतिशत रायल्टी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय भूभाग है, जहां आधारभूत सुविधाओं की कमी है, किंतु खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न है। विशेष रूप से पेट्रोलियम की अच्छी संभावनायें हैं। यह बाड़मेर-सांचोर बेसिन में तेल की खोज एवं जैसलमेर जिले में गैस की खोज से सिद्ध होता है। पेट्रोलियम एवं गैस के खनन से स्थानीय निवासी प्रभावित होते हैं। भारत सरकार को राज्य के इन पेट्रोलियम संसाधनों से लाभ राशि प्राप्त होती है। क्योंकि पेट्रोलियम के भण्डार राज्यों में स्थित हैं और स्थानीय निवासियों के विकास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को भी लाभ राशि में से हिस्सा राशि मिलनी चाहिए। अत: राज्यों से उत्पादित होने वाले पेट्रोलियम से प्राप्त लाभ राशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को दिया जाये तथा 12वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं तथा राजस्थान सरकार ने ब्लाक आबंटन नोमिनेशन/ज्वाईंट वेंचर/या एनइएलपी हिस्सेदारी का दावा पेश किया है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन ज्वाईंट वेन्चर ब्लाकों, नोमिनेशन ब्लाकों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

(ग्यारह) अलप्पुझा में स्थित वायरस विज्ञान संस्थान केरल के उन्नयन हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा): केरल में सितम्बर-अक्टूबर 2006 के दौरान घातक विषाणु जनित रोग चिकनगुनिया के कारण बहुत से लोग मर गए तथा हजारों लोग अस्पतालों में भर्ती कराए गये। राज्य से अभी भी चिकनगुनिया बीमारी की खबरें आ रही हैं। यह बीमारी जो सर्वप्रथम अलप्पुझा जिले में प्रकट हुई थी, आस-पास के जिलों में फैल गई जिसमें इर्नाकुलम भी सम्मिलित था। सबसे अधिक मौतें तथा रोगियों की सर्वाधिक संख्या अलप्पुझा जिले में पाई गई।

इस रोग के निदान हेतु जांच के लिए अलप्पुझा स्थित विषाणु विज्ञान संस्थान ही एक अधिकृत संस्थान है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संस्थान में जरूरतों की पूर्ति के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। नमूने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पूणे भेजे जाते हैं और नमूनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसलिए निदान प्रक्रिया में काफी अत्यधिक विलम्ब हो जाता है जिससे अलप्पुझा संस्थान में सुविधाओं में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केरल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान अलप्पुझा विषाणु विज्ञान संस्थान की मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करने का आश्वासन दिया था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संस्थान के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं।

(बारह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर मोयडू, मुराड और करापुझा पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सती देवी (बडागरा): केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर मोयडू, मुराड और करापुझा में पुलों की तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

मोयडू पुल, कि.मी. 172/100 वर्ष 1930 में बनाया गया था। मुराड पुल; कि.मी. 203/440, और कोरापुझा पुल, कि.मी. 233/200, वर्ष 1940 में बने थे और अब उनकी स्थिति खराब है। पुलों के अधिकांश भाग अपरदित हुए हैं और भारी वाहनों के लिए असुरक्षित हैं। अभी इन पुलों से होकर भारी वजन वाले वाहन नहीं गुजर सकते। इसलिए, इन पुलों के पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन पुलों की प्राथमिकता के आधार पर पुन: निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाये जाएं।

(तेरह) हज समिति के माध्यम से आवेदन करने वाले 1,47,000 हज यात्रियों को हज यात्रा करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): इस वर्ष पूरे देश से लगभग 1 लाख 47 हजार लोगों ने हज कमेटी की मार्फत हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किया था, परंतु सरकार सिर्फ 1 लाख लोगों को ही जाने की अनुमति दे रही है जबकि 1 लाख 57 हजार का कोटा केन्द्र सरकार के पास मौजूद है ऐसे में जो हज यात्री 28 जून, 2006 तक आवेदन कर चुके हैं केन्द्र सरकार को उन्हें हज यात्रा पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। इस संबंध में 18 अगस्त को लोक सभा में भी यह मामला उठा था, साथ ही साथ पूरे देश से लोगों की यह मांग निरंतर रही है कि हज कमेटी की मार्फत लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हज यात्रा पर भेजा जाए मगर सरकार ने जनभावनाओं का आदर नहीं किया और इतिहास में पहली बार हज कमेटी की मार्फत आवेदन करने वाले लगभग 37 हजार लोग हज यात्रा से वंचित रह जायेंगे।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार हज यात्रियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 लाख 47 हजार से ज्यादा हज यात्रियों को हज कमेटी की मार्फत हज यात्रा पर जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

(चौदह) देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, सरकार ने हाल ही में एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए नियम बनाये हैं और काफी संख्या में इस प्रस्ताव को जल्दी में स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी-जल्दी स्वीकृतियां क्यों दी जा रही हैं। इस नियम में काफी असमानताएं हैं। सिर्फ कुछ ही राज्यों में एसईजेड बनेंगे। बाकी राज्य वैसे ही पिछड़े हैं और पिछड़ते जायेंगे। इसईजेड क्रमश: सभी राज्यों में समान रूप से बनें और कृषि योग्य भूमि पर कदापि नहीं बनने दिया जाये।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि एसईजेड के नियमों में व्याप्त असमानताएं जैसे सभी राज्यों में एसईजेड की क्रमश: स्थापना, कृषि योग्य भूमि पर एसईजेड की अनुमति नहीं देना, एसईजेड के माध्यम से जमींदारी प्रथा को फिर से नहीं बहाल करना आदि विषयों पर जब तक पूर्ण कानून नहीं बने तब तक एसईजेड की चाहे स्वीकृति क्यों ही न दी जा चुकी हो, कार्य स्थगित रखने की कृपा करें, इससे सभी राज्यों के हितों की रक्षा की जा सकती है। खासकर गरीब और पिछड़े राज्यों से एसईजेड अधिक से अधिक संख्या में लगे, यह सुनिश्चित हो।

(पन्द्रह) तिरूपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु में "होगानेकल" समन्वित पेयजल परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत वेल्लोर जिले में तिरूपत्तूर, अंबर, वेनियाम्पदी और वेल्लोर सहित नात्राम्पल्ली तथा इजूदियायम, पेरानामपेट पल्लीकोडा में पेयजल संसाधन नहीं हैं तथा उन शहरों में रहने वाले लोगों को प्राय: जल के भारी संकट की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन वर्षों के दौरान यह घोषणा की गयी थी कि इन शहरों को जल की आपूर्ति होगानेकल समेकित पेयजल परियोजना से की

जाएगी। कृष्णगिरि, धर्मापुरी और वेल्लोर जैसे सूखाप्रवण जिलों के लोगों के साथ-साथ मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग जो वहां रहते हैं अक्सर इस सूखे की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और ये लोग काफी दु:खी हैं क्योंकि यह समेकित जल परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जापान के सहयोग से पूरी की जाने वाली इस परियोजना में जापान के आर्थिक प्रतिबंध के कारण इसमें एक बाधा आ गई थी। बाद में यह घोषणा की गई कि इस परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ किया जाएगा। लेकिन परियोजना अभी भी लम्बित है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वह राज्यों और जिला प्रशासकों की सहायता से इसमें सूचीबद्ध करके इस समेकित पेयजल परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाये।

(सोलह) पासपोर्ट आवेदकों की समस्याओं के समाधान हेतु देश में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): महोदय, मैं सरकार का ध्यान पासपोर्ट प्राप्त करने में जनता की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं।

मुख्यत: आम जनता की कठिनाइयां पासपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं से है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाए, जिससे कि आवेदकों को किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

पासपोर्ट आवेदक की जांच के लिए जो सम्बन्धित विभाग जांच करते हैं तथा जिनकी टिप्पणी से आवेदक को पासपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाता है, यदि बाद में वो टिप्पणी गलत पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि विभाग के अन्य कर्मचारी गलत टिप्पणी न करें।

लाखों पासपोर्ट धारक ऐसे हैं, जिन्हें जायज पासपोर्ट मिले हुए हैं परंतु उनके पासपोर्ट पर ऐसी टिप्पणी कम्प्यूटर में डाल दी गयी है कि वह जब जायज वीजा लेकर हवाई या सड़क मार्ग से बाहर जाना चाहते हैं तो हवाई अड्डे और सीमा पर से ही उन्हें इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा वापस कर दिया जाता है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि इस संबंध में उचित जांच कराई जाए और जो पासपोर्ट अभी तक जारी किए जा चुके हैं उन्हें वैध घोषित किया जाए।

(सत्रह) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड को कपास (रॉ कॉटन) की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, केन्द्र सरकार कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए रखने के लिए भारतीय कपास निगम को राजसहायता दे रहा है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड को केन्द्र सरकार से कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है जबकि वह कच्चा सूत खरीदने और कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए रखने में सहायता करा रहा है। अत: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड को राजसहायता प्रदान करे और एक एस सी पी जी एम एफ एल को कपास की खरीद करने वाले एजेन्ट के रूप में अधिसूचित करे।

महाराष्ट्र राज्य सरकार का निवेदन केन्द्र सरकार के पास अभी भी लम्बित पड़ा है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें।

(अठारह) उड़ीसा के बुर्ला स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समतुल्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, उड़ीसा जैसे विकसित प्रदेश में अच्छी शिक्षा का महत्व काफी अधिक है क्योंकि वहां पर तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। निजी उद्यमी यहां इस्पात और एल्युमिनियम संयत्र लगा रहे हैं और लगभग बारह तापीय संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। वे राज्य में चार लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां भी यहां अपने केन्द्र स्थापित कर रही हैं।

बुर्ला स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध हैं। आनन्द कृष्णन समिति ने सिफारिश की थी कि पांच पुराने और अच्छी कोटि के इंजीनियिंग कॉलेजों का इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस और टैक्नोलॉजी के स्तर तक उन्नयन किया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग की संभावनाओं का शीघ्र अध्ययन करे और उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस और टैक्नोलॉजी के स्तर तक उन्नयन करें।

(उन्नीस) कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची और कोडरमा से गिरीडीह के बीच रेल लाईन बिछाने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): महोदय, झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिला जो उत्तरी छोटानागरपुर प्रमण्डल का भी मुख्यालय है। अभी तक रेलवे लाईन से आजादी के 57 वर्ष के बाद भी नहीं जोड़ा गया। करीब पांच वर्ष पूर्व रेलवे लाईन निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन अभी तक एक-चौथाई कार्य भी नहीं हुआ है जबकि 2006 में इस रेलवे लाईन को पूरा होना था। जिस गति से रेलवे लाईन का कार्य हो रहा है अगर इस रफ्तार से कार्य चलता है तो 10 वर्षों में भी कोडरमा से हजारीबाग और हजारीबाग से रांची तथा कोडरमा से गिरीडीह की लाईन का कार्य पूरा नहीं होगा। उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल और विशेषकर हजारीबाग जिला से केन्द्र एवं राज्य की प्रतिमाह अरबों रुपये की आमदनी होती है, फिर भी इस क्षेत्र की ओर उपेक्षा की जा रही है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त सभी लाईनों के निर्माण में गति को तेजकर बनवाया जाए।

(बीस) कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): कन्नड़ को प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा दिये जाने की मांग सम्बन्धी आंदोलन तीसरे वर्ष में पहुंच गया है। लेखकों, गायकों, राजनीतिज्ञों और सभी क्षेत्रों से लोगों ने संघ सरकार से मांग की है कि कन्नड़ भाषा को प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन केन्द्र सरकार ने आज तक राज्य की यथार्थ मांग पर प्रक्रिया व्यक्त नहीं की है।

अब कन्नड़ लोग सुवर्ण कर्नाटक (स्वर्ण जयन्ती) मना रहे हैं और आंदोलन उग्र हो रहा है और मुझे डर है कि यदि केन्द्र राज पर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है तो यह उग्र रूप धारण न कर ले।

कन्नड़ साहित्य को सात बार देश के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है जबकि इसके अनुवाद में बाधाएं हैं और देश की राजधानी में इसे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जहां तक इसकी लिपि और अन्य साक्ष्यों का सम्बन्ध है तो इसका 2000 वर्ष पुराना इतिहास है लेकिन महोदय मैं आपके और अन्य माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कर्नाटक शब्द का प्रयोग रामायण और महाभारत में भी किया गया था यद्यपि इसकी वर्तनी 'करनाता' के रूप में की गयी है न कि "कर्नाटक।" कर्नाटक शब्द कई हजार वर्ष पुराना है संस्कृत के एक कवि ने कहा है कि कर्नाटक भाषा कर्णप्रिय है तथा इसका स्थान है कर्नाटक। अब मैसूर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डी. जावेरागौडा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मैंने इस सम्माननीय सभा में कई बार इस मामले को उठाया है। कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमार स्वामी ने केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध किया है। अत: मैं पुरजोर मांग करता हूं कि संघ सरकार और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह कर्नाटक के लोगों की संवेदनशील भावनाओं का सम्मान करते हुए अविलम्ब कन्नड़ भाषा को प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा प्रदान करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप पहले अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप सब अपना स्थान ग्रहण करिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मोहन सिंह जी, आप अपने माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करने के लिए कहें। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा लेकिन वे पहले अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसे सदन कैसे चलेगा?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप पहले स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: व्यवधान पैदा करने से सदन का संचालन नहीं हो सकता है। आप कोआपरेट करिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः हाउस चलाने में सहयोग दीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। मैं आपके नेता को बोलने का मौका दे रहा हूं। सब अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः सब बारी-बारी से बोलिए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः राम कृपाल जी, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः मैं क्या कर सकता हूं? आपकी पार्टी के माननीय सदस्य सदन के संचालन में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.13 बजे

(इस समय श्री ए.के.एस. विजयन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

सभापति महोदयः आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप सदन संचालन में व्यवधान कर रहे हैं। मोहन सिंह जी आप बोलिए, आपको क्या कहना है?

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हमारे मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में सभा करनी थी, मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया। हमारे पांच हजार कार्यकर्ता जेल में हैं।...*(व्यवधान)* हमारे दो सांसद जेल में हैं। उन्हें लाठियों से पीटा गया और सभा नहीं करने दी गई।...*(व्यवधान)** सदन में गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह गलत परंपरा स्थापित हो रही है। आप लोग वैल में खड़े हैं, ऐसे नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप स्थान क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा कल, 24 नवम्बर, 2006, पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 24 नवम्बर, 2006/3 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	डा. सत्यनारायण जटिया	21
2.	प्रो. रासा सिंह रावत श्री बृज किशोर त्रिपाठी	22
3.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	23
4.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	24
5.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे श्री श्रीचन्द कृपलानी	25
6.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	26
7.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री जीवाभाई ए. पटेल	27
8.	श्री बसुदेव आचार्य श्री दुष्यंत सिंह	28
9.	श्री जुएल ओराम	29
10.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	30
11.	श्री विजय कृष्ण	31
12.	श्री सनत कुमार मंडल	32
13.	श्री जे.एम. आरून रशीद श्री अवतार सिंह भड़ाना	33
14.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री हेमलाल मुर्मू	34
15.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	35
16.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री बापू हरी चौरे	36
17.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	37
18.	श्री सी. कुप्पुसामी प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन	38
19.	श्री ब्रजेश पाठक	39
20.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	351, 419
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	342, 416, 453
3.	आदित्यनाथ, योगी	264
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	229, 293, 306, 326, 404
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	309, 375, 376, 393
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	294, 320, 322, 365, 446
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	269, 362
8.	आठवले, श्री रामदास	259, 352, 420, 455
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	239, 348
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	269, 312
11.	बर्मन, श्री हितेन	281
12.	बर्मन, श्री रनेन	298
13.	बखला, श्री जोवाकिम	269, 372
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	297, 385
15.	भड़ाना, श्री अवतार सिंह	351, 419
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	299
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	345, 412, 449
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	247, 264, 337, 407
19.	बोस, श्री सुब्रत	281, 372
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	313, 399
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	265, 357

1	2	3
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	315
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	300, 363, 380
24.	चटर्जी, श्री सांताश्री	268
25.	चौरे, श्री बापू हरी	374, 435
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	349, 415, 452
27.	चिन्ता मोहन, डा.	282, 373
28.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	260
29.	चौधरी, श्री पंकज	264, 356
30.	चौधरी, श्री अधीर	256, 283
31.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	300, 363
32.	देवरा, श्री मिलिन्द	255, 257, 341, 410, 448
33.	धनराजू, डा. के.	441
34.	धोत्रे, श्री संजय	230
35.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	295
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	288, 291, 348
37.	गंगवार, श्री संतोष	296, 365, 371
38.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	240, 267, 374, 391
39.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	274
40.	जगन्नाथ, डा. एम.	310, 377, 397, 445
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	334, 406
42.	झा, श्री रघुनाथ	280, 433
43.	जिन्दल, श्री नवीन	228, 325, 346, 363, 434
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	264
45.	कलमाडी, श्री सुरेश	286
46.	कनोडीया, श्री महेश	316, 317
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	233, 262, 359, 370, 426
48.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	347, 413, 450
49.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	253, 264
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	244
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	234, 269, 276, 328, 405
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	252, 274, 340, 409, 428
53.	कृष्ण, श्री विजय	400
54.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	238, 264, 383
55.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	282, 283, 373
56.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	261, 312, 444
57.	महतो, श्री सुनिल कुमार	289, 308, 309, 393, 396
58.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	312
59.	महताब, श्री भर्तृहरि	271, 364, 429
60.	महतो, श्री टेक लाल	305, 393
61.	माझी, श्री परसुराम	303, 392
62.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	263, 292, 381
63.	मंडल, श्री सनत कुमार	330, 418, 454
64.	माने, श्रीमती निवेदिता	288, 348
65.	मनोज, डा. के.एस.	285
66.	मसूद, श्री रशीद	246, 262, 336, 419, 423

1	2	3
67.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	387, 441
68.	मिश्रा, डा. राजेश	351, 419
69.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	347, 450
70.	मोहिते, श्री सुबोध	319, 321
71.	मंडल, श्री अबु अयीश	255, 343
72.	मुर्मू, श्री हेमलाल	355, 424
73.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	276
74.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	263, 292
75.	नायक, श्री अनन्त	270, 363
76.	ओराम, श्री जुएल	332
77.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	242, 300, 388, 442
78.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	251, 274, 279, 339
79.	पाण्डा, श्री प्रबोध	293, 382, 438
80.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	294, 381
81.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	378
82.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	349, 375
83.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	348, 414, 451
84.	पाठक, श्री ब्रजेश	262, 421, 452, 354
85.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	287, 378
86.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	284
87.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	273, 296, 366, 444
88.	पिंगले, श्री देविदास	318, 401
89.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	361, 427

1	2	3
90.	प्रधान, श्री प्रशान्त	312
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	245, 308, 335, 396
92.	राजगोपाल, श्री एल.	377, 384, 425, 439
93.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	231, 327, 422
94.	राणा, श्री काशीराम	236, 329
95.	राव, श्री के.एस.	249, 338, 425
96.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	275, 344, 432
97.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	267, 360
98.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	264, 304, 380
99.	रावले, श्री मोहन	291
100.	रावत, प्रो. रासा सिंह	267, 323, 402
101.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	243, 261, 264, 333, 436
102.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	270, 344, 411
103.	सज्जन कुमार, श्री	351, 419
104.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	274, 363, 367, 431
105.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	258, 368
106.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	353, 363, 414, 428
107.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	361
108.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	293, 306, 326, 363
109.	शिवन्ना, श्री एम.	278, 398
110.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	274, 296, 307, 395, 444

1	2	3
111.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	226, 241, 379, 437
112.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	266, 270, 289, 452
113.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	274, 285
114.	सिंह, श्री दुष्यंत	326, 377
115.	सिंह, श्री गणेश	248, 390
116.	सिंह, श्री कीति वर्धन	288
117..	सिंह, श्री प्रभुनाथ	264, 279
1.18.	सिंह, श्री राकेश	311
119.	सिंह, श्री सुग्रीव	348, 414, 451
120.	सिंह, श्री सूरज	275, 369
121.	सिंह, श्री उदय	254
122.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	317
123.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	227, 324, 403, 452
124.	सुगावनम, श्री ई. जी.	250, 339, 366, 408, 447
125.	सुमन, श्री रामजीलाल	283
126.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	237, 331, 442
127.	थामस, श्री पी.सी.	290, 380
128.	ठुम्मर, श्री बी.के.	266, 358
129.	तोपदार, श्री तरित बरण	314
130.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	232, 386, 427, 440
131.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	350, 417, 452
132.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	302
133.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	272, 365
134.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	306, 346, 390, 394
135.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	431
136.	यादव, श्री गिरिधारी	235, 376, 452
137.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	273, 366, 430
138.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	301, 389, 443

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	27, 28, 33, 37
संस्कृति	:	
रक्षा	:	22, 30, 35
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	31
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	38
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	23, 24, 25, 36, 39, 40
रेल	:	21, 32, 34
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
पर्यटन	:	26, 29

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	233, 250, 253, 261, 267, 268, 273, 284, 286, 288, 291, 293, 297, 310, 314, 315, 323, 324, 330, 347, 357, 358, 376, 384, 394, 399, 414, 427, 428, 431, 432, 436, 439, 442, 447, 448, 450
संस्कृति	:	227, 240, 242, 249, 262, 335, 351, 379, 383, 405, 418
रक्षा	:	232, 255, 256, 274, 294, 301, 326, 341, 348, 349, 354, 367, 369, 374, 382, 386, 387, 389, 404, 413, 441, 443
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	260, 278, 281, 298, 327, 372, 388
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	236, 277, 280, 287, 289, 325, 342
अल्पसंख्यक मामले	:	300, 408, 433
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	234, 254, 264, 282, 283, 285, 292, 296, 299, 303, 304, 308, 309, 338, 345, 346, 353, 362, 366, 368, 370, 373, 381, 396, 403, 416, 417, 421, 430, 434, 440, 453, 455

रेल	:	226, 229, 230, 231, 235, 237, 238, 239, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 257, 258, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 290, 295, 302, 305, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 331, 333, 334, 336, 339, 340, 343, 350, 352, 355, 356, 363, 364, 365, 371, 377, 378, 380, 385, 390, 392, 393, 395, 397, 398, 400, 401, 402, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 415, 420, 423, 424, 426, 429, 438, 444, 446, 451
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	259, 263, 306, 359, 391, 422, 425, 449
पर्यटन	:	228, 243, 279, 307, 332, 344, 360, 361, 375, 419, 435, 437, 445, 452, 454.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।